

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2024 सत्र

मंगलवार, दिनांक 13 फरवरी, 2024

भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों के सुधार एवं कुपोषण से मुक्ति हेतु शासन के प्रयास

[महिला एवं बाल विकास]

1. (*क्र. 407) श्रीमती गोमती साय : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति में सुधार के लिए शासन की क्या योजनायें हैं एवं क्या प्रयास किये जा रहे हैं? (ख) प्रदेश को कुपोषण से पूर्णतः मुक्त किये जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? (ग) आंगनबाड़ी केन्द्रों में बालक-बालिका, गर्भवती-शिशुवती माताओं की संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों की भौतिक संरचना में सुधार के लिए विभागीय बजट में उपलब्ध मरम्मत मद से, सक्षम आंगनबाड़ी के तहत आंगनबाड़ी केन्द्रों का चरणबद्ध उन्नयन तथा स्थानीय स्तर पर डी.एम.एफ., सी.एस.आर. नीति आयोग की निधि से आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति में सुधार की कार्यवाही की जा रही है। हितग्राहियों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति में सुधार के लिए संचालित योजनायें व किये जा रहे प्रयासों की जानकारी संलग्न प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख) कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेवाओं तथा संबंधित विभागीय योजनाओं के माध्यम से विविध प्रयास किये जा रहे हैं। इनमें पूरक पोषण आहार का प्रदाय, टीकाकरण, संदर्भ सेवा, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा का लाभ प्रदान किया जाना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, समुदाय आधारित कुपोषित बच्चों का प्रबंधन, पोषण पुनर्वास केन्द्र में संदर्भित करना, सामुदायिक जनजागरण/समुदाय आधारित गतिविधियां, सुपोषण चौपाल एवं जिला स्तर पर स्थानीय प्रयास प्रमुख है। (ग) आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से दर्ज बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति में सुधार हेतु किये जा रहे प्रयास का विवरण संलग्न प्रपत्र-'ब' अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - एक"]

मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

[महिला एवं बाल विकास]

2. (*क्र. 785) श्री दिलीप लहरिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 की स्थिति में कुल कितने आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं तथा कितने स्वयं के भवन में संचालित किए जा रहे हैं? जानकारी देवें? (ख) कंडिका "क" के अनुसार कौन-कौन से आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं या किराये के भवन में संचालित किए जा रहे हैं? जानकारी देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दिनांक

31 दिसम्बर, 2023 की स्थिति में कुल 421 आंगनबाड़ी केन्द्र, 20 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं तथा 342 आंगनबाड़ी केन्द्र, 14 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवन में संचालित किए जा रहे हैं। (ख) कंडिका "क" के अनुसार 79 आंगनबाड़ी केन्द्र, 06 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं 53 आंगनबाड़ी केन्द्र, 06 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवन में संचालित किए जा रहे हैं। जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - दो"]

जिला-राजनांदगांव एवं खैरागढ़ में छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0 द्वारा संचालित केंद्र
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

3. (*क्र. 896) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला-राजनांदगांव एवं खैरागढ़ के अन्तर्गत छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कुल कितने प्रदाय केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं? क्या संचालित हो रहे प्रदाय केन्द्रों में प्रभारी के पद पर नियमित कर्मचारियों को पदस्थ किया गया है? यदि नहीं तो ऐसे कितने प्रदाय केन्द्र हैं, जहां पर नियमित कर्मचारी पदस्थ नहीं हैं? पदस्थ कर्मचारी का नाम, पदनाम, प्रदाय केन्द्र में पदस्थ की तिथि जिलेवार, प्रदाय केन्द्रवार, जानकारी दें? (ख) नियमित कर्मचारियों को मुख्यालय एवं जिला कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों के नाम, पदस्थी दिनांक एवं पदस्थापना के कारण की जानकारी दें। (ग) क्या सहायक प्रबंधक एवं प्रबंधक को छोड़कर अन्य किसी पद पर पदस्थ कर्मचारी/अधिकारियों को जिला प्रबंधक के पद पदस्थ किया जा सकता है? यदि हां, तो पदस्थ करने का कारण, जिला प्रबंधक के पद पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदस्थी दिनांक, पदस्थी स्थल की जानकारी दें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'ब' अनुसार है। (ग) जी हाँ। नागरिक आपूर्ति निगम में प्रबंधन के संबंध में संचालक मण्डल की 14वीं बैठक दिनांक 26.04.2005 के एजेंडा बिन्दु क्रमांक 14.7 में पारित निर्णय के आधार पर आवश्यकतानुसार लेखा संवर्ग के अधिकारियों को प्रभारी जिला प्रबंधक के पद पर पदस्थ किया जा सकता है। जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'अ' अनुसार है।

धान का अवैध भंडारण एवं परिवहन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

4. (*क्र. 987) डॉ. चरण दास महंत : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) दिसम्बर, 2023 तथा जनवरी, 2024 में धान के अवैध भंडारण तथा परिवहन के कितने प्रकरण प्रकाश में आए, मात्रा कितनी-कितनी थी, अनियमितता का कारण क्या था, जिलावार बताएं? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकरणों में क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (ग) अन्य राज्यों का धान छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से आने को रोकने के लिए क्या-क्या विशेष उपाय किये गये हैं? क्या ये उपाय पर्याप्त हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) दिसम्बर, 2023 तथा जनवरी, 2024 में धान के अवैध भंडारण तथा परिवहन के जिलों से 817 प्रकरण प्रकाश में आए हैं तथा धान की मात्रा 37717.1 किंटल है। प्रकरणों की जिलावार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र - अ अनुसार है। (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकरणों में कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में अन्य राज्यों का धान छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से आने को रोकने हेतु सीमावर्ती जिलों के, जिला प्रशासन द्वारा 220 चेकपोस्ट बनाए गए हैं। जिला स्तर पर अवैध धान के परिवहन एवं भंडारण के निगरानी हेतु खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग, राजस्व विभाग एवं कृषि उपज मंडी के अधिकारियों /कर्मचारियों को शामिल कर, विशेष जांच दल का गठन का किया गया है। धान खरीदी पर सतत् रूप से निरीक्षण व पर्यवेक्षण कार्य हेतु जिला प्रशासन द्वारा पर्याप्त उपाय किए गए हैं।

प्रदेश में उत्पादित बिजली तथा खपत

[ऊर्जा]

5. (*क्र. 1019) श्री किरण देव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में स्टेट सेक्टर के किन-किन संयंत्रों से कितनी-कितनी बिजली का उत्पादन किया जा रहा है तथा छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली की खपत कितनी है ? कितनी बिजली, किस-किस दर पर छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा अन्य प्रदेशों को विक्रय की जा रही है ? **(ख)** भविष्य में विद्युत की आपूर्ति हेतु शासन द्वारा क्या नवीन कार्ययोजना है ? प्रदेश में कितना विद्युत बिल उपभोक्ताओं, छोटे उद्योगों, वृहद उद्योगों तथा अन्य के नवंबर, 2023 तक बकाया है तथा उनकी वसूली हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है? वितरण कंपनी के संभागावार बताये ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** वर्तमान में प्रदेश में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा विभिन्न संयंत्रों से उत्पादित बिजली का विवरण **पुस्तकालय में रखें प्रपत्र-अ** अनुसार है। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा की गई बिजली की खपत वर्ष 2022-23 तथा वर्ष 2023-24 में (माह नवंबर 2023 तक) क्रमशः 29,104 तथा 22,528 मिलियन यूनिट खपत है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा अन्य प्रदेशों को बिजली विक्रय नहीं की जा रही है। **(ख)** भविष्य में विद्युत की आपूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा विभिन्न स्रोतों से विद्युत क्रय हेतु अनुबंध किया गया है तथा विद्युत क्रय हेतु सहमति प्रदान की गई है जिसकी जानकारी **पुस्तकालय में रखें प्रपत्र-ब** अनुसार है। माह नवंबर, 2023 तक प्रदेश के छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के सभी श्रेणी के उच्चदाब एवं निम्नदाब विद्युत उपभोक्ताओं यथा घरेलू, गैरघरेलू, लघु उद्योग, वृहद उद्योग तथा अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के विरुद्ध लगभग राशि रूपये 5,422.11 करोड़ बकाया है जिसकी वितरण कंपनी के संभागावार जानकारी **पुस्तकालय में रखें प्रपत्र-स** अनुसार है, बकाया राशि की वसूली हेतु लाईन विच्छेदन की कार्यवाही का संभागावार विवरण **पुस्तकालय में रखें प्रपत्र-द** अनुसार है, लाईन विच्छेदन की कार्यवाही के उपरांत प्राप्त भुगतान का संभागावार विवरण **पुस्तकालय में रखें प्रपत्र-इ** अनुसार है एवं बकाया राशि की वसूली हेतु लाइन विच्छेदन के पश्चात जारी बी. फार्म, सी फार्म एवं आर.आर.सी. की कार्यवाही की संभागावार जानकारी **पुस्तकालय में रखें प्रपत्र-फ** अनुसार है।

क्वांटिफायबल डाटा आयोग का गठन एवं अनुशंसाओं का उपयोग

[सामान्य प्रशासन]

6. (*क्र. 794) श्री अजय चंद्राकर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्वांटिफायबल डाटा आयोग कब और किन उद्देश्यों से गठित किया गया? उसका कार्यकाल कितनी अवधि का था? उसके कार्यकाल को कितनी बार बढ़ाया गया और अंतिम बार कितनी अवधि के लिए कब तक बढ़ाया गया? रिपार्ट राज्य सरकार को कब सौंपी गई? किन-किन संस्थाओं को देनी थी? इसके चेयरमैन व सदस्य कौन-कौन थे तथा इनको क्या-क्या सुविधायें दी गयीं एवं कितनी राशि व्यय की गयी? **(ख)** क्वांटिफायबल डाटा आयोग ने क्या-क्या अनुशंसाएं दीं? क्या उन अनुशंसाओं का उपयोग राज्य सरकार ने कर लिया है? यदि कर रही है तो इनका उपयोग किन-किन क्षेत्रों में कर रही है? यदि नहीं कर रही है तो इस आयोग का गठन क्यों किया गया? **(ग)** क्या उक्त डाटा को सार्वजनिक किया गया था? यदि नहीं, तो उसका कारण क्या था एवं उनकी अनुशंसाओं को सरकार द्वारा स्वीकार कर लागू किया गया है? यदि हां, तो सरकार इनका उपयोग किन-किन क्षेत्रों में, किन-किन कार्यों के लिये कर रही है? यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** क्वांटिफायबल डाटा आयोग सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 13-9/2019/आ.प्र./1-3 दिनांक 11.09.2019 द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण कर क्वांटिफायबल डाटा एकत्रित किया जाना था। आयोग का कार्यकाल 06 माह में प्रतिवेदन शासन को सौंपने हेतु गठन किया गया

था, किन्तु प्रतिवेदन अपेक्षित होने के कारण आयोग का कार्यकाल 10 बार बढ़ाया गया, अंतिम बार 2 माह की अवधि के लिए दिनांक 31.12.2022 तक के लिये बढ़ाया गया, आयोग ने अपनी रिपोर्ट/प्रतिवेदन दिनांक 21.11.2022 को राज्य सरकार को सौंपी। उक्त रिपोर्ट/प्रतिवेदन किसी भी संस्थाओं को नहीं दी गई है। क्रांतिफायबल डाटा आयोग के चेयरमेन सेवानिवृत्त जिला एवं सेशन जज थे, आयोग में सदस्य नियुक्त नहीं किये गए थे। आयोग के चेयरमेन को मानदेय तथा समान पद के न्यायिक अधिकारियों को उपलब्ध सुविधाओं के अनुरूप सुविधाएं दी गई थी। कुल राशि रूपये 1,07,06,856/- (रूपये एक करोड़ सात लाख, छः हजार आठ सौ छप्पन मात्र) व्यय की गई। **(ख)** आयोग से प्राप्त प्रतिवेदन में अनुशंसा नहीं अपितु निष्कर्ष दिये गये हैं, जिसके आधार पर दिनांक 01, 02 दिसम्बर, 2022 को विधान सभा के विशेष सत्र में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 तथा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 लाया गया, जो सर्वसम्मति से विधान सभा द्वारा पारण किया गया है। राज्य शासन द्वारा आयोग से प्राप्त उक्त निष्कर्ष एवं डाटा का उपयोग छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 तथा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 में किया गया। **(ग)** जी नहीं। आयोग का गठन राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण कर क्रांतिफायबल डाटा एकत्रित कर प्रतिवेदन शासन को सौंपने हेतु गठन किया गया था। आयोग से प्राप्त निष्कर्ष/डाटा को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 तथा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 में किया गया है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कोटा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ट्रांसफार्मर स्थापना

[ऊर्जा]

7. (*क्र. 601) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कोटा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2020 से 15 जनवरी, 2024 तक कितने विद्युत ट्रांसफार्मर स्थापना की मांग प्राप्त हुई थी ? उक्त मांग के विरुद्ध कितने नये ट्रांसफार्मर की स्थापना की गई है? **(ख)** कितने ट्रांसफार्मर लगाये जाने के प्रकरण लंबित हैं? अगर लंबित हैं तो किस कारण से लंबित हैं?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** प्रश्नाधीन अवधि में विद्युत ट्रांसफार्मरों की स्थापना की मांग संबंधी जानकारी निरंक है। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। **(ख)** उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

महिला एवं बाल विकास विभाग में संचालित योजनाओं में पर्यवेक्षक के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद

[महिला एवं बाल विकास]

8. (*क्र. 1012) श्री भोलाराम साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 31 दिसंबर, 2023 तक की स्थिति में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत कितनी परियोजनाएं संचालित हैं ? विकास खंड वार जानकारी देवें? **(ख)** इन परियोजनाओं में कितने पर्यवेक्षक के पद स्वीकृत हैं ? स्वीकृत पद के विरुद्ध कितने कार्यरत हैं एवं कितने तथा कब से रिक्त हैं ? रिक्त पद की पूर्ति कब तक की जावेगी? परियोजनावार, विकासखण्डवार जानकारी देवें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 31 दिसंबर, 2023 की स्थिति में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत 03 परियोजना संचालित है। विकासखंडवार जानकारीसंलग्न प्रपत्रअनुसार है। **(ख)** इन परियोजनाओं में 31 दिसंबर 2023 की स्थिति में

27 पद स्वीकृत है। जिसके विरुद्ध उक्त तिथि को 14 पर्यवेक्षक कार्यरत थे। रिक्त 13 पदों के विरुद्ध 12 पद की पूर्ति कर ली गयी है। परियोजनावार, विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तीन" \]](#)

महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा रेडी टू ईट योजना का संचालन

[महिला एवं बाल विकास]

9. (*क्र. 441) श्रीमती रायमुनी भगत : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है, कि शासन महिला स्व सहायता समूह के सशक्तिकरण लिये प्रयासरत है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ? **(ख)** क्या यह सत्य है कि रेडी टू ईट योजना के संचालन का दायित्व महिला स्व सहायता समूह से लेकर, बीज विकास निगम को दे दिया गया है ? यदि हाँ तो इसके क्या कारण थे ? **(ग)** क्या इस योजना के संचालन का दायित्व पुनः महिला स्व सहायता समूह को दिये जाने हेतु प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जी हाँ। जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** जी हाँ, भारत शासन, महिला एवं बाल विकास, मंत्रालय के निर्देश दिनांक 24.02.2009, 09.05.2012 एवं 24.12.2013 में निहित निर्देशों एवं मापदण्डों का पालन सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के माध्यम से रेडी टू ईट प्रदाय का निर्णय लिया गया। **(ग)** रेडी टू ईट का कार्य महिला स्व सहायता समूहों को पुनः सौंपे जाने के संबंध में समुचित निर्णय लिये जाने की दशा में युक्तियुक्त कार्यवाही की जायेगी।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चार" \]](#)

बस्तर संभाग में जिला खनिज न्यास निधि से स्वीकृत एवं निरस्त कार्य

[खनिज साधन]

10. (*क्र. 437) श्री कवासी लखमा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बस्तर संभाग में जुलाई, 2023 से सितंबर, 2023 तक जिला खनिज न्यास मद से, कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किए गए, स्थलवार, लागत सहित, जिलेवार बताइये ? **(ख)** क्या उक्त अवधि में स्वीकृत कार्यों को निरस्त किया गया है? यदि हाँ, तो कब और क्यों? निरस्त कार्यों की जानकारी जिलेवार अलग-अलग बताइये ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** बस्तर संभाग में जुलाई, 2023 से सितंबर, 2023 तक जिला खनिज न्यास मद से स्वीकृत कार्य, स्वीकृत राशि एवं स्थान की जिलेवार जानकारी **"संलग्न पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ"** अनुसार है। **(ख)** प्रश्रंक्षित अवधि में स्वीकृत कार्यों में से जिला-बस्तर एवं कोण्डागांव में निरस्त कार्यों की जानकारी निरंक है। शेष जिलों में निरस्त कार्यों की जानकारी कारण सहित **"संलग्न पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब"** अनुसार है।

प्रदेश में बी.पी.एल. तथा ए.पी.एल. कार्ड धारक

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

11. (*क्र. 958) श्री मोतीलाल साहू : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- प्रदेश में दिसंबर, 2018 की स्थिति में कितने बी.पी.एल. तथा ए.पी.एल. कार्ड धारक थे, जिलेवार जानकारी दें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : प्रदेश में दिसम्बर 2018 की स्थिति में 1464855 अन्त्योदय राशनकार्ड, 4260937 प्राथमिकता राशनकार्ड, 55436 एकल निराश्रित राशनकार्ड, 10630 निःशक्ज्जन जन राशनकार्ड

एवं 7277 अन्नपूर्णा राशनकार्ड प्रचलित थे। एपीएल राशनकार्ड प्रचलित नहीं थे। जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पाँच"]

जिला रायगढ़ में धान खरीदी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

12. (*क्र. 933) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला रायगढ़ में 10 जनवरी, 2024 की स्थिति में कितने धान की खरीदी की गयी है? कितने मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है? (ख) क्या 3100 रु प्रति किंटल खरीदी करने की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो 3100रु प्रति किंटल की दर से कब तक भुगतान किया जाएगा?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) जिला रायगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 10 जनवरी, 2024 की स्थिति में 3.15 लाख मे0टन धान की खरीदी की गई है। केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (धान मोटा-रूपये 2183 एवं धान पतला-2203) प्रति किंटल की दर पर धान की खरीदी की जा रही है।(ख) जी हां। उपरोक्त संदर्भ में प्रक्रिया विचाराधीन है।

शराब दुकानों से प्राप्त राजस्व

[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]

13. (*क्र. 654) श्री धरमलाल कौशिक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2021 से नवम्बर, 2023 तक मदिरा की कुल कितनी नवीन दुकान, बार एवं प्रीमियम दुकान खोली गई? कितने फर्मों व कौन-कौन से फर्मों को आन-लाईन मदिरा विक्रय/स्वीकृति प्रदाय की गई व इससे कुल कितने राजस्व/आय की प्राप्ति हुई? वर्षवार व जिलेवार जानकारी देवें ? (ख) कंडिका "क" अवधि में होटलों/बार को शराब बिक्री के लाइसेंस प्रदान करने के क्या नियम हैं? कितने लाइसेंस जारी किये गए? इससे कितने राजस्व/आय की प्राप्ति हुई? कितने होटलों/बार के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं कितनी शराब जब्ती की गई है? वर्षवार एवं जिलावार जानकारी देवें ? (ग) कंडिका "क" अवधि में घर पहुंच सेवा से कितने राजस्व/आय की प्राप्ति हुई है? वर्षवार व जिलेवार जानकारी देवें? (घ) कंडिका "क" अनुसार अवधि में कितने चखना सेंटर/अहाता खोले गए? जिलावार जानकारी देवें ? 03 दिसम्बर, 2023 के पश्चात् कितने चखना सेंटर/अहाता को हटाया गया एवं इनको कौन संचालित कर रहा था जिलावार जानकारी दें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) वर्ष 2021 से नवम्बर, 2023 तक खोली गई नवीन देशी/विदेशी/प्रीमियम मदिरा दुकान तथा बार की वर्षवार, जिलेवार जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र अ** अनुसार है। ऑनलाईन मदिरा विक्रय हेतु किसी फर्म को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है, बल्कि छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ऑनलाईन मदिरा विक्रय किया जाता है। ऑनलाईन मदिरा विक्रय से प्राप्त राजस्व की जानकारी वर्षवार व जिलेवार जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र ब** अनुसार है। (ख) होटलों/बारों को शराब बिक्री के लायसेंस छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के प्रावधान/नियम के तहत जारी किये जाते हैं। प्रश्रंकित अवधि में जारी किये गये लायसेंस एवं प्राप्त राजस्व की वर्षवार, जिलेवार जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र स** अनुसार है। होटल/बार के विरुद्ध पंजीबद्ध अपराध की संख्या, शराब की जप्त मात्रा एवं शास्ति/जुर्माना राशि की जानकारी वर्षवार एवं जिलेवार जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र द** अनुसार है। (ग) प्रश्रंकित अवधि में घर पहुंच सेवा से प्राप्त राजस्व की वर्षवार व जिलेवार जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र द** अनुसार है। (घ) प्रश्रंकित अवधि में किसी भी मदिरा दुकान में चखना सेंटर/अहातानहीं खोल गए हैं। अतः शेष जानकारी **निरंक** है।

अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित रेत खदानों से प्राप्त राजस्व

[खनिज साधन]

14. (*क्र. 823) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी, 2020 से दिसंबर, 2023 तक किन-किन ग्राम पंचायतों में रेत खनन की अनुमति प्रदान की गयी थी? कृपया पंचायतवार एवं वर्षवार जानकारी दें? (ख) क्या रेत उत्खनन से प्राप्त राजस्व का कुछ भाग सम्बंधित ग्राम पंचायतों को दिए जाने का कोई प्रावधान/नियम है? (ग) यदि है तो उपरोक्त वर्णित अवधि के मध्य कितने पंचायतों को, कितनी-कितनी राशि प्रदान की गयी है तथा किन-किन पंचायतों को उक्त राशि प्रदाय किया जाना लंबित है? कृपया वर्षवार एवं पंचायतवार जानकारी दें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी, 2020 से दिसंबर, 2023 तक जिन ग्राम पंचायतों में रेत खनन की अनुमति प्रदान की गयी थी, उनकी जानकारी "संलग्न प्रपत्र" अनुसार है। (ख) जी हाँ। छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 अंतर्गत रेत की रायल्टी संबंधित ग्राम पंचायतों को दिये जाने का प्रावधान है। (ग) प्रश्नाधीन अवधि में रेत से प्राप्त राजस्व को त्रि-स्तरीय पंचायतों में संवितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छः"]

बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में क्रेडा द्वारा स्थापित सोलर संयंत्र/उपकरण की अद्यतन स्थिति

[ऊर्जा]

15. (*क्र. 938) श्री बघेल लखेश्वर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला बस्तर के विकासखण्डों में क्रेडा के द्वारा वर्ष 2021-22 से 2023-24 में 15 जनवरी, 2024 तक कौन-कौन से संयंत्र/उपकरण स्थापित किये गये ? विकासखण्डवार संख्यात्मक जानकारी बतावें ? (ख) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में स्थापित संयंत्रों में से अद्यतन स्थिति में कितने संचालित व कितने बंद पड़े हैं ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जिला बस्तर के विकासखण्डों में क्रेडा द्वारा वर्ष 2021-22 से 2023-24 में 15 जनवरी, 2024 तक स्थापित संयंत्र/उपकरणों की विकासखण्डवार संख्यात्मक जानकारी "संलग्न प्रपत्र" अनुसार है। (ख) प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2021-22 से 2023-24 में 15 जनवरी 2024 तक क्रेडा द्वारा कुल 2936 संयंत्र स्थापित किये गये हैं, जिनमें से 2810 संयंत्र कार्यशील तथा 126 संयंत्र अकार्यशील स्थिति में हैं जिनके संचालन-संधारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सात"]

खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि

[महिला एवं बाल विकास]

16. (*क्र. 26) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के किस-किस ग्राम में आंगनबाड़ी भवनों की कमी एवं जर्जर होना चिन्हांकित किया गया है तथा किन-किन गांवों के जर्जर आंगनबाड़ियों को पुनः निर्माण कराने हेतु तोड़ दिया गया है ? (ख) प्रश्नांश-क अंतर्गत शासन द्वारा किन-किन ग्रामों के आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण एवं मरम्मत हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है ? (ग) प्रश्नांश क के उत्तर में वर्णित भवन विहीन/मरम्मत/जर्जर एवं तोड़ दिये गये आंगनबाड़ी भवनों में से किस-किस ग्राम में भवन निर्माण एवं मरम्मत की राशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा मरम्मत योग्य/जर्जर आंगनबाड़ी भवनों हेतु कब तक राशि स्वीकृति की जावेगी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के संलग्न प्रपत्र अनुसार ग्रामों में आंगनबाड़ी भवनों की कमी एवं जर्जर होना चिन्हांकित किया गया है। जर्जर आंगनबाड़ियों

को पुनः निर्माण कराने हेतु नहीं तोड़ा गया है। (ख) प्रश्नांश "क" अंतर्गत शासन द्वारा इन ग्रामों के भवन विहीन आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण एवं मरम्मत हेतु राशि स्वीकृत नहीं की गई है। (ग) प्रश्नांश "क" के उत्तर में वर्णित भवन विहीन/मरम्मत योग्य/जर्जर एवं निष्प्रयोजित आंगनबाड़ी भवनों में से किसी भी ग्राम में भवन निर्माण एवं मरम्मत की राशि स्वीकृत नहीं की गई है। इस हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। [संलग्न "परिशिष्ट - आठ"]

नगरीय क्षेत्र के भवनों विहीन एवं जर्जर आंगनबाड़ी भवनों हेतु भवन निर्माण का बजट प्रावधान [महिला एवं बाल विकास]

17. (*क्र. 1004) श्री दलेश्वर साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या नगरीय क्षेत्र के भवन विहीन एवं जर्जर भवनों के लिये नया आंगनबाड़ी भवन बनाने हेतु वर्ष 2023-24 के बजट में राशि का प्रावधान किया गया था? यदि हां, तो कौन-कौन से नगरीय क्षेत्रों में कहां कहां के लिये, कितने आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु विभाग द्वारा वित्त विभाग को अनुमति के लिये भेजा गया था? भेजे गये उक्त प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई ? अनुमति नहीं मिलने का क्या कारण है? जानकारी दें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : जी हां, नगरीय क्षेत्र के भवन विहीन एवं जर्जर भवनों के लिये नया आंगनबाड़ी भवन बनाने हेतु वर्ष 2023-24 के बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। नगरीय क्षेत्रों में 100 आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु राशि विमुक्ति के लिये विभाग द्वारा वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था। इस प्रस्ताव में नगरीय निकायों अथवा आंगनबाड़ी केन्द्रों के नाम शामिल नहीं थे। भेजे गये उक्त प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा की गई पृच्छा की जानकारी प्रेषित की गई है। उक्त के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कस्टम मिलिंग हेतु धान का अंतर जिला परिवहन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

18. (*क्र. 983) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला जांजगीर-चांपा में वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 में 15 जनवरी, 2024 तक समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान में से कितनी मात्रा अन्य जिलों को तथा अन्य जिलों से कितनी मात्रा जिला-जांजगीर चांपा में कस्टम मिलिंग के लिए दिए जाने का प्रावधान किया गया है ? (ख) जिला जांजगीर-चांपा में कितनी राईस मिलें कस्टम मिलिंग हेतु पंजीकृत है ? उनकी क्षमता कितनी-कितनी (अरवा तथा उसना) है ? विकास खण्डवार बताएं ? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार अंतर जिला कस्टम मिलिंग हेतु जारी डी.ओ. की मात्रा कितनी-कितनी है ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) खरीफ वर्ष 2022-23 में जिला जांजगीर-चांपा के लिए, अन्य जिलों से कस्टम मिलिंग हेतु 208844 मे0टन धान कस्टम मिलिंग के लिए दिए जाने का प्रावधान किया गया था तथा जांजगीर चांपा जिले से 27.48 मे0टन धान का डीओ, सक्ति जिले को जारी करने का प्रावधान था। खरीफ वर्ष 2023-24 में जांजगीर-चांपा जिले को दिनांक 15 जनवरी 2024 तक कस्टम मिलिंग हेतु, अन्य जिलों से 160000 मे0टन डीओ जारी करने का प्रावधान किया गया है तथा अन्य जिलों को, जांजगीर-चांपा जिले से धान मिलिंग हेतु डीओ जारी का प्रावधान नहीं किया गया है। (ख) खरीफ वर्ष 2023-24 के लिए जिला जांजगीर-चांपा में कस्टम मिलिंग हेतु 155 राईस मिलें पंजीकृत है। विकासखण्डवार अरवा तथा उसना मिलों की क्षमता की जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार अंतर जिला कस्टम मिलिंग हेतु जारी डीओ की मात्रा निम्नानुसार है:- अन्य जिलों से जांजगीर-चांपा जिले को जारी डीओ की जानकारी - खरीफ वर्ष 2022-23

क्रमांक	जिला	जारी डी.ओ. की मात्रा (मेट्रिक टन में)
1	कांकेर	3124.87
2	खैरागढ़ छुईखदान गंडई	10137.00
3	दुर्ग	7038.00
4	नारायणपुर	1242.50

5	बलौदाबाजार	37499.00
6	बस्तर	784.63
7	मुंगेली	6406.73
8	महासमुंद	35126.00
योग		101358.73
जांजगीर-चांपा जिले से अन्य जिलों को जारी डीओ की जानकारी		
सक्ती		27.48
अन्य जिलों से जांजगीर-चांपा जिले को जारी डीओ की जानकारी- खरीफ वर्ष 2023-24		
क्रमांक	जिला	जारी डी.ओ. की मात्रा (मेट्रिक टन में)
1	बलौदाबाजार	109295.00
2	महासमुंद	46272.00
योग		155567.00

[संलग्न "परिशिष्ट - नौ"]

मोहला-मानपुर-विधानसभा क्षेत्र स्थित खाद्यान्न गोदाम

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

19. (*क्र. 78) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) मोहला-मानपुर-अं.चौकी जिले के विधानसभा क्षेत्र मोहला-मानपुर में कितने गांव में खाद्यान्न गोदाम हैं? अगर खाद्यान्न गोदाम नहीं हैं या जर्जर अवस्था में हैं तो उन्हें कब तक बना लिया जावेगा ? (ख) खाद्यान्न गोदाम केन्द्र हेतु आबंटन कहां से मिलता है एवं प्रशासन द्वारा जहां खाद्यान्न गोदाम नहीं हैं, वहां पर निर्माण कार्य क्यों नहीं कराया गया ? (ग) विधानसभा क्षेत्र मोहला-मानपुर अंतर्गत खाद्य विभाग में कितने अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ हैं ? पदवार विवरण देवें तथा क्या वे निर्धारित मुख्यालय में निवास करते हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) विधानसभा क्षेत्र मोहला मानपुर में 128 शासकीय उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न गोदाम है। 19 गांव में खाद्यान्न गोदाम नहीं है एवं 44 गांव में जर्जर अवस्था में है तथा 02 निर्माणाधीन है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर गोदाम निर्माण किया जा सकेगा। (ख) खाद्यान्न गोदाम केन्द्र निर्माण हेतु विभागीय बजट में राशि का प्रावधान किया जाता है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता नहीं होने के कारण खाद्यान्न गोदाम का निर्माण नहीं कराया गया है। (ग) विधानसभा क्षेत्र मोहला-मानपुर अंतर्गत खाद्य विभाग में कुल 04 अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ है। प्रभारी खाद्य अधिकारी-01, सहायक खाद्य अधिकारी-01, खाद्य निरीक्षक-02 पदस्थ है। सभी अधिकारी निर्धारित मुख्यालय में निवास करते है।

प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना में प्रदाय राशन में प्राप्त अनियमितता की शिकायत

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

20. (*क्र. 253) श्री अनुज शर्मा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना में वित्तीय वर्ष 2020-2021 से 2023-24 में 31 दिसंबर, 2023 तक प्रदेश को कितनी कितनी राशि प्रदान की गयी थी तथा उसका किस-किस वर्ष, किस प्रयोजन में, कितना कितना उपयोग किया गया है? उक्त योजना के अंतर्गत प्रदेश के किन-किन राशन, कार्ड धारियों को, कितना-कितना राशन, कितनी-कितनी मात्रा में मुफ्त दिया जाना था तथा कितना राशन पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रदान किया गया है? (ख) क्या प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना में गबन या अनियमितता की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो उक्त शिकायत पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी तथा जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) प्रश्नांकित अवधि में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत वितरित चावल हेतु प्राप्त एवं उपयोग की गई राशि की जानकारी पुस्कालय में रखे प्रपत्र अ अनुसार है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के आबंटन अवधि के दौरान अन्त्योदय तथा प्राथमिकता हितग्राही को

05 किलो प्रति सदस्य प्रतिमाह के मान से निःशुल्क चावल तथा अन्त्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के राशनकार्डों पर 1 किलोग्राम चना/दाल निःशुल्क प्रदाय किया जाना था। जिसके अनुसार अन्त्योदय तथा प्राथमिकता राशनकार्डधारियों को चावल एवं चना/दाल प्रदाय किया गया। **(ख)** जी हां। **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ब** अनुसार है।

प्रदेश के किसानों को पंप कनेक्शन का प्रदाय

[ऊर्जा]

21. (*क्र. 828) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2020 से दिनांक 15 जनवरी, 2024 तक किन-किन जिलों में कितने-कितने किसानों के पंप कनेक्शन लंबित हैं? जिलावार लंबित पंप कनेक्शनों की जानकारी प्रदान करें? प्रश्नांक अनुसार कितने पंप कनेक्शन प्रदाय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा कितने पंप कनेक्शन किसानों को प्रदाय किये गये है? वर्षवार लक्ष्य तथा प्रदाय कनेक्शन की जानकारी प्रदान करें? **(ख)** किसानों को पंप कनेक्शन प्रदाय करने हेतु शासन के क्या नियम हैं तथा किसानों एवं शासन को कितनी-कितनी राशि का खर्च वहन करना पड़ता है? ऐसे कितने किसान हैं, जिनका डिमांड नोट (रसीद) विभाग में काटा जा चुका है परंतु उनका पंप कनेक्शन प्रदाय किया जाना लंबित है? **(ग)** मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2020 से दिनांक 15 जनवरी, 2020 तक किसानों एवं अन्य लोगों द्वारा कितने अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की मांग की गई है? मांग के विरुद्ध कितना ट्रांसफार्मर दिया गया? कितने लंबित है? लंबित होने के क्या कारण है? विधानसभा क्षेत्र में खराब एवं जर्जर तारों को बदले जाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है एवं कब तक की जावेगी?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** वित्तीय वर्ष 2019-20 से दिनांक 15 जनवरी, 2024 की स्थिति में 55,810 औपचारिकतापूर्ण आवेदन लंबित है। उक्त अवधि में किसानों के पंप कनेक्शनों के लिए निर्धारित लक्ष्य, दिये गये कनेक्शनों एवं लंबित कनेक्शनों की वर्षवार एवं जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

(ख) कृषि पंप जिनके विद्युत कनेक्शन हेतु लाईन विस्तार की आवश्यकता नहीं है, के आवेदकों के द्वारा स्थायी पंप कनेक्शन हेतु प्रोसेसिंग शुल्क की राशि रूपये 200, नए कनेक्शन प्रभार की राशि रूपये 875 तथा सुरक्षा निधि के रूप में प्रति अश्व शक्ति रूपये 200 वहन का भुगतान कर औपचारिकता पूर्ण किये जाने पर विद्युत कनेक्शन प्रदाय किया जाता है। तथा ऐसे कृषि पंप जिनके विद्युत कनेक्शन हेतु लाईन विस्तार की आवश्यकता है, हेतु राज्य शासन द्वारा प्रति पंप राशि रूपये 1 लाख अनुदान प्रदान किया जाता है। ऐसे आवेदकों के द्वारा उक्त पैरा अनुसार उल्लेखित राशि एवं राज्य शासन द्वारा देय अनुदान के पश्चात प्राक्कलन की शेष राशि का भुगतान कर औपचारिकता पूर्ण किये जाने पर विद्युत कनेक्शन प्रदाय किए जाने की कार्यवाही की जाती है। प्रदेश में दिनांक 15.01.2024 तक 55,810 कृषकों को जारी डिमांड के विरुद्ध भुगतान किया जा चुका है, जिसमें से 6,072 के कार्य पूर्ण एवं 49,928 के कार्य वर्ष 2023-24 के लक्ष्य में शामिल है। शेष 5,882 कृषि पंपों का कार्य आगामी वर्ष में निर्धारित लक्ष्य के आधार पर किया जावेगा। वर्षवार एवं जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ग)** मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2020 से दिनांक 15 जनवरी, 2020 नहीं, अपितु वर्ष 2020 से दिनांक 15 जनवरी, 2024 तक किसानों एवं अन्य लोगों के द्वारा 14 स्थलों पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की मांग की गई है, जिसके विरुद्ध सभी 14 ट्रांसफार्मर स्थापित कर दिया गया है एवं लंबित मांगों की संख्या निरंक है। मैदानी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार खराब एवं जर्जर तारों को समय-समय पर बदला जाता है। मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नाधीन अवधि तक खराब एवं जर्जर तारों को बदले जाने हेतु कुल 70 कार्यों की स्वीकृति दी गई थी जिसमें से 39 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं 31 कार्य लंबित है। लंबित कार्यों को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार शीघ्र पूर्ण किये जाने का प्रयास है।

[संलग्न "परिशिष्ट - दस"]

दुर्ग जिला में खनिज निधि से क्रय में दिशानिर्देशों का पालन

[खनिज साधन]

22. (*क्र. 952) श्री रिकेश सेन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला - दुर्ग में जनवरी, 2019 से दिनांक 31 दिसंबर, 2023 तक जिला खनिज निधि से क्या-क्या खरीदी की गई है ? क्या

खरीदी के पूर्व क्रय समिति से प्रस्ताव पारित किया गया था ? सूची दें ? (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार खरीदी में क्या खनिज निधि के दिशानिर्देश के नियमों का पालन किया गया है ? जानकारी दें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में शासी परिषद के अनुमोदन उपरांत क्रय की गई सामग्रियों की जानकारी "संलग्न प्रपत्र" अनुसार है। (ख) जी हों।

[संलग्न "परिशिष्ट - ग्यारह"]

भानुप्रतापपुर वि. स. क्षेत्र के क्रांतिवीर को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दिलाने हेतु कृत कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

23. (*क्र. 470) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम परभेली (दुर्गुकोंदल) निवासी सुकदेव पातर क्रांति वीर को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दिलाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : स्व. सुखदेव पातर को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किये जाने के संबंध में कलेक्टर से जानकारी प्राप्त की गई है। प्राप्त जानकारी के आधार पर सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है ।

जिला कबीरधाम अंतर्गत अनाथालय से गुम/लापता बच्चों

[महिला एवं बाल विकास]

24. (*क्र. 1008) श्रीमती भावना बोहरा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला कबीरधाम अंतर्गत वर्ष 2020 से 2023 तक विभिन्न अनाथालयों से कितने-कितने बच्चे गुम या लापता हुए हैं? वर्षवार/ विकासखण्डवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश 'क'के गुम या लापता बच्चों में से कितने बच्चों को वापस लाया गया एवं उन्हें कहाँ-कहाँ व्यवस्थापन में रखा गया ? कितने बच्चे अभी भी लापता हैं? वर्षवार/ विकासखण्डवार जानकारी दें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) महिला एवं बाल विकास विभाग अन्तर्गत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित अधिनियम 2021 के प्रावधान अनुसार जिला कबीरधाम में एक बाल देखरेख संस्था संचालित है। उक्त बाल देखरेख संस्था से प्रश्नावधि में गुम या लापता हुए बालकों की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) प्रश्नांश 'क' के गुम या लापता बच्चों में से वापस लाये गये बच्चों एवं उनके व्यवस्थापन की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। जिले में संचालित बाल देखरेख संस्था से अभी भी लापता बच्चों की संख्या निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बारह"]

सरायपाली विधानसभा क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री के दर्ज प्रकरण

[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]

25. (*क्र. 991) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) सरायपाली विधानसभा क्षेत्र में पिछले 3 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 15.01.2024 तक अवैध शराब बिक्री के कुल कितने प्रकरण दर्ज किए गए हैं? वर्षवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश "क" में उल्लेखित समयावधि के दौरान कितने व्यक्तियों/संस्थाओं के द्वारा अवैध शराब बिक्री के खिलाफ शिकायतें की गई है ? उक्त शिकायतों पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्रवाई की गई है ? शिकायतकर्ता व अवैध शराब विक्रेता के नाम और प्रकरण में लगाई गई धारा सहित जानकारी दें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) सरायपाली विधानसभा क्षेत्र में पिछले 3 वित्तीय वर्ष और वर्तमान

वित्तीय वर्ष में दिनांक 15.01.2024 तक अवैध शराब बिक्री के दर्ज प्रकरण की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रमांक	वर्ष	अवैध बिक्री के दर्ज प्रकरणों की संख्या
1	2020-21	0
2	2021-22	2
3	2022-23	5
4	2023-24 (15.01.2024 तक)	14
योग		21

(ख) प्रश्नांश क में उल्लेखित समयावधि के दौरान अवैध शराब बिक्री के खिलाफ प्राप्त शिकायत एवं विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की शिकायतकर्ता व अवैध शराब विक्रेता के नामवार, प्रकरणवार एवं धारावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तेरह"]

भाग-2**नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर****जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में आबकारी विभाग के सेटअप की जानकारी**

[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]

1. (क्र. 12) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अंतर्गत आबकारी विभाग के स्वीकृत पद, कार्यरत पद व रिक्त पदों की जानकारी जिला व आबकारी सर्किल अनुसार उपलब्ध करायें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : विभाग द्वारा जिलेवार पद स्वीकृत किया जाता है, सर्किलवार नहीं किया जाता है। जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अंतर्गत आबकारी विभाग के स्वीकृत पद, कार्यरत पद व रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	जिला आबकारी अधिकारी	1	1	0
2	सहायक जिला आबकारी अधिकारी	1	1	0
3	आबकारी उप निरीक्षक	3	2	1
4	सहायक ग्रेड-2	1	1	0
5	आबकारी मुख्य आरक्षक	2	0	2
6	आबकारी आरक्षक	12	2	10
7	सहायक ग्रेड-3	3	0	3
8	वाहन चालक	1	0	1
9	भृत्य	3	1	2
	योग	27	8	19

प्रदेश में संचालित देशी-विदेशी शराब दुकानें

[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]

2. (क्र. 69) श्री सम्पत अग्रवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में कुल कितनी देशी-विदेशी शराब दुकानें हैं ? यह किन-किन प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा संचालित की जा रही हैं तथा इनसे कितने लोगों को रोजगार दिया गया है ? **(ख)** क्या विगत दो वर्षों में आबकारी विभाग / छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेज कारपोरेशन द्वारा नशा बंदी हेतु विभागों को राशि आबंटित की गयी है ? यदि हाँ, तो वर्ष 2021 से 2022 तक किन-किन विभागों को कितनी राशि इस कार्यक्रम या योजना हेतु प्रदान की गयी है ? वर्षवार बताएं।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** प्रदेश में वर्तमान में 339 देशी मदिरा दुकान, 305 विदेशी मदिरा दुकान तथा 28 प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकान सहित कुल 672 मदिरा दुकानें संचालित हैं। प्रदेश में देशी/विदेशी शराब दुकानों का संचालन प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित मदिरा दुकानों के संचालन हेतु प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा मैनुअलर उपलब्ध कराया जाता है। प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा प्रदेश के शराब दुकानों में 5524 लोगों को रोजगार दिया गया है। एजेंसीवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** आबकारी विभाग को वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ शराब व्यसन मुक्ति अभियान (भारत माता वाहिनी योजना) हेतु आबंटित राशि ₹. 10.00 करोड़ को संचालक समाज कल्याण विभाग को पुर्न आबंटित किया गया है। वर्ष 2021-22 में कोई राशि प्रदान नहीं की गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा वर्ष 2021 से 2022 तक नशा बंदी कार्यक्रम या योजना हेतु कोई राशि प्रदान नहीं की गई है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौदह"]

जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अंतर्गत खनन हेतु प्रदत्त पट्टे

[खनिज साधन]

3. (क्र. 134) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला खैरागढ़ हुई खदान गंडई अंतर्गत वर्ष 2021 से 2023 तक खनन हेतु कितने खनिज पट्टा दिए गए हैं? कृपया स्वीकृत पट्टों की जानकारी, पट्टेदार का नाम ,स्थान ,खसरा नंबर ,रकबा, निजी/ शासकीय स्वीकृति अवधि सहित जानकारी प्रदान की जाए? (ख) क्या उपरोक्त स्वीकृत पट्टा क्षेत्र का सीमांकन राजस्व विभाग द्वारा किया गया है? यदि हां, तो खसरा नंबरवार सीमांकनकर्ता अधिकारी व सीमांकन दिनांक की जानकारी के साथ खनिज कंडिका अनुसार सही पाई गई अथवा नहीं ? (ग) क्या खनिज पट्टाधारी द्वारा नियमानुसार उत्खनन किया जा रहा है ? खनिज उत्खनन के क्षेत्रफल रकबा में बढ़ोतरी हुई है अथवा नहीं ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अंतर्गत वर्ष 2021 से 2023 तक की अवधि में 01 निम्न श्रेणी चूनापत्थर का उत्खननपट्टा स्वीकृत की गई है। जानकारी "संलग्न प्रपत्र" अनुसार है। (ख) जी हां। खसरा नंबर 34, 35, 36/3, 37/2 का राजस्व निरीक्षक, मं. 09 पांडादाह द्वारा दिनांक 16.08.2019 एवं राजस्व निरीक्षक, ठेलकाडीह द्वारा दिनांक 14.11.2021 को स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र का सीमांकन किया जाकर उत्खनिपट्टा स्वीकृत किया गया है। (ग) जी हां। स्वीकृत उत्खनिपट्टा के पट्टाधारी द्वारा नियमानुसार उत्खनन किया जा रहा है एवं स्वीकृत पट्टा क्षेत्र के रकबे में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पन्द्रह "]

विधानसभा क्षेत्र मोहला-मानपुर में नवीन विद्युत उप केन्द्र की स्थापना

[ऊर्जा]

4. (क्र. 303) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) छत्तीसगढ़ राज्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को मोहला-मानपुर विधानसभा क्षेत्र में किन-किन स्थानों पर 132/33 के.व्ही. एवं 33/11 के.व्ही.के सब स्टेशन हेतु मांग पत्र प्राप्त हुआ है ? (ख) किन-किन स्थानों पर नवीन उप केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है ? क्या उक्त प्रस्तावित स्थानों पर नवीन विद्युत उप केन्द्र की स्वीकृति मिल गई है ? यदि नहीं तो किस स्तर पर लंबित है एवं कब तक स्वीकृति प्रक्रिया पूर्ण कर ली जावेगी ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) मोहला-मानपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन/डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को 132/33 के.व्ही. सब स्टेशन हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को मोहला-मानपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत 03 स्थानों यथा-ग्राम वासड़ी, ग्राम सीतागांव एवं ग्राम माडिंगपिडिंग धेनू में 33/11 के.व्ही. सब स्टेशनों की स्थापना हेतु मांग पत्र प्राप्त हुआ है। (ख) उत्तरांश 'क' अनुसार, मांग के अनुरूप मोहला-मानपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा उल्लेखित तीनों स्थानों पर 33/11 के.व्ही. सब स्टेशन प्रस्तावित है, इनमें से दो स्थानों यथा- ग्राम वासड़ी एवं ग्राम सीतागांव में 33/11 के.व्ही. सब स्टेशन स्वीकृत किये गये थे। ग्राम वासड़ी में सब स्टेशन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं वर्तमान में सब स्टेशन संचालित है। सीतागांव में सब स्टेशन निर्माण कार्य प्रगति पर है। ग्राम माडिंगपिडिंग धेनू में 33/11 के.व्ही. सब स्टेशन के साथ इस विधानसभा क्षेत्र के 03 अन्य स्थानों यथा- ग्राम आमाटोला, ग्राम परसाटोला एवं ग्राम चौकी

में केन्द्र सरकार की आर.डी.एस.एस. योजना के अंतर्गत 33/11 के.व्ही. सब स्टेशन स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। स्वीकृति की समय सीमा बताया जाना वर्तमान में संभव नहीं है।

बसना विधानसभा क्षेत्र में जनशिकायतों का निराकरण

[जन शिकायत निवारण]

5. (क्र. 323) श्री सम्पत अग्रवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बसना विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021 से 31 दिसम्बर, 2023 तक जनशिकायत के संबध में कितने जनप्रतिनिधियों से कितने आवेदन प्राप्त हुए ? **(ख)** प्राप्त आवेदनों में अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी? कितने आवेदनों का निराकरण शेष है ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** बसना विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नावधि में 32, जनप्रतिनिधियों एवं जनप्रतिनिधि कार्यालयों से पत्र एवं ऑनलाईन पोर्टल पर दर्ज, कुल 73 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। **(ख)** प्राप्त सभी आवेदनों पर संबंधित कार्यालयों ने विहित कार्यवाही की है। निराकरण हेतु 04 लंबित है।

बीजापुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत स्वीकृत भवन विहीन आंगनबाड़ी केंद्र

[महिला एवं बाल विकास]

6. (क्र. 349) श्री विक्रम मंडावी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बीजापुर विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं? विकासखण्डवार, पंचायतवार जानकारी देवे? **(ख)** स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों में कितने भवन विहीन हैं? इन भवन विहीन आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु कब तक स्वयं के भवन निर्माण पूर्ण करने की योजना है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जिला बीजापुर में 1180 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत है। विकासखण्डवार, पंचायतवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** जिले में कुल 413 केन्द्र भवन विहीन है। जिला बीजापुर संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण भवन निर्माण कार्य पूर्ण करने की निश्चित अवधि बताया जाना संभव नहीं है।

छत्तीसगढ़ में पंजीकृत कृषकों से धान खरीदी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

7. (क्र. 475) श्री कवासी लखमा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ में खरीफ फसल खरीदी वर्ष 2023-24 में पंजीकृत कृषकों से प्रति क्विंटल कितना धान खरीदा जा रहा है? धान खरीदी किस दर पर की जा रही है? इनका भुगतान प्रति क्विंटल किस दर पर किया जा रहा है? **(ख)** 15 जनवरी तक कितने मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया है तथा कितने का उठाव हो चुका है?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** छत्तीसगढ़ में खरीफ फसल खरीदी वर्ष 2023-24 में पंजीकृत कृषकों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य मोटा धान- 2183 एवं पतला धान- 2203 रूपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी किया जा रहा है तथा भुगतान मोटा धान- 2183 एवं पतला धान- 2203 रूपये प्रति क्विंटल की दर पर किया जा रहा है। **(ख)** 15 जनवरी 2024 तक 109.24 लाख मेट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया है तथा 70.09 लाख मेट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है।

दुधावा जलाशय में डी एम एफ मद के अनुदान में गड़बड़ी की प्राप्त शिकायतें

[मछली पालन]

8. (क्र. 572) श्री आशा राम नेताम : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या दुधावा जलाशय में कैच कल्चर स्थापना हेतु राशि के आबंटन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो 31 दिसंबर 2023, तक दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई तथा उनसे कितनी राशि की वसूली की गई है। विवरण दें ? अगर जांच में गलत तरीके से राशि आबंटन करना पाया गया तो अद्यतन स्थिति अनुसार अनुदान प्राप्तकर्ता व दोषी अधिकारियों से कितनी राशि की रिकवरी की गई है, विवरण प्रदान करेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : जी हां, प्राप्त शिकायत की प्रारंभिक जांच में जांच अधिकारी द्वारा शिकायत को प्रमाणित पाये जाने पर तत्कालिन संबंधित जिला अधिकारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। जांच उपरांत प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

दुधावा जलाशय में डी एम एफ मद के अनुदान में गड़बड़ी की प्राप्त शिकायतें

[मछली पालन]

9. (क्र. 573) श्री आशा राम नेताम : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कांकेर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दुधावा जलाशय में मछली पालन एवं प्रोत्साहन हेतु विभागीय एवं डीएमएफ मद से कैच कल्चर स्थापित करने के लिए किस व्यक्ति अथवा संस्था को अनुदान दिया गया है ? उक्त अनुदान देने के संबंध में क्या प्रावधान है ? उक्त अनुदान के वितरण अथवा हितग्राही को नियम विरुद्ध लाभ पहुंचाने के संबंध में जनवरी, 2021 से 21 दिसंबर, 2023 के मध्य क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हाँ तो किस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई ? क्या हितग्राही/ लाभार्थी को कैच कल्चर स्थापित करने के संबंध में डीएमएफ राशि के दिशा निर्देशों के विपरीत नियम विरुद्ध अनुदान का भुगतान किये जाने के संबंध में शिकायतें हैं ? यदि, हां मिली तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या इसकी जांच हुई है? यदि हाँ, तो कितनी बार जाँच हुई ? जांच में गलत तरीके से राशि आबंटन करना पाया गया तो इसके लिए किसे दोषी पाया गया और उक्त दोषी अधिकारी पर क्या कार्रवाई की गई ? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार दुधावा जलाशय के संबंध में कैच कल्चर हेतु अनुदान ग्रहिता क्या कांकेर जिले का निवासी है ? यदि नहीं तो क्या डी. एम. एफ. मद से अथवा विभागीय मद से अनुदान जारी करने के पूर्व राज्य शासन से अनुमति / स्वीकृति ली गई है ? यदि हां तो उसका विवरण दें ? क्या नियम विरुद्ध अनुदान स्वीकृत किया गया है? यदि हाँ, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** कांकेर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दुधावा जलाशय में मछली पालन एवं प्रोत्साहन हेतु विभागीय एवं डीएमएफ मद से कैच कल्चर स्थापित करने के लिए अनुदान दिये गये व्यक्ति अथवा संस्था की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ' अनुसार है।** उक्त अनुदान देने के संबंध में प्रावधानों की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'ब' अनुसार है।** जी हाँ, अनुदान के वितरण अथवा हितग्राही को नियम विरुद्ध लाभ पहुंचाने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। उक्त शिकायत डीएमएफ मद से हितग्राही को नियम के विरुद्ध लाभ पहुंचाने के संबंध में है। प्राप्त शिकायत की जांच कलेक्टर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर एवं संचालक मछली पालन द्वारा गठित जांच समिति द्वारा की गई है। प्रारंभिक जांच में जांच अधिकारी द्वारा शिकायत को प्रमाणित पाया गया है। इस संबंध में तत्कालीन संबंधित जिला अधिकारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। **(ख)** प्रश्नांक 'क' के अनुसार दुधावा जलाशय के संबंध में कैच कल्चर हेतु अनुदान ग्रहिता 04 हितग्राहियों में से 01 हितग्राही कांकेर जिला व 03 हितग्राही धमतरी जिले के निवासी हैं। डी.एम.एफ. मद से अनुदान जारी करने के पूर्व राज्य शासन से अनुमति/स्वीकृति नहीं ली गई है। जी हाँ, नियम विरुद्ध अनुदान स्वीकृत किया गया है। इसके लिए तत्कालीन सहायक संचालक मछलीपालन, जिला - उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) जिम्मेदार है, इसके लिए संबंधित जिम्मेदार अधिकारी को कारण बताओ सूचना जारी की गई है।

किसानों को 3100 रू. प्रति क्विंटल पर हिसाब से धान खरीदी पर अंतर की राशि का प्रदाय

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

10. (क्र. 623) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- छ.ग. में अभी तक कितने क्विंटल धान की खरीदी की गई है? क्या वर्तमान में मोटा धान को 2183 रू एवं पतला धान को 2203 रू के हिसाब से खरीदी की गई है? क्या शासन के द्वारा 3100 रूपये प्रति.क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी किया जाना प्रस्तावित है? यदि हाँ तो किसानों को 3100 /- रू प्रति क्विंटल दर के हिसाब से अंतर की राशि कब प्रदान की जायेगी? रू.3100 /- प्रति.क्विंटल की राशि प्रदान करने पर शासन की कितनी राशि अतिरिक्त रूप से व्यय होगी एवं उक्त अतिरिक्त राशि हेतु बजट में क्या प्रावधान किया गया है?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : छ0ग0 में दिनांक 04.02.2024 तक 144.92 लाख मे0टन धान की खरीदी की गई है। जी हाँ, वर्तमान में शासन के धान उपार्जन नीति खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 अनुसार मोटा धान को 2183 रूपये एवं पतला धान को 2203 रूपये प्रति क्विंटल के मान से समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

विधानसभा क्षेत्र कोटा में सोलर पंप एवं कृषि पंप के कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदन एवं प्रदाय

[ऊर्जा]

11. (क्र. 624) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- कोटा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2020 से 2023 तक कृषकों हेतु सोलर पंप कनेक्शन एवं कृषि पंप कनेक्शन के कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं? उक्त प्राप्त आवेदन के विरूद्ध कितने सोलर पंप एवं कृषि पंप कनेक्शन, कौन-कौन से ग्राम में स्थापित किये गये हैं? लंबित सोलर पंप एवं कृषि पंप की स्थापना कब तक की जावेगी ? ग्रामवार जानकारी प्रदान करने का कष्ट करेंगे ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : कोटा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) के द्वारा कृषि पंपों की स्थापना हेतु प्राप्त आवेदनों, जारी कनेक्शनों एवं लंबित के कारणों की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ"** अनुसार है। सोलर सिंचाई पंप कनेक्शन तथा विद्युत कृषि पंप हेतु विद्यमान लाईन से जारी किये गये स्थायी पंप कनेक्शन की ग्रामवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ब"** अनुसार है एवं विद्युत लाईन विस्तार कर प्रदाय किये गये तथा लंबित सोलर पंप कनेक्शन तथा विद्युत पंप कनेक्शन की ग्रामवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"स"** अनुसार है। इसी प्रकार प्रश्नाधीन अवधि में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को अस्थायी पंप कनेक्शन हेतु प्राप्त सभी 827 आवेदनों में विद्युत कनेक्शन प्रदाय किया जा चुका है, जिसकी ग्रामवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "द"** अनुसार है।

रायपुर जिले की खदानों की लीज अवधि

[खनिज साधन]

12. (क्र. 652) श्री अनुज शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जनवरी, 2020 से 31 दिसंबर, 2023 तक रायपुर जिले में कितने और कौन-कौन सी खदानों के लिये राज्य शासन के द्वारा अनुमति प्रदान की गई है ? इनमें से कौन-कौन सी खदानें, वर्तमान में चालू हैं तथा इनकी लीज अवधि कितनी है? कितनी खदानों की लीज अवधि पूर्ण हो चुकी है तथा क्या शासन के तय मानकों के आधार पर उन्हें बंद कर दिया गया है? यदि नहीं तो क्यों? (ख) रायपुर जिले में वर्ष 2020 से 31 दिसंबर, 2023 तक विभाग को खदानों के संचालन के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुयी हैं? क्या इन शिकायतों पर विभाग द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही की गई है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जनवरी, 2020 से 31 दिसंबर, 2023 की अवधि में रायपुर जिले में अनुमति प्रदान की गई खदानों की जानकारी "संलग्न प्रपत्र-अ" अनुसार है। इन खदानों में से प्रश्नाधीन अवधि में 02 रेत खदानों की अवधि समाप्त हो गई हैं, जो वर्तमान में बंद है। शेष खदानों की अवधि अभी शेष है। (ख) रायपुर जिले में वर्ष 2020 से 31 दिसंबर, 2023 तक विभाग को खदानों के संचालन के संबंध में प्राप्त शिकायतों एवं इन पर की गई कार्यवाही की जानकारी "संलग्न प्रपत्र-ब" अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सोलह"]

चिप्स द्वारा विभिन्न फर्मों से कराए गए कार्यों का भुगतान

[इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी]

13. (क्र. 655) श्री धरमलाल कौशिक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जनवरी, 2022 से नवम्बर, 2023 तक चिप्स द्वारा किस-किस फर्म को, कितनी राशि का भुगतान, किन-किन कार्यों के लिये किया गया है व कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? वर्षवार, फर्मवार, कार्यवार व राशिवार जानकारी देवें ? (ख) उक्त अवधि में चिप्स द्वारा कौन-कौन से साफ्टवेयर, वेबसाईट, वेबपोर्टल व मोबाईल एप एवं राज्य एवं केन्द्रीय परियोजना हेतु सूचना प्रौद्योगिकी, आधारभूत संरचना इत्यादि का निर्माण/विकास किस संस्था से किस दर पर कराया गया है ? इस हेतु किये गये अनुबंध अनुसार कार्य कब पूर्ण होना था व कब पूर्ण हुआ ? विलंब से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हुए व इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जनवरी, 2022 से नवम्बर, 2023 तक चिप्स अंतर्गत फर्मों को किये गये भुगतान की वर्षवार, फर्मवार, कार्यवार व राशिवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"1" में है। (ख) उक्त अवधि में चिप्स द्वारा कुल 46 साफ्टवेयर, वेबसाईट, वेबपोर्टल व मोबाईल एप एवं राज्य एवं केन्द्रीय परियोजना हेतु सूचना प्रौद्योगिकी, आधारभूत संरचना इत्यादि का निर्माण/विकास किया गया है, जिनके निर्माणकर्ता संस्था का नाम, दर, अनुबंध अनुसार कार्य की पूर्णता की तिथि एवं विलम्ब की दशा में कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"2" में है।

राज्य में निर्माणाधीन विद्युत संयंत्र

[ऊर्जा]

14. (क्र. 690) श्री बालेश्वर साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) छत्तीसगढ़ राज्य में कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी क्षमता के विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन हैं? क्षमतावार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांक "क" के निर्माणाधीन संयंत्रों में से कितने संयंत्रों की संचालन समिति जारी की गई है? परियोजना व इकाई वार जानकारी देवें? (ग) पावर प्लांट के संचालन हेतु रोजगार के लिए क्या राज्य शासन द्वारा मापदंड बनाए गए हैं? यदि हां, तो जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) छत्तीसगढ़ राज्य में जिला-सक्ती के ग्राम-सिंघीतराई में मेसर्स एथेना छत्तीसगढ़ पॉवर लिमिटेड द्वारा 2x600 मेगावाट क्षमता एवं जिला कोरबा के ग्राम-पताढ़ी में मेसर्स लैंको पॉवर लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा 2x660 मेगावाट क्षमता के विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन हैं। (ख) निर्माणाधीन संयंत्रों को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा संचालन सम्मति जारी नहीं की जाती। अपितु संयंत्रों का निर्माण पूर्ण होने पर उद्योग के आवेदन उपरांत संचालन सम्मति जारी की जाती है। (ग) औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका 15.18 में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिये राज्य के मूल निवासियों को स्थाई नियोजन में अकुशल कर्मचारियों के मामले में 100 प्रतिशत, कुशल कर्मचारियों के मामले में 70 प्रतिशत तथा प्रशासकीय/प्रबंधकीय कर्मचारियों के मामले में न्यूनतम 40 प्रतिशत रोजगार अनिवार्यतः उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

जांजगीर चांपा जिले में रेत खनन

[खनिज साधन]

15. (क्र. 691) श्री बालेश्वर साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जांजगीर-चांपा में कितनी रेत खदानें संचालित हैं? स्थलवार नाम सहित जानकारी बतावें? **(ख)** कंडिका "क" अनुसार कौन-कौन से नगर पंचायत/ग्राम पंचायत/ग्रामों में रेत उत्खनन हो रहा है? **(ग)** क्या रेत खदानों को पर्यावरण विभाग की मंजूरी की आवश्यकता है? यदि हां, तो क्या संचालित सभी रेत खदानों की मंजूरी मिली हुई है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** जांजगीर-चांपा जिले में वर्तमान में ग्राम पंचायत बोरसी, तहसील बम्हनीडीह में 01 रेत खदान संचालित है। **(ख)** कंडिका "क" अनुसार ग्राम पंचायत बोरसी में रेत का उत्खनन किया जा रहा है। **(ग)** जी हाँ। रेत खदान संचालन हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) से पर्यावरण सम्मति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। पर्यावरण सम्मति प्राप्ति उपरांत ही जिले में रेत खदान संचालित है।

सिहावा विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के कार्यों की स्थिति

[ऊर्जा]

16. (क्र. 752) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत सिहावा विधान सभा क्षेत्र में कितने ग्रामों/मजराटोलों में विद्युतीकरण कार्य किये जाने का लक्ष्य है ? **(ख)** 31 दिसम्बर, 2023 की स्थिति में कितने ग्रामों/मजराटोलों में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया एवं कितने ग्रामों में कार्य होने शेष हैं? **(ग)** उक्त कार्यों के लिए कार्य एजेंसी/ठेकेदार कौन है एवं कार्य कब तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** आज की स्थिति में उक्त योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण कार्य का कोई लक्ष्य नहीं है। **(ख)** दिनांक 31 दिसम्बर 2023 की स्थिति में सिहावा विधानसभा क्षेत्र के सभी 325 ग्राम एवं उनके 1,145 मजराटोले ग्रीड/सोलर माध्यम से विद्युतीकृत है। शेष प्रश्न उदभूत नहीं होता। **(ग)** उत्तरांश 'ख' के परिपेक्ष्य में यह प्रश्न उदभूत नहीं होता।

धमतरी जिले में अवैध रेत खनन की प्राप्त शिकायतें

[खनिज साधन]

17. (क्र. 753) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जिला धमतरी के अन्तर्गत वर्ष 2021 से 31 दिसम्बर, 2023 तक अवैध रेत उत्खनन की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : जिला धमतरी अन्तर्गत वर्ष 2021 से 31 दिसम्बर, 2023 तक अवैध रेत उत्खनन की कुल 20 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिसमें 15 शिकायतों पर रेत के अवैध उत्खनन के 20 प्रकरण दर्ज करते हुए 24 लाख 36 हजार 929 रूपये समझौता राशि वसूल किया गया है तथा जांच उपरान्त शेष 05 शिकायतें निराधार पायी गई।

आबकारी शुल्क से प्राप्त राशियों का उपयोग

[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]

18. (क्र. 795) श्री अजय चंद्राकर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** आबकारी विभाग द्वारा किस उद्देश्य से, देशी एवं विदेशी शराब में अधिरोपित "विशेष आबकारी शुल्क" एवं "अतिरिक्त आबकारी शुल्क" से अधिरोपित दिनांक से 30 नवंबर, 2023 तक कितनी-कितनी दर पर कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? सभी शुल्कों को अलग-अलग बतायें? इसके अतिरिक्त कौन-कौन से नये शुल्क/उपकर,

किस दर पर अधिरोपित किये गये हैं और कौन-कौन सा कब से समाप्त कर दिया गया है? **(ख)** 30 नवंबर, 2023 की स्थिति में उक्त अधिरोपित शुल्कों से वसूल की गई राशियों के उपयोग हेतु किन-किन कार्यों के लिये, कितनी-कितनी राशियां, किन-किन विभागों/मदों को, कब-कब हस्तांतरित की गयी? कितनी राशि आबकारी विभाग के पास बची हुयी है? उद्देश्यों के विपरीत कौन से शुल्क की, कितनी राशि, किन-किन कार्यों में व्यय की गयी?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** आबकारी विभाग द्वारा देशी एवं विदेशी शराब में "विशेष आबकारी शुल्क" एवं "अतिरिक्त आबकारी शुल्क" से अधिरोपित करने का उद्देश्य एवं अधिरोपण दिनांक से 30 नवंबर, 2023 तक अधिरोपित दर तथा समाप्त किये गये शुल्क/उपकर की जानकारी **संलग्न प्रपत्र अ** अनुसार है। उपरोक्त अधिरोपित करों से अधिरोपण दिनांक से 30 नवंबर 2023 तक प्राप्त राशि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र ब** अनुसार है। **(ख)** उक्त अधिरोपित शुल्कों से प्राप्त राशियों के उपयोग, कार्यों की विभागवार, वर्षवार जानकारी एवं शेष राशि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र स** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सत्रह" \]](#)

अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अवैध मुरूम खुदाई पर कार्यवाही

[खनिज साधन]

19. (क्र. 824) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी, 2020 से दिसंबर, 2023 तक किन-किन ग्राम पंचायत/नगर क्षेत्र अंतर्गत अवैध मुरूम खुदाई की शिकायत प्राप्त हुई है? **(ख)** यदि शिकायतें प्राप्त हुई हैं तो कितने व्यक्तियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही विभाग द्वारा की गयी है? **(ग)** जिन-जिन स्थानों से मुरूम खुदाई की शिकायत प्राप्त हुई है उन स्थानों पर कितने रकबे में कितने घनमीटर मुरूम की चोरी हुई है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** अभनपुर विधानसभा अंतर्गत प्र'नाधीन अवधि में अवैध मुरूम उत्खनन की प्राप्त शिकायतों की जानकारी "**संलग्न प्रपत्र**" अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश "क" के अनुसार प्राप्त शिकायतों पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी "**संलग्न प्रपत्र के कॉलम 6**" अनुसार है। **(ग)** मुरूम खुदाई के संबंध में प्राप्त 16 शिकायतों में से 4 शिकायतें सही पाई गई, जिसमें कुल 0.01221 एकड़ रकबे पर 539 घनमीटर मुरूम का अवैध उत्खनन होना पाया गया ।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अठारह" \]](#)

प्रदेश की राशन दुकानों का भौतिक सत्यापन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

20. (क्र. 829) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सही है कि सितम्बर, 2022 में प्रदेश की राशन दुकानों का वास्तविक भौतिक सत्यापन कराये जाने पर 65,704 टन चावल और 3,310 टन शक्कर का अंतर पाया गया था? यदि हां, तो उपरोक्त दुकानों पर क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** क्या यह भी सही है कि इन्हीं राशन दुकानों से मई, 2023 तक रिकवरी की गई थी? यदि हां तो कितने राशन दुकानों से रिकवरी की गई? रिकवरी की गई चावल, शक्कर की मात्रा की जानकारी देवें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** माह सितम्बर, 2022 में प्रदेश की उचित मूल्य दुकानों के बचत स्टॉकका भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया था, अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ख)** प्रश्नांश 'क' की जानकारी के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जिला रायगढ़ अंतर्गत सिंचाई हेतु विद्युत कनेक्शन के प्राप्त आवेदन

[ऊर्जा]

21. (क्र. 934) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला रायगढ़ अंतर्गत विभाग को सिंचाई हेतु विद्युत कनेक्शन के वर्ष 2020-21 से 15 जनवरी, 2024 की स्थिति में कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं? कितने आवेदन का निराकरण कर स्वीकृति प्रदान की गयी है? वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी दें? **(ख)** कितने प्रकरण लंबित हैं? कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** जिला रायगढ़ अंतर्गत विभाग को सिंचाई हेतु विद्युत कनेक्शन के वर्ष 2020-21 से 15 जनवरी, 2024 की स्थिति में प्राप्त आवेदनों एवं स्वीकृति की वर्षवार एवं विकासखंडवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-'अ'** अनुसार है एवं अस्थाई विद्युत कनेक्शन की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-'ब'** अनुसार है। **(ख)** उत्तरांश 'क' में स्थाई पंप कनेक्शन के 132 आवेदन स्वीकृति हेतु लंबित है। इन लंबित 132 आवेदनों का निराकरण शीघ्र किया जावेगा। प्रश्नावधि में सिंचाई पंप के अस्थाई विद्युत कनेक्शन के कोई भी आवेदन स्वीकृति हेतु लंबित नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्नीस"]

जिला बस्तर मे धान उपार्जन केन्द्रों से धान का उठाव

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

22. (क्र. 939) श्री बघेल लखेश्वर : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला बस्तर में इस वर्ष के लिए कितने धान उपार्जन (खरीदी) केन्द्र निर्धारित हैं? इन केन्द्रों में माह 10 जनवरी, 2024 तक कितनी धान की खरीदी हुई ? केन्द्रवार जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में धान की मिलिंग हेतु केन्द्रों से केन्द्रवार धान के उठाव की स्थिति बतावें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** जिला बस्तर में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिये 79 धान उपार्जनकेन्द्र निर्धारित है। इन उपार्जन केन्द्रों में 10 जनवरी, 2024 तक 1.52 लाख मे0टन धान की खरीदी हुई है। केन्द्रवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** धान की मिलिंग हेतु उपार्जन केन्द्रवार धान के उठाव की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बीस"]

विधवा/वृद्धावस्था/दिव्यांग पेंशन की पात्रता पैमाने में संशोधन

[समाज कल्याण]

23. (क्र. 959) श्री मोतीलाल साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या विधवा/वृद्धावस्था/दिव्यांग पेंशन की पात्रता के लिए शहरी क्षेत्र में वर्ष 2007 की बी.पी.एल. सर्वे सूची एवं ग्रामीण क्षेत्र में 2002-2003 की बी.पी.एल. सर्वे सूची में नाम दर्ज होने संबंधी पात्रता के पैमाने में संशोधन किया जा सकता है? **(ख)** क्या वर्ष 2007 में किए गए बी.पी.एल. सर्वे के बाद प्रदेश में विधवा/वृद्धावस्था/दिव्यांग नहीं हुए हैं ? यदि हुए हैं तो इन पीड़ितों को योजनाओं का लाभ देने हेतु शासन की क्या योजनाएं है? क्या सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जी नहीं। **(ख)** वर्ष 2007 में किए गए बी.पी.एल. सर्वे के बाद प्रदेश में विधवा/वृद्धावस्था/दिव्यांग हुए हैं। इन पीड़ितों को लाभ देने के लिये मुख्यमंत्री पेंशन योजना संचालित है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रदेश में बिजली का उत्पादन

[ऊर्जा]

24. (क्र. 971) श्री धर्मजीत सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्तमान में छत्तीसगढ़ में किन-किन संयंत्रों से कहां-कहां, कितनी-कितनी बिजली का उत्पादन किया जा रहा है तथा राज्य में बिजली की खपत कितनी है तथा राज्य द्वारा किस-किस दर पर अन्य राज्यों को विक्रय किया जा रहा है ? विस्तृत विवरण देवें? **(ख)** भविष्य में विद्युत की आपूर्ति हेतु शासन की क्या-क्या नवीन कार्य योजनायें हैं ? विस्तृत विवरण देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** वर्तमान में प्रदेश में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा विभिन्न संयंत्रों से उत्पादित बिजली का विवरण **संलग्न प्रपत्र 'अ'** अनुसार है। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के विद्युत उपभोक्ताओं के द्वारा राज्य में बिजली की वर्ष 2023-24 में (माह नवंबर 2023 की स्थिति में) 22,528.71 मिलियन यूनिट खपत है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा अन्य प्रदेशों को बिजली विक्रय नहीं की जा रही है तथापि वर्तमान में बिजली का क्रय विक्रय पॉवर एक्सचेंज के माध्यम से किया जाता है। **(ख)** भविष्य में विद्युत की आपूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा विभिन्न स्त्रोतों से विद्युत क्रय हेतु अनुबंध किया गया है तथा विद्युत क्रय हेतु सहमति प्रदान की गई है जिसकी जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'ब'** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्कीस"]

महिला बाल विकास विभाग अंतर्गत पंजीकृत महिला स्व सहायता समूह

[महिला एवं बाल विकास]

25. (क्र. 972) श्री धर्मजीत सिंह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** महिला बाल विकास विभाग अंतर्गत प्रदेश में कुल कितने महिला स्व सहायता समूह पंजीकृत हैं ? जिलेवार विस्तृत विवरण देवें? **(ख)** क्या कंडिका "क" की महिला स्व सहायता समूहों को विभाग द्वारा महिला कोष से ऋण दिये जाने का प्रावधान है ? यदि हां तो विस्तृत विवरण देवें? **(ग)** कंडिका "ख" के तहत वर्ष 2019 से 2023 तक कितने महिला स्व सहायता समूह को ऋण दिया गया है ? जिलेवार विस्तृत विवरण देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत प्रदेश के कुल 16103 महिला स्व-सहायता समूह, एन.आर.एल.एम. एवं फर्म्स एण्ड सोसायटी से पंजीकृत है। जानकारी **संलग्न "प्रपत्र-अ"** अनुसार है। **(ख)** जी, हां। जानकारी **संलग्न "प्रपत्र-ब"** अनुसार है। **(ग)** कंडिका 'ख' के तहत वर्ष 2019 से 2023 तक कुल 6048 महिला स्व-सहायता समूहों को ऋण दिया गया है। जानकारी **संलग्न "प्रपत्र-स"** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बाईस"]

जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित स्टोन क्रशर उद्योग

[खनिज साधन]

26. (क्र. 975) श्री ब्यास कश्यप : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी 2024 की स्थिति में कितने स्टोन क्रशर उद्योग, कहां-कहां संचालित हैं? संचालनकर्ता फर्म/व्यक्ति के नाम एवं पते सहित जानकारी प्रदान करें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के संबंध में उक्त संचालकों को स्टोन क्रशर संचालित करने के लिए कितनी भूमि लीज पर दी गई है तथा वर्तमान में ये भूमि के कितने क्षेत्रफल पर काबिज हैं? क्या भूमि का भौतिक सत्यापन किया गया है अथवा नहीं? यदि नहीं तो क्यों नहीं किया गया? लीज पर दी गई भूमि से अधिक भूमि पर काबिज संचालकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? जानकारी प्रदान करें? **(ग)** प्रश्नांश 'क' के संबंध में स्टोन क्रशर संचालकों के द्वारा अवैध रूप से बोर

ब्लास्टिंग की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई? जानकारी प्रदान करें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र में 26 क्रशर निम्न श्रेणी चूनापत्थर के उत्खनिपट्टा स्वीकृत क्षेत्र के अंदर तथा 01 क्रशर अस्थायी भण्डारण अनुज्ञापत्र क्षेत्र में स्थापित है। संचालनकर्ता फर्म/व्यक्ति के नाम एवं पते की जानकारी **"संलग्न प्रपत्र-अ"** अनुसार है। (ख) प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित खनिज रियायत धारकों को स्वीकृत रकबे, जिस पर भू-प्रवेश दिया गया है की जानकारी **"संलग्न प्रपत्र-अ"** के कॉलम नंबर-06 अनुसार है। संचालित उत्खनिपट्टा खदानों में कार्य आदेश की अनुमति के पूर्व स्वीकृत क्षेत्र का भौतिक सत्यापन खनि निरीक्षक से कराया जाता है। लीज पर दी गई भूमि से अधिक भूमि पर काबिज होने के 03 प्रकरण दर्ज किया जाकर पट्टेदार को नोटिस जारी किया गया है। जानकारी **"संलग्न प्रपत्र-ब"** अनुसार है। (ग) प्रश्नांश 'क' के परिपेक्ष्य में अवैध रूप से बोर ब्लास्टिंग की 01 शिकायत जिला कार्यालय में दिनांक 19.01.2024 को प्राप्त हुआ है, जिसे जांच एवं कार्यवाही किये जाने हेतु डी.जी.एम.एस. रायगढ़, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर एवं खनि निरीक्षक, जिला जांजगीर-चांपा को दिनांक 24.01.2024 को लेख किया गया है। जांच प्रक्रियाधीन है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तेईस"]

बिलासपुर/जगदलपुर हवाई पट्टी के विकास/उन्नयन विषयक

[विमानन]

27. (क्र. 981) श्री सुशांत शुक्ला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास / उन्नयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा जनवरी, 2019 से 2023 तक कितनी-कितनी राशि कब-कब प्रदान की गई है? राज्य सरकार द्वारा प्राप्त राशि में से कितनी-कितनी राशि, विकास/उन्नयन तथा अन्य कार्यों में व्यय की गई? कार्यवार राशि सहित जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) बिलासपुर एयरपोर्ट में नाईट लैंडिंग, बाउंड्रीवाल, यात्री सुविधाओं के विकास हेतु किये गये प्रयास एवम् कार्य की अद्यतन स्थिति की जानकारी उपलब्ध करावें ? (ग) केंद्र सरकार की अंतर्राज्यीय हवाई सेवा हेतु प्रारम्भ योजना "उड़ान 3 एवं 4" अंतर्गत जगदलपुर एवं बिलासपुर विमानतल से चलने वाले यात्री विमानों में राज्य की ओर से कितना प्रतिशत फ्यूल सब्सिडी (इंधन अनुदान) प्रदान किया जा रहा है? क्या राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में बिलासपुर में अंतर्राज्यीय हवाई सेवा एवम् विमानतल उन्नयन हेतु कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के समक्ष लम्बित है? यदि हाँ तो योजनांतर्गत कब तक कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास/उन्नयन के लिए केंद्र सरकार से जनवरी, 2019 से 2023 तक राशि रू 25.00 करोड़ प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त हुई है। राज्य शासन द्वारा एयरपोर्ट के विकास/उन्नयन कार्यों हेतु किये गये कार्यवार व्यय राशि का विवरण **प्रपत्र में संलग्न** है। (ख) बिलासपुर एयरपोर्ट में नाईट लैंडिंग, बाँऊण्डीवाल, यात्री सुविधाओं के विकास हेतु कुल राशि रू 23.99 करोड़ के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। नाईट लैंडिंग हेतु एयरपोर्ट के रनवे में लाईटिंग कार्य तथा यात्री सुविधाओं के विकास हेतु टर्मिनल भवन का उन्नयन किया गया है। बाँऊण्डीवाल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। (ग) केंद्र सरकार की उड़ान योजना अंतर्गत जगदलपुर व बिलासपुर विमान तल से संचालित होने वाले यात्री विमानों के लिये राज्य सरकार द्वारा अप्रैल, 2017 से 10 वर्ष के लिए एविेशन टर्बाईन फ्यूल हेतु वैट का दर 1 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। बिलासपुर से दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, बेंगलूरू, हैदराबाद, वाराणसी, लखनऊ, पटना, रांची शहरों के लिये अंतर्राज्यीय हवाई सेवा प्रारम्भ करने हेतु राज्य शासन द्वारा केन्द्र सरकार को पत्र प्रेषित किया गया था जिसका उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। वर्तमान में विमानतल उन्नयन हेतु कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के समक्ष लम्बित नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौबीस"]

छ.ग. में संचालित मेसर्स एन.व्ही.डिस्टलरी ब्रेवरेज (प्रा.)लिमिटेड, दिल्ली के बॉटलिंग प्लांट

[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]

28. (क्र. 982) श्री सुशांत शुक्ला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** मेसर्स एन.व्ही.डिस्टलरी ब्रेवरेज(प्रा.) लिमिटेड दिल्ली, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वर्षों से बाटलिंग प्लांट/ शराब निर्माण एवं व्यापार कार्य हेतु पंजीकृत है? कम्पनी की उत्पादन ईकाई एवं बाटलिंग प्लांट कहाँ-कहाँ पर संचालित हैं ? कम्पनी के संचालकों के नाम पता सहित जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ख)** छत्तीसगढ़ में आबकारी नीति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के लाइसेंस की पात्रता हेतु क्या-क्या नियम एवं शर्तें निर्धारित हैं ? श्रेणीवार जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ग)** क्या FL 9 श्रेणी की पात्रता वाले कम्पनी/ संस्थान के लिए राज्य में उत्पादन ईकाई/ बाटलिंग प्लांट स्थापित करने की अनिवार्यता है ? यदि हाँ, तो मेसर्स एन.व्ही. डिस्टलरी ब्रेवरेज (प्रा.) लिमिटेड दिल्ली संस्थान को राज्य में कोई ईकाई नहीं होने के बावजूद भी किस आधार पर एवं किसकी अनुशंसा पर FL 9 लाइसेंस प्रदाय किया गया और राज्य सरकार द्वारा इस कम्पनी से शराब की खरीदी की गई ? इस हेतु कौन जिम्मेदार है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** मेसर्स एन.व्ही. डिस्टलरी एवं ब्रेवरेज प्रा.लि. नई दिल्ली (उप-पट्टा मेसर्स सर्वेश्वरी बॉटलिंग एण्ड बेवरेज प्रा.लि. प्लाट नं. 58 एवं 59 फेस-2, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)) छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 13.09.2019 से आज दिनांक तक बॉटलिंग प्लांट/शराब निर्माण एवं व्यापार कार्य हेतु पंजीकृत है। छत्तीसगढ़ राज्य में कम्पनी की उत्पादन इकाई एवं बॉटलिंग प्लांट औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा रायपुर (छ.ग.) में संचालित है। कम्पनी के संचालकों का नाम (1) श्री अशोक जैन, बी-4/74, सफदरगंज इन्क्लेव, नई दिल्ली (2) श्री समीर गोयल, सी-9/9591, वसंत कुंज, नई दिल्ली एवं (3) श्री अजय कुमार, किनौनी, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश है। **(ख)** छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ आसवनी नियम, 1995, छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995, छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996, छत्तीसगढ़ यवासवनी नियम, 1970, परिशोधित स्पिरिट नियम, स्वापक औषधियाँ और मनोत्तेजक पदार्थ (छत्तीसगढ़) नियम, 1985, छत्तीसगढ़ वाइनरी नियम, 2013, छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम यथासंशोधन, 2018, छत्तीसगढ़ भांग नियंत्रण एवं विनियमन नियम, 2020 एवं छत्तीसगढ़ मोलासिस नियंत्रण एवं विनियमन नियम, 2022 के नियमों के अंतर्गत लायसेंस जारी किया जाता है। लायसेंस की पात्रता हेतु शर्तों की श्रेणीवार जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र** अनुसार है। **(ग)** राज्य में विदेशी मदिरा के निर्माण/बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने हेतु एफ.एल.9 लायसेंस की अनिवार्यता है। छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 3 के उप नियम (15) के प्रावधान अनुसार "आबकारी आयुक्त की लिखित में पूर्व अनुमति के बिना अनुज्ञप्तिधारी इस अनुज्ञप्ति को चलाने के लिए अनुज्ञप्ति का आडमान, विक्रय, बंधक, अंतरण या उपपट्टा नहीं करेगा अथवा किसी भागीदारी में सम्मिलित नहीं होगा, ऐसी अनुमति यदि स्वीकृत की जाती है तो उसे अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकित किया जायेगा। "उक्त नियम के तहत मेसर्स सर्वेश्वरी बॉटलिंग एण्ड बेवरेज प्रा.लि., औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, जिला-रायपुर (छ.ग.) के एफ.एल.9 "बोतल भरने की अनुज्ञप्ति" को मेसर्स एन.व्ही. डिस्टलरी एवं ब्रेवरेज प्रा.लि. नई दिल्ली को सब-लीज (उप-पट्टा) पर आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ की स्वीकृति उपरांत दी गई है।

जिला जांजगीर-चांपा में महतारी वंदन योजना के हितग्राही तथा भुगतान

[महिला एवं बाल विकास]

29. (क्र. 985) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला जांजगीर-चांपा में "महतारी वंदन योजना" के अंतर्गत पात्र महिलाओं की विकासखंडवार संख्या क्या-क्या है ? **(ख)** इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रताएं क्या-क्या है ? कितनी राशि दी जाएगी तथा पहला भुगतान कब तक दिया जाएगा ? **(ग)** क्या समस्त विवाहित महिलाओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) योजना अभी लागू नहीं हुई है, अतः जानकारी निरंक है। (ख) योजना अंतर्गत निम्न महिलाएं पात्र होंगी:- विवाहित महिला छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो, आवेदन के कलेण्डर वर्ष की 01 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी। पात्र महिलाओं को निम्नानुसार राशि दी जाएगी:- प्रत्येक पात्र महिला को रू. 1000/- प्रतिमाह के मान से राशि का भुगतान किया जायेगा। ऐसी महिलाएं जिन्हें सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत समाज कल्याण विभाग के माध्यम से विभिन्न पेंशन योजनाओं से प्रतिमाह रू. 1000/- से कम राशि की पेंशन प्राप्त हो रही है, तो ऐसी पात्र महिलाओं को अतिरिक्त उतनी राशि की सहायता स्वीकृति की जायेगी, जिससे उन्हें कुल राशि रू. 1000/- की मासिक राशि प्राप्त हो सके। पहला भुगतान 08 मार्च 2024 को किया जावेगा। (ग) जी नहीं, अपितु सभी पात्र विवाहित महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जावेगा।

सरायपाली विधानसभा क्षेत्र में हीरे और सोने के खनन परियोजना की अनुमति

[खनिज साधन]

30. (क्र. 992) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) महासमुंद जिले के सरायपाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हीरे और सोने के खनन हेतु माह-जनवरी वर्ष 2019 से 31 दिसम्बर, 2023 तक किस प्रकार की अनुमति, कहाँ- कहाँ पर किन शर्तों के तहत दी गई है ? (ख) उपरोक्त खनन परियोजनाओं को किन-किन विभागों से एनओसी लेने का प्रावधान है ? क्या सभी विभागों से एनओसी प्राप्त हो चुकी है ? क्या किसी विभाग की एनओसी लंबित है ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) महासमुंद जिले के सरायपाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में हीरे और सोने के खनन हेतु किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी गयी है। (ख) प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है।

पेंशन व अन्य योजना के लाभ हेतु लंबित प्रकरण

[समाज कल्याण]

31. (क्र. 995) श्री रामकुमार यादव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर के अंतर्गत सत्र 2019-2020 से प्रश्न अवधि तक समाज कल्याण विभाग की किन-किन योजनाओं से क्या-क्या लाभ दिया जा रहा है ? विभाग के पास उक्त अवधि में ग्रामीणों से कितने आवेदन किस कार्य हेतु प्राप्त हुये ? कितने हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया गया है ? योजनानुसार विकासखंडवार जानकारी देवे? (ख) प्राप्त आवेदनों में वर्ष 2002 व 2011 की सर्वे सूची के कारण पेंशन एवं अन्य आवश्यक लाभकारी योजनाओं से वंचित कितने हितग्राहियों के प्रकरण लंबित हैं? प्रकरणों की विकासखंडवार जानकारी दें? (ग) क्या ग्रामीण किसान, मजदूर वर्ग के लोगों के लिए 2002 व 2011 की सर्वे सूची आवश्यक है? क्या इस सूची को आधार न मानकर गरीब ग्रामीणों को शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है ? विवरण देवे?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। जी नहीं।

[संलग्न "परिशिष्ट - पच्चीस"]

जिला जांजगीर चाम्पा व सक्ती में वाहनों से की गई राजस्व वसूली

[परिवहन]

32. (क्र. 996) श्री रामकुमार यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2019-2020 से 15-01-2024 तक जिला जांजगीर चाम्पा सक्ती में परिवहन विभाग द्वारा कितने हल्के एवं

व्यवसायिक भारी वाहनों का पंजीयन किया गया है? वर्गीकृत संख्यात्मक जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार परिवहन विभाग के द्वारा हल्के एवं भारी वाहनों से पंजीयन एवं रोड टैक्स के लिए किन-किन स्थानों पर औचक निरीक्षण किया गया है? तथा उनसे कितने राजस्व राशि की वसूली की गई है, स्थान वार जानकारी देवें? **(ग)** क्या कहीं अवैध वसूली की शिकायत प्राप्त हुई है, यदि हां तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है? विस्तृत विवरण देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** वर्ष 2019-2020 से 15.01.2024 तक जिला जांजगीर चाम्पा सक्ती में परिवहन विभाग द्वारा 17648 हल्के एवं 934 व्यवसायिक भारी वाहनों का पंजीयन किया गया है। वर्गीकृत संख्यात्मक **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ" अनुसार है।** **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार परिवहन विभाग के द्वारा हल्के एवं भारी वाहनों से पंजीयन एवं रोड टैक्स के लिए भिन्न-भिन्न स्थानों पर 1627 वाहनों का औचक निरीक्षण किया जाकर रू. 53,72,500/- वसूल किया गया। स्थान वार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ब" अनुसार है।** **(ग)** प्रश्नाधीन अवधि में अवैध वसूली की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

छ.ग. राज्य विद्युत मण्डल द्वारा गारेपलमा कोल ब्लॉक, रायगढ़ में कोल परिवहन हेतु जारी निविदा

[ऊर्जा]

33. (क्र. 999) श्री राजेश मूणत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जनवरी, 2020 से नवम्बर, 2023 तक छ.ग. राज्य विद्युत मण्डल द्वारा गारेपलमा कोल ब्लॉक, रायगढ़ में कोल परिवहन हेतु कब-कब निविदा जारी की गई? इसमें कितनी व कौन-कौन सी कंपनियों/एजेंसियों की वित्तीय दरें कब-कब खोली गई व कितनी-कितनी दरें प्राप्त हुई तथा किस एजेंसी को किस दर पर कार्य दिया गया? निविदावार, वर्षवार, एजेंसीवार एवं दर वार जानकारी देवें? उक्त निविदाओं के अनुसार किस-किस एजेंसी के द्वारा कितने कोल का परिवहन किया गया व उन्हें कितना भुगतान उक्त अवधि में किया गया है? वर्षवार, एजेंसीवार, राशिवार व मात्रावार जानकारी देवें? **(ख)** क्या यह सही है कि एसईसीएल द्वारा जून, 2022 के पश्चात् कोल परिवहन के लिये नोटिफिकेशन जारी किया गया था? यदि हां तो कब व दरें क्या थी? क्या कंडिका "क" अनुसार निविदा में एसईसीएल के नोटिफिकेशन से लगभग 200 प्रतिशत अधिक दर पर कार्य दिया गया है? यदि हां, तो कितने प्रतिशत अधिक दर पर व किसे दिया गया है? **(ग)** क्या भण्डार क्रय नियम में न्यूनतम 3 निविदा की दरें प्राप्त होने के उपरांत ही निविदा स्वीकृति के नियम हैं? यदि हां, तो नियम बतावें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** जनवरी 2020 से नवम्बर 2023 तक छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी द्वारा गारे पेलमा सेक्टर-III कोल ब्लॉक में कोल परिवहन हेतु दिनांक 17.11.2020 एवं 03.11.2022 को निविदायें आमंत्रित की गईं। उक्त आमंत्रित निविदाओं की वित्तीय दरें खोलने की तिथि, शामिल कम्पनियों/एजेंसियों की दरें, चयनित एजेंसी तथा उनकी दरें, परिवहन की गई मात्रा एवं उक्त अवधि में किये गये भुगतान के विवरण की जानकारी **"संलग्न प्रपत्र-अ"** अनुसार है। **(ख)** जी हां। उक्त नोटिफिकेशन का विवरण **"संलग्न प्रपत्र-ब"** अनुसार है। दरें 20 किलोमीटर तक के परिवहन हेतु दी गई हैं। वर्तमान में कोल परिवहन घरघोड़ा एवं राबर्टसन रेलवे साईडिंग तक किया जा रहा है, जो कि क्रमशः 40 किमी. एवं 80 किमी. दूरी पर स्थित है। अतः आमंत्रित निविदाओं की दरों की तुलना एस.ई.सी.एल द्वारा जारी किये गये नोटिफिकेशन की दरें तुलना योग्य नहीं है। **(ग)** छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बनाये गए भंडार क्रय नियम छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा ग्राह्य नहीं किये गये है तथापि छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा भण्डार क्रय नियम बनाने की प्रक्रिया जारी है। वर्तमान में सामग्रियों का क्रय एवं कार्य, कम्पनी की प्रचलित निविदा प्रक्रिया, डेलीगेशन ऑफ पॉवर एवं समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार किया जा रहा है। प्रचलित निविदा प्रक्रिया की जानकारी **"संलग्न प्रपत्र-स"** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छब्बीस"]

गैर परम्परागत ऊर्जा के स्रोतों से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना के तहत प्राप्त राशि

[ऊर्जा]

34. (क्र. 1000) श्री राजेश मूणत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- केन्द्र सरकार से विगत 3 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में नवम्बर, 2023 तक गैर परम्परागत ऊर्जा के स्रोतों से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस-किस योजना के तहत कितनी राशि प्राप्त हुई है? प्राप्त राशि कहाँ-कहाँ पर, किस-किस कार्य पर नवम्बर, 2023 तक खर्च की गई है? राज्यांश और केन्द्रांश के अनुपात और आवंटन के साथ जानकारी दें? उक्त संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं व इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : केन्द्र सरकार से विगत 3 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में नवम्बर, 2023 तक गैर परम्परागत उर्जा के स्रोतों से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर योजना फेस-2 के तहत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को प्राप्त राशि (इनसेन्टिव) एवं नवम्बर, 2023 तक व्यय का विवरण राज्यांश और केन्द्रांश के अनुपात और आवंटन के साथ निम्नलिखित तालिका में दर्शित है:- (राशि रूपये में)

स.क्र.	योजना	प्राप्त राशि विवरण			व्यय की गई राशि
		केन्द्रांश	राज्यांश	राशि	
01	ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर योजना फेस-2	100 प्रतिशत	-	1,24,28,700/-	निरंक
02	ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर योजना फेस-2	100 प्रतिशत	-	3,29,43,495/-	निरंक
कुल राशि				4,53,72,195/-	

प्राप्त राशि को वर्तमान में खर्च नहीं किया गया है एवं प्राप्त राशि के उपयोग के संबंध में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

राजनांदगांव जिले में दुर्घटना में मृतक के परिजनों तथा घायलों को आर्थिक सहायता

[सामान्य प्रशासन]

35. (क्र. 1005) श्री दलेश्वर साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों तथा घायलों को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है? यदि हां, तो वर्ष 2021 से प्रश्नावधि तक राजनांदगांव जिले के कितने प्रकरण आर्थिक सहायता हेतु प्राप्त हुए हैं? प्राप्त प्रस्तावों में से कितने पीड़ित परिजनों को राशि दी जा चुकी तथा कितने लंबित है? विकासखण्डवार जानकारी दें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : हां, राजनांदगांव जिले के वर्ष 2021 से प्रश्नावधि तक कुल 313 प्रकरण आर्थिक सहायता हेतु विकासखण्डों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्राप्त प्रस्ताव में से 121 पीड़ित परिजनों को राशि दी जा चुकी है, तथा कुल 192 प्रकरण लंबित है। विकासखण्डवार विवरण संलग्न प्रपत्र "अ" "ब" एवं "स" अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्ताईस"]

जिला कबीरधाम अंतर्गत खनिज न्यास निधि से प्राप्त एवं व्यय राशि

[खनिज साधन]

36. (क्र. 1007) श्रीमती भावना बोहरा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला कबीरधाम अंतर्गत जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2023 तक जिला खनिज न्यास निधि अंतर्गत कितनी राशि प्राप्त हुई तथा कुल कितनी राशि के कितने कार्य स्वीकृत किये गये ? वर्षवार/ विभागवार

जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश 'क' के स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण, अपूर्ण एवं अप्रारंभ हैं? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जावेंगे? (ग) प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' के स्वीकृत कार्यों में अनियमितता/भ्रष्टाचार की कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? विकासखण्डवार/कार्यवार जानकारी उपलब्ध करावें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जिला कबीरधाम अंतर्गत जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2023 तक जिला खनिज न्यास निधि में 9013.75 लाख प्राप्त हुई तथा 6926.30 लाख रूपये के 287 कार्यों हेतु स्वीकृत किये गये हैं। वर्षवार प्राप्त राशि की जानकारी "पुस्तकालय में रखे संलग्न प्रपत्र-अ" एवं वित्तीय वर्षवार, विभागवार, स्वीकृत कार्यों की जानकारी "पुस्तकालय में रखे संलग्न प्रपत्र-ब" अनुसार है। (ख) प्रश्नांश 'क' के स्वीकृत कार्यों में से 233 कार्य पूर्ण, 37 कार्य अपूर्ण/प्रगतिरत एवं 03 कार्य अप्रारंभ हैं। उक्त अवधि में 14 कार्य निरस्त किया गया है। अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने की निर्धारित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' के स्वीकृत कार्यों में अनियमितता/भ्रष्टाचार की 01 शिकायत प्राप्त हुआ है। जानकारी "पुस्तकालय में रखे संलग्न प्रपत्र-स" अनुसार है।

राजनांदगांव जिले में कृषि कार्य हेतु प्रदायित विद्युत पंप कनेक्शन

[ऊर्जा]

37. (क्र. 1014) श्री भोलाराम साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) राजनांदगांव जिला अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 31 दिसंबर, 2023 तक कितने किसानों को कृषि कार्य हेतु अस्थायी (टी.सी.) विद्युत कनेक्शन मांग के अनुरूप दिये गये हैं और इनमें से कितने किसानों को स्थायी विद्युत कनेक्शन प्रदान किया गया है? वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी दें? (ख) कंडिका " क" के अनुसार कितने किसानों का स्थाई विद्युत कनेक्शन होने के पश्चात सुरक्षा निधि की राशि वापस लौटाई गई है? वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी दें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अट्टाईस" \]](#)

ट्रांसफार्मर क्रय व उसका भुगतान

[ऊर्जा]

38. (क्र. 1015) सुश्री लता उसेंडी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में जनवरी, 2021 से नवम्बर, 2023 तक विभाग द्वारा किस प्रकार के, कितने ट्रांसफार्मर क्रय हेतु आदेश किन फर्मों को, कब व किस दर पर दिये गए हैं? इस हेतु कितना भुगतान किया गया है व कितना शेष है? ट्रांसफार्मर के प्रकार व संख्यावार, फर्मवार व राशिवार जानकारी दें? (ख) उक्तानुसार ट्रांसफार्मर में कितने ट्रांसफार्मर, किस फर्म द्वारा, कितने दिनों के विलंब से प्रदाय किये गए हैं या प्रदाय ही नहीं किये गए हैं? विलंब से ट्रांसफार्मर दिए जाने पर भण्डार क्रय नियम तथा अनुबंध/निविदानुसार शास्ति/अर्थदण्ड के क्या प्रावधान रखे गए हैं तथा किन-किन फर्मों से कितनी-कितनी राशि वसूली की जानी थी व कितने फर्मों से वसूली के आदेश जारी किये गए हैं एवं कितने के वसूली आदेश जारी नहीं किये गए और क्यों? इनसे कितनी वसूली हो गई है व कितनी शेष है? फर्मवार जानकारी दें? (ग) ऐसी कौन-कौन सी फर्म है, जिसने एक से अधिक क्रय आदेश में विलंब से ट्रांसफार्मर आपूर्ति की है? क्या इन्हें प्रतिबंधित करने हेतु कोई कार्यवाही की गई है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) प्रदेश में प्रशाधीन अवधि में पॉवर कंपनीज द्वारा ट्रांसफार्मर क्रय आदेश, की कंपनीवार/फर्मवार संख्या, प्रकार, दर एवं क्रय आदेश की तिथि तथा इन आदेशों के अंतर्गत प्रदायकर्ता फर्म को अब तक किये गए भुगतान की जानकारी छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड

की **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स** अनुसार हैं। **(ख)** छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज् द्वारा पृथक-पृथक निविदा के अंतर्गत प्रदायकर्ता फर्म को अलग-अलग क्षमता के ट्रांसफार्मरों की आवश्यकतानुसार आपूर्ति करने हेतु पृथक-पृथक अवधि निर्धारित है ताकि ट्रांसफार्मर की आपूर्ति साल भर निरंतर बनी रहे। ट्रांसफार्मर आपूर्ति में विलंब की स्थिति में क्रय आदेश में वर्णित ट्रांसफार्मर मूल्य के 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से जो कि अप्राप्त सामग्री के क्रय आदेश मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत तक होगा, के अर्थदण्ड का प्रावधान है। क्रय आदेशों के विरुद्ध विलम्ब से ट्रांसफार्मर आपूर्ति के मामलों में डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एवं जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा निविदा की शर्तों के तहत अर्थदण्ड राशि क्रमशः लगभग रूपये 2.57 करोड़, 2.56 करोड़ एवं 64 लाख वसूल किया गया है। अर्थदण्ड वसूली हेतु कोई भी राशि शेष नहीं है। फर्मवार कुल विलंब की राशि एवं इसके विरुद्ध वसूली गई राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, ब, एवं स** अनुसार है। चूंकि तीनों पॉवर कंपनियों के द्वारा विलंब से आपूर्ति किये जाने के प्रकरण में विलंब की राशि की वसूली की जा चुकी है, अतः वसूली हेतु कोई भी आदेश जारी किया जाना शेष नहीं है। एक फर्म, मेसर्स एकार्ड इलेक्ट्रो पॉवर प्राइवेट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा को दिनांक 27.07.2021 एवं दिनांक 23.11.2021 को जारी क्रय आदेशों के अंतर्गत एक भी ट्रांसफार्मर की आपूर्ति नहीं करने के कारण दिनांक 25.08.2022 को क्रय आदेश निरस्त करते हुए तीन वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया है। **(ग)** प्रश्नाधीन अवधि में केवल छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा कुल 29 फर्मों को एक से अधिक कायदेश जारी किये गए हैं। जिनमें 18 फर्मों ने विलंब से ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति की है। क्रय आदेश में विलंब से ट्रांसफार्मर की आपूर्ति करने वाले किसी भी फर्म को प्रतिबंधित करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। उपरोक्त जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द** अनुसार हैं।

डीएमएफ पोर्टल का प्रावधान

[खनिज साधन]

39. (क्र. 1016) सुश्री लता उसेंडी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या 06 सितम्बर, 2022 को जारी निर्देश अनुसार डीएमएफ पोर्टल बनाये जाने के प्रावधान का उल्लेख किया गया है? यदि हाँ तो क्या पत्र दिनांक की स्थिति में कोरबा, कोरिया, सुकमा, बेमेतरा के द्वारा पोर्टल के माध्यम से कार्य नहीं करने को, न्यास के उद्देश्य के विपरीत बताया गया है? यदि हाँ, तो इसके लिए उत्तरदायी कौन है और उन पर क्या कार्यवाही की गई ? शेष जिलों की स्थिति क्या है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : जी नहीं। 06 सितम्बर, 2022 को डीएमएफ पोर्टल बनाये जाने का कोई निर्देश जारी नहीं हुआ है। अपितु राज्य शासन द्वारा दिनांक 16.09.2022 के माध्यम से छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। जिला-कोरबा, कोरिया, सुकमा एवं बेमेतरा द्वारा आनलाईन डीएमएफ पोर्टल के माध्यम से कार्यवाही प्रारंभ कर दिया गया है। प्रदेश के शेष जिलों में शासन के निर्देश दिनांक 16.09.2022 के अनुक्रम में आनलाईन डीएमएफ पोर्टल के माध्यम से कार्यवाही किया जा रहा है।

बालोद जिले में खनिज विभाग द्वारा सामग्री क्रय

[खनिज साधन]

40. (क्र. 1024) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- बालोद जिले में खनिज विभाग द्वारा 01.01.2022 से दिनांक 01-01-2024 तक क्या-क्या सामग्री/उपकरण किस-किस प्रयोजन हेतु, किन-किन एजेंसियों से कितनी-कितनी दर से क्रय किये गए हैं?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : बालोद जिलांतर्गत खनिज विभाग द्वारा 01.01.2022 से 01.01.2024 तक सामग्री/उपकरण कार्यालयीन प्रयोजन हेतु क्रय की गई है, जिसकी जानकारी "**संलग्न प्रपत्र**" अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्तीस"]

गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र में खनिज न्यास निधि से आबंटित राशि

[खनिज साधन]

41. (क्र. 1025) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जनवरी-2022 से दिसंबर-2023 तक जिला खनिज न्यास निधि मद (डी.एम.एफ.) अंतर्गत गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र हेतु किन-किन विभागों को, किस-किस कार्य हेतु कितनी राशि का आबंटन किया गया, ?कार्य एजेंसी किसे बनाया गया है? (ख) प्रश्नांक "क" के अनुसार किन-किन विभागों द्वारा कितने-कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जनवरी -2022 से दिसंबर-2023 तक बालोद जिला खनिज न्यास निधि मद (डी.एम.एफ.) अंतर्गत गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र हेतु विभागों को स्वीकृत कार्य, स्वीकृत राशि एवं कार्य एजेंसी की जानकारी "पुस्तकालय में रखे संलग्न प्रपत्र" अनुसार है। (ग) प्रश्नांक "क" के अनुसार लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी "पुस्तकालय में रखे संलग्न प्रपत्र के कॉलम संख्या-06" अनुसार है।

जिला-बलौदाबाजार में ओवर लोड ट्रकों एवं माल वाहक वाहनों पर कृत कार्यवाही

[परिवहन]

42. (क्र. 1026) श्री इंद्र साव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) सत्र 2019 से लेकर प्रश्नावधि तक बलौदाबाजार जिले में कितने ओवरलोड ट्रकों पर एवं भारी माल वाहकों पर चालानी कार्यवाही की गयी है एवं इन चालानी कार्यवाहियों से परिवहन विभाग जिला बलौदाबाजार को कितनी जुर्माना राशि प्राप्त हुई है ?वर्षवार जानकारी बतायें? (ख) ओवरलोड ट्रकों के चलने से जिले की खराब सड़कों की मरम्मत व नवनिर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग या परिवहन विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? (ग) परिवहन विभाग द्वारा जिला बलौदाबाजार में परिवहन विभाग की कितनी चौकियां बनाई गयी हैं? कितनी ओवरलोड ट्रकों पर कार्यवाही की गयी है? वर्षवार संख्या बतायें? । (घ) ओवरलोड ट्रकों पर चालानी कार्यवाही करने के लिए प्रति किंटल एवं प्रति टन के आधार पर कितने रूपये का चालान काटा जाता है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) सत्र 2019 से लेकर प्रश्नावधि तक बलौदाबाजार जिले में कुल 778 ओवरलोड ट्रकों पर एवं भारी माल वाहकों पर चालानी कार्यवाही की गयी है एवं इन चालानी कार्यवाहियों से परिवहन विभाग को रू. 1,71,47,000/- की शमन शुल्क की राशि प्राप्त हुई है। वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार मरम्मत एवं नवनिर्माण का कार्य किया गया है। ओवरलोड ट्रकों के चलने का कोई गुणांक रूपांकन में सम्मिलित नहीं किया गया है। (ग) परिवहन विभाग द्वारा जिला बलौदाबाजार में परिवहन विभाग के अधीन जांच चौकी नहीं बनाई गई है। ओवरलोड ट्रकों पर वर्षवार कार्यवाही की जानकारी प्रश्नांश "क" अनुसार पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ" अनुसार है। (घ) ओवरलोड ट्रकों पर चालानी कार्यवाही करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-5/आठ-परि./2021 दिनांक 25 अक्टूबर 2021 द्वारा जारी अधिसूचना की कंडिका 13 में उल्लेखित अनुसार कार्यवाही की जाती है। विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ब" अनुसार है।

प्रदेश में स्कूलों को प्रदत्त सेनेटरी नेपकीन प्रदाय व नष्ट करने की मशीन की अद्यतन स्थिति

[महिला एवं बाल विकास]

43. (क्र. 1204) श्री धरमलाल कौशिक : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश के कुल कितने स्कूलों में सेनेटरी नेपकीन प्रदाय व नष्ट करने हेतु कुल कितनी मशीन जनवरी, 2020 से नवम्बर, 2023 तक लगाई गई हैं? इसमें कितनी मशीनें चालू हैं व कितनी मशीनें बंद हैं? बंद मशीनों में 6 माह से बंद तथा एक वर्ष या अधिक अवधि से बंद मशीनें कितनी हैं? इन मशीनों को स्थापित

करने में उनके संधारण की शर्तें क्या थीं और इन शर्तों के अनुरूप कितनी मशीनों का संधारण नहीं किया गया है? (ख) इन मशीनों के संबंध में क्या शिकायत, किसके द्वारा व किसको की गई है व शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी दें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) एवं (ख) जानकारी संकलित की जा रही है।

सरायपाली विधानसभा क्षेत्र के धान खरीदी केंद्रों में धान की आवक एवं उठाव

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

44. (क्र. 1306) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) पिछले 3 वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 15/01/2024 तक सरायपाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित धान खरीदी केंद्रों में कितनी धान खरीदी की गई है ? इस वर्ष कितनी धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है ? लक्ष्य के विरुद्ध कितनी धान खरीदी अब तक की जा चुकी है ? कितना आवक और कितना उठाव हुआ है ? (ख) प्रश्न (क) में उल्लेखित समयावधि के दौरान किन-किन धान खरीदी केंद्रों को, कितनी-कितनी राशि, मेटेनेस और अन्य मदों में प्राप्त हुई है ? उक्त राशि को कितने कार्यों में खर्च किया गया है ? केंद्रवार जानकारी उपलब्ध कराएं ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) पिछले 3 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 15.01.2024 तक सरायपाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित धान खरीदी केन्द्रों में वर्षवार धान खरीदी की जानकारी निम्नानुसार है –

क्रमांक	वर्ष	खरीदी मात्रा (मेट्रिक टन)
1	2020-21	44084.04
2	2021-22	201219.04
3	2022-23	217288.60
4	2023-24	223875.8

धान खरीदी हेतु विधानसभावार लक्ष्य निर्धारित नहीं होता । इस वर्ष दिनांक 15/01/2024 तक 223875.8 मेट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है एवं 186804.4 मेट्रिक टन धान का उठाव हुआ है । (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित समयावधि में चाही गई जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है ।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तीस" \]](#)

धरमजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पशु औषधालय भवनों की अद्यतन स्थिति

[पशुधन विकास]

45. (क्र. 1683) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितने पशु औषधालय संचालित हैं, कितने भवन जर्जर अवस्था में हैं, कितने भवन विहीन हैं ? (ख) कब तक भवन निर्माण पूर्ण कर लिए जाएँगे? (ग) कितने नवीन पशु औषधालय खोले जाना प्रस्तावित है, कब तक खोले जाएँगे?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 11 पशु औषधालय संचालित है, 09 भवन जर्जर स्थिति में है एवं 02 पशु औषधालय भवन विहीन हैं। (ख) भवन निर्माण पूर्ण कर लिये जाने की समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) प्रश्नांक 'ग' की जानकारी निरंक है।

भाग-3**अतारांकित प्रश्नोत्तर****विभिन्न योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु आबंटित राशि**

[जनसंपर्क]

1. (क्र. 70) श्री सम्पत अग्रवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2020 से अक्टूबर,2023 तक विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु प्रिंट मीडिया,इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया अंतर्गत किन-किन एजेंसियों को कार्यदिश प्रसारित किया गया ? **(ख)** जारी की गयी कार्यदिश की राशि, भुगतान की राशि तथा लंबित भुगतान की जानकारी कृपया प्रदान करें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** जनसम्पर्क विभाग के द्वारा वर्ष 2020 से अक्टूबर 2023 तक विभिन्न योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया अंतर्गत संलग्न सूची अनुसार एजेंसियों को कार्यदिश प्रसारित किया गया। (सूची पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार) **(ख)** जारी की गयी कार्यदिश की राशि, भुगतान की राशि तथा लंबित भुगतान की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र. वर्ष		कार्यदिश राशि	भुगतान राशि	लंबित भुगतान की राशि	
1	2020-21	प्रिंट	45,81,66,351	45,81,66,351	निरंक
		इलेक्ट्रॉनिक मीडिया	56,93,48,620	50,78,11,619	निरंक
		सोशल मीडिया	6,27,68,794	6,27,68,794	निरंक
कुल		109,02,83,765	102,87,46,764	निरंक	
2	2021-22	प्रिंट	49,30,94,175	49,30,94,175	निरंक
		इलेक्ट्रॉनिक मीडिया	58,31,59,145	54,10,64,699	निरंक
		सोशल मीडिया	7,59,86,015	7,18,94,660	40,91,355
कुल		115,22,39,335	110,60,53,534	40,91,355	
3	2022-23	प्रिंट	74,15,95,603	74,07,79,075	8,16,528
		इलेक्ट्रॉनिक मीडिया	107,60,19,781	100,39,00,743	निरंक
		सोशल मीडिया	23,78,59,030	23,36,58,677	42,00,353
कुल		2,05,54,74,414	197,83,38,495	50,16,881	
4	2023-24 अक्टूबर 2023 तक	प्रिंट	110,40,56,666	79,24,01,367	31,16,55,300
		इलेक्ट्रॉनिक मीडिया	214,97,70,007	115,60,83,553	99,36,86,454
		सोशल मीडिया	68,84,53,368	46,17,75,040	22,66,78,328
कुल		394,22,80,041	241,02,59,960	153,20,20,082	

प्रदेश के शासकीय शराब दुकानों के संचालन हेतु संपादित अनुबंध

[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]

2. (क्र. 133) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में संचालित शासकीय शराब दुकानों में वर्तमान में संचालन व्यवस्था के लिए किस एजेंसी/एजेंसियों को किन अनुबंध व नियम-शर्तों के तहत कार्य सौंपा गया है? **(ख)** शासकीय शराब दुकानों का संचालन करने वाली एजेंसी/एजेंसियों को वर्ष 2021 (2020) से लेकर अब तक प्रति वर्ष कितना भुगतान किया गया है? **(ग)** प्रदेश भर में शासकीय शराब दुकानों के संचालन के लिए निजी एजेंसी/एजेंसियों द्वारा नौकरी में रखे

गए युवकों के लिए क्या अर्हताएं निर्धारित की गई हैं और क्या सभी जिलों में कार्यरत युवकों का पुलिस वैरिफिकेशन करवाया गया है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) प्रदेश में छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित शराब दुकानों में वर्तमान में संचालन व्यवस्था के लिए एजेंसी/एजेंसियों की जानकारी संलग्न प्रपत्र अ अनुसार है। एजेंसी/एजेंसियों से किये गये अनुबंध एवं नियम-शर्तों की जानकारी संलग्न प्रपत्र ब अनुसार है। (ख) छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित मदिरा दुकानों के संचालन हेतु एजेंसी/एजेंसियों को वर्ष 2021 (2020) से लेकर अब तक किये गये भुगतान की जानकारी संलग्न प्रपत्र स अनुसार है। (ग) प्रदेश भर में छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा शराब दुकानों के संचालन के लिए प्लेसमेंट एजेंसी एवं मदिरा दुकानों की सुरक्षा हेतु नौकरी में रखे गये युवकों के लिए निर्धारित अर्हताएं की जानकारी संलग्न प्रपत्र द अनुसार है। सभी जिलों के मदिरा दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों के पुलिस वैरिफिकेशन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तीस" \]](#)

प्रदेश में बिजली बिल हाफ योजना में विभाग को राशि का भुगतान

[ऊर्जा]

3. (क्र. 252) श्री अनुज शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में किस दिनांक से "बिजली बिल हॉफ योजना" प्रारंभ की गयी थी तथा किन-किन जिलों में कितनी-कितनी राशि की छूट उपभोक्ताओं को प्रदान की गयी थी तथा क्या शासन द्वारा उक्त छूट की राशि का भुगतान उर्जा विभाग को किया जा चुका है? यदि नहीं, तो कितनी-कितनी राशि किस-किस जिले में भुगतान किया जाना बकाया है? (ख) वर्तमान में क्या "बिजली बिल हॉफ योजना" चालू है? यदि नहीं तो उक्त योजना को कब बंद किया गया तथा अब उपभोक्ताओं को किस दर पर बिजली उपभोग हेतु राशि देय होगी? (ग) "बिजली बिल हॉफ योजना" के अंतर्गत कितनी कितनी राशि, किस-किस बजट वर्ष में स्वीकृत की गयी तथा कितनी राशि का भुगतान विभाग को किया गया है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) प्रदेश में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के घरेलू उपभोक्ताओं हेतु दिनांक 01 मार्च 2019 से "बिजली बिल हॉफ योजना" प्रारंभ की गयी थी। जी हॉ। योजना में उपभोक्ताओं को दी गई छूट की राशि की जिलेवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) के डिस्ट्रीब्यूशन लाईसेंस क्षेत्र में उक्त योजना को दिनांक 01 सितंबर, 2023 से लागू किये जाने हेतु आदेश जारी किया गया है जिस हेतु वर्तमान में बजट का प्रावधान नहीं हो पाने के कारण बीएसपी को राशि प्रदाय नहीं किया जा सका है। (ख) जी हॉ। वर्तमान में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं बीएसपी डिस्ट्रीब्यूशन लाईसेंस क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए "बिजली बिल हॉफ योजना" लागू है। अतएव शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। (ग) दिनांक 01 मार्च 2019 से जारी बिजली बिल हॉफ योजनांतर्गत योजना प्रारंभ से वर्ष 2023-24 तक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड हेतु स्वीकृत एवं विमुक्त की गई राशि का विवरण संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बत्तीस" \]](#)

समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को सामग्री का वितरण

[समाज कल्याण]

4. (क्र. 254) श्री अनुज शर्मा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को कौन-कौन सी सामग्री का वितरण किया जाता है सामग्री वितरण हेतु शासन के क्या मापदंड हैं? (ख) वर्ष 2020 से 2023 तक कितने दिव्यांगजनों को मोटराईज्ड ट्राईसायकल का वितरण, किस-किस जिले में कितनी-कितनी संख्या में किया गया है? वर्षवार जानकारी प्रदान करें? मोटराईज्ड ट्राईसायकलों की खरीदी तथा उसकी गुणवत्ता का आधार क्या हैं, इनमें कितने वर्षों की

वारंटी/गारंटी प्रदाय की जाती है एवं इनके खराब होने पर सुधार की क्या व्यवस्था है? (ग) दिव्यांगजनों को प्रदाय की जाने वाली सामग्रियों की खरीदी के क्या नियम हैं? क्या यह जिला स्तर पर खरीदी की जाती है या प्रदेश स्तर पर? वर्तमान में कितने दिव्यांगजनों के कितने-कितने आवेदन लंबित हैं तथा कब तक इनको सामग्रियों का वितरण कर दिया जावेगा? जिलेवार लंबित आवेदनों की जानकारी प्रदान करें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र - अ अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र - ब अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र - स अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तैतीस"]

मोहला-मानपुर विधानसभा क्षेत्र में ग्राम/मजरा/टोलों में विद्युतीकरण कार्य

[ऊर्जा]

5. (क्र. 304) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) मोहला-मानपुर विधानसभा क्षेत्र के कितने ग्रामों मजरा/टोलों में विद्युतीकरण नहीं किया गया है, ग्रामवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश-क अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र में पूर्ण विद्युतीकरण हेतु कितने पोल की आवश्यकता है ? विद्युतीकरण ग्रामों, मजरा/टोलों में विद्युतीकरण का कार्य कब पूर्ण कर लिया जावेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) मोहला-मानपुर विधानसभा क्षेत्र के 38 मजराटोला अविद्युतीकृत एवं 45 मजराटोला आंशिक रूप से विद्युतीकृत है। इनके अतिरिक्त 17 ग्राम के 17 मजराटोला सोलर से विद्युतीकृत हैं। इन मजरेटोलों की ग्रामवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-'अ' एवं 'ब' अनुसार है। (ख) उत्तरांश 'क' में उल्लेखित मोहला-मानपुर विधानसभा क्षेत्र में पूर्ण विद्युतीकरण हेतु आज की स्थिति में लगभग 1293 पोल की आवश्यकता होगी। ग्रामों, मजरा/टोलों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्णता की समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। विद्युतीकरण हेतु आवश्यक अधोसंरचना की जानकारी संलग्न प्रपत्र-'अ' एवं 'ब' अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौतीस"]

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनायें

[महिला एवं बाल विकास]

6. (क्र. 324) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? (ख) विधानसभा क्षेत्र मोहला-मानपुर में संचालित योजना अंतर्गत क्या-क्या सामग्री एवं सुविधाएं दी जा रही हैं ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग अन्तर्गत संचालित योजनाएं/कार्यक्रम की जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्र मोहला मानपुर में संचालित योजना/कार्यक्रम अंतर्गत दी जा रही सामग्री एवं सुविधाओं की जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पैंतीस"]

बीजापुर विधानसभा क्षेत्र के विद्युत विहीन ग्राम

[ऊर्जा]

7. (क्र. 350) श्री विक्रम मंडावी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बीजापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने गांवों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है? (ख) विद्युत विहीन गांवों में बिजली की सुविधा नहीं है तो कब तक प्रदान की जायेगी ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) बीजापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आबाद 576 ग्रामों में से 534 ग्रामों में विद्युत सुविधा उपलब्ध है। (ख) शेष ग्रामों में विद्युत की सुविधा कब तक प्रदान की जावेगी, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जिला बालोद अंतर्गत मछली पालन योजना

[मछली पालन]

8. (क्र. 424) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला बालोद में वर्ष 2022-23 में केन्द्र सरकार एवं राज्य शासन द्वारा मछली पालन हेतु व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से लाभान्वित करने वाली योजनाओं की जानकारी देवें ? **(ख)** बालोद जिला अंतर्गत कितने हितग्राहियों एवं समूहों को उक्त योजनाओं के अंतर्गत लाभ दिया गया है? लाभान्वित हितग्राहियों की योजनावार जानकारी बतावें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जिला बालोद में वर्ष 2022-23 में केन्द्र सरकार एवं राज्य शासन द्वारा मछली पालन हेतु व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से लाभान्वित करने वाली योजनाओं की जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'अ'** अनुसार है।**(ख)** बालोद जिला अंतर्गत वर्ष 2022-23 में कुल 2397 हितग्राहियों एवं 22 समितियों को उक्त योजनाओं के अंतर्गत लाभ दिया गया है। लाभान्वित हितग्राहियों की योजनावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'ब'** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छत्तीस" \]](#)

जिला महासमुंद में अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरण

[सामान्य प्रशासन]

9. (क्र. 455) श्री सम्पत अग्रवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** महासमुंद जिला में वर्ष 2020 से दिनांक जुलाई, 2023 तक अनुकम्पा नियुक्ति के कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए ? विभागवार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश "क" के उत्तर में कितने आवेदनों का निराकरण कर प्रार्थियों की अनुकम्पा नियुक्ति की गयी? विभागवार जानकारी देवें? **(ग)** वर्तमान अवधि में शेष कितने आवेदन, प्रक्रिया में जिला/संभाग/शासन स्तर पर विचाराधीन/लंबित हैं?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) महासमुंद जिले में वर्ष 2020 से जुलाई 2023 तक अनुकम्पा नियुक्ति के कुल 302 आवेदन प्राप्त हुए हैं। विभागवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों में कुल 263 आवेदनों का निराकरण कर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई है एवं 16 आवेदनों में अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता नहीं बनने पर निरस्त किया गया है। विभागवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग)** वर्तमान में कुल 23 आवेदन प्रक्रिया में जिला/शासन स्तर पर विचाराधीन/लंबित है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतीस" \]](#)

कांकेर जिले में मछली पालन ,उत्पादन हेतु संचालित योजनायों

[मछली पालन]

10. (क्र. 578) श्री आशा राम नेताम : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-कांकेर जिले के अंतर्गत मछली पालन विभाग के द्वारा मछली पालन,उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं ? कुल कितनी पंजीकृत मछुआ समितियां हैं? उक्त पंजीकृत मछुआ समितियों को शासन के द्वारा कौन-कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं जनवरी, 2021 से 31.12.2023 तक कुल कितने हितग्राहियों को एवं मछुआ समिति को निशुल्क सामग्री प्रदान की गई, वर्षवार विवरण प्रदान करेंगे?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : कांकेर जिले के अंतर्गत मछली पालन विभाग के द्वारा मछली पालन, उत्पादन बढ़ाने के लिये संचालित योजनाओं की **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। कांकेर जिले में कुल 84 पंजीकृत मछुआ समितियाँ हैं उक्त पंजीकृत मछुआ समितियों को शासन की मछुआ सहकारी समितियों को 03 वर्षीय अनुदान योजना अंतर्गत मत्स्य बीज एवं मत्स्याखेट जाल तथा मत्स्यजीवी दुर्घटना बीमा योजना अंतर्गत बीमा सुविधा, बचत सह राहत योजना अंतर्गत अनुदान राशि रुपये 3000.00 तथा मछुआ प्रशिक्षण एवं फिंगरलिंग संचयन योजना अंतर्गत मत्स्य बीज फिंगरलिंग प्रदान की जा रही हैं। जनवरी, 2021 से 31.12.2023 तक निःशुल्क सामग्री प्रदान किये गये हितग्राहियों एवं मछुआ समितियों का वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार** है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तीस" \]](#)

बिजली बिल हाफ योजना के संबंध में

[ऊर्जा]

11. (क्र. 602) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-01 दिसम्बर, 2023 से 10 जनवरी, 2024 तक कितने विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ योजना का लाभ प्राप्त हुआ है? क्या संचालित बिजली बिल हाफ योजना का लाभ भविष्य में विद्युत उपभोक्ताओं को प्राप्त होगा कि नहीं होगा?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : प्रश्नाधीन अवधि 01 दिसम्बर 2023 से 10 जनवरी 2024 तक के समेकित राजस्व आंकड़े अभी तैयार नहीं हुए हैं। अपितु, नवम्बर 2023 की स्थिति में प्रदेश में 43,34,411 घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। वर्तमान में यह योजना प्रभावशील है।

जिला खैरागढ़ अंतर्गत शराब तस्करी के दर्ज प्रकरण

[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]

12. (क्र. 653) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में वर्ष 2022-23 में कितने एवं कहां-कहां अवैध शराब की बिक्री व तस्करी के प्रकरण दर्ज किये गये हैं? और किस अधिकारी द्वारा तस्करी/ अवैध शराब पकड़ी गई? विकास खंडवार, दुकानवार, आबकारी सर्किलवार, जानकारी देवें ? (ख) जिले में संचालित शराब दुकानों से कितनी मात्रा व राशि की शराब की बिक्री की गई व बिक्री हेतु दुकानों को कितनी राशि की शराब की सप्लाई की गई? दुकानवार, आबकारी सर्किलवार, विकास खंडवार जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में वर्ष 2022-23 में अवैध शराब की बिक्री व तस्करी के दर्ज प्रकरण एवं प्रकरण दर्ज करने वाले अधिकारी का नाम की विकासखंडवार, आबकारी सर्किलवार, जानकारी **संलग्न प्रपत्र अ** अनुसार है। (ख) जिले में संचालित शराब दुकानों से विक्रय की गई शराब की मात्रा एवं विक्रय राशि की तथा विक्रय हेतु दुकानों को प्रदाय की गई शराब की राशि की दुकानवार, आबकारी सर्किलवार, विकास खंडवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र ब** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उनतालीस" \]](#)

प्रदेश के रेत घाटों से प्राप्त राजस्व

[खनिज साधन]

13. (क्र. 656) श्री धरमलाल कौशिक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में वर्तमान में कितने रेत घाट घोषित हैं? जिलावार जानकारी देवें? वर्ष 2022 से 2023 तक कितने रेत घाट का लाईसेंस/ठेका किसको, कब से, कितनी अवधि के लिये एवं किस दर पर दिया गया है? लीज अवधि में कब-कब व किस नियम के आधार पर वृद्धि की गई है? वर्षवार, जिलेवार जानकारी देवें? **(ख)** प्रदेश में अवैध रूप

से चल रहे कितने रेत घाटों पर अपराध पंजीबद्ध किये गये? वर्षवार व जिलेवार जानकारी देवे? रेत घाट से कितने राजस्व/आय की प्राप्ति हुई है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) प्रदेश में वर्तमान में 399 रेत घाट घोषित हैं। जिलेवार जानकारी "संलग्न प्रपत्र-अ" अनुसार हैं। वर्ष 2022 से 2023 तक स्वीकृत रेत घाट के संबंध में विस्तृत जानकारी "संलग्न प्रपत्र-ब" अनुसार है। लीज अवधि में छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के नियम-4 के आधार पर वृद्धि की गई है। वर्षवार, जिलेवार जानकारी "संलग्न प्रपत्र-ब" अनुसार है। (ख) प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे रेत खनन पर अवैध उत्खनन के दर्ज प्रकरणों की वर्षवार व जिलेवार जानकारी "संलग्न प्रपत्र-स" अनुसार है। प्रश्नाधीन अवधि में प्रदेश में खनिज रेत से 50 करोड़ 12 लाख 07 हजार 29 रूपये राजस्व की प्राप्ति हुई है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चालीस"]

प्रदेश में संचालित आयोग, मण्डल, प्राधिकरण व निगम के नोडल विभाग

[सामान्य प्रशासन]

14. (क्र. 657) श्री धरमलाल कौशिक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-प्रदेश में कुल कितने आयोग, मण्डल, प्राधिकरण व निगम संचालित हैं तथा इनके प्रशासकीय/नोडल विभाग कौन-कौन से हैं? प्रश्न दिनांक की स्थिति में इनमें कुल कितने पद अध्यक्ष व सदस्यों हेतु स्वीकृत, भरे व रिक्त हैं? क्या यह सही है कि विभिन्न आयोग, मण्डल, प्राधिकरण व निगम में आरक्षित पदों के अनुसार नियुक्ति अगस्त,2023 की स्थिति में नहीं की गई थी? यदि हाँ तो क्यों व इसके लिये उत्तरदायी कौन है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सक्ती जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत शेष कार्य

[ऊर्जा]

15. (क्र. 692) श्री बालेश्वर साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-वर्ष 2021 से 2023 तक सक्ती जिले के कितने ग्रामों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य कराया गया है? कितने ग्रामों का विद्युतीकरण कराया जाना शेष है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनांतर्गत सक्ती जिला जो कि पूर्व में अविभाजित जांजगीर चांपा जिले में शामिल था, के कार्यों का क्लोजर रिपोर्ट दिनांक 19.02.2020 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है तथा उक्त योजना वर्तमान में संचालित नहीं है। अतएव प्रश्नाधीन अवधि में उक्त योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण कार्य का प्रश्न उद्भूत नहीं होता। तथापि वर्ष 2021 की स्थिति में सक्ती जिले के सभी 459 ग्राम पंरपरागत तरीके से ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकृत है।

जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र

[महिला एवं बाल विकास]

16. (क्र. 693) श्री बालेश्वर साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं? इनमें से कितने किराए के भवन में संचालित हैं? **(ख)** जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के पद स्वीकृत हैं? कितने कार्यरत एवं कितने रिक्त हैं?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कुल 385 आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। इनमें से कुल 41 आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र

किराये के भवन में संचालित है। **(ख)** जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में 370 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 15 मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं 370 आंगनबाड़ी सहायिका के पद स्वीकृत है। इनमें से 369 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत है, 11 पद रिक्त है। 15 मिनी कार्यकर्ता कार्यरत है, कोई पद रिक्त नहीं है। इसी प्रकार 346 आंगनबाड़ी सहायिका कार्यरत है एवं 24 आंगनबाड़ी सहायिका के पद रिक्त है।

नवीन जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ में कार्यरत अनियमित व कलेक्टर पद पर कार्यरत कर्मचारी

[सामान्य प्रशासन]

17. (क्र. 715) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- नवीन जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में कार्यरत अनियमित कर्मचारी तथा कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी व कलेक्टर दर पर कार्य करने हेतु, कर्मचारियों की आवश्यकता की जानकारी विभागवार देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : नवीन जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में कार्यरत अनियमित कर्मचारी तथा कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी व कलेक्टर दर पर कार्य करने हेतु, कर्मचारियों की आवश्यकता की विभागवार जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तालीस" \]](#)

सिहावा विधान सभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

[महिला एवं बाल विकास]

18. (क्र. 754) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** सिहावा विधान सभा क्षेत्र में कितने ग्राम एवं मजराटोला में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? **(ख)** कितने आंगनबाड़ी केन्द्र भवनविहीन हैं तथा कब तक भवन निर्माण का कार्य पूर्ण किया जावेगा?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** सिहावा विधानसभा क्षेत्र में 338 ग्राम एवं 04 मजराटोला में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। **(ख)** 59 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन है। भवन निर्माण कार्य पूर्णता की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सिहावा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न पेंशनों के स्वीकृत प्रकरण

[समाज कल्याण]

19. (क्र. 755) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-सिहावा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2022 से 31 दिसम्बर, 2023 तक की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सुखद सहारा पेंशन, राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विकलांग पेंशन, परिवार सहायता पेंशन योजना के कुल कितने प्रकरण स्वीकृत किये गये? वर्षवार, ग्राम पंचायतवार जानकारी देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बयालीस" \]](#)

प्रदेश में धान खरीदी के दौरान होने वाले खर्च के मद एवं राशि की जानकारी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

20. (क्र. 796) श्री अजय चंद्राकर : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** खरीफ वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में धान खरीदी कितने रूपये/किंटल की दर से की गयी थी तथा उसमें कितनी-कितनी राशि समर्थन मूल्य एवं आदान राशि दी गयी थी? वर्षवार सभी का अलग-अलग बतायें? केन्द्र सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर वृद्धि, किन-किन वर्षों में कितनी-कितनी राशि

की, की गयी थी? (ख) उक्त वर्षों में धान खरीदी के दौरान केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा किन-किन कार्यों व सामग्री के लिये, किसके माध्यम से, कितनी-कितनी राशि किन-किन मदों से व्यय की गयी थी? केन्द्र व राज्य सरकार का अलग-अलग, वर्षवार बतायें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) खरीफ वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में समर्थन मूल्य की दर , समर्थन मूल्य अनुसार प्रदाय राशि एवं आदान राशि दी राशि एवं केन्द्र सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है-

खरीफ विपणन वर्ष	रूपये प्रति क्विंटल में समर्थन मूल्य की दर		समर्थन मूल्य अनुसार प्रदाय राशि (करोड़ में)	आदान सहायता की राशि (करोड़ में)	केन्द्र सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में वृद्धि की गयी राशि (रूपये प्रति क्विंटल)	
	ग्रेड ए	कॉमन			ग्रेडए	कॉमन
2019-20	1835	1815	15285.81	5596.39	65	65
2020-21	1888	1868	17240.59	5521.44	53	53
2021-22	1960	1940	19038.81	6069.82	72	72
2022-23	2060	2040	21963.98	5563.89	100	100

(ख) धान खरीदी के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा कोई व्यय नहीं किया जाता है। राज्य शासन द्वारा निर्धारित एजेंसी विपणन संघ के माध्यम से धान खरीदी के दौरान धान का क्रय मूल्य व मंडी लेबर चार्ज तथा सुरक्षा व्यय का भुगतान सहकारी समितियों को किया गया है। राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी के दौरान व्यय राशि की जानकारी निम्नानुसार है :-

खरीफ वर्ष	धान उपार्जन अवधि	धान उपार्जन मात्रा (क्विंटल में)	धान खरीदी के दौरान व्यय राशि(करोड़ में)			
			केन्द्र सरकार द्वारा समर्थन मूल्य	अन्य व्यय	राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य	अन्य व्यय (समिति को मंडी लेबर चार्ज एवं धान सुरक्षा व्यय)
2019-20	1.12.2019से 15.02.2020तक	83,507,684.87	-	-	15,206.12	100.21
2020-21	1.12.2020से 31.01.2021 तक	90,255,798.20	-	-	16,908.92	108.31
2021-22	1.12.2021 से 31.01.2022 तक	97,993,672.00	-	-	19,038.38	117.59
2022-23	1.11.2022 से 31.01.2023 तक	107,530,245.80	-	-	21,962.85	150.54

प्रदेश में क्रियाशील पुनर्वास नीति

[पुनर्वास]

21. (क्र. 797) श्री अजय चंद्राकर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में किन-किन वर्षों में पुनर्वास नीति क्रियाशील थी तथा वर्तमान में कौन सी पुनर्वास नीति क्रियाशील है? (ख) वर्ष 2019 से 2023 तक किन-किन स्थानों में गरीब, विशेष जाति, खानाबदोश या अन्य समुदाय के लोगों को बसाया गया है? ऐसी बसाहटों में निवासरत लोगों के आवास, खाद्य सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा आदि के लिये क्या-क्या योजना या कार्य किये गये? (ग) वर्ष 2019 से 30 नवंबर, 2023 की स्थिति में कितने जिलों से लोग/परिवार ने अन्य प्रदेश/विदेश रोजी-मजदूरी हेतु पलायन किये हैं? पलायन को रोकने हेतु शासन द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये हैं?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) प्रदेश में पूर्व में आदर्श पुनर्वास नीति, 2005 क्रियाशील थी तथा वर्तमान में आदर्श पुनर्वास नीति, 2007 क्रियाशील है। साथ ही, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 राज्य में केन्द्र सरकार के अधिसूचना के अनुक्रम

में 01.01.2014 से प्रभावशील है। (ख) जानकारी निरंक है। (ग) जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है। महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत पंजीकृत परिवारों को मांग के आधार पर रोजगार प्रदाय कुल परिवारों की संख्या 131.14 लाख तथा सृजित मानव दिवस कुल 6809.55 लाख है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरालीस"]

अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सौर सुजला योजना से लाभान्वित हितग्राही

[ऊर्जा]

22. (क्र. 825) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी, 2020 से दिसंबर, 2023 तक कितने व्यक्तियों को सौर सुजला योजना अंतर्गत लाभ प्रदान किया गया है? (ख) वर्ष 2023-24 के दौरान अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में कितने हितग्राहियों को सौर सुजला योजना अंतर्गत लाभ देने का लक्ष्य है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी, 2020 से दिसंबर, 2023 तक कुल 110 व्यक्तियों (कृषकों) को सौर सुजला योजना अंतर्गत लाभ प्रदान किया गया है। (ख) सौर सुजला योजना अंतर्गत विधानसभावार नहीं, अपितु जिलेवार लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। रायपुर जिले का लक्ष्य 160 निर्धारित की गई है।

प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना में प्रदाय राशन तथा अनियमितता

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

23. (क्र. 831) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना में प्रदेश को कब-कब, कितनी-कितनी राशि प्रदान की गयी थी तथा उसका किस-किस वर्ष किन प्रयोजनों में, कितना-कितना उपयोग किया गया है? उक्त योजना के अंतर्गत प्रदेश के किन-किन राशन कार्डधारियों को कितना-कितना राशन, कितनी-कितनी मात्रा में मुफ्त दिया जाना था तथा कितना राशन प्रदान किया गया है? (ख) क्या प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना में गबन या अनियमितता की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो उक्त शिकायत पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) प्रश्नांकित अवधि में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत वितरित चावल हेतु प्राप्त एवं उपयोग की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ अनुसार है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के आबंटन अवधि के दौरान अन्त्योदय तथा प्राथमिकता हितग्राही को 05 किलो प्रति सदस्य प्रतिमाह के मान से निःशुल्क चावल तथा अन्त्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के राशनकार्डों पर 1 किलोग्राम चना/दाल निःशुल्क प्रदाय किया जाना था। जिसके अनुसार अन्त्योदय तथा प्राथमिकता राशनकार्डधारियों को चावल एवं चना/दाल प्रदाय किया गया। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ब अनुसार है।

खैरागढ़ व राजनांदगांव जिले में विभिन्न योजनाओं के तहत आबंटित राशि

[ऊर्जा]

24. (क्र. 897) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- खैरागढ़ व राजनांदगांव जिले में वर्ष 2020 से प्रश्नावधि तक ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत किन-किन योजनाओं के तहत कितनी-कितनी राशि का आबंटन दिया गया ? प्राप्त आबंटन का प्रयोग कितने कार्यों के लिये, किया गया? मरम्मत, संधारण, रखरखाव व संचालन हेतु व्यय की गई राशि का विवरण एवं उपरोक्तानुसार जानकारी का विवरण वर्षवार योजनावार, कार्यवार, विद्युत वितरण केन्द्रवार, विकासखण्डवार, जिलेवार देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : खैरागढ़ एवं राजनांदगांव जिले में वर्ष 2020 से प्रश्नावधि तक ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत ऊर्जा विभाग द्वारा वित्त पोषित (पूर्ण/आंशिक) विभिन्न योजनाओं यथा - मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना, मजराटोला विद्युतीकरण योजना, मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना, पंप ऊर्जाकरण योजना तथा आरडीएसएस योजना तथा स्वयं के आंतरिक बजट से जारी सामान्य विकास योजना, नये कनेक्शन योजना, कालोनी विद्युतीकरण, अधोसंरचना के रखरखाव, संधारण, मरम्मत एवं संचालन हेतु आबंटित राशि, स्वीकृत कार्यों की संख्या एवं पूर्ण किये गये कार्यों की संख्या का विवरण **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा स्वयं के आंतरिक बजट से जारी योजनाओं हेतु बजट का आबंटन वितरण केन्द्रवार न होकर संभाग स्तर पर किया जाता है। संभागीय कार्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार प्राक्कलन स्वीकृत कर कार्य कराया जाता है। अधोसंरचना के रखरखाव, संधारण, मरम्मत एवं संचालन योजनाओं हेतु आबंटित राशि, स्वीकृत कार्यों की संख्या की वर्षवार, योजनावार, विद्युत वितरण केन्द्रवार, विकासखण्डवार, जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र- ब** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चवालीस" \]](#)

खैरागढ़ व राजनांदगांव जिले में निर्मित शासकीय आवास

[सामान्य प्रशासन]

25. (क्र. 898) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या वर्ष 2021 से 2023 तक खैरागढ़ व राजनांदगांव जिले में जीएडी द्वारा शासकीय आवास निर्मित किये गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां, कितने आवास किस-किस टाईप के निर्मित किये गये हैं? निर्माण हेतु कितना-कितना बजट किस-किस मद से प्रावधानित किया गया? क्या निर्माणाधीन भवनों को संबंधित विभागों को हैंडओवर कर दिया गया है? यदि नहीं, तो किस कारण से नहीं किया गया है? **(ख)** निर्माण हेतु किन-किन एजेंसियों को नियुक्त किया गया? क्या निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की गई? यदि हां, तो कब-कब निविदा आमंत्रित की गई? निविदा में चयनित एजेंसियों का नाम, जिलेवार, विकासखण्डवार देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** जी नहीं। **(ख)** लागू नहीं होता।

बिलासपुर जिले में वैध रूप से संचालित रेत घाट

[खनिज साधन]

26. (क्र. 926) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बिलासपुर जिले में शासकीय रूप से वैध कौन-कौन से रेत घाट का संचालन किया जा रहा है? वर्ष 2020 से 2023 तक वैध रेत घाट से शासन को कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है? **(ख)** वर्ष 2020 से 2023 तक बिलासपुर में कौन-कौन से रेत घाट का संचालन अवैध रूप से रेत माफियाओं के द्वारा किया गया था तथा वर्तमान में भी किया जा रहा है? उक्त अवैध रेत खनन एवं दोहन से शासन को कितने राजस्व की हानि हुई है? वर्षवार आंकड़ा बताने का कष्ट करेंगे?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** बिलासपुर जिला अंतर्गत वर्तमान में ग्राम लछनपुर में 01 रेत घाट संचालित है। वर्ष 2020 से 2023 तक की अवधि में संचालित कुल 19 रेत खदानों के माध्यम से शासन को कुल रूपये 4 करोड़ 43 लाख 15 हजार 4 सौ राजस्व प्राप्त हुआ है। **(ख)** जिला बिलासपुर में वर्ष 2020 से 2023 तक कोई भी रेत घाट अवैध रूप से संचालित नहीं था, और न ही वर्तमान में कोई रेत घाट अवैध रूप से संचालित है। अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

जिला रायगढ़ में पशुधन विकास में संचालित योजनाओं से लाभान्वित हितग्राही

[पशुधन विकास]

27. (क्र. 935) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-पशुधन विकास विभाग में कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है? वर्ष 2021 से 2023 तक जिला रायगढ़ में कितने हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ, कितने-कितने सब्सिडीज़ पर दिया गया है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : वर्तमान में पशुधन विकास विभाग में निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जा रही है -

1. अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण योजना
2. अनुदान पर सूकरत्रयी इकाई वितरण योजना
3. अनुदान पर उन्नत मादा वत्सपालन योजना
4. शतप्रतिशत अनुदान पर सांड वितरण योजना
5. उन्नत मादा वत्सपालन योजना
6. अनुदान पर बकरा वितरण योजना
7. राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना
8. राज्य बकरी उद्यमिता विकास योजना
9. दुग्ध परिवहन अनुदान
10. ग्रामोत्थान योजना
11. प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता योजना
12. पशुधन मित्र योजना
13. छत्तीसगढ़ कुक्कुटपालन प्रोत्साहन योजना

जिला रायगढ़ में वर्ष 2021 से दिसम्बर 2023 तक शासन की योजनाओं से 10201 हितग्राहियों को राशि रू. 697.851 लाख अनुदान (सब्सिडी) प्रदाय की गई है, विस्तृत **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पैतालीस" \]](#)

बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में पशुधन विकास विभाग के अधीन संचालित चिकित्सालयों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद

[पशुधन विकास]

28. (क्र. 940) श्री बघेल लखेश्वर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में विभागाधीन स्थापित एवं संचालित चिकित्सालयों में चिकित्सक संवर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति, जिलेवार बतावें ? **(ख)** रिक्त पदों की पूर्ति के लिए क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है अथवा पदपूर्ति हेतु नवीन भर्ती के लिए क्या कोई कार्ययोजना सरकार बना रही है? कृपया बतावें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** प्रश्नांक "क" की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** रिक्त पदों की पूर्ति के लिए रिक्त संस्थाओं के कार्य विभाग की अन्य संस्थाओं में पदस्थ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंप कर संपादित किए जा रहें हैं। पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के 15 बैकलॉक पदों पर भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 06.09.2023 को विज्ञापन जारी किया गया है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छियालीस" \]](#)

अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित "मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना "
[समाज कल्याण]

29. (क्र. 942) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या 'मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना' संचालित है? **(ख)** यदि हाँ तो अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी ,2020 से दिसंबर, 2023 के मध्य किन-किन गाँवों से कितने-कितने दिव्यांगजनों को इस योजना के तहत बैटरी चलित ट्राइसाइकल प्रदान किया गया है? कृपया ग्रामवार एवं वर्षवार हितग्राहियों के नाम बतावें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** समाज कल्याण विभाग अंतर्गत "मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना" संचालित नहीं है। **(ख)** जी नहीं। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

जनपद पंचायत मस्तूरी में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नये राशन कार्ड के आवेदनों की अनुशंसा

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

30. (क्र. 944) श्री दिलीप लहरिया : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-जनपद पंचायत मस्तूरी में 01/01/2023 से 01/01/2024 तक नये राशन कार्ड के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नये राशन कार्ड जारी करने के लिए कितने आवेदनों की अनुशंसा की गयी है ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : जनपद पंचायत मस्तूरी में 01/01/2023 से 01/01/2024 तक नये राशन कार्ड के लिए 2351 आवेदन प्राप्त हुए हैं एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नये राशनकार्ड जारी करने के लिए 2141 आवेदनों की अनुशंसा की गयी है।

प्रदेश में विवाहित महिलाओं के लाभ हेतु संचालित योजनाएं

[महिला एवं बाल विकास]

31. (क्र. 955) श्री उमेश पटेल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या प्रदेश की विवाहित महिलाओं को किसी प्रकार की शासकीय योजना का लाभ दिया जा रहा है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी योजना से किस प्रकार से लाभांशित किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों किसी प्रकार का लाभ देने की कार्ययोजना बनायी गई है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : जी हां। जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।
[\[संलग्न "परिशिष्ट - सैतालीस" \]](#)

रायगढ़ जिले में बाहरी धान की आवक की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

32. (क्र. 957) श्री उमेश पटेल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** रायगढ़ जिले में सीमावर्ती क्षेत्रों से आने वाले बाहरी धान को रोकने के लिए कितने बैरियर बनाए गए हैं ? और बाहरी धान आवक की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? **(ख)** प्राप्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है और कब तक आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी ? **(ग)** बाहरी धान की आवक को रोकने के लिए शासन द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** रायगढ़ जिले में सीमावर्ती क्षेत्रों से आने वाले बाहरी धान को रोकने के लिए कुल 11 अंतर्राज्यीय बैरियर बनाए गए है । जिले में बाहरी धान के आवक संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । **(ख)** प्रशंसा **(क)** की जानकारी के परिपेक्ष्य में शेष प्रशंसा उपस्थित नहीं होता

।(ग) रायगढ़ जिले में बाहरी धान की आवक को रोकने के लिए 11 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट बनाए गए हैं तथा सभी चेक पोस्ट में झूठीरत कर्मचारियों द्वारा निगरानी की जा रही है। साथ ही राजस्व विभाग, खाद्य तथा मंडी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सतत निरीक्षण किया जा रहा है।

माटीकला बोर्ड में कुशल श्रमिकों का पंजीयन एवं प्रदायित पेंशन

[ग्रामोद्योग]

33. (क्र. 960) श्री मोतीलाल साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** दिनांक 15 जनवरी, 2024 तक माटीकला बोर्ड में कुशल श्रमिक के रूप में कितने कुम्हारों का पंजीयन किया गया है और कितने पंजीकृत कुम्हारों को लगने वाले औजार उपकरण के रूप में इलेक्ट्रॉनिक चॉक प्रदाय किया गया है और उसमें कितनी राशि खर्च हुई है? **(ख)** कुम्हार उद्योग से जुड़े हुए हितग्राहियों में कितने कुम्हारों को पेंशन दी जा रही है और कितनी? **(ग)** कितने परम्परागत, प्रशिक्षित शिल्पियों एवं कुम्हारों को अधिकाधिक उत्पादन के लिए तकनीकी कार्यशाला में प्रशिक्षण दिया गया और इस पर कितना व्यय हुआ है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** दिनांक 15 जनवरी, 2024 तक माटीकला बोर्ड में कुशल श्रमिक के रूप में 35544 कुम्हारों का पंजीयन किया गया है। कुल 8553 नग इलेक्ट्रॉनिक्स चाक पंजीकृत कुम्हारों को प्रदाय किया गया है और उसमें कुल रू. 1302.50 लाख खर्च हुई है। **(ख)** कुम्हारों हेतु पेंशन योजना बोर्ड में लागू नहीं है। **(ग)** कुल 783 हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया गया और इस पर रू. 84.29 लाख व्यय हुआ है।

शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों के निवास प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र की प्राप्त शिकायतें

[सामान्य प्रशासन]

34. (क्र. 961) श्री मोतीलाल साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2023 तक कितने अधिकारी/कर्मचारियों के निवास प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है? **(ख)** कितने शिकायतों की जांच की गई है और क्या कार्यवाही की गई है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

समाज कल्याण विभाग अंतर्गत कार्यरत एन.जी.ओ.

[समाज कल्याण]

35. (क्र. 973) श्री धर्मजीत सिंह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में समाज कल्याण विभाग अंतर्गत किन-किन जिलों में, कितने-कितने एन.जी.ओ. कार्यरत हैं तथा उक्त एन.जी.ओ. को वर्ष 2018 से लेकर 2023 तक किन-किन प्रयोजनों हेतु कितनी -कितनी राशि आवंटित की गई है ? जिलेवार विस्तृत विवरण देवें? **(ख)** वर्ष 2018 से लेकर 2023 के मध्य कितने नये एन.जी.ओ. किस-किस प्रयोजन हेतु पंजीकृत हुए हैं ? जिलेवार विस्तृत विवरण देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** विभाग अंतर्गत जिला रायपुर में 15, गरियाबंद में 02, धमतरी में 05, बलौदाबाजार में 01, महासमुंद में 02, बिलासपुर में 12, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 02, मुंगेली में 01, राजनांदगांव में 10, कबीरधाम में 01, दुर्ग में 11, बेमेतरा में 01, बालोद में 04, जांजगीर-चांपा में 03, सक्ती में 01, सरगुजा में 05, बलरामपुर में 01, बस्तर में 04, कोण्डागांव में 02, दंतेवाड़ा में 01, कांकेर में 02, कोरबा में 02, कोरिया में 01, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 02, रायगढ़ में 05, सारंगगढ़-बिलाईगढ़ में 02 एवं जशपुर में 01 एन.जी.ओ. कार्यरत है उक्त एन.जी.ओ. को आवंटित राशि एवं प्रयोजन की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-‘अ’** अनुसार है। **(ख)** वर्ष 2018 से 2023 के मध्य 21 एन.जी.ओ. पंजीकृत हुए हैं प्रयोजन एवं जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-‘ब’** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तालीस" \]](#)

प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत प्राप्त राशि

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

36. (क्र. 974) श्री धर्मजीत सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत प्रदेश को वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में 15 जनवरी, 2024 तक कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई थी तथा उसका किस-किस वर्ष में, किस-किस प्रयोजन में, कितना-कितना उपयोग किया गया है, विस्तृत विवरण दें? **(ख)** कंडिका "क" के योजनांतर्गत प्रदेश के कौन-कौन से राशनकार्ड धारियों को कितना-कितना राशन मुफ्त में दिये जाने का प्रावधान था तथा कितना-कितना राशन वितरित किया गया है ? विस्तृत विवरण दें? **(ग)** क्या कंडिका "क" की योजना में गबन या अनियमितता की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है ? यदि हां तो उक्त शिकायत पर शासन द्वारा कब-कब और किसके-किसके ऊपर, क्या-क्या कार्रवाई की गई है ? विस्तृत विवरण दें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल):**(क)** जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ अनुसार है। **(ख)** प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के आबंटन अवधि के दौरान अन्त्योदय तथा प्राथमिकता हितग्राही को 05 किलो प्रति सदस्य प्रतिमाह के मान से निःशुल्क चावल तथा अन्त्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के राशनकार्डों पर 1 किलोग्राम चना/दाल निःशुल्क प्रदाय किया जाना था। जिसके अनुसार अन्त्योदय तथा प्राथमिकता राशनकार्डधारियों को चावल एवं चना/दाल प्रदाय किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में माह जनवरी, 2023 से अब तक केन्द्र शासन से प्राप्त निर्देशानुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निर्धारित नियमित मासिक पात्रतानुसार खाद्यान्न अन्त्योदय एवं प्राथमिकता हितग्राहियों को प्रदाय किया जा रहा है। **(ग)** जी हां। जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ब अनुसार है।

बेलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थापित विद्युत ट्रांसफार्मर

[ऊर्जा]

37. (क्र. 979) श्री सुशांत शुक्ला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बेलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी, 2022 से प्रश्न दिनांक तक कितने विद्युत ट्रांसफार्मर, कितनी-कितनी क्षमता के, किन-किन ग्रामों हेतु स्वीकृत किये गये हैं? स्वीकृत ट्रांसफार्मर में से कितने स्थापित कर दिये गये हैं? कितने किन कारणों से स्थापित किया जाना शेष है? कारण सहित इनकी सूची ग्रामवार/विकासखण्डवार उपलब्ध करावें। **(ख)** क्या बेलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आंतरिक विद्युतीकरण विस्तार हेतु कोई योजना लंबित/प्रस्तावित है ? यदि हां तो इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ग)** बेलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थापित ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने हेतु क्या कोई योजना है ? इस हेतु कितनी-कितनी क्षमता के कितने ट्रांसफार्मर आरक्षित रखे गये हैं?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 33/11 केव्ही उपकेन्द्र हेतु 7 नग पावर ट्रांसफार्मर एवं 229 नग वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना की स्वीकृति की गई है, जिसकी क्षमतावार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। उक्त स्वीकृत में से 2 नग पावर ट्रांसफार्मर एवं 153 नग वितरण ट्रांसफार्मर के कार्य पूर्ण किये गये है। शेष ट्रांसफार्मर के स्थापना के कार्य प्रगति पर है। स्वीकृत ट्रांसफार्मर कार्य पूर्ण, लंबित रहने के कारणों की ग्रामवार, विकासखंडवार, क्षमतावार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। इसके अतिरिक्त बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में स्थापित 34 नग ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि हेतु प्राक्कलन स्वीकृत किये गये हैं जिनमें से 13 नग कार्यपूर्ण हो गये हैं तथा शेष 21 नग के कार्य लंबित है। स्थापित ट्रांसफार्मर के क्षमता बढ़ाने की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है। प्रश्नाधीन अवधि में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा उक्त विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भिल्मी (गिधौरी) में 132/33 केव्ही. उच्च दाब उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य स्वीकृत है, जहां 2 नग 40 एम.व्ही.ए. क्षमता के पावर ट्रांसफार्मर की स्थापना की जावेगी। **(ख)** जी नहीं। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आंतरिक विद्युतीकरण विस्तार हेतु कोई भी योजना लंबित/प्रस्तावित नहीं है। **(ग)** जी हां। स्थापित ट्रांसफार्मर की

क्षमता बढ़ाने का काम सतत प्रक्रिया है जिसे भार के वृद्धि का आकलन कर कंपनी में चल रही विभिन्न योजनाओं यथा मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना एवं सामान्य विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान कर कार्य संपादित कराया जाता है। वर्तमान में वितरण ट्रांसफार्मर निरंतर क्रय किया जा रहा है। अतः ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने हेतु पृथक से ट्रांसफार्मर के आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, कार्य की आवश्यकतानुसार संबंधित संभाग को ट्रांसफार्मर उपलब्ध करा दिया जाता है।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड द्वारा ठेके पर कराये गये कार्यों का भुगतान

[ऊर्जा]

38. (क्र. 980) श्री सुशांत शुक्ला : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड द्वारा माह अक्टूबर, 2023 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन योजनाओं के तहत कितने-कितने कार्यों को स्वीकृत कर ठेका दिया गया? **(ख)** प्रश्नांश "क" में स्वीकृत कार्यों हेतु योजनावार कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई ? कितना-कितना भुगतान किया गया? स्वीकृत कार्यों में कितने कार्य पूर्ण/अपूर्ण हैं ? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जावेंगे ? जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ग)** प्रश्नांश "ख" के स्वीकृत कार्यों में अनियमितता/भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? बिना कार्य किये भुगतान करने की कितनी शिकायतें कहाँ-कहाँ से प्राप्त हुई ? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा माह अक्टूबर, 2023 से दिनांक 24 जनवरी 2024 तक की स्थिति में योजनावार, स्वीकृत कार्यों, कार्य एजेंसी को आदेशित कार्यों की संख्या की जिलेवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे संलग्न प्रपत्र के कॉलम क्रमांक-3** अनुसार है। **(ख)** उत्तरांश 'क' के स्वीकृत कार्यों हेतु योजना में स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि, पूर्ण, अपूर्ण कार्यों की संख्या तथा कार्यपूर्णता की समय-सीमा की जिलेवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे संलग्न प्रपत्र के कॉलम क्रमांक-4, 5, 6, 7, एवं 8** अनुसार है। **(ग)** उत्तरांश 'ख' के स्वीकृत कार्यों में किसी प्रकार की अनियमितता अथवा भ्रष्टाचार की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, तथा बिना कार्य भुगतान की भी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही की गई का प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

जिला जांजगीर-चांपा में उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

39. (क्र. 984) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला जांजगीर चांपा में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों की संख्या, विकासखण्डवार बताएं ? **(ख)** वर्ष 2023-24 में दिसम्बर तक कितनी उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया गया ? क्या अनियमितताएं पाई गई तथा क्या कार्यवाहियां की गई ? **(ग)** राशन कार्ड से वंचित परिवारों के राशन कार्ड कब तक बना दिए जाएंगे ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** जिला जांजगीर चांपा में विकासखंड अकलतरा में 68, बलौदा में 71 बम्हनीडीह में 78, पामगढ़ में 69 एवं विकासखंड नवागढ़ में 111 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं। **(ख)** वर्ष 2023-24 में दिसंबर तक 441 उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें 17 उचित मूल्य दुकानों में पाई गई अनियमितताओं पर कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ग)** राशनकार्ड हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने एवं पात्र पाये जाने पर 30 दिवस के भीतर राशनकार्ड बनाकर जारी किया जावेगा।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्चास"]

विधानसभा पामगढ़ के विकासखंड मुख्यालयों में सहायक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति

[सामान्य प्रशासन]

40. (क्र. 986) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या सूचना का अधिकार अधिनियम में ऐसा प्रावधान है कि प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर समस्त लोक प्राधिकारियों के लिए सहायक जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी ? **(ख)** यदि हां, तो विधानसभा क्षेत्र पामगढ़ के अन्तर्गत किन-किन लोक प्राधिकारियों के लिए किनको-किनको सहायक जन सूचना अधिकारी, नियुक्त किया गया है ? यदि नियुक्ति नहीं की गई है तो कब तक की जाएगी ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** जी, हां। **(ख)** जी, हां। जानकारी **सलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पचास "]

वाहनों पर करारोपण एवं अन्य शुल्कों से आय तथा शेष राशि

[परिवहन]

41. (क्र. 989) डॉ. चरण दास महंत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में पंजीकृत सभी प्रकार के वाहनों से जिलावार विभिन्न प्रकार के करों, शुल्कों आदि के निर्धारित दरों के आधार पर वर्ष 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23, में कितना-कितना राजस्व, प्राप्ति योग्य था? कितना-कितना प्राप्त हुआ तथा कितना-कितना शेष रहा ? शेष की वसूली हेतु क्या कार्यवाही की गई? उसका परिणाम क्या रहा ? **(ख)** देय करों एवं शुल्कों आदि का भुगतान किये बिना किस-किस प्रकार के, कितने-कितने वाहन 31.12.2023 की स्थिति में जिलावार थे ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** प्रश्नांश 'क' की राजस्व प्राप्ति, प्राप्त तथा शेष की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्राप्ति योग्य कर/शुल्क राजस्व	प्राप्त राजस्व	वसूली हेतु शेष राजस्व
2020-2021	7856944749	7597154249	303997482
2021-2022	15263961183	14921602162	342359021
2022-2023	11435261660	11132345214	302916446
योग	34556167592	33651101625	949272949

शेष की वसूली हेतु वाहन स्वामियों को मोटर यान अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी कर वसूली की कार्यवाही लगातार की जा रही है। जिलावार विस्तृत **जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है।** **(ख)** देय करों एवं शुल्कों आदि का भुगतान किये बिना 31.12.2023 की स्थितिमें 17834 वाहन जिलावार थे। विस्तृत **जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - इन्क्यावन"]

वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की जांच हेतु किए जा रहे उपाय

[परिवहन]

42. (क्र. 990) डॉ. चरण दास महंत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की जांच के लिए क्या-क्या व्यवस्थाएं हैं ? 2022-23 तथा 2023-24 में 31 दिसम्बर, 2024 तक में किस-किस प्रकार के, कितने-कितने वाहनों की जांच की गई तथा कितने वाहन नियम का उल्लंघन करते पाए गए? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? जिलावार बताएं ? **(ख)** वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की अधिक संख्या में जांच करने के लिए क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की जांच के लिए प्रदेश में 228 वायु

प्रदूषण जांच केन्द्र खोले गये हैं। 2022-23 तथा 2023-24 में 31 दिसम्बर, 2024 तक में हल्के/मध्यम/भारी 1017891 वाहनों की जांच की गई तथा 139475 वाहन नियम का उल्लंघन करते पाए गए। उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाकर रूपये 27,87,95,506/- का शमन शुल्क वसूल किया गया। **जिलावार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की अधिक संख्यामें जांच करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा 228 वायु प्रदूषण जांच केन्द्र की स्थापना की गई है तथा 15 परिवहन चेकपोस्ट एवं 07 उड़नदस्ता का गठन किया जाकर उनके माध्यम से निरंतर जांच की कार्यवाही की जा रही है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बावन" \]](#)

सरायपाली विधानसभा क्षेत्र में संचालित ईट-भट्टों हेतु श्रमिकों का पंजीयन

[खनिज साधन]

43. (क्र. 993) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) सरायपाली विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने ईट-भट्टा संचालित हैं ? उपरोक्त ईट-भट्टों को कितने क्षेत्रफल में, किन शर्तों के तहत लाइसेंस दिया गया है ? ईट-भट्टा व संचालकों के नाम और पता सहित पूर्ण जानकारी दें? (ख) प्रश्न "क" में उल्लेखित ईट-भट्टों के लिए कितने श्रमिकों का पंजीयन हुआ है ? उपरोक्त भट्टों को कितना पीट पास जारी किया गया है ? (ग) क्या उपरोक्त ईट-भट्टों के संचालकों द्वारा शर्तों के उल्लंघन की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो वर्ष 2021 से लेकर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्रवाई की गई है ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) सरायपाली विधानसभा क्षेत्र में कुल 01 ईट-भट्टा (चिमनी) ग्राम केदूदार में संचालित है। उपरोक्त ईट-भट्टा (चिमनी) को कुल रकबा 4.882 हेक्टेयर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 में प्रावधानित पट्टा शर्तों के पालन किये जाने के अधीन स्वीकृत किया गया है। ईट-भट्टा संचालक का नाम श्रीमती लक्ष्मी चन्द्रा, निवासी वार्ड नं. 3, संजय नगर, सरायपाली, तहसील सरायपाली, जिला महासमुंद है। (ख) ईट-भट्टा के लिये खनिज साधन विभाग द्वारा श्रमिकों का पंजीयन नहीं कराया जाता है। उपरोक्त ईट-भट्टा को अनुबंध दिनांक (23.02.2018) से आज दिनांक 30.01.2024 तक कुल 3415 अभिवहन पास, ईट के परिवहन हेतु जारी किया गया है।(ग) उक्त ईट-भट्टा में संचालक द्वारा शर्तों के उल्लंघन किये जाने के संबंध में लिखित में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अपितु मौखिक शिकायत के आधार पर खनिज विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 30.06.2023 को प्रश्नाधीन क्षेत्र की जांच की गयी। जिसमें पट्टा शर्तों के उल्लंघन के कारण पट्टेदार के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये समझौता राशि 89,000/- रूपये निर्धारित मद में जमा कराया गया है।

महासमुंद जिले के रेत घाटों से रेत उत्खनन की प्रदत्त अनुमति

[खनिज साधन]

44. (क्र. 994) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) महासमुंद जिले में वर्ष 2021 से 15 जनवरी, 2024 तक कुल कितने रेत घाटों से रेत उत्खनन की अनुमति किन शर्तों के तहत, किन-किन व्यक्तियों/एजेंसियों को दी गई है ? (ख) प्रश्न (क) में उल्लेखित रेत घाटों में अनुमति के शर्तों के उल्लंघन की शिकायत पाई गई है? उक्त शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) महासमुंद जिले में वर्ष 2021 से 15 जनवरी 2024 तक की अवधि में कोई भी रेत उत्खननपट्टा स्वीकृत नहीं किया गया है। अतः शेष प्रश्न की जानकारी निरंक है। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है।

विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर में आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

[महिला एवं बाल विकास]

45. (क्र. 997) श्री रामकुमार यादव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर के अंतर्गत कुल कितने आंगनबाड़ी व मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं?

"कितने केंद्रों का संचालन निजी भवनों में किया जा रहा है ? विकासखण्डवार जानकारी देवें? (ख) वर्ष 2018-19 से प्रश्नावधि तक आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण हेतु कितने कार्य व राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है ? पूर्ण-अपूर्ण सहित विवरण विकासखण्डवार जानकारी देवें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर के अंतर्गत कुल 350 आंगनबाड़ी व 18 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र कुल 368 संचालित हैं। 278 आंगनबाड़ी व 15 मिनी आंगनबाड़ी कुल 293 केंद्रों का संचालन निजी भवनों में किया जा रहा है। विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। (ख) जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तिरपन" \]](#)

विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर में क्रेडा विभाग से स्वीकृत सोलर पंप

[ऊर्जा]

46. (क्र. 998) श्री रामकुमार यादव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर के अंतर्गत सत्र 2019-20 से प्रश्नावधि की स्थिति में कितने किसानों से सोलर पंप लगाए जाने के लिए आवेदन प्राप्त हुए ? कितने आवेदनों पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि आवेदन लंबित हो तो उसका कारण विकासखंडवार बतावें? (ख) प्रश्नांक 'क' के अनुसार कितने किसानों के लिए सोलर पंप लगाये गये? कितने लगाने शेष हैं ? वि.खं.वार जानकारी देवें? (ग) शेष बचे किसानों के लिये कब तक सोलर पंप प्रदाय किया जावेगा ? विवरण देवें।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर के अंतर्गत सत्र 2019-20 से प्रश्नावधि की स्थिति में 509 किसानों से सोलर पंप लगाए जाने के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। 501 आवेदनों पर स्वीकृति जारी कर सोलर पंप की स्थापना की गई है। 08 आवेदन जिले का लक्ष्य पूर्ति हो जाने के कारण लंबित है। विकासखण्डवार जानकारी "संलग्न प्रपत्र अ" अनुसार है। (ख) प्रश्नांक 'क' के अनुसार 501 किसानों के लिए सोलर पंप लगाये गये हैं। 08 आवेदन सोलर पंप लगाये जाने हेतु शेष है। विकासखण्डवार जानकारी "संलग्न प्रपत्र अ" अनुसार है। (ग) शेष 08 पात्र कृषकों के आवेदन को सौर सुजला योजना के आगामी चरण में शामिल कर लाभान्वित किया जावेगा, जिनके विवरण की जानकारी "संलग्न प्रपत्र ब" अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौवन" \]](#)

रायपुर पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आगांनबाड़ी सहायिका से कार्यकर्ता के पद पर पदोन्नति

[महिला एवं बाल विकास]

47. (क्र. 1001) श्री राजेश मूणत : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) रायपुर पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विगत 3 वर्षों से प्रश्न दिनांक तक आंगनबाड़ी सहायिका से कितने लोगों को कार्यकर्ता बनाया गया है? आगांनबाड़ीवार एवं कार्यकर्ता वार जानकारी देवें? (ख) कितनी पात्र सहायिकाओं को कार्यकर्ता बनाया जाना है तथा इस संबंध में विगत 1 वर्ष में प्रस्ताव कब-कब सक्षम अधिकारी व नगर निगम को भेजा गया है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है तथा प्रस्ताव भेजने व पात्रता के बावजूद भी कितनी सहायिका को कार्यकर्ता के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया है? पात्र सहायिकाओं को कब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनाया जावेगा? समयसीमा बतावें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत कार्यरत सहायिकाओं में से विगत 3 वर्षों में 5 सहायिकाओं को कार्यकर्ता बनाया गया है जिनके नाम निम्नानुसार है:-

1	बढ़ईपारा	श्रीमती सुमन वैष्णव, पति श्री लोमस वैष्णव
2	लक्ष्मण नगर-01	श्रीमती सरिता वर्मा, पति श्री अनिल वर्मा
3	मथुरा नगर-02	श्रीमती ममता कोरी, पति स्व. श्री किशोर कोरी
4	सतनामी पारा (वार्ड क्र.-20)	श्रीमती धनवंता निसारे
5	खमतराई (वार्ड क्र.-16)	श्रीमती अंजू यादव, पति स्व. श्री चेतनाथ यादव

(ख) रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 19 पात्र सहायिकाओं को रिक्त पदों व 50 प्रतिशत आरक्षण के प्रकाश में परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण पश्चात् युक्तियुक्त कार्यवाही की जायेगी। दिनांक 03 अगस्त 2023 को नगर निगम रायपुर को प्रेषित प्रस्ताव में सीधी भर्ती से एक पात्र सहायिका के नाम का अनुमोदन एमआईसी रायपुर से प्राप्त न होने के कारण नियुक्ति नहीं दी जा सकी है। पात्र सहायिकाओं को कार्यकर्ता बनाये जाने के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

लोग आयोग में अधिकारियों के विरुद्ध पंजीबद्ध प्रकरणों पर अनुशंसा

[सामान्य प्रशासन]

48. (क्र. 1002) श्री राजेश मूणत : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जनवरी, 2020 से नवम्बर, 2023 तक लोक आयोग में किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध कब-कब प्रकरण पंजीबद्ध किये गए हैं व क्यों तथा इनमें से किन-किन प्रकरणों में लोक आयोग द्वारा अनुशंसा की गई है? किन-किन प्रकरणों में दिनांक 15 जनवरी, 2020 तक कोई अनुशंसा नहीं की गई है? **(ख)** कंडिका "क" अनुसार अनुशंसा पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? प्रकरणवार जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। लोक आयोग द्वारा किसी भी प्रकरण में अनुशंसा नहीं की गई। प्रश्नाधीन अवधि में किसी भी प्रकरण में अनुशंसा नहीं की गई है। **(ख)** प्रश्नांश **(क)** के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

राजनांदगांव जिले में क्रांति योजना से लाभान्वित मत्स्य कृषक

[मछली पालन]

49. (क्र. 1003) श्री दलेश्वर साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या नील क्रांति योजना के अंतर्गत मोटर सायकल सह आईसबॉक्स एवं आटो रिक्शा सह आईस बॉक्स देने का प्रावधान है? यदि हां तो राजनांदगांव जिले में वर्ष 2021 से प्रश्नावधि तक इस योजना का लाभ कितने मत्स्य कृषक को प्राप्त हुआ है एवं कितने मत्स्य कृषकों के प्रकरण लंबित है? वर्षवार, विकासखण्डवार, ग्रामवार, मत्स्य कृषकवार जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : जी हाँ। राजनांदगांव जिले में वर्ष 2021 से प्रश्नावधि तक इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी मत्स्य कृषक से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, अतः मत्स्य कृषकों के प्रकरण लंबित नहीं है।

विद्युत करेंट दुर्घटना से सामान्य व्यक्ति, मृतक के परिजनों तथा घायलों को आर्थिक सहायता

[ऊर्जा]

50. (क्र. 1006) श्री दलेश्वर साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या विद्युत करेंट दुर्घटना से सामान्य व्यक्ति (नान कर्मचारी) मृतक के परिजनों तथा घायलों को आर्थिक सहायता एवं संबंधित विद्युत कर्मचारी के परिवार को अनुकम्पा नियुक्ति देने का प्रावधान है? यदि हां, तो राजनांदगांव जिले के वर्ष 2021 से 2023 तक कितने प्रकरण आर्थिक सहायता एवं अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रकरण कौन-

कौन से वितरण केन्द्र से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? कौन से स्तर पर लंबित है, वितरण केन्द्रवार, नामवार, मृतक एवं घायलवार, राशिवार, अनुकम्पा प्रकरण की जानकारी दें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : जी नहीं। सामान्य व्यक्ति, जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का कर्मचारी नहीं है, के छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लाईनों अथवा ट्रांसफार्मर के संपर्क में आकर विद्युत दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति देने का कोई प्रावधान नहीं है। शेष जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पचपन"]

छत्तीसगढ़ प्रदेश में राज्य गौ-सेवा में पंजीकृत एवं संचालित गौशालाएं

[पशुधन विकास]

51. (क्र. 1009) श्रीमती भावना बोहरा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ प्रदेश में 15 जनवरी, 2024 की स्थिति में राज्य गौ सेवा में पंजीकृत कुल कितनी गौ शालाएं हैं एवं कहाँ-कहाँ पर संचालित हैं ? जिलेवार एवं वर्षवार जानकारी दें? **(ख)** वर्तमान में प्रश्नांश 'क' में उक्त गौ-शालाओं में गायों की संख्या कितनी है ? वर्ष 2021-22, 2022-23 व 2023-24 में 15 जनवरी, 2024 तक उक्त गौ-शालाओं के संचालन हेतु कुल कितनी राशि प्रदान की गई है ? जिलेवार एवं वर्षवार जानकारी दें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** प्रदेश में 15 जनवरी 2024 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग में कुल 125 गौशालाएं पंजीकृत हैं। उक्त गौशालाओं के संचालन की जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ' अनुसार** एवं वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ख)** वर्तमान में प्रश्नांक 'क' में उक्त गौशालाओं में गायों की संख्या 16536 है। उक्त गौशालाओं के संचालन हेतु वर्ष 2021-22 में राशि रूपये 1678.29 लाख, 2022-23 में राशि रूपये 1774.03 लाख एवं 2023-24 में 15 जनवरी 2024 तक राशि रूपये 989.10 लाख, इस प्रकार कुल राशि रूपये 4441.42 लाख का अनुदान प्रदाय किया गया है। जिलेवार एवं वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'स' अनुसार** है।

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थाई/ अस्थाई विद्युत पंप कनेक्शन के लंबित आवेदन

[ऊर्जा]

52. (क्र. 1010) श्रीमती भावना बोहरा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कृषकों द्वारा स्थाई/ अस्थाई विद्युत पंप कनेक्शन के सम्बन्ध में प्राप्त कितने आवेदन किन कारणों से लंबित हैं ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के तहत लंबित आवेदनों को कब तक स्वीकृत कर कृषकों को स्थाई/ अस्थाई विद्युत पंप कनेक्शन कनेक्शन प्रदान कर दिया जावेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 31.01.2024 की स्थिति में स्थाई कृषि पंप कनेक्शनों के कुल 1,674 आवेदन लंबित हैं। लंबित आवेदनों के संख्या की कारणों सहित विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। उक्त अवधि में अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन हेतु कोई भी आवेदन लंबित नहीं है। **(ख)** उत्तरांश 'क' में उल्लेखित 1,674 लंबित आवेदनों को शीघ्र स्वीकृत करने के प्रयास हैं।

[संलग्न "परिशिष्ट - छप्पन"]

राजनांदगांव जिला अंतर्गत समाज कल्याण द्वारा संचालित योजनाएं

[समाज कल्याण]

53. (क्र. 1013) श्री भोलाराम साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** राजनांदगांव जिला अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2023 की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, सुखद सहारा योजना, मुख्यमंत्री पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं निःशक्त जन पेंशन योजना एवं अन्य जो योजनाएं संचालित हैं, उनमें पेंशन के कितने प्रकरण लंबित हैं ? विकासखण्डवार, योजना वार जानकारी दें ? **(ख)** कंडिका"क" में लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक पूरा कर लिया जावेगा ? कृपया बतायें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है। **(ख)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जिला रायपुर, बिलासपुर एवं कोरबा के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

[खनिज साधन]

54. (क्र. 1017) सुश्री लता उसेंडी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला रायपुर, बिलासपुर एवं कोरबा में माह जनवरी, 2019 से नवम्बर, 2023 तक कितने कोल डिपो हेतु किसे, कब व कितनी मात्रा में भण्डारण हेतु अनुमति दी गई है? जिलेवार व कोल डिपोवार जानकारी दें? उपरोक्त कोल डिपो के संबंध में जनवरी, 2020 से नवम्बर, 2023 तक कितना शिकायत की गई है और इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है व कौन दोषी पाया गया है? **(ख)** जनवरी, 2023 से नवम्बर, 2023 तक उपरोक्त कोल डिपो में कितने कोल का भण्डारण किया जाना था? कोल भण्डारण किया गया है तथा किन कोल डिपो में स्वीकृति से अधिक भण्डारण किया गया है? भण्डारण के प्ररीक्षण के लिये क्या नियम हैं व इसके लिये किस स्तर के अधिकारी उत्तरदायी हैं तथा इन अधिकारियों ने इनकी जांच कब-कब की व क्या कमियां पाई गई हैं? माहवार जानकारी दें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** माह जनवरी, 2019 से नवम्बर, 2023 तक जिला रायपुर में 18 एवं बिलासपुर में 31 कोयला भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई है। जिला कोरबा अन्तर्गत प्रश्नाधीन अवधि में कोयला भण्डारण अनुज्ञप्ति की संख्या निरंक है। जिलेवार कोल डिपों की जानकारी "**संलग्न प्रपत्र**" अनुसार है। जिला रायपुर एवं बिलासपुर में स्वीकृत कोयला भण्डारण अनुज्ञप्तियों के संदर्भ में प्रश्नाधीन अवधि में कोई भी लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है। **(ख)** कोल डिपो, निर्धारित भण्डारण क्षमता(एक समय में) हेतु स्वीकृत किया जाता है, तदनुसार एक समय में उतनी मात्रा का कोयला का भण्डारण किया जाना होता है। जिला रायपुर, बिलासपुर एवं कोरबा हेतु उक्त कोल डिपो में निर्धारित भण्डारण क्षमता "**संलग्न प्रपत्र**" के कॉलम नंबर-"5" में उल्लिखित है। क्षमता से अधिक कोल भण्डारण की जानकारी निरंक है। कोल भण्डारण का निरीक्षण छ0ग0 खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 में उल्लिखित शर्तों के अधीन किया जाता है। इस हेतु संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म/जिला कलेक्टर/अपर कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी(रा.)/संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के केन्द्रीय उड़नदस्ते के अधिकारी/उप संचालक(ख.प्रशा.)/खनि अधिकारी/सहा.खनि अधि./खनि निरीक्षक अपने अधिकार क्षेत्र में निरीक्षण करने व नियमों के तहत कार्यवाही करने के लिए प्राधिकृत है। जिला बिलासपुर अन्तर्गत 02 कोल डिपो मेसर्स श्री महाकाल ग्लोबल एवं श्री शुभ कापेरेशन में संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा गठित संयुक्त जाँच दल द्वारा दिनांक 06.03.2023 एवं दिनांक 23.04.2023 को निरीक्षण कर भण्डारण शर्तों के उल्लंघन पाये जाने पर स्वीकृत स्वीकृत भण्डारण अनुज्ञप्ति को निरस्त किये जाने की कार्यवाही किया गया। जिला रायपुर एवं कोरबा की जानकारी निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सनतावन"]

कोण्डागांव जिले में अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरण

[सामान्य प्रशासन]

55. (क्र. 1018) सुश्री लता उसेंडी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** दिनांक 5 जनवरी, 2024 की स्थिति में कोण्डागांव जिले में विभिन्न विभागों में अनुकम्पा नियुक्ति के कुल कितने प्रकरण लंबित हैं ? इनमें से कितने प्रकरण व 1 वर्ष, 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक अवधि से लंबित हैं? कितने प्रकरण में समयसीमा में नियुक्ति नहीं दी गई है? लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर लिया जावेगा? **(ख)** इस संबंध में क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई है? शिकायतवार जानकारी दें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** दिनांक 05 जनवरी, 2024 की स्थिति में कोण्डागांव जिले में विभिन्न विभागों में अनुकम्पा नियुक्ति के कुल लंबित प्रकरणों की संख्या 46 है, इनमें से 25 प्रकरण 01 वर्ष, 17 प्रकरण 2 वर्ष एवं 04 प्रकरण 2 वर्ष से अधिक अवधि से लंबित है। मात्र एक प्रकरण में समय-सीमा में नियुक्ति नहीं दी गई है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ख)** कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने के कारण जानकारी निरंक है।

प्रदेश के उद्योगों को विद्युत शुल्क में प्रदत्त छूट

[ऊर्जा]

56. (क्र. 1021) श्री किरण देव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में दिसंबर से दिसंबर, 2023 तक हाफ बिजली बिल योजना के अंतर्गत कुल कितनी राशि की छूट उपभोक्ताओं को प्रदान की गई ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** क्या प्रदेश में संचालित उद्योगों को वर्ष 2020 से दिसम्बर, 2023 तक विद्युत शुल्क में छूट प्रदान की गई ? यदि हाँ, तो किन-किन उद्योगों को, किस नियम के तहत कितनी-कितनी छूट, कितनी अवधि के लिए प्रदान की गई ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ग)** कंडिका 'क' के उद्योगों को किस नीति एवं प्रावधानों के अंतर्गत छूट प्रदान की गई ? क्या अति वृहद उद्योगों को भी विद्युत शुल्क में छूट का प्रावधान है ? यदि हाँ, तो नियम/प्रावधानों की प्रति उपलब्ध करावें? यदि नहीं, तो क्या अति वृहद उद्योगों की श्रेणी में आने वाले उद्योगों को भी उपरोक्त अवधि में छूट प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो किसकी अनुशंसा पर ? **(घ)** क्या प्रश्नांश 'ख' के वृहद एवं अति वृहद उद्योगों द्वारा वर्ष 2014 से वर्ष 2018 के मध्य किये गये आवेदन को अमान्य किया गया था ? यदि हाँ, तो तत्समय अमान्य करने एवं पश्चात छूट प्रदान करने का कारण व नियम/प्रावधान बतावें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : **(क)** योजना प्रारंभ माह मार्च 2019 से नवम्बर 2023 तक बिजली बिल हाफ योजनांतर्गत कुल 43,34,411 उपभोक्ता को राशि रूपये 4,472 करोड़ की छूट प्रदान की गई है। वर्षवार, उपभोक्ता संख्यावार जानकारी निम्नानुसार है:-

राशि रू. करोड़ में				
क्र.	बजट वर्ष	स्वीकृत बजट	दावा राशि	विभाग को भुगतान राशि
1	2018-19	0.00	183.61	0.00
2	2019-20	977.21	783.39	977.21
3	2020-21	850.00	848.79	850.00
4	2021-22	900.00	870.70	900.00
5	2022-23	1115.48	1005.82	1115.48
6	2023-24 (जनवरी 2024 तक) भुगतान	1164.70	780.40	872.67
	योग	5007.39	4472.71	4715.36

(ख) जी हां। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक नीति के आधार पर विद्युत शुल्क से छूट हेतु की गई अनुशंसा उपरांत प्रदेश में संचालित उद्योगों को वर्ष 2020 से दिसम्बर 2023 तक विद्युत शुल्क में छूट प्रदान की गई। अनुशंसित उद्योगों को निर्धारित अवधि हेतु विद्युत शुल्क के भुगतान से शतप्रतिशत छूट दी

गई है। उद्योगों के नाम, नियम तथा छूट की अवधि का वर्षवार विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** अनुसार है। (ग) कंडिका 'क' नहीं अपितु कंडिका ख के उद्योगों को राज्य की औद्योगिक नीति के प्रावधानों के अंतर्गत छूट प्रदान की गई। जी हां अतिवृहद उद्योगों को भी विद्युत शुल्क से छूट का प्रावधान है। अतिवृहद उद्योगों को औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत विद्युत शुल्क से छूट प्रदान करने हेतु जारी अधिसूचना **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब** अनुसार है। अपात्र अति वृहद उद्योगों को विद्युत शुल्क से छूट की अनुशंसा नहीं की गई है। (घ) वृहद उद्योगों द्वारा वर्ष 2014 से 2018 के मध्य भी छूट हेतु औद्योगिक नीति 2001-06, 2004-09 एवं 2009-14 के अंतर्गत आवेदन किया गया था। जिन्हे तत्समय प्रचलित अधिसूचनाओं में वर्णित नियमानुसार अमान्य किया गया था। तत्पश्चात् शासन द्वारा राज्य की औद्योगिक नीति 2001-06, 2004-09, 2009-14 में विद्युत शुल्क छूट से संबंधित प्रावधानों तथा इस संबंध में विभागों द्वारा जारी अधिसूचनाओं की विसंगतियों के निराकरण के संबंध में जारी परिपत्र एफ 20-45/2019/11/6 दिनांक 03/12/2021 (**पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स** अनुसार) एवं परिपत्र एफ 20-54/2019/11/6 दिनांक 13/01/2023 (**पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द** अनुसार) में वर्णित नियमानुसार इकाईयों की पात्रता पर पुनः विचार करने के पश्चात् पात्रताधीन इकाईयों को नियमानुसार विद्युत शुल्क से छूट प्रदान किया गया।

प्रदेश में कार्यरत महिला स्व-सहायता समूहों की कर्ज माफी

[महिला एवं बाल विकास]

57. (क्र. 1022) श्री किरण देव : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश के किन- किन जिलों, में विभागांतर्गत कुल कितनी महिला स्व सहायता समूह कार्यरत हैं तथा कितने महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा किन-किन संस्थाओं से कितना- कितना कर्ज लिया गया है ? जनवरी, 2019 से दिसंबर, 2023 के मध्य कितने महिला स्वसहायता समूहों की, कितनी- कितनी राशि की कर्ज माफी की गयी है तथा कितनी लंबित हैं? लंबित होने के क्या कारण हैं? जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ख)** प्रदेश में कितनी महिला स्व सहायता समूहों द्वारा रेडी टू ईट प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है ? महिला स्वसहायता समूहों द्वारा रेडी टू ईट सामग्री का वितरण किये जाने के क्या नियम प्रक्रिया निर्धारित हैं?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : **(क)** प्रदेश के 33 जिलों, में विभागांतर्गत कुल 30296 महिला स्व-सहायता समूह कार्यरत है तथा योजना प्रारंभ (2003-04) से कुल 33637 महिला स्व-सहायता समूहों के द्वारा छ.ग. महिला कोष से कुल राशि 1,09,31,94,840/- रूपये का कर्ज लिया गया है। शासन के पत्र क्र एफ 3-24/2021/मबावि/50 दिनांक 14.09.2021 द्वारा महिला स्व-सहायता समूहों की ऋण माफी का आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के परिपालन में जनवरी, 2019 से दिसम्बर 2023 के मध्य कुल 5845 महिला स्व-सहायता समूहों का कुल राशि 11,06,81,103/- रूपये का कर्ज माफ किया गया तथा वर्तमान में कर्जमाफी का कोई प्रकरण लंबित नहीं है। जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** प्रदेश में वर्तमान में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा रेडी टू ईट का निर्माण नहीं किया जा रहा है। रेडी टू ईट सामग्री वितरण की कार्यवाही छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम रायपुर के द्वारा की जाती है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अनठावन"]

राजिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत धान की अवैध खरीदी एवं बिक्री की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

58. (क्र. 1140) श्री रोहित साहू : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** राजिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी, 2021 से दिसंबर, 2023 के मध्य धान की अवैध खरीदी एवं बिक्री की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? कृपया ग्रामवार जानकारी दें? **(ख)** क्या अन्य राज्यों से धान लाकर छत्तीसगढ़ प्रदेश में विक्रय किए जाने की भी शिकायत प्राप्त हुई है? **(ग)** अन्य राज्यों से धान लाकर छत्तीसगढ़ में विक्रय किए जाते हुए पकड़े जाने पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : **(क)** राजिम विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत जनवरी, 2021 से दिसम्बर, 2023

के मध्य धान उपाजर्जन केन्द्रो मे धान की अवैध खरीदी एवं बिक्री की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (ख) जी नहीं । (ग) अन्य राज्यों से धान लाकर छत्तीसगढ़ में विक्रय किए जाते हुये पकड़े जाने पर छत्तीसगढ़ मंडी अधिनियम 1972 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाती है ।

धान की खरीदी व भुगतान

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

59. (क्र. 1153) श्री धरमलाल कौशिक : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वित्तीय वर्ष 2020-21 से नवम्बर, 2023 तक कितने धान की खरीदी की गई है उसका कितना भुगतान किया जाना है, कितना भुगतान किया गया व कितना शेष है, जिलावार, वर्षवार जानकारी दें। (ख) उक्त में से कितना धान खरीदी केन्द्रों में क्रय किया गया है? कितना संग्रहण केन्द्रों में भेजा गया है? कितने धान की मिलिंग हुई है तथा कितना धान उक्त केन्द्रों में शेष है व कितना धान सूखत, खराब हुआ, कम हुआ व चोरी हो गया है या अन्य प्रकार से कम हुआ? वर्षवार, जिलावार, मात्रावार एवं राशिवार जानकारी दें? (ग) धान परिवहन का कार्य किस आधार पर किस फर्म को, किस दर पर दिया गया? विगत वित्तीय वर्ष में परिवहन आदेश जारी होने के बाद भी निर्धारित समय-सीमा में किन-किन फर्मों के द्वारा धान का परिवहन नहीं किया गया? जिलेवार फर्मवार जानकारी दें? परिवहन में विलंब हेतु फर्म के ऊपर कार्यवाही के क्या नियम हैं तथा क्या कार्यवाही की गई?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) वित्तीय वर्ष 2020-21 से नवम्बर, 2023 तक खरीदे गए धान की मात्रा एवं भुगतान की राशि एवं शेष राशि की गई है। **संलग्न प्रपत्र - अ अनुसार है।** (ख) धान खरीदी केन्द्रों में क्रय मात्रा, संग्रहण केन्द्र को जारी, मिलर को जारी की जानकारी **संलग्न प्रपत्र - ब अनुसार** है। समर्थन मूल्य पर उपार्जित किये गये धान मे कमी/ सूखत के संबंध में जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में प्रकरण क्रमांक PIL NO.75/2022 अजय चन्द्राकर एवं अन्य विरुद्ध छ.ग. शासन एवं अन्य प्रचलित है। (ग) धान परिवहन के कार्य हेतु ऑनलाईन ई-निविदा के माध्यम से प्राप्त न्यूनतम दर/एल-1 परिवहनकर्ता को परिवहन कार्य दिया जाता है (वर्ष 2022-23 में धान परिवहन वाले जिलों में परिवहनकर्ता एवं स्वीकृत दर की जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र -स अनुसार** है। विगत खरीफ वर्ष 2022-23 में संबंधित जिलों में धान परिवहन का कार्य निर्धारित समय अवधि में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। निविदा दस्तावेज के अनुसार परिवहन में विलंब हेतु फर्म के उपर कार्यवाही का नियम निविदा की शर्तों के कंडिका क्रमांक 1.13 अनुसार इस प्रकार है:- परिवहनकर्ता को टीओ जारी होने के पश्चात् 72 घंटे के अंदर परिवहन किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में विपणन संघ को यह अधिकार होगा कि किसी अन्य परिवहनकर्ता से परिवहन कर अंतर की राशि संबंधित परिवहनकर्ता से वसूली जावेगी तथा आगामी वर्षों के लिए परिवहनकर्ता को कालीसूची में दर्ज किया जावेगा। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उन्सठ"]

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट
पंरोशिष्ट - एक
तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 407) की जानकारी

प्रपत्र-‘अ’

प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों के हितग्राहियों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार के लिए विभाग द्वारा संचालित योजनाओं व किये जा रहे प्रयासों की जानकारी

क्रमांक	संचालित योजनायें व किये जा रहे प्रयास
1	सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण-2.0 (आंगनबाड़ी सेवायें सामान्य)
2	सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण-2.0 (पूरक पोषण आहार योजना)
3	सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण-2.0 किशोरी बालिकाओं के लिए योजना
4	पोषण अभियान
5	मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान
6	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
7	मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना
8	राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र
9	क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्था
10	आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन तथा ईसीसीई घटक
11	आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण
12	पालना (प्रस्तावित नवीन योजना)
13	वजन त्यौहार का आयोजन

प्रपत्र-‘ब’

आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से दर्ज बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति में सुधार हेतु किये जा रहे प्रयास

क्र.	हितग्राही वर्ग	दी जा रही सेवा
1	गर्भवती महिलायें एवं 0-6 आयु वर्ष तक के बच्चे।	टीकाकरण
2	गर्भवती महिलायें, धात्री माताएं एवं 0-6 वर्ष तक आयु के बच्चे।	स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य जांच सेवा दी जाती है।
3	0-6 वर्ष तक आयु के गम्भीर कुपोषित बच्चे, निःशक्त बच्चे, जोखिम वाले बच्चे, बीमार बच्चे, खतरे के लक्षण वाली गर्भवती महिलायें/शिशुवती माताएं।	स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से संदर्भ सेवाएं तथा मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना से लाभांशित किया जाता है।
4	गर्भवती महिलायें, शिशुवती मातायें, 06 माह से 06 वर्ष तक आयु के बच्चे।	पूरक पोषण आहार अन्तर्गत गरम भोजन एवं टीएचआर प्रदाय किया जाता है।
5	15-45 साल की महिलायें, गर्भवती महिलायें, धात्री मातायें एवं किशोरी बालिकायें।	गृह भेंट एवं सुपोषण चौपाल के माध्यम से स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा दी जाती है।
6	3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे	शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा हेतु आंगनबाड़ी केन्द्र में खेल-खेल में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु गतिविधियां कराई जाती है जिससे उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास एवं भावनात्मक विकास होता है। सूचना शिक्षा संचार सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है।
7	6 वर्ष तक के कुपोषित बच्चे एवं गर्भवती महिलाएं	मुख्यमंत्री सुपोषण योजना अन्तर्गत नियमित पूरक पोषण आहार के अतिरिक्त गरम भोजन, न्यूट्रिशियस रेडी टू ईट जैसे - सोया चिक्की, लड्डू व स्थानीय स्तर पर चयनित अन्य खाद्य सामग्री
8	गर्भवती महिलाएं	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अन्तर्गत शर्तों के अधीन 5000 रूपये नगद अंतरण का प्रावधान है।

पारोशेष्ट - दो
तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 785) की जानकारी

प्रपत्र

मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र।

क्र.	भवन विहीन केन्द्रों का नाम	किराये के भवन में संचालित केन्द्रों का नाम
1	देवरीखुर्द 9	-
2	देवरीखुर्द 10	देवरीखुर्द 10
3	महमंद 4	-
4	ढेका 2	ढेका 2
5	नरगोड़ा 3	नरगोड़ा 3
6	दर्राभाठा 6	दर्राभाठा 6
7	नरगोड़ा 4	नरगोड़ा 4
8	पोड़ी 1	-
9	पोड़ी 6	पोड़ी 6
10	दवनडीह	-
11	खम्हरिया 4	खम्हरिया 4
12	बिटकुला 2	बिटकुला 2
13	वेदपरसदा 04	-
14	पत्थरताल 01	पत्थरताल 01
15	पतथरताल 02	पतथरताल 02
16	देवगांव 3	-
17	कोसमडीह 2	-
18	मुड़पार	-
19	हरदीगांव 2	-
20	चिस्ता 2	-
21	भटचौरा 3	-
22	मानिकचौरी 3	मानिकचौरी 3
23	बहतरा 2	-
24	मनवा 1	मनवा 1
25	पचपेड़ी 2	पचपेड़ी 2
26	गिधपुरी 1	गिधपुरी 1
27	गिधपुरी 2	गिधपुरी 2
28	डोमगांव 2	डोमगांव 2
29	ओखर 3	-

क्र.	भवन विहीन केन्द्रों का नाम	किराये के भवन में संचालित केन्द्रों का नाम
30	भोथीडीह लावर	भोथीडीह लावर
31	डगनिया 1	डगनिया 1
32	बिनैका 2	बिनैका 2
33	थेम्हापार	-
34	डोड़की 2	-
35	सुलौनी 2	-
36	मल्हार 1	मल्हार 1
37	मल्हार 3	मल्हार 3
38	मल्हार 5	वृन्दावन
39	मल्हार 6	गणेश नगर
40	मल्हार 7	इमलीपारा
41	जलसो 2	-
42	इन्दीरापारा बिनौरी	इन्दीरापारा बिनौरी
43	डिपरी पारा बिनौरी	डिपरी पारा
44	कछार 3	कछार 3
45	शिवटिकारी 2	शिवटिकारी 2
46	हरदीगांव 1	हरदीगांव 1
47	चिल्हाटी 1	चिल्हाटी 1
48	चिल्हाटी 2	चिल्हाटी 2
49	चिल्हाटी 4	चिल्हाटी 4
50	चिल्हाटी 6	चिल्हाटी 6
51	गोड़ाडीह 1	गोड़ाडीह 1
52	सोड़ाडीह	सोड़ाडीह
53	कोनी 2	कोनी 2
54	लावर 3	लावर 3
55	मानीकचौरी 1	-
56	मानीकचौरी 2	मानीकचौरी 2
57	रैल्हा	
58	पचपेड़ी 3	पचपेड़ी 3
59	सुकुलकारी 2	सुकुलकारी 2
60	सुकुलकारी 3	सुकुलकारी 3

क्र.	भवन विहीन केन्द्रों का नाम	किराये के भवन में संचालित केन्द्रों का नाम
61	दलदली 1	दलदली 1
62	चौहा 1	चौहा 1
63	बेटरी 1	बेटरी 1
64	जयरामनगर 2	-
65	कछार 2	-
66	सेम्हराडीह	सेम्हराडीह
67	हरदी	हरदी
68	गतौरा-1	गतौरा-1
69	पाराघाट-1	-
70	आमगांव 2	-
71	हरदी 1	-
72	कैवतरा 1	-
73	सरगवां 1	सरगवां 1
74	हिरी.1	हिरी.1
75	ईटवा 01	-
76	किरारी 03	किरारी 03
77	मल्हार 4	मल्हार 4
78	लोहर्सी 2	लोहर्सी 2
79	गोड़ाडीह 3	गोड़ाडीह 3
योग:-	79	53
मिनी आंगनबाड़ी परियोजना मस्तूरी		
1	ईटवा मिनी	ईटवा मिनी
2	टिकारी मिनी	टिकारी मिनी
3	गोबरी मिनी	गोबरी मिनी
4	छोटे खपरी मिनी	ईटवा मिनी
5	अकोला मिनी	टिकारी मिनी
6	लोडाबोर मिनी	गोबरी मिनी
योग:-	6	6

पारोशेट - तीन
तारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 1012) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	विकासखण्ड का नाम	एकीकृत बाल विकास परियोजना का नाम	पर्यवेक्षक के स्वीकृत पद	पर्यवेक्षक के भरे पद (31.12.23)	पर्यवेक्षक के रिक्त पद (31.12.23)	कब से रिक्त	रिक्त पद पर पूर्ति कब तक की जावेगी
1	खुज्जी	छुरिया	छुरिया-01	8	2	6	03 पद 01.04.2021 से, 01 पद 01.04.2023 से, 02 पद 26.06.2023 से नये पद स्वीकृत होने के कारण	पर्यवेक्षकों के 13 रिक्त पदों के विरूद्ध 12 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति/पदस्थापना आदेश दिनांक 27.12.2023 को जारी कर दी गई है। 24.01.2024 तक सभी नियुक्ति पर्यवेक्षकों द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। इस प्रकार खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में पर्यवेक्षकों के 27 स्वीकृत पद के विरूद्ध 26 पद भरे हुए हैं।
			छुरिया-02	8	4	4	01 पद 11.08.2016 से 03 पद 26.06.2023 से नये पद स्वीकृत होने के कारण	
		चौकी	चौकी	11	8	3	01 पद 04.01.2023 से, 02 पद 26.06.2023 से नये पद स्वीकृत होने के कारण	
योग				27	14	13		

परोशेष्ट - चार
तारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 441) की जानकारी

प्रपत्र

क्र	योजना का नाम/गतिविधि	विभाग अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूहों के सशक्तिकरण हेतु किये जा रहे कार्यों का संक्षिप्त विवरण
1	ऋण योजना	छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा स्व-सहायता समूहों हेतु ऋण योजना अन्तर्गत महिला स्व-सहायता समूहों को आसान शर्तों पर 03 प्रतिशत साधारण वार्षिक व्याज दर पर प्रथम बार में अधिकतम 02 लाख रुपये तक का ऋण तथा प्रथम बार प्रदत्त ऋण की सफलतापूर्वक वापसी पर अधिकतम राशि रू. 06 लाख रुपये तक का ऋण द्वितीय बार में प्रदाय किया जाता है प्रथम बार के ऋण की वसूली 24 माह में द्वितीय बार में ऋण की वसूली 36 किशतों में की जाती है।
2	बिक्री व प्रदर्शन हेतु स्टॉल/महिला मंडई	महिला स्व-सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री एवं प्रदर्शन हेतु राज्योत्सव एवं अन्य अवसरों पर जिला एवं राज्य स्तरों पर महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से स्टॉल लगाया जाकर अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। राज्य स्तर पर महिला मंडई भी आयोजित की जा रही है। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर आयोजित विविध कार्यक्रम/गतिविधियों में भी महिला स्व-सहायता समूहों के लिए स्टॉल लगाए जाते हैं।
3	दिशा दर्शन कार्यक्रम	महिला स्व-सहायता समूहों के सुदृढीकरण हेतु उनकी क्षमता विकास के लिए दिशा दर्शन कार्यक्रम अंतर्गत राज्य के भीतर एवं बाहर उपयुक्त स्थानों का अध्ययन भ्रमण कराया जाता है ताकि महिलाएं उनसे प्रेरणा लेकर/इस अनुभव से सीखकर आयोपार्जन गतिविधियों में सम्मिलित हो सकें।
4	गरम भोजन	प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में गरम भोजन के लिए सामग्रियों की आपूर्ति महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है।
5	अन्य	विभागान्तर्गत शासकीय कार्यालयों एवं संस्थानों में महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री की बिक्री को प्राथमिकता दिये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

दिसम्बर 2018 की स्थिति में जिलेवार प्रचलित राशनकार्डों की जानकारी

क्रमांक	जिला	प्राथमिकता	अन्त्योदय	अन्नपूर्णा	निराश्रित	निःशक्तजन	योग
1	बस्तर	131421	48658	240	1065	22	181406
2	बीजापुर	36020	24681	242	16	43	61002
3	दन्तेवाड़ा	40444	30473	139	145	620	71821
4	कांकेर	117821	36337	135	518	217	155028
5	कोंडागांव	91468	33785	122	578	10	125963
6	नारायणपुर	13256	16926	218	117	17	30534
7	सुकमा	38644	34683	101	117	10	73555
8	बिलासपुर	287305	92619	263	5557	580	386324
9	गौरैला-पेन्डा-मरवाही	66162	28353	147	425	43	95130
10	जांजगीर-चाम्पा	193889	47671	145	3042	791	245538
11	कोरबा	187718	55913	264	3027	79	247001
12	मुंगेली	139804	51024	167	1726	200	192921
13	रायगढ़	185521	68225	285	2822	144	256997
14	बालोद	127567	30170	202	1182	806	159927
15	बेमेतरा	143509	41372	412	4520	292	190105
16	दुर्ग	223121	73651	302	2674	2389	302137
17	कवर्धा	155791	65624	142	1258	58	222873
18	राजनांदगांव	136605	38662	229	417	212	176125
19	बलौदा बाजार-भाटापारा	201926	45634	163	2929	650	251302
20	धमतरी	119704	44856	295	966	217	166038
21	गरियाबंद	113655	48118	209	1675	362	164019
22	महासमुंद	222598	55272	312	3640	1172	282994
23	रायपुर	282665	61711	335	4287	794	349792
24	बलरामपुर	112719	54305	326	1270	32	168652
25	जशपुर	139337	55748	172	1202	74	196533
26	कोरिया	45970	17013	71	305	22	63381
27	सरगुजा	152000	64628	545	1338	124	218635
28	सूरजपुर	137810	55602	283	1503	88	195286
29	खैरागढ़-छुईखदान-गडई	63130	17713	70	686	20	81619
30	मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी	41637	17259	71	85	45	59097
31	सक्ती	139290	41300	177	3240	362	184369
32	सारंगढ़-बिलाईगढ़	120211	42989	337	2633	95	166265
33	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	52219	23880	156	471	40	76766
	योग	4260937	1464855	7277	55436	10630	5799135


 अज्ञान जयिकारी
 उच्च न्यायिक अधिकारी एवं जनसंघ संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

परीशेष - छः
तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 823) की जानकारी

“प्रपत्र”

अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी, 2020 से दिसंबर, 2023 तक जिन
ग्राम पंचायतों में रेत खनन की अनुमति प्रदान की गयी
उन रेत खदानों की जानकारी

क्र	पट्टेदार का नाम	रेत खदान समूह का नाम	खदान का नाम	ग्राम पंचायत/ विकासखंड	खसरा नं.	रकबा हेक्टर में	लीज अवधि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री अनिकेत सिंग	रायपुर-बी	लखना-बी	कोलियारी/ अभनपुर	866	3.00	04.01.2020 से 03.01.2023	अवधि समाप्त
2	श्री दीपक कुमार चन्द्राकर	रायपुर डी	कुम्हारी	कुम्हारी/ आरंग	1882	4.00	21.12.2023 से 20.12.2025	संचालित



अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, अटल नगर-492002

परोशिष्ट - सात
तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 938) की जानकारी

“प्रपत्र”

जिला बस्तर के विकासखण्डों में वर्ष 2021-22 से 2023-24 में 15 जनवरी, 2024 तक क्रेडा द्वारा स्थापित संयंत्र/उपकरणों की विकासखण्डवार संख्यात्मक जानकारी:-

क्र.	जिले का नाम	कार्य/संयंत्र का नाम	विकासखण्ड	संयंत्र संख्या	कार्यशील	अकार्यशील
1	बस्तर	सोलर पॉवर प्लांट संयंत्र की स्थापना	जगदलपुर	13	11	2
2			बस्तर	1	1	0
3			बकावण्ड	3	3	0
4			लोहण्डीगुड़ा	2	2	0
5			तोकापाल	3	3	0
6			बास्तानार	0	—	—
7			दरभा	9	9	—
		योग		31	29	2
8		सोलर हाईमास्ट संयंत्र की स्थापना	जगदलपुर	71	71	0
9			बस्तर	37	37	0
10			बकावण्ड	35	35	0
11			लोहण्डीगुड़ा	14	14	0
12			तोकापाल	15	15	0
13			बास्तानार	21	21	0
14			दरभा	22	21	1
		योग		215	214	1
15		सौर सुजला योजना अंतर्गत सोलर सिंचाई पम्प की स्थापना	जगदलपुर	220	204	16
16			बस्तर	512	485	27
17			बकावण्ड	752	729	23
18			लोहण्डीगुड़ा	226	216	10
19			तोकापाल	182	173	9
20			बास्तानार	264	247	17
21			दरभा	133	118	15
		योग		2289	2172	117
22		जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत सोलर पेयजल पम्प की स्थापना	जगदलपुर	29	27	2
23			बस्तर	70	70	0
24			बकावण्ड	98	98	0
25			लोहण्डीगुड़ा	25	25	0
26	तोकापाल		33	32	1	
27	बास्तानार		16	16	0	
28	दरभा		45	45	0	
	योग		316	313	3	


उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

29	बस्तर	पेयजल हेतु सोलर ड्यूल पम्प की स्थापना	जगदलपुर	9	9	0
30			बस्तर	10	10	0
31			बकावण्ड	11	11	0
32			लोहण्डीगुड़ा	12	12	0
33			तोकापाल	2	2	0
34			बास्तानार	6	6	0
35			दरभा	15	15	0
			योग		65	65
36		सौर सामुदायिक सिंचाई योजना अंतर्गत सोलर सिंचाई पंप की स्थापना	जगदलपुर	0	—	—
37			बस्तर	0	—	—
38			बकावण्ड	7	6	1
39			लोहण्डीगुड़ा	0	—	—
40			तोकापाल	0	—	—
41			बास्तानार	0	—	—
42			दरभा	0	—	—
			योग		7	6
43		सोलर जल शुद्धिकरण संयंत्रों की स्थापना (फ्लोराईड रिमूवल प्लांट)	जगदलपुर	0	—	—
44			बस्तर	0	—	—
45			बकावण्ड	3	3	0
46			लोहण्डीगुड़ा	0	—	—
47			तोकापाल	0	—	—
48			बास्तानार	0	—	—
49			दरभा	0	—	—
			योग		3	3
50		सोलर पावर प्लांट द्वारा संचालित स्ट्रीट लाईट की स्थापना	जगदलपुर	2	2	0
51			बस्तर	1	1	0
52			बकावण्ड	3	3	0
53			लोहण्डीगुड़ा	1	1	0
54	तोकापाल		2	0	2	
55	बास्तानार		0	—	—	
56	दरभा		1	1	0	
	योग			10	8	2
	महायोग		2936	2810	126	


उप-सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र

खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि।

क्र	ग्राम का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम जहा भवन स्वीकृत नहीं हुआ है।	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम जहां जर्जर भवन है	जर्जर भवन जो निष्प्रयोजित किये जा चुके है	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	बाजगुडा	बाजगुडा 2	-	-	भवन स्वीकृति हेतु शेष
2	कुकुरमुडा	कुकुरमुडा 2	-	-	
3	दुल्लापुर	दुल्लापुर	-	-	
4	नर्मदा	नर्मदा	-	-	
5	पटपर	पटपर	-	-	
6	रंगकठेरा	-	रेगाकठेरा 2	-	जर्जर घोषित हेतु प्रक्रियाधीन
7	नवागांवकला	-	नवागांवकला	-	
8	मुतेडा	-	मुतेडा 1	-	
9	पेण्डीकला	-	पेण्डीकला 1	-	
10	अकरजन	-	अकरजन 1	-	
11	अकरजन	-	अकरजन 2	-	
12	मंडला	-	मंडला 2	-	
13	पिरचाटोला	-	पिरचाटोला	-	
14	जमलीडीहकला	-	अमलीडीहकला 1	-	
15	रगरा	-	रगरा 2	-	
16	मोहगांव	-	मोहगांव 2	-	निष्प्रयोजन हेतु प्रक्रियाधीन
17	जीराटोला	-	जीराटोला 01	-	
18	झरानदी	-	झरानदी 2	-	
19	कांशीटोला	-	कांशीटोला	-	
20	मुण्डाटोला	-	मुण्डाटोला	-	
21	खैरानवापारा	-	खैरानवापारा 01	-	
22	भावे	-	भावे	-	
23	रामपुरनवागांव	-	रामपुरनवागांव	-	
24	खमतलाई	-	-	खमतलाई	जर्जर घोषित आ.बा केन्द्र
25	केराबोरी	-	-	केराबोरी	
26	गभरा	-	-	गभरा	निष्प्रयोजित घोषित
27	सीताडबरी	-	-	सीताडबरी 01	
28	बुदेली	-	-	बुदेली 01	
29	चारभाठा	-	-	चारभाठा	
30	भदेरा	-	-	भदेरा	
31	मोहगांव	-	-	मोहगांव 1	
32	अचानकपुर	-	-	अचानकपुर 01	

पारोशेष्ट - नो

तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 983) की जानकारी

प्रपत्र

खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में कस्टम मिलिंग हेतु मिलरों की संख्या एवं क्षमता की
विकासखंडवार जानकारी

क्र.	विकासखण्डवार का नाम	मिलर का नाम	मिल का किस्म	मासिक मिलिंग क्षमता मे.टन में
1		अन्नपूर्णा एगो इंडस्ट्रीज	अरवा	1200.00
2		आर वी एगो इंडस्ट्रीज	अरवा	1200.00
3		एनएस. मिलिंग	अरवा	800.00
4		ओम गंगा राइस इंडस्ट्रीज	अरवा	2000.00
5		ओम शांति राइस प्रोडक्ट	अरवा	800.00
6		खंडेलिया राइस मिल	अरवा	1200.00
7		गायत्री राइस प्रोडक्ट	अरवा	1000.00
8		जय अंबे एगोटेक	अरवा	1200.00
9		जय अंबे राइस मिलिंग इंडस्ट्रीज	अरवा	1400.00
10		जय दुर्गा राइस मिल	अरवा	1200.00
11		डी एल केडिया एंड कंपनी	अरवा	1200.00
12		दीपक फूड प्रोडक्ट	अरवा	1200.00
13		पंच देव मिलिंग इंडस्ट्रीज	अरवा	1200.00
14		पवनसुत एगो इंडस्ट्रीज	अरवा	2400.00
15		बद्रीनारायण मोहनलाल	अरवा	1200.00
16		बालाजी राइस इंडस्ट्रीज	अरवा	1400.00
17		भगवती राइस मिल	अरवा	800.00
18		मधु इन्टरप्राइजेस	अरवा	400.00
19		महाराजा ट्रेडिंग कंपनी	अरवा	1392.00
20		महाराजा मिनी राइस मिल	अरवा	1400.00
21		महावीर राइस इंडस्ट्रीज	अरवा	2400.00
22		मारुति राइस मिल	अरवा	800.00
23		मेसर्स अन्नपूर्णा टेडर्स	अरवा	1800.00
24		मेसर्स एलसीएसके. एगो	अरवा	800.00
25	अकलतरा	मेसर्स कमलनारायण राइस मिल	अरवा	1200.00
26		मेसर्स खंडेलिया एगो प्रोडक्ट्स	अरवा	1200.00
27		मेसर्स दादी क्रिपा राइस मिल	अरवा	1800.00
28		मेसर्स महालक्ष्मी राइस मिल	अरवा	1400.00
29		मेसर्स लक्ष्मी राइस मिल	अरवा	1800.00
30		मेसर्स लक्ष्मी राइस मिल	अरवा	1200.00
31		मेसर्स लालजी चंद्रशेखर कौशिक	अरवा	1200.00
32		मेसर्स सुभाश ट्रेडिंग कंपनी	अरवा	1800.00
33		रशीक बिहारी फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड	अरवा	3200.00
34		राधा कृष्णा राइस मिल	अरवा	1400.00
35		रानी सती राइस इंडस्ट्रीज	अरवा	1800.00
36		लक्ष्मीनारायण इंडस्ट्रीज	अरवा	1200.00
37		लड्डू गोपाल राइस मिल	अरवा	2008.00
38		शिवशक्ति चावल उद्योग	अरवा	1200.00
39		श्याम बाबा एगो	अरवा	1000.00
40		श्री जीन माता राइस मिल	अरवा	1000.00
41		श्री महामाया राइस मिल	अरवा	1400.00
42		श्री महामाया राइस मिल	अरवा	1600.00

43		श्री राईस इंडस्ट्रीज	अरवा	800.00
44		श्री राम राइस मिल	अरवा	1000.00
45		संतोष टेडर्स	अरवा	800.00
46		सत्य कौशल पेडी प्रोसेसर	अरवा	1800.00
47		सत्यकौशल फूड	अरवा	1600.00
48		सिंघाई राइस मिल	अरवा	1200.00
49		हरिक्रिपा एगो प्रोडक्ट	अरवा	600.00
50	अकलतरा	आकाश राइस मिलिंग इंडस्ट्रीज	उसना	1400.00
51		ओम गंगा राइस इंडस्ट्रीज	उसना	1800.00
52		गायत्री राइस प्रोडक्ट	उसना	1200.00
53		डीएल केडिया कंपनी	उसना	1400.00
54		दीपक राईस प्रोडक्ट	उसना	1600.00
55		पवनसूत एगो इंडस्ट्रीज	उसना	2400.00
56		बगडिया राईस इण्डस्ट्रीज	उसना	1400.00
57		बद्रीनारायण मोहनलाल	उसना	1400.00
58		भगवती राइस मिल	उसना	1000.00
59		महावीर राइस इंडस्ट्रीज	उसना	1600.00
60		मेसर्स लक्ष्मी राइस मिल	उसना	1600.00
61		मेसर्स विजय लक्ष्मी राइस मिल	उसना	1600.00
62		रशीक बिहारी फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड	उसना	3200.00
63		शारदा राइस प्रोडक्ट	उसना	1400.00
64		श्री किसान राइस मिल	उसना	1200.00
65		श्री साई चावल उद्योग	उसना	1600.00
66		सत्य कौशल पेडी प्रोसेसर	उसना	1600.00
67		नवागढ़	अनारकली फूड इण्डस्ट्रीज	अरवा
68	एम जे एगो इंडस्ट्रीज		अरवा	1200.00
69	गणपति इंडस्ट्रीज		अरवा	600.00
70	चुन्नीलाल रामनिवास पेंडरी जांजगीर		अरवा	1000.00
71	जे जी एगो मिलिंग		अरवा	1296.00
72	तिरूपति राईस मिल		अरवा	1600.00
73	नारायणी एगो मिल		अरवा	1200.00
74	पारस राईस मिल		अरवा	1600.00
75	पिरुमल राधावल्लभ		अरवा	800.00
76	मा सती एगो		अरवा	900.00
77	मा सती राइस मिल		अरवा	1000.00
78	मिथलेश कुमार अग्रवाल		अरवा	2400.00
79	मेसर्स जिंदल राइस मिल		अरवा	1600.00
80	मेसर्स बैजनाथ फूड प्रोडक्ट मिल		अरवा	800.00
81	मेसर्स महालक्ष्मी राईस मिल		अरवा	1800.00
82	मेसर्स रामनारायण सत्यनारायण अग्रवाल		अरवा	1200.00
83	मेसर्स विष्णु राइस मिल सेमरा		अरवा	1600.00
84	मेसर्स सत्यनारायण अग्रवाल		अरवा	1200.00
85	माँ कृपा राईस मिल		अरवा	1200.00
86	रामनारायण सत्यनारायण अग्रवाल		अरवा	2400.00
87	रामशंकर राइस मिल		अरवा	1200.00
88	विष्णु एगो मिलिंग इंडस्ट्रीज		अरवा	1600.00
89	शारदा राइस इण्डस्ट्रीज		अरवा	1200.00
90	शारदा एगो इण्डस्ट्रीज		अरवा	1200.00

91		शारदा राइस मिल	अरवा	800.00
92		श्री कृष्णा राइस प्रोडक्ट	अरवा	800.00
93		श्री जयप्रकाश एगो मिलिंग इण्डस्ट्रीज	अरवा	1200.00
94		श्री नरबदी फूड कंपनी	अरवा	1200.00
95		श्री बैजनाथ पैराबाइलिंग इंडस्ट्रीज	अरवा	1200.00
96		श्री बैजनाथ फूड प्रोडक्ट	अरवा	1200.00
97		श्री महालक्ष्मी राइस मिल पेंडी	अरवा	1800.00
98		हसदेव राइस मिल	अरवा	800.00
99		श्री हरि राइस मिल	अरवा	800.00
100	नवागढ़	पिरुमल राधावल्लभ	उसना	1600.00
101		मेसर्स तिरुपति राइस मिल	उसना	2400.00
102		मेसर्स महालक्ष्मी राइस मिल	उसना	1600.00
103		मेसर्स मिथिलेश कुमार अग्रवाल	उसना	1200.00
104		मेसर्स रामनारायण सत्यनारायण अग्रवाल	उसना	1600.00
105		श्री कृष्णा राइस प्रोडक्ट	उसना	1200.00
106		श्री बालाजी राइस मिल बनारी	उसना	1000.00
107		श्री राम राइस मिल नैला	उसना	1200.00
108		श्री विष्णुप्रिया एगो मिलिंग बनारी	उसना	1200.00
109		श्री श्याम ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	उसना	4904.00
110		सावित्री राइस प्रोडक्ट	उसना	1200.00
111	हसदेव राइस मिल	उसना	1200.00	
112	पामगढ़	ओमकार एगो टेक	अरवा	2000.00
113		ओमकार एगो टेक	अरवा	1200.00
114		कस्तूरी राइस प्रोडक्ट	अरवा	1600.00
115		कान्हा इंडस्ट्रीज	अरवा	1600.00
116		जोरबा एगो इण्डस्ट्रीज	अरवा	1200.00
117		मेसर्स आर के चावल उद्योग	अरवा	1200.00
118		मेसर्स ओमकार एगो टेक	अरवा	2400.00
119		मेसर्स के.टी.एस. संस इण्डस्ट्रीज	अरवा	1200.00
120		मेसर्स गिरिराज इंडस्ट्रीज	अरवा	1200.00
121		मेसर्स राज एगो इंडस्ट्रीज	अरवा	1200.00
122		राम एगो	अरवा	1600.00
123		श्री ओम एगो इंडस्ट्रीज	अरवा	1000.00
124	सम्राट राइस मिल	अरवा	1200.00	
125	सिद्धि विनायक चावल उद्योग	अरवा	800.00	
126	पामगढ़	ओमकार एगो टेक	उसना	2400.00
127		कान्हा राइस प्रोडक्ट	उसना	2400.00
128		गुरु राइस प्रोडक्ट	उसना	1000.00
129		मेसर्स कृष्णा राइस मिल	उसना	1200.00
130		मेसर्स गिरिराज इंडस्ट्रीज	उसना	1400.00
131		मेसर्स लक्ष्मी एगो इंडस्ट्रीज	उसना	1600.00
132	बम्हनीडिह	उषा एगो इंडस्ट्रीज	अरवा	800.00
133		कान्हा राइस मिल	अरवा	1200.00
134		जय श्री राइस मिल	अरवा	800.00
135		नहरिया हनुमान राइस प्रोडक्ट	अरवा	1200.00
136		नारायणी राइस मिल	अरवा	2000.00
137		मेसर्स सीता राइस मिल	अरवा	1600.00
138		श्याम बाबा राइस मिल	अरवा	1200.00

139		श्री आरकेडी फ्लोरिस राईस मिल प्रा. लिमि.	अरवा	1240.00
140		संस्कार राईस मिल	अरवा	800.00
141		सत्यम राईस प्रोडक्ट	अरवा	1200.00
142	बम्हनीडिह	श्री आरकेडी फ्लोरिस राईस मिल प्रा. लिमि.	उसना	1600.00
143	बलौदा	अर्नव एगोटेक मडवा	अरवा	2400.00
144		अर्पित इण्टरप्राइजेस	अरवा	800.00
145		दिनेश कुमार मिनी राईस मिल	अरवा	496.00
146		बालाजी राईस मिल	अरवा	1200.00
147		मेसर्स शिव शंकर राईस मिल सिवनी सीपीएच	अरवा	800.00
148		राधारानी एगो मिल	अरवा	600.00
149		श्री ओम राईस मिल	अरवा	1800.00
150		श्री ओम राईस मिल	अरवा	1000.00
151		श्री महामाया राईस मिल चांपा	अरवा	1400.00
152		सौम्या राईस प्रोडक्ट	अरवा	800.00
153	बलौदा	अर्नव एगोटेक	उसना	1400.00
154		श्री खाटू श्याम एगो	उसना	1000.00
155		श्री महामाया राईस मिल पीबीसी चांपा	उसना	1000.00


 आरक्षक अधिकारी
 राज्य नगरपालिका आरक्षक एवं पर्यावरण संरक्षण विभाग
 सचिवालय, नया सहापुर, अटल नगर

"प्रपत्र"

जिला खनिज संस्थान न्यास, दुर्ग द्वारा जनवरी 2019 से दिनांक 31 दिसंबर 2023 तक जिला खनिज संस्थान न्यास मद अंतर्गत क्रियान्वयन एजेन्सियों के माध्यम से खरीदी की सामग्री की जानकारी।

क.	खरीदी से संबंधित स्वीकृत कार्य का नाम
1	2
1	09 सामुदायिक केंद्रों में एजेंसी के माध्यम से सोनोग्राफी की व्यवस्था
2	1000 नग स्प्रिंकलर सेट स्थापना भाग-1
3	बाड़ी योजनांतर्गत 3000 हितग्राहियों को सब्जी मिनीकेट वितरण भाग -2
4	दिव्यांगजनो हेतु 116 मोटराईज्ड ट्रायसायकल
5	दिव्यांगजनो हेतु 150 ट्रायसायकल
6	जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 01 सेमी आटों एनेलाईजर
7	जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 02 सीबीसी मशीन
8	जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 02 जनरेटर
9	जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 05 एम्बुलेंस
10	पेयजल व्यवस्था - ट्रैक्टर ट्राली एवं टैंकर कय
11	सब्जी बीज मिनीकेट वितरण 5000 हितग्राही भाग -1
12	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ब्लड स्टोरेज इकाई
13	वरिष्ठ नागरिकों वृद्धजन हेतु एम.आर.कीट, व्हील चेयर, श्रवण यंत्र
14	वरिष्ठ नागरिकों वृद्धजन हेतु एम.आर.कीट, व्हील चेयर, श्रवण यंत्र, ब्रेल कीट, श्वेत छड़ी, कैलीपर्स
15	पी एच सी हेतु उपकरण - रेडियंट वार्मर
16	मदरसा अशरफिया कमेटी सिविल लाईन दुर्ग कम्प्यूटर सेट एवं पुस्तक
17	दारुल उलूम फरिदिया अहलेसुत्रत यतीमखाना बाबा फरीद नगर भिलाई कम्प्यूटर सेट एवं पुस्तक
18	दारुल उलूम फरिदिया अहलेसुत्रत यतीमखाना केम्प नं. 02 पावर हाउस भिलाई कम्प्यूटर सेट एवं पुस्तक
19	भिलाई अल्पसंख्यक कल्याण एवं विकास समिति फरीदनगर सुपेला भिलाई कम्प्यूटर सेट एवं पुस्तक
20	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अग्रेजी माध्यम विद्यालय जामगांव एम विकासखण्ड पाटन जिला दुर्ग छ.ग. में वाटर प्यूरीफायर विथ आरों व वाटर डिस्पेंसर हेतु
21	93 विद्यालयों में सेनेटरी पेड वेडिंग इंसिनिरेटर मशीन हेतु
22	28 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालयों में इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड कार्य हेतु
23	14 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालयों में इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड कार्य हेतु
24	42 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अग्रेजी माध्यम हिन्दी माध्यम विद्यालयों में कम्प्यूटर टेबल एवं फर्नीचर हेतु
25	32 संचालित स्वामी आत्मानंद विद्यालय व नवीन स्वामी आत्मानंद विद्यालय तथा मुख्यमंत्री घोषणा अंतर्गत स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में छात्र फर्नीचर टेबल बेंच, प्रत्येक विद्यालय के लिए 40 नग का प्रदाय
26	40 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अग्रेजी हिन्दी माध्यम विद्यालयों में बेडमिन्टन, खो खो, कबड्डी, व्हालीवाल खेल मैदान हेतु सामग्री एवं मेट व्यवस्था हेतु।
27	मल्टिपैरा मॉनिटर 12, अस्पताल बिस्तर 40, एक्स-रे मशीन 01 सेडोलेस लैम्प 01, ओ.टी.टेबल 01, आटोकलेव 02, काट्री मशीन 01, ए.ए.सी. 1.5 टन 01, सू.एस.जी, जम्बो सिलेण्डर 200 एच.एफ.एन.सी. 03
28	सिविल अस्पताल सुपेला में मरीज के हित के लिये एम्बुलेंस
29	नगर पालिका परिषद अहिवारा - 01 एवं जामुल 01 तथा नगर पालिका निगम चरोदा भिलाई 01 कुल 03 नये एम्बुलेंस मरीजों हेतु।
30	जिला चिकित्सालय दुर्ग, सिविल अस्पताल सुपेला एवं 08 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपकरण की व्यवस्था

अनुभाग अधिकारी

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, अटल नगर-492002

क.	खरीदी से संबंधित स्वीकृत कार्य का नाम
1	2
31	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धमधा में नया जनरेटर 50 के व्ही कय
32	जिला चिकित्सालय हेतु एम्बुलेंस वाहन क्रय
33	जिला अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत जिला चिकित्सालय दुर्ग के लिये उपकरण कय
34	शव परीक्षण गृह, विकासखंड पाटन में मरच्युरी चेंबर 04 बॉडी रेफ्रिजरेटर सिस्टम कय
35	ग्राम पतौरा में पूर्व माध्यमिक शाला में स्मार्ट क्लास के लिए प्रोजेक्टर एवं अन्य सामाग्री कय
36	ग्राम पंचायत पतौरा के लिए ई-रिक्सा हेतु
37	तेल परोई मशीन सतत आजीविका केन्द्र के रूप में विकसित करना
38	04 गौठानों में दाल मिल स्थापना (04 स्थान – लिटिया, बोरी (धमधा)/आलबरस (दुर्ग)/केसरा (पाटन)
39	ग्लेजिंग यूनिट कार्य की स्वीकृत राशि प्रदान करने बाबत
40	गौठान में जैम जेली केचप निर्माण हेतु फूड प्रोसेसिंग इकाई स्थापना
41	दोना पत्तल निर्माण मशीन
42	रीपा अंतर्गत ग्राम पंचायत फुण्डा वि.ख. पाटन में कमर्शियल कोल्ड प्रेसड ऑयल प्रोसेसिंग एण्ड फिड मैनुफैचरिंग मशीन लगाये जाने हेतु
43	गारमेन्ट फैक्ट्री दुर्ग/पाटन
44	मिलक चिलिंग एवं पैकेजिंग पलांट हेतु चंदखुरी जिला दुर्ग
45	शासकीय वि.वाय तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग के छात्रावास में टी व्ही वाटर कुलर, वाटर प्यूरीफायर, थाली(खण्डवाली), गंज, जग, गैस, सिलिण्डर, प्लास्टिक कुर्सी, धामा, आदि कार्य हेतु
46	केन्द्रीय विद्यालय में चिल्ड्रन पार्क एवं ओपन जिम हेतु (स्टैण्ड सी साडक एनिमल एमजीआर, टू सीट स्वीग, सिंगल बार, डबल बार, राकिंग वाटे, लूप रिंग, बैंक एक्सटेंशन सायकल, बॉक्स स्लाइड आदि)
47	जिले में नगरीय निकाय अंतर्गत आमजनता के सुविधा के लिए 3 सीटर विजिटर चेयर
48	प्रयास आवासीय विद्यालय दुर्ग में खेल सामाग्री प्रदाय कार्य हेतु
49	प्रयास आवासीय विद्यालय दुर्ग में खेल मैदान मे ओपन जिम निर्माण कार्य हेतु
50	कलेक्टोरेट दुर्ग के काल सेन्टर में आमजन की सुविधा हेतु सामाग्री 1 नग टी.व्ही. 2 नग ए.सी. 7 नग विजिटर चेयर 5 नग आफिस चेयर 1 नग एकजीटिव चेयर 1 नग वाटर कूलर प्यूरीफायर
51	प्रयास आवासीय विद्यालय संलग्न कन्या छात्रावास में प्रोजेक्टर एवं अन्य उपकरण कार्य
52	प्रयास आवासीय विद्यालय संलग्न बालक छात्रावास में प्रोजेक्टर एवं अन्य उपकरण कार्य
53	कलेक्टोरेट विडियों कांफ्रेसिंग कक्ष में वी.सी. सिस्टम सर्वर्स बिना वातानुकुलित के खराब होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए निश्चित तापमान वातानुकुलित बनाये रखने के लिए 06 नग ए.सी. हेतु।
54	दुर्ग जिले में संचालित छात्रावासों में व्यायाम उपकरण ओपन जिम
55	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास पाटन वि0ख0 पाटन व्यायाम उपकरण ओपन जिम
56	प्रयास आवासीय विद्यालय (कन्या) दुर्ग में स्मार्ट क्लास हेतु इन्ट्रेक्टिव बोर्ड एवं संबंधित अन्य उपकरण कार्य
57	कृषकों को पौध संरक्षण उपकरण-बैटरी स्प्रेयर वितरण
58	सूक्ष्म सिंचाई-स्प्रिंकलर सेट स्थापना
59	गौठानों को आजीविका केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु कार्यरत महिला स्व सहायता समूहों को खाद्य प्रसंस्करण इकाई (मिनी राईस मिल कम फ्लोर मिल) प्रदाय करना
60	जैविक खेती प्रोत्साहन एवं संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन हेतु कृषकों को हरीखाद, सन बीज वितरण
61	जिले के कृषकों को कृषि यंत्र ब्रश कटर वितरण
62	वर्मी कम्पोस्ट नमूनों के विश्लेषण हेतु मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला रुआबांधा का सुदृढीकरण/मरम्मत
63	कृषकों को पौध संरक्षण उपकरण बैटरी स्प्रेयर वितरण
64	सूक्ष्म सिंचाई हेतु स्प्रिंकलर सेट स्थापना
65	जिले के कृषकों को पौध संरक्षण उपकरण-बैटरी स्प्रेयर वितरण
66	दलहन एवं तिलहन क्षेत्र विस्तार हेतु उतेरा फसल के लिए कृषकों को तिवड़ा एवं सरसों बीज वितरण
67	सिंचाई दक्षता विस्तार हेतु सिंचाई पंप वितरण
68	गौठानों में पैरादान प्रोत्साहन हेतु बेलर मशीन प्रदाय करना
69	जिले के कृषकों को पौध संरक्षण उपकरण बैटरी स्प्रेयर वितरण

अनुभाग अधिकारी

खानेज साधन विभाग

मंत्रालय, अटल नगर-492002

क.	खरीदी से संबंधित स्वीकृत कार्य का नाम
1	2
70	कृषकों को सूक्ष्म सिंचाई हेतु स्पिंकलर सेट स्थापना
71	कृषकों को कृषि यांत्रिकीकरण हेतु कृषि यंत्र पावर वीडर प्रदाय करना
72	जिले में सामान्य धान फसल क्षेत्राच्छादन में वृद्धि हेतु कृषकों को सुगंधित धान बीज उपलब्ध कराना
73	गोधन न्याय योजनांतर्गत निर्मित वर्मा कम्पोस्ट नमूनों के विश्लेषण हेतु संभाग स्तरीय वर्मा कम्पोस्ट प्रयोगशाला रूआबांधा जिला दुर्ग में रसायन उपलब्धता
74	सामुदायिक बाड़ी के हितग्राहियों को मसाला फसलों के प्रसंस्करण हेतु पल्वेराईजर का वितरण
75	लघु एवं सीमान्त कृषकों को सब्जी मिनीकिट वितरण (3000 मिनीकिट)
76	मुनगा पौध रोपण स्थल पर ग्राम भाठागांव (औरी) विकासखण्ड पाटन में सोलर पम्प संयंत्र स्थापना
77	सब्जी क्षेत्र विस्तार - प्याज 600 हेक्टेयर
78	रोटरी ट्रिलर (8 एच.पी. से कम) वितरण संख्या
79	उद्यानिकी/बाड़ी में संलग्न कृषकों को बैटरी कम हैण्ड ऑपरेटेड नेफसेक स्प्रेयर वितरण (संख्या 2000) क्षमता 16 ली.
80	चारागाह सह सामुदायिक बाड़ी हेतु ड्रिप सिंचाई संयंत्र स्थापना
81	लघु एवं सीमान्त कृषकों को सब्जी मिनीकिट वितरण (3000 मिनीकिट)
82	रोटरी ट्रिलर (8 एच.पी. से कम) वितरण
83	सामुदायिक बाड़ी में संलग्न हितग्राही/कृषकों को सोलर लाईट ट्रेप वितरण 2000 नग
84	जिले के पट्टा धारक सहकारी समितियों को जाल वितरण
85	दुर्ग जिले के एनीकेट/नदी में मत्याखेट हेतु जाल वितरण
86	मत्स्य बीज संचयन
87	परिपूरक आहार वितरण
88	जाल वितरण कार्य
89	पट्टाधारक सिंचाई जलाशयों/तालाबों के लिये नाव प्रदाय कार्य
90	अन्य वृहद जलाशयों /तालाबों के लिए नाव (लकड़ी/चादर/फाईबर) इत्यादी की वितरण
91	दवाई वितरण
92	परिपूरक आहार वितरण
93	जाल वितरण
94	मत्स्य बीज संचयन एवं परिपूरक आहार हेतु
95	गौठान में ट्रेविस स्थापना
96	बकरी इकाई स्थापना
97	चारागाहों में नेपियर रूट लगाने के लिये नेपियर रूट क्रय हेतु
98	आजीविका हेतु मुर्गी एवं बकरी इकाइयों का वितरण
99	इंटकवेल में 04 नग पंप स्थापना हेतु
100	सी-मार्ट जैविक स्थापना हेतु
101	कलेक्टर परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की स्थापना कार्य दुर्ग
102	वार्ड 38 मदर्स मार्केट पावर हाउस परिसर के अंदर सी मार्ट खोले जाने का कार्य
103	जोन 01 अंतर्गत गौठान में पोल्टी फार्म निर्माण कार्य
104	वार्ड क्र.38 पावर हाउस मदर्स मार्केट परिसर के अंदर "सी" मार्ट संचालन हेतु अतिरिक्त सामग्री क्रय
105	वार्ड क्र. 38 पावर हाउस मदर्स मार्केट परिसर के अंदर सी मार्ट खोले जाने हेतु आवश्यक सामग्री क्रय
106	वार्ड क्र. 49 श्री राम चौक मैदान में ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य।
107	नगर पालिक निगम, भिलाई जोन 01 नेहरू नगर एन एच 43 के समीप स्थित गौठान में स्थित गौठान में पेवर ब्लॉक निर्माण मशीन स्थापना कार्य
108	वार्ड क्रमांक 49 श्रीराम चौक मैदान में ट्रांसफार्मर लगाने हेतु अतिरिक्त राशि
109	नगर पालिक निगम भिलाई के नेहरू नगर उद्यान में प्लेनेटोरियम में वातानुकूलित कार्य
110	वार्ड क्र. 65 सेक्टर 10 सड़क 28 में वाटर एटीएम स्थापना कार्य
111	वार्ड क्र. 61 सेक्टर 6 सी मार्केट में वाटर एटीएम स्थापना कार्य

अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, अटल नगर-492002

क. 1	खरीदी से संबंधित स्वीकृत कार्य का नाम 2
112	वार्ड क्र. 65 सेक्टर 02 में वाटर एटीएम स्थापना कार्य
113	वार्ड क्र. 61 सेक्टर 06 पूर्व में वाटर एटीएम स्थापना कार्य
114	वार्ड क्र. 62 सेक्टर 06 में 1 नग वाटर एटीएम स्थापना कार्य
115	वार्ड क्र. 55 सेक्टर 02 सड़क 5 बी मार्केट में वाटर एटीएम स्थापना कार्य
116	वार्ड क्र. 39 सोनिया गांधी नगर स्थित राम्हेपुर बस्ती में वाटर एटीएम स्थापना कार्य
117	पुलिस परफारमेंस जिम में जिम सामग्री क्रय कार्य
118	सेक्टर 06 कोतवाली थाना में हाई मास्क लगाने का कार्य
119	अनुविभागीय कार्यालय, भिलाई-03 हेतु विभिन्न फर्नीचर प्रदाय कार्य
120	नगर पालिक निगम, रिसाली क्षेत्रांतर्गत स्ट्रीट लाईट क्रय कार्य
121	शव वाहन नगर पालिका परिषद् अहिवारा
122	नगर पालिका परिषद् कुम्हारी क्षेत्रान्तर्गत वार्ड क्रमांक 01 बड़ा तालाब में 150 एचपी के ट्रांसफार्मर हेतु।
123	नगर पंचायत पाटन अंतर्गत इंडोर जिम सामग्री हेतु क्रय एवं स्थापना कार्य
124	नगर पालिका परिषद् अमलेश्वर में जीम सामग्री
125	व्हील चेयर 100 नग, बैसाखी 50 नग, सी.पी. चेयर (बडा साईज) 25 नग, वरिष्ठ नागरिक हेतु ट्रायपाट 50 नग, टीडीटूएन53, वाकर 50 नग, विशेष बालको के लिए आजिविका हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम में मटेरियल, फेब्रिक्स बेग एण्ड इलेक्ट्रनिक्स आयटम, फड आयटम एवं अन्य


 अनुभाग अधिकारी
 खानिज साधन विभाग
 मंत्रालय, अटल नगर-492002

प्रपत्र

जिला कबीरधाम अंतर्गत अनाथालयों से बच्चों के गुम या लापता होने संबंधी

क्र	वर्ष	विकासखंड	गुम बालकों की संख्या	व्यवस्थापन
1	2020	कवर्धा	1 बालक	बाल कल्याण समिति के आदेश पर बालक को उसके अभिभावक को सुपुर्द किया गया है।
2	2021	-	निरंक	निरंक
3	2022	-	निरंक	निरंक
4	2023	कवर्धा	1 बालक	शासकीय बालगृह (बालक) कवर्धा में निवासरत है।

परोशिष्ट - तेरह

प्रयत्न

तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 991) की जानकारी

अवैध शराब बिक्री के खिलाफ प्राप्त शिकायत एवं विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की शिकायतकर्ता व अवैध शराब विक्रेता के नामवार, प्रकरणवार एवं धारावार जानकारी

वर्ष 2020-21

क्र.	अवैध शराब बिक्री के शिकायतकर्ता व्यक्ति/संस्था का नाम एवं स्वतः संज्ञान	शिकायत पर की गई कार्यवाही					
		अवैध शराब बिक्री के दर्ज प्रकरण की संख्या	जप्त मदिरा की मात्रा (ली.में)	जप्त वाहनों की संख्या	आरोपियों की संख्या	अवैध शराब विक्रेता का नाम	धारा जिसके तहत प्रकरण दर्ज किया गया
1	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री अभिषेक जैन, प्रदेश अध्यक्ष व्यापारी प्रकोष्ठ, आम आदमी पार्टी जिला कार्यालय बी.टी.आई. रोड बिजली ऑफिस के सामने महासमुंद	-	-	-	-	-	अवैध शराब बिक्री की उक्त शिकायत की जांच में अवैध शराब बिक्री की पुष्टि नहीं हुई।

वर्ष 2021-22

क्र.	अवैध शराब बिक्री के शिकायतकर्ता व्यक्ति/संस्था का नाम एवं स्वतः संज्ञान	शिकायत पर की गई कार्यवाही					
		अवैध शराब बिक्री के दर्ज प्रकरण की संख्या	जप्त मदिरा की मात्रा (ली.में)	जप्त वाहनों की संख्या	आरोपियों की संख्या	अवैध शराब विक्रेता का नाम	धारा जिसके तहत प्रकरण दर्ज किया गया
1	3	4	5	6	7	8	9
1	स्वतः संज्ञान	1	1.8	-	1	आयुष महापात्रा पिता उमेश महापात्रा, उम्र 21 वर्ष साकिन सरायपाली जिला महासमुंद	34 (1)(ख)
2	सुमित्रानंद भोई जनपद पंचायत सरायपाली जिला-महासमुंद (छ.ग.)	-	-	-	-	-	अवैध शराब बिक्री की उक्त शिकायत की जांच में अवैध शराब बिक्री की पुष्टि नहीं हुई।
3	ग्राम पंचायत तोसगांव अश्रित ग्रामवासी मनकी	निरंक					अवैध शराब बिक्री की उक्त शिकायत की जांच में अवैध शराब बिक्री की पुष्टि नहीं हुई किन्तु मौके पर जांच तलाशी के दौरान अवैध मदिरा बरामद होने के कारण अवैध धारण के 02 प्रकरण आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क), 34 (2) के तहत

4	कुशुमबाई जय मां चन्द्रहासनी महिला स्वसहायत समुह, चानाट	निरंक					अवैध शराब बिक्री की उक्त शिकायत की जांच में अवैध शराब बिक्री की पुष्टि नहीं हुई किन्तु मौके पर जांच तलाशी के दौरान अवैध मदिरा बरामद होने के कारण अवैध धारण के 03 प्रकरण आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क), 34(1)(च), 34(2) के तहत दर्ज किये गये हैं।
5	स्वतः संज्ञान	1	0.36	0	1	राजहंस साह	धारा 34(1)(ख)

वर्ष 2022-23

क्र.	अवैध शराब बिक्री के शिकायतकर्ता व्यक्ति/ संस्था का नाम एवं स्वतः संज्ञान	शिकायत पर की गई कार्यवाही					
		अवैध शराब बिक्री के दर्ज प्रकरण की संख्या	जप्त मदिरा की मात्रा (ली.में)	जप्त वाहनों की संख्या	आरोपियों की संख्या	अवैध शराब विक्रेता का नाम	धारा जिसके तहत प्रकरण दर्ज किया गया
1	3	4	5	6	7	8	9
1	स्वतः संज्ञान	-	-	-	-	-	गस्त के दौरान अवैध मदिरा बरामद होने के कारण अवैध धारण के 01 प्रकरण 34(1)(क) श्रीमती सुरेन्द्री देवता के कब्जे से 4 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जप्त कर प्रकरण दर्ज किये गये हैं।
2	चन्दुलाल प्रगाति शील सतनामी समाज तोषगांव	-	-	-	-	-	जांच में शिकायत निराधार पायी गयी।
3	स्वतः संज्ञान	1	2.3	0	1	श्रीमती ममता	धारा 34(1)
4	स्वतः संज्ञान	1	3.2	0	1	लोभा राम जयसवाल धारा	धारा 34(1)(ख)
5	स्वतः संज्ञान	1	4.1	0	1	चैतराम चैधरी	धारा 34(1)(ख)
6	स्वतः संज्ञान	1	3.4	0	1	संजय अग्रवाल	धारा 34(1)(ख)

वर्ष 2023-24 (15.01.2024 तक)

क्र.	अवैध शराब बिक्री के शिकायतकर्ता व्यक्ति/ संस्था का नाम एवं स्वतः संज्ञान	शिकायत पर की गई कार्यवाही					
		अवैध शराब बिक्री के दर्ज प्रकरण की संख्या	जप्त मदिरा की मात्रा (ली.में)	जप्त वाहनों की संख्या	आरोपियों की संख्या	अवैध शराब विक्रेता का नाम	धारा जिसके तहत प्रकरण दर्ज किया गया
1	3	4	5	6	7	8	9
1	स्वतः संज्ञान	1	4.8	-	1	दशरथ दास पिता विसराम, उम्र 60 वर्ष साकिन जोगनीपाली धाना सरायपाली	34(1)(ख)

2	स्वतः संज्ञान	1	3.78	0	1	अतुल बाग	धारा 34(1) (ख)
3	स्वतः संज्ञान	1	3.96	0	1	मनोज साहू	धारा 34(1) (ख)
4	स्वतः संज्ञान	1	4.14	0	1	राजकुमार	धारा 34(1) (ख)
5	स्वतः संज्ञान	1	3.25	0	1	संजय अग्रवाल	धारा 34(1) (ख)
6	स्वतः संज्ञान	1	3.25	0	1	लक्ष्मण चौहान	धारा 34(1) (ख)
7	स्वतः संज्ञान	1	4.14	0	1	खुभपाल सिंह बग्गा	धारा 34(1) (ख)
8	स्वतः संज्ञान	1	3.9	0	1	कश्यप पटेल	धारा 34(1) (ख)
9	स्वतः संज्ञान	1	3.9	0	1	राजू साहू	धारा 34(1) (ख)
10	स्वतः संज्ञान	1	4.32	1	1	छबिलाल पटेल	धारा 34(1) (ख)
11	स्वतः संज्ञान	1	4.5	0	1	श्रीमती गायत्री वैष्णव	धारा 34(1) (ख)
12	स्वतः संज्ञान	1	3.6	0	1	सुखलाल	धारा 34(1) (ख)
13	स्वतः संज्ञान	1	3.24	0	1	श्रीराम कलार	धारा 34(1) (ख)
14	स्वतः संज्ञान	1	3.78	0	1	मोहन	धारा 34(1) (ख)
15	टोल फ्री शिकायत क्रमांक 2035	-	-	-	-	-	अवैध शराब बिक्री की उक्त शिकायत की जांच में अवैध शराब बिक्री की पुष्टि नहीं हुई।
16	टोल फ्री शिकायत क्रमांक 3515	-	-	-	-	-	अवैध शराब बिक्री की उक्त शिकायत की जांच में अवैध शराब बिक्री की पुष्टि नहीं हुई किन्तु मौके पर जांच तलाशी के दौरान अवैध मदिरा बरामद होने के कारण अवैध धारण के 02 प्रकरण आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) के तहत दर्ज किये गये हैं।

नियम 46 (2) के अंतर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट - चोदह

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 69) की जानकारी

प्रपत्र

प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा रोजगार उपलब्ध लोगों की जानकारी

मदिरा विक्रय हेतु कर्मचारियों की जानकारी

क्र.	एजेंसी का नाम (मैनपावर)	कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी (मुख्यविक्रयकर्ता, विक्रयकर्ता, एवं मल्टीवर्कर)
1	2	3
1	ए टू जेड इन्फ्रा सर्विसेस प्रा.लिमि. सेक्टर 32, नियर झारसा चौक, गुरुग्राम हरियाण	544
2	सुमीत फैसिलिटीज प्राईवेट लिमिटेड. सुमीत हाउस, 2 फ्लोर प्लॉट क्रं. 64/21 एम.आई.डी.सी. इन्डसट्रियल एरिया, चिन्चवाड, पुणे-411019	532
3	प्राईम वन वर्कफोर्स प्राईवेट लिमिटेड, आर, 47 जोन 2 एम.पी. नगर भोपाल, एम.पी.	1473
4	मेसर्स एलर्ट कमाण्डोस प्रा.लि., 201, 1 फ्लोर 9 मेन आई. ब्लॉक एच.आर.बी.आर. लेयआउट कल्याण नगर, बैंगलोर (कर्नाटका) 560043	467
5	मेसर्स ईगल हन्टर साल्यूशंस लिमिटेड, 61सी कालू साराई, सर्वपरिये विहार नई दिल्ली 110016	650
योग		3666

मदिरा दुकानों की सुरक्षा में कार्यरत सुरक्षागार्ड की जानकारी

क्र.	एजेंसी का नाम (सुरक्षागार्ड)	सुरक्षागार्ड
1	2	3
1	मेसर्स बुंदेलास सेक्युरिटास एण्ड कंसलटेन्स प्रा. लिमि., एल 38 यदुनंदन नगर, बिलासपुर, छ.ग. 495001	623
2	मेसर्स कॉल मी सर्विसेस रायपुर, सी. 101 टैगोर नगर, रायपुर छ.ग. 492001	424
3	मेसर्स एस.आई.एस. इण्डिया लिमिटेड, 204 बी 2 फ्लोर, एम.एम सिल्वर प्लाजा, नियर उद्योग भवन रिंग रोड नं. 01 रायपुर छ.ग. 492001	506
4	मेसर्स ईगल हन्टर साल्यूशंस लिमिटेड, 61सी कालू साराई, सर्वपरिये विहार नई दिल्ली 110016	305
योग		1858

परिशेष - पन्द्रह
परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 134) की जानकारी

“प्रपत्र”

पट्टेदार का नाम, स्थान, खसरा नंबर, रकबा, भूमि का प्रकार
एवं स्वीकृति अवधि की जानकारी

पट्टेदार का नाम	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	स्वीकृत अवधि
श्री समीर पोद्दार	खुर्सीपार	खैरागढ़	34, 35, 36 / 3, 37 / 2	1.393	निजी भूमि	25.08.21 से 24.08.51



अनुभाग अधिकारी
संविदा सामल विभाग

संविदा सामल विभाग, खैरागढ़

परिशेष - सोलह
परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 652) की जानकारी

“प्रपत्र-अ”

मुख्य खनिज

क्र	खनि पट्टेदार का नाम	खनिज का नाम	खदान ग्राम	तहसील	रकबा	राज्य शासन द्वारा खदान स्वीकृति क्र/दिनांक	खदान की अवधि	खदान की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट प्रा.लि. (यूनिट बैकुण्ठ सीमेंट वर्क्स) पता- ग्राम व पोस्ट बैकुण्ठ जिला रायपुर (छ.ग.)	चूनापत्थर	खरोरा एवं केसला	खरोरा	108.335 हे.	एफ 3-4/2016/12 दिनांक 24.03.2021	30.03.2021 से 29.03.2071	कार्यशील

गौण खनिज

क्रं	पट्टेदार का नाम पूर्ण पते सहित	ग्राम एवं तहसील	खसरा नम्बर	रकबा	खनिज	स्वीकृति दिनांक	अवधि	खदान कार्यशील / शिथिल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री राम नारायण साहू, निवासी - हेमन्त भवन गौठियापारा, दुलना, वार्ड 15, पो. आ. - पटेवा, तहसील अभनपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) मो.नं.	दुलना/ अभनपुर	239(भाग), 240	1.120 हेक्टर	निम्नश्रेणी चूनापत्थर	12.01.2021	12.01.2021 से 11.01.2051	कार्यशील
2	मेसर्स खेतान बिल्डकॉन प्रा. लि. डायरेक्टर श्री अरुण कुमार खेतान, निवासी - खेतान बिल्डिंग, मौदहापारा, रायपुर	नकटी खपरी/ तिल्दा	17/10,11, 28, 29/6,7,9, 31/2,3	4.500 हेक्टर	निम्नश्रेणी चूनापत्थर	24.02.2021	24.02.2021 से 23.02.2051	कार्यशील

अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, अटल नगर-402002

क्रं	पट्टेदार का नाम पूर्ण पते सहित	ग्राम एवं तहसील	खसरा नम्बर	रकबा	खनिज	स्वीकृति दिनांक	अवधि	खदान कार्यशील / शिथिल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	मेसर्स जी.के.सी. प्रोजेक्ट लिमि., इंचारज श्री अंकुश रेड्डी, निवासी - शदाणी दरबार के पास, बेनियान 85, छ.ग. गृह निर्माण मंडल कॉलोनी, बोरियाकला रायपुर,	बेन्द्री/ अभनपुर	1/13	4.00 हेक्टर	निम्नश्रेणी चूनापत्थर	05.06.2021	21.06.2021 से 20.06.2031	कार्यशील
4	मेसर्स मां. शारदा मिनरल्स प्रो. श्री आशीष तिवारी	मंदिरहसौद / आरंग	699	4.048 हे.	निम्नश्रेणी चूनापत्थर	28.05.2021	09.06.2021 से 08.12.2027	कार्यशील
5	श्री श्रीचंद प्रितवानी, आ. श्री खुबचंद प्रितवानी, निवासी - फाफाडीह रायपुर, मो. नं. - 9303543774	नरदहा/ आरंग	1966 टु.	1.558 हेक्टर	निम्नश्रेणी चूनापत्थर	24.07.2021	13.08.2021 से 12.08.2051	कार्यशील
6	श्री नेवन्दराम छाबड़िया आ. लोकूमल निवासी लाखेनगर रायपुर मो. 9425210952	मंदिरहसौद / आरंग	709/3	3.50 ए	निम्नश्रेणी चूनापत्थर	07.02.2022	07.02.2022 से 06.02.2027	कार्यशील
7	श्रीमती निधि पांडे पति श्री जी.एल. पांडे निवासी सुंदर नगर रायपुर मो. 9329107516	मंदिरहसौद / आरंग	709/1.5, 711/4.5	4.85 ए	चूनापत्थर	01.09.2022	01.09.2022 से 31.08.2027	कार्यशील
8	श्री चंद्रहास पांडे निवासी- रायपुर मो. 9329107516	मंदिरहसौद / आरंग	721/1, 721/2, 722, 749	1.94 एकड़	चूनापत्थर	28.07.2022	28.07.2022 से 27.07.2027	कार्यशील
9	श्री चुन्नी लाल बजाज आ. श्री मंगलूमल बजाज नि. फाफाडीह रायपुर मो. 9827167540	धनसूली/ आरंग	665, 669	2.80 ए	निम्नश्रेणी चूनापत्थर	23.10.2021	18.05.2022 से 17.05.2027	कार्यशील
10	मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल्स, प्रो. श्री त्रिपतपाल सिंह भुई, निवासी - शंकर नगर, वीआईपी क्लब के पास, रायपुर (छ.ग.)	धनसूली/ आरंग	714/1, 740, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 755, 759 टु., 760, 761, 773	4.970 हेक्टर	निम्नश्रेणी चूनापत्थर	08.09.2022	15.09.2022 से 14.09.2052	कार्यशील
11	जे.के. स्टोन कटिंग इंडस्ट्रीज पार्ट. श्री उमेद बाफना एवं श्री संतोष कुमार यादव, निवासी - गांधी चौक महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)	पारागांव/ आरंग	1855, 1860 भाग	1.92 हेक्टर	फर्शीपत्थर	29.12.2022	06.03.2023 से 05.03.2053	कार्यशील

अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग

पटना, अटल नगर-492002

क्रं	पट्टेदार का नाम पूर्ण पते सहित	ग्राम एवं तहसील	खसरा नम्बर	रकबा	खनिज	स्वीकृति दिनांक	अवधि	खदान कार्यशील / शिथिल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	मेसर्स श्री महालक्ष्मी लाईम स्टोन्स, प्रो. श्री जितेन्द्र अग्रवाल, आ. स्व. श्री भगवान दास अग्रवाल, निवासी - कुल होम अपार्टमेंट, थंड फ्लोर, म.नं. बी 302, दलदल सिवनी मोवा रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग)	धनसूली/ तिल्दा	543/4, 540/5, 543/11, 543/14	2.813 हेक्टर	निम्नश्रेणी चूनापत्थर	10.04.2023	09.05.2023 से 08.05.2053	कार्यशील
13	मेसर्स आरती इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डकॉन लिमि. संचालक श्री राजीव मुंदडा आ. श्री कैलाशनाथ मुंदडा निवासी - आरती हाउस, अशोका रतन, विधानसभा रोड़, शंकर नगर रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग)	दोंदेकला/ रायपुर	507/1,5,6 508/1,4, 521, 522/3,4,5, 6 523/2,10,1 1,12	4.663 हेक्टर	निम्नश्रेणी चूनापत्थर	26.05.2023	26.06.2023 से 25.06.2053	कार्यशील
14	मेसर्स माही बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स पार्ट. श्री शैलेश तिवारी निवासी - कृष्णा सुधा निवास, नई दुनिया प्रेस के पास, साईं नगर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग)	मंदिरहसौद / मंदिर हसौद	706/2	10.00 एकड़	निम्नश्रेणी चूनापत्थर	17.08.2023	27.10.2023 से 26.10.2030	कार्यशील
15	श्री दीपक कुमार चंद्राकर	कुम्हारी-ए आरंग	190	5.00 हे.	रेत खदान	13.12.2023	21.12.2023 से 20.12.2025	कार्यशील
16	श्री अनिकेत सिंग निवासी लखना	लखना-बी अभनपुर	866	3.00 हे	रेत खदान	04.01.2020	04.01.2020 से 03.01.2023	अवधि समाप्त
17	श्री जितेन्द्र जायसवाल रायपुर छ.ग.	सुंगेरा- सी तिल्दा	231	5.00 हे.	रेत खदान	04.01.2020	04.01.2020 से 03.01.2023	अवधि समाप्त


अनुभाग अधिकारी
 खनिज साधन विभाग
 मंत्रालय, अटल नगर-110022

"प्रपत्र-ब"

क्र.	शिकायत दिनांक	शिकायत कर्ता का नाम	ग्राम पंचायत का नाम /नगर क्षेत्र	विषय वस्तु	शिकायत पर की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
1	30.01.2020	श्री अजय झांझरी	ग्राम पंचायत नरदहा	खदान क्षेत्र में नियम के विरुद्ध किये जा रहे खनन में रोक लगाने व जांच के संबंध में।	अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर समझौता राशि रुपये 5,60,000/- जमा कराया गया है।
2	02.03.2021	श्री प्रेम शंकर यदु, सरपंच ग्राम पंचायत धनसूली,	ग्राम पंचायत धनसूली आरंग	ग्राम पंचायत धनसूली (खपरी) के पत्थर खदानों में हैवी बोर ब्लास्टिंग पर प्रतिबंध हेतु।	संचालित खदानों में किये जा रहे ब्लॉस्टिंग की नियमानुसार जांच हेतु निदेशक खान सुरक्षा, महानिदेशालय बिलासपुर को पत्र दिनांक 31.05.2022 प्रेषित किया गया है।
3	07.07.2021	श्री कमल बांधे, जिलाध्यक्ष रायपुर, छत्तीसगढ़ मजदूर यूनियन (पं.क्र. 660) बस स्टैण्ड बंगोली, विख. तिल्दा जिला रायपुर	ग्राम पंचायत धनसूली मूरा	बिना रायल्टी पर्ची का ट्रको में गिट्टी का अवैध परिवहन एवं हैवी ब्लास्टिंग की शिकायत बाबत। ग्राम पंचायत धनसूली (मूरा)	कुल 32 बुक अभिवहन पास एवं दस्तावेजों की जांच की गई। अभिवहन पास जारी किया जाना पाया गया। हैवी ब्लास्टिंग किये जाने संबंधी जानकारी ली गई, प्राप्त जानकारी अनुसार खदान संचालक द्वारा कन्ट्रोल ब्लास्टिंग लायसेंसी एजेंसी बालाजी एवं पायनियर के द्वारा कराया जाता है।
4	16.12.2021	श्री सूरजलाल साहू, जनपद सदस्य नि.क्षेत्र क्र. 09 जनपद पंचायत अभनपुर	ग्राम पंचायत बेन्द्री	ग्राम बेन्द्री के पत्थर खदान में अवैध खनन रोकने बाबत।	ग्राम बेन्द्री तहसील अभनपुर में अवधि दिनांक 21.06.2021 से 20.06.2031 तक 500167 टन प्रतिवर्ष उत्खनन अनुमति हेतु पर्यावरण सम्मति प्राप्त कर स्वीकृत होकर संचालित है। स्वीकृत क्षेत्र में नियमानुसार अभिवहन पास के माध्यम से खनिज का उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा है। शिकायत निराधार पाया गया।
5	24.02.2022	श्रीमती नूतन ध्रुव, सरपंच ग्राम पंचायत मूरा, विकास खण्ड तिल्दा जिला रायपुर	ग्राम पंचायत मूरा	ग्राम मूरा चल रही अवैध खनन को तत्काल रोक लगाने बाबत।	ग्राम मूरा तहसील खरोरा जिला रायपुर अंतर्गत खनिज चूनापत्थर के कुल 25 निम्न श्रेणी चूनापत्थर उत्खनिपट्टा पर्यावरण सम्मति प्राप्त कर स्वीकृत होकर संचालित है। जिनकी नियमानुसार नियमित जांच की जाती है। जांच के दौरान मेसर्स साईं मिनरल्स प्रो. श्रीमती अमीता सिंघानिया के खदान में स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन पाये जाने पर खदान संचालक के विरुद्ध अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार समझौता राशि रुपये 1,85,000/- जमा कराया गया है।
6	31.05.2022	श्री दिनेश खूटे, पूर्व	ग्राम पंचायत	अवैध क्रेशर को सील करने	शिकायत पत्र में उल्लेखित क्षेत्र ग्राम मटिया, दौंदेकला एवं ग्राम लालपुर तहसील धरसीवा, जिला रायपुर क्षेत्र



अनुभाग अधिकारी

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, अटल नगर-492002

क्र.	शिकायत दिनांक	शिकायत कर्ता का नाम	ग्राम पंचायत का नाम / नगर क्षेत्र	विषय वस्तु	शिकायत पर की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
		जनपद सदस्य धरसीवा, ग्राम दोंदेकला तहसील धरसीवा जिला रायपुर	लालपुर	बाबत्। ग्राम लालपुर (धरसीवा)	अंतर्गत ग्राम मटिया में 03 ग्राम दोंदेकला में 05 एवं ग्राम लालपुर में 01 खनिपट्टा स्वीकृत है। इन खदानों के निरीक्षण के दौरान ग्राम दोंदेकला में श्री हितेश कुमार नागवानी द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन पाये जाने पर हितेश नागवानी के विरुद्ध अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर समझौता राशि रुपये 1,05,000/- जमा कराया गया है।
7	31.05.2022	श्री दिनेश खूटे, पूर्व जनपद सदस्य धरसीवा, ग्राम दोंदेकला तहसील धरसीवा जिला रायपुर	ग्राम पंचायत लालपुर	अवैध क्रेजर को सील करने बाबत्। ग्राम लालपुर (धरसीवा)	ग्राम लालपुर में श्री अखिलेश कुमार द्वारा अवैध उत्खनन पाये जाने पर अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर समझौता राशि रुपये 2,01,000/- जमा कराया गया है।
8	31.05.2022	श्री दिनेश खूटे, पूर्व जनपद सदस्य धरसीवा, ग्राम दोंदेकला तहसील धरसीवा जिला रायपुर	ग्राम पंचायत मटिया	मटिया धरसीवा में गंगोत्री लाईम स्टोन की जांच करने बाबत्।	ग्राम मटिया में श्री अमित जांगडे द्वारा अवैध उत्खनन करते पाये जाने पर उसके विरुद्ध अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर समझौता राशि रुपये 76,200/- जमा कराया गया है।
9	24.06.2022	श्री राजेन्द्र प्रसाद बंजारे, ग्राम तुलसी बाराडेरा, पोस्ट कुरुद कैम्प जिला व तहसील रायपुर	ग्राम पंचायत धनसूली आरंग	धनसूली बाराडेरा में त्रिपतपाल के नवीन लीज पर अवैध उत्खनन किये जाने बाबत्।	शिकायत के संबंध में उक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आवेदित क्षेत्र में किसी प्रकार का उत्खनन कार्य होते नहीं पाया गया।
10	06.09.2022	श्री दिलीप सिंह चौहान रायपुर (छ.ग.)	ग्राम पंचायत अकोलडीह खपरी	अकोलडीह खपरी, आरंग में चूनापत्थर लीज के पहले ही उत्खनन की शिकायत बाबत्। हक मिनरल्स पार्ट. मोहम्मद अल्ताफ चौहान	शिकायत के संबंध में उक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आवेदित क्षेत्र में वर्तमान में किसी प्रकार का उत्खनन कार्य होते नहीं पाया गया।
10	27.09.2022	समस्त ग्रामवासी धनसूली तहसील आरंग	ग्राम पंचायत धनसूली आरंग	मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल्स प्रोपराईटर त्रिपतपाल सिंह भुई के प्रकरण के लिए शिकायत पत्र।	शिकायत के संबंध में उक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्र खदान के रूप में स्वीकृत होना पाया गया। स्वीकृत क्षेत्र में खदान प्रारंभ करने हेतु ओवर बर्डन हटाने का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में उक्त खदान में पर्यावरण सम्मति प्राप्त होकर स्वीकृत व संचालित है।

क्र.	शिकायत दिनांक	शिकायत कर्ता का नाम	ग्राम पंचायत का नाम /नगर क्षेत्र	विषय वस्तु	शिकायत पर की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
				ग्राम धनसूची	
12	10.10.2022	श्री परमानंद जांगडे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, ग्राम छतौना वार्ड क्र. 1, जिला रायपुर	नगर पंचायत मंदिरहसौद	मंदिर, की भूमि पर स्वीकृत सीमा क्षेत्र के बाहर खनन, बिना रायल्टी पर्ची के चूनापत्थर उत्खनन, भार क्षमता से अधिक खनिज परिवहन, अवैध भण्डारण किये जाने के संबंध में जांच कार्यवाही बाबत।	शिकायत क्षेत्र में खदान/भण्डारण स्वीकृत है। निरीक्षण दौरान संबंधित पट्टेधारी/अनुज्ञापिधारी द्वारा खदान संचालन नियमानुसार किया जाना पाया गया।
13	05.12.2022	श्रीमती महेश्वरी साहू, सरपंच ग्राम पंचायत निसदा	ग्राम पंचायत निसदा	ग्राम पंचायत निसदा में संचालित फर्शीपत्थर खदान की सीमांकन कराये जाने के संबंध में।	ग्राम निसदा तहसील आरंग जिला रायपुर में निम्न श्रेणी खनिज फर्शीपत्थर के कुल 08 उत्खनिपट्टा पर्यावरण स्वीकृति पश्चात् संचालित है एवं कुल 07 उत्खनिपट्टा खदानों में पर्यावरण सम्मति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलन में है। उपरोक्त खदाने छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 में उल्लेखित नियमों के तहत ही स्वीकृति पश्चात नियमानुसार संचालित की जा रही है।
14	26.12.2022	श्री राजेन्द्र कुमार साहू एवं समस्त ग्रामवासी	ग्राम पंचायत निसदा	ग्राम निसदा तहसील आरंग जिला रायपुर (छ.ग.) में चूनापत्थर खदान संचालित करने के लिए लीज लाईसेंस दिया है उसे रद्द करने बाबत।	
15	25.04.2023	रानुप्रिया (समाजसेविका) सचिव मानव कल्याण एवं ग्रामीण विकास सेवा संस्थान छ.ग.	ग्राम पंचायत दुलना	मानव एवं प्रकृति विनाशक ग्राम दुलना जिला रायपुर में चल रहे अवैध क्लेशर खदानों की जांच कर दोशियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने बाबत।	जांच के दौरान श्रीमति कविता जैन के खदान में उत्खनन संबंधी अनियमितता पाये जाने पर खदान संचालक के विरुद्ध अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार समझौता राशि रूपये 1,21,000/- एवं श्री साकेत जैन के विरुद्ध भी स्वीकृत क्षेत्र बाहर उत्खनन करने पर अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार समझौता राशि रूपये 89,000/-जमा कराया गया है।
16	12.05.2023	समस्त ग्रामवासी धनसूली	ग्राम पंचायत धनसूली	हैवी ब्लॉस्टिंग पर रोक व खदान की	शिकायत के संबंध में ग्राम धनसूली तहसील आरंग जिला रायपुर अंतर्गत स्वीकृत होकर संचालित खदानों में किये जा रहे ब्लॉस्टिंग की नियमानुसार जांच हेतु

क्र.	शिकायत दिनांक	शिकायत कर्ता का नाम	ग्राम पंचायत का नाम / नगर क्षेत्र	विषय वस्तु	शिकायत पर की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
		(बाराडेरा)		लाईसेंस जांच बाबत। ग्राम पंचायत धनसूली (बाराडेरा)	निदेशक खान सुरक्षा, महानिदेशालय बिलासपुर को पत्र दिनांक 10.10.2023 को प्रेषित किया गया है।
17	15.06.2023	श्री दीपक वर्मा (पत्रकार) ग्राम व पोस्ट पोंड, विकासखण्ड अभनपुर जिला रायपुर (छ.ग.)	ग्राम पंचायत दूलना	रायपुर जिले के गोबरा नवापारा समीप ग्राम दूलना में केशर संचालन पर कार्यवाही बाबत।	स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन पाये जाने पर श्रीमती अनिता जैन के विरुद्ध अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए समझौता राशि रुपये 1,05,000/- आरोपित किया गया है। स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन पाये जाने पर श्री साकेत जैन के विरुद्ध अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए समझौता राशि रुपये 89,000/- आरोपित किया गया है। स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन पाये जाने पर श्रीमती कविता जैन के विरुद्ध अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए समझौता राशि रुपये 1,21,000/- जमा कराया गया है।
18	19.06.2023	श्री प्रेमशंकर यदु सरपंच ग्राम पंचायत धनसूली, जनपद पंचायत आरंग	ग्राम पंचायत धनसूली आरंग	ग्राम पंचायत धनसूली गांव से लगे नजदीक चूनापत्थर खदानों जो कि 300 से 500 मीटर से कम दूरी पर स्थित है। उसे पूर्ण रूप से बंद कराने बाबत।	ग्राम धनसूली तहसील आरंग जिला रायपुर में निम्न श्रेणी खनिज चूनापत्थर के कुल 25 उत्खनिपट्टा पर्यावरण स्वीकृति पश्चात् संचालित है। उपरोक्त खदाने छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 में उल्लेखित नियमों के तहत प्रतिबंधित क्षेत्रों से नियमानुसार दूरी छोड़े जाने पश्चात् जांचोंपरांत पूर्व में स्वीकृत की गई थी।
19	03.07.2023	सुरिन्दर कौर सिब्ल याम नगर तेलीबांधा रायपुर	ग्राम पंचायत धनसूली आरंग	मेरी निजी भूमि में अवैध कब्जा कर चूनापत्थर खुदाई कर विक्रय करने बाबत। ग्राम धनसूली तहसील आरंग	निरीक्षण के दौरान खदान क्षेत्र से बाहर अवैध उत्खनन पाये जाने के कारण जीवन लाल बड़वानी के विरुद्ध अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज समझौता राशि रुपये 1,29,000/- जमा कराया गया है।
20	07.08.2023	श्रीमती ललिता कृष्णा वर्मा, जिला पंचायत सदस्य रायपुर क्षेत्र क्र. 13	ग्राम पंचायत धनसूली बाहनाकाडी	चूनापत्थर खदानों में हैवी ब्लास्टिंग रोकने एवं मापदंडों क विपरीत खुदाई पर कार्यवरही बाबत।	शिकायत के संबंध में ग्राम धनसूली तहसील आरंग जिला रायपुर अंतर्गत स्वीकृत होकर संचालित खदानों में किये जा रहे ब्लॉस्टिंग की नियमानुसार जांच हेतु निदेशक खान सुरक्षा, महानिदेशालय बिलासपुर को पत्र दिनांक 10.10.2023 को प्रेषित किया गया है।

अनुचाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग

संपर्क, सचन काल-492600

पारोक्ष - सत्रह
पारोक्षित अतारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 795) की जानकारी

प्रपत्र 3

देशी एवं विदेशी शराब में अधिरोपित शुल्कों का विवरण

क्र.	उद्देश्य	दर	अधिरोपण की अवधि	
			से	तक
1	2	3	4	5
1	विशेष आबकारी शुल्क (अधोसंरचना उन्नयन हेतु) ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 महामारी के फैलाव के विरुद्ध अधोसंरचना के उन्नयन के लिये राशि की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति हेतु	देशी मदिरा के फुटकर विक्रय दर पर प्रतिनग (बोतल, अद्धा एवं पाव) रूपये 10/-	02-05-2020	निरंतर
2	(अतिरिक्त आबकारी शुल्क) विशेष कोरोना शुल्क (कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक राशि की प्रतिपूर्ति हेतु	विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) के फुटकर विक्रय दर पर 10/-	15-05-2020	31-03-2021 के बाद से समाप्त
3	(अतिरिक्त आबकारी शुल्क) गौठान हेतु (पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अधीन गौठान के विकास एवं रख-रखाव हेतु	देशी एवं विदेशी मदिरा (स्प्रिट-न्यूनतम् ड्यूटी दर) के फुटकर विक्रय दर पर प्रतिनग (बोतल, अद्धा एवं पाव) रूपये 05/-	01-04-2020	17-07-2022
		देशी एवं विदेशी मदिरा (स्प्रिट-न्यूनतम् ड्यूटी दर) के फुटकर विक्रय दर पर प्रतिनग (बोतल, अद्धा एवं पाव) रूपये 10/-	18-07-2022	निरंतर
4	(अतिरिक्त आबकारी शुल्क) शिक्षा एवं स्वास्थ्य हेतु (शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वाकांक्षी योजनाओं के वित्त पोषण हेतु	न्यूनतम् ड्यूटी दर की विदेशी मदिरा (स्प्रिट) तथा समस्त प्रकार की बीयर (माल्ट) के फुटकर विक्रय दर पर प्रति नग रूपये 10/- एवं न्यूनतम् ड्यूटी दर के अतिरिक्त समस्त ड्यूटी दर की विदेशी मदिरा (स्प्रिट) के फुटकर विक्रय दर पर प्रति नग रूपये 20/-	01-04-2021	निरंतर

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 795

अधिरोपित दिनांक से 30 नवंबर 2023 तक प्राप्त राशि का विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.	वर्ष	विशेष आबकारी शुल्क	अतिरिक्त आबकारी शुल्क			योग राशि
		(अधोसंरचना उन्नयन हेतु) ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 महामारी के फैलाव के विरुद्ध अधोसंरचना के उन्नयन के लिये राशि की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति हेतु	विशेष कोरोना शुल्क (कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक राशि की प्रतिपूर्ति हेतु)	गौठान हेतु (पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अधीन गौठान के विकास एवं रख-रखाव हेतु)	शिक्षा एवं स्वास्थ्य हेतु (शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वाकांक्षी योजनाओं के वित्त पोषण हेतु)	
1	2	4	3	5	6	7
1	2020-21	266.7	216.65	179.25	0	662.60
2	2021-22	294.26	28.61	203.38	191.03	717.28
3	2022-23	434.04	0	498.19	289.26	1221.49
4	2023.24 (दिनांक 30 नवंबर 2023 तक)	362.25	0	475.33	209.55	1047.13
योग:-		1357.25	245.26	1356.15	689.84	3648.50

प्रपत्र स

1. अतिरिक्त आबकारी शुल्क(विशेष कोरोना शुल्क) एवं अधोसंरचना उन्नयन शुल्क मदों से प्राप्त राशि के विरुद्ध व्यय हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्नयन एवं विकास प्राधिकरण योजना मद में वर्ष 2021-22 में प्रावधानित राशि 400 करोड़ में से स्वामी आत्मानंद अग्रेजी माध्यम स्कूलों के संचालन हेतु राशि रूपये 38.8752 करोड़ सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग को विमुक्त करने की सहमति वित्त विभाग से दी गई है। इसके पश्चात् इस मद की राशि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ही स्कूल शिक्षा विभाग को विमुक्त की जा रही है, अतः यह जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग से ही प्राप्त की जा सकती है।
2. इसके अतिरिक्त इन दोनों मदों की राशि से मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्नयन एवं विकास प्राधिकरण द्वारा अधोसंरचना विकास के कार्यों हेतु भी राशि स्वीकृत कर व्यय किया जाना है। अतः इस मद से व्यय/स्वीकृत राशि की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ही दी जा सकती है।
3. गोठान विकास शुल्क में जमा राशि में से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को 64.72 करोड़, नगरीय प्रशासन विकास विभाग को 9.48 करोड़ एवं कृषि विकास एवं किसान कल्याण को 35.00 करोड़ कुल राशि रूपये 109.19 करोड़ राशि विमुक्त की गयी है। इसके पश्चात् इस मद की राशि कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा ही विमुक्त की जा रही है, अतः यह जानकारी कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग से ही प्राप्त की जा सकती है।
4. शेष जानकारी वित्त विभाग से संबंधित नहीं है।

मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण की जानकारी
वित्तीय वर्ष 2021-2022

राशि लाख में

क्रमांक	बजट शीर्ष	मूल प्रावधानित राशि	अनुपूरक में प्रावधान राशि	पुनर्विनियोजन	कुल प्रावधान राशि	व्यय राशि	शेष राशि (कालम 6 - 7)	कार्य का नाम	विभाग जिसको आबंटित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	राजस्व अनुभाग								
1	02-2052-090-64 52-14-001- स्थापना अनुदान	19660	0	-445	19215	14382.05	4832.95	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों के संचालन हेतु	स्कूल शिक्षा विभाग
2	02-2052-090 -6452-14-011 वैयक्तिक अनुदान	0	400	445	845	845	0	छ.ग. महतारी दुलार योजना-2021 के क्रियान्वयन हेतु	स्कूल शिक्षा विभाग
3	02-2052-090 -6452-14-012 अन्य अनुदान	12340	0	0	12340	342	11998	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों के संचालन हेतु	स्कूल शिक्षा विभाग
	योग	32000	400	0	32400	15569.05	16830.95		
	पूँजी अनुभाग								
4	02-800-0101-64 52-45-001- पूँजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण	8000	0	0	8000	0	8000	-	-
	योग	8000	0	0	8000	0	8000	-	-
	महायोग	40000	400	0	40400	15569.05	24830.95		

मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण की जानकारी
वित्तीय वर्ष 2022-2023

राशि लाख में

क्रमांक	बजट शीर्ष	मूल प्रावधान	प्रथम पुनर्विनियोजन	द्वितीय पुनर्विनियोजन	कुल प्रावधान	व्यय	शेष (कालम 6 - 7)	कार्य का नाम	विभाग जिसको आबंटित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	राजस्व अनुभाग								
1	02-2052-090-6452-14-001- स्थापना अनुदान	19660	0	2440	22100	22100	0	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों के संचालन हेतु	स्कूल शिक्षा विभाग
2	02-2052-090-6452-14-011 वैयक्तिक अनुदान	400	942.74	0	1342.74	1342.74	0	छ ग. महतारी दुलार योजना-2021 के क्रियान्वयन हेतु	स्कूल शिक्षा विभाग
3	02-2052-090-6452-14-012 अन्य अनुदान	12340	-942.74	-2440	8957.26	1395	7562.26	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों के संचालन हेतु	स्कूल शिक्षा विभाग
	योग	32400			32400	24837.74	7562.26		
	पूंजी अनुभाग								
4	02-800-0101-6452-45-001- पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण	8000			8000	0	8000	-	-
	योग	8000			8000	0	8000	-	-
	महायोग	40400			40400	24837.74	15562.26		

मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण की जानकारी

वित्तीय वर्ष 2023-2024

दिनांक 30 नवम्बर, 2023 की स्थिति में

राशि लाख में

क्रमांक	बजट शीर्ष	मूल प्रावधान	व्यय	शेष (कालम 3 - 4)	कार्य का नाम	विभाग जिसको आबंटित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	राजस्व अनुभाग					
1	02-2052-090-645 2-14-001- स्थापना अनुदान	19660	19660	0	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों के संचालन हेतु	स्कूल शिक्षा विभाग
2	02-2052-090 -6452-14-011 वैयक्तिक अनुदान	400	400	0	छ.ग. महतारी दुलार योजना-2021 के क्रियान्वयन हेतु	स्कूल शिक्षा विभाग
3	02-2052-090 -6452-14-012 अन्य अनुदान	12340	2045	10291.83	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों के संचालन हेतु	स्कूल शिक्षा विभाग
			3.17		पर्यवेक्षण व्यय	कलेक्टर जिला कोरबा
	योग	32400	22108.17	10291.83		
	पूँजी अनुभाग					
4	02-800-0101-645 2-45-001- पूँजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण	8000	0	8000	-	-
	योग	8000	0	8000	-	-
	महायोग	40400	22108.17	18291.83		

प्राप्त राशि का उपयोग स्वामी आत्मानंद योजना अंतर्गत संचालित विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भुगतान एवं स्कूल के अन्य अनुदान हेतु खर्च किया गया है, वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :-

राशि करोड़ में

क्र	सत्र	प्राप्त आबंटन	व्यय आबंटन
1	2020-21	0	0
2	2021-22	155.59	142.58
3	2022-23	234.95	228.42
4	2023-24	217.05	179.39

(राशि रू. लाख में)

क्र.	इकाई/मद	वर्ष											
		2020-21			2021-22			2022-23			2023-24 अद्यतन व्यय		
		बजट प्रावधान	प्राप्त राशि	व्यय राशि	बजट प्रावधान	प्राप्त राशि	व्यय राशि	बजट प्रावधान	प्राप्त राशि	व्यय राशि	बजट प्रावधान	प्राप्त राशि	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	गोबर खरीदी			2341.60		4000.00	3293.95		6000.00	5206.69		5500.00	2317.78
2	मानदेय			0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		1000.00	1072.20
3	पैरादान			0.00		2480.00	2480.00		3079.70	2826.50		0.00	0.00
4	गोठान रख रखाव एवं संधारण	2700.00	2700.00	0.00	17500.00	2441.60	2441.60	17510.00	0.00	0.00	17510.00	0.00	0.00
5	बोनस			0.00		0.00	0.00		1916.33	1835.59		0.00	1355.43
6	अन्य अकास्मिक मद			0.00		0.00	0.00		10.00	10.00		10.00	8.19
7	प्रशासकीय मद (3 प्रतिशत)			0.00		0.00	0.00		0.00	269.10		0.00	269.83
	योग	2700.00	2700.00	2341.60	17500.00	8921.60	8215.55	17510.00	11006.03	10147.88	17510.00	6510.00	5023.43

परिशेष - अट्टारह
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 824) की जानकारी

“प्रपत्र”
अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जनवरी 2020 से दिसम्बर 2023 तक अवैध मुरुम उत्खनन के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जानकारी

क्र.	शिकायत दिनांक	शिकायत कर्ता का नाम	ग्राम पंचायत का नाम/नगर क्षेत्र	विषय	शिकायत पर की गई कार्यवाही
1	02.07.2020	श्रीमती पुजा बघेल, जनपद सदस्य नि. क्षेत्र क्र. 15, जनपद पंचायत अभनपुर	ग्राम पंचायत गिरोला	ग्राम गिरोला में हो रहे मुरुम उत्खनन के विरुद्ध शिकायत बाबत।	6 ग्राम गिरोला तहसील अभनपुर में अवधि दिनांक 15.06.2020 से 14.07.2020 तक मात्रा 3000 घन मी. की अग्रिम रायल्टी राशि रूपये 1,50,000/- जमा कराया जाकर मुरुम परिवहन अनुमति दिया गया था। मौका जांच में मुरुम का अवैध उत्खनन होना नहीं पाया गया।
2	15.03.2021	श्री गौरी शंकर श्रीवास	ग्राम पंचायत टेलकाबांधा	ग्राम पंचायत टेलकाबांधा में अवैध मुरुम खनन के खिलाफ कार्यवाही बाबत।	ग्राम पंचायत टेलकाबांधा अवधि दिनांक 13.01.2021 से 12.02.2021 तक तालाब गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य हेतु अग्रिम रायल्टी जमा कराया जाकर मुरुम परिवहन हेतु अनुमति दिया गया है। शिकायत अनाधिकृत व्यक्तियों के द्वारा किया गया है, जो कि गलत एवं निराधार है।
3	04.08.2021	ग्राम पंचायत गिरोला, जनपद पंचायत अभनपुर, जिला रायपुर छ. ग.	ग्राम पंचायत गिरोला	ग्राम बेलमांठा में अवैध मुरुम उत्खनन के संबंध में।	ग्राम बेलमांठा तहसील अभनपुर में अवधि दिनांक 09.07.2021 से 08.08.2021 तक मात्रा 5000 घन मी. की अग्रिम रायल्टी राशि पाये 2,50,000/- जमा कराया जाकर मुरुम परिवहन अनुमति दिया गया था। उक्त शिकायत क्षेत्र का जांच निरीक्षण के दौरान उल्लेखित क्षेत्र में किसी प्रकार का मुरुम उत्खनन होना नहीं पाया गया।



अनुपम जयशंकर
खान्देश साधन विभाग
मंत्रालय, अटल नगर-492002

क्र.	शिकायत दिनांक	शिकायत कर्ता का नाम	ग्राम पंचायत का नाम/नगर क्षेत्र	विषय	शिकायत पर की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
4	16.12.2021	श्री धनेन्द्र साहू विधायक 53 अभनपुर जिला रायपुर (छ.ग.)	नगर पंचायत अभनपुर	अभनपुर जलाशय के जलग्रहण क्षेत्र एवं कॅचमेंट एरिया के अंदर मुरुम परिवहन की अनुमति को जनहित में अतिशीघ्र निरस्त करने बाबत।	मुरुम परिवहन हेतु अग्रिम रायल्टी जमा किये जाने अनुमति प्रदान की गई थी। शिकायत पर कार्यवाही करते हुये खनि अधिकारी मौके पर मुरुम परिवहन का कार्य पूर्णतः बंद कराने उपरांत स्वीकृत मुरुम परिवहन अनुमति को दिनांक 24.12.2021 को निरस्त किया गया है।
5	05.08.2021	ग्रामवासी बेलभांठा, ग्राम पंचायत गिरोला	ग्राम पंचायत गिरोला	अवैध मुरुम उत्खनन एवं परिवहन करने पर कार्यवाही करते हुए संबंधित व्यक्तियों पर पुलिस एफआईआर करने बाबत। ग्राम बेलभांठा तहसील अभनपुर	ग्राम बेलभांठा तहसील अभनपुर में अवधि दिनांक 09.07.2021 से 08.08.2021 तक मात्रा 5000 घन मी. की अग्रिम रायल्टी राशि रूपये 2,50,000/- नियमानुसार जमा कराया जाकर मुरुम परिवहन अनुमति दिया गया था। उक्त शिकायत क्षेत्र का जांच निरीक्षण उपरांत उल्लेखित क्षेत्र में किसी प्रकार का अवैध मुरुम उत्खनन होना नहीं पाया गया। शिकायत निराधार पाया गया।
6	22.12.2021	श्री प्रवीण बजाज, पूर्व उपाध्यक्ष जनपद पंचायत अभनपुर जिला रायपुर	ग्राम पंचायत टेलकाबांठा	ग्राम टेलकाबांठा के चारागाह भूमि खसरा नं. 39 में पूर्व में गलत तरीके से दी गई मुरुम उत्खनन की अनुमति के जांच बाबत।	ग्राम पंचायत टेलकाबांठा में विभिन्न अवधियों में मात्रा 500 घनमीटर हेतु अग्रिम रायल्टी राशि 2,50,000/- जमा कराया जाकर मुरुम परिवहन हेतु अनुमति दिया गया है। शिकायत के संबंध में जांच निरीक्षण में शिकायत निराधार पायी गयी।
7	28.12.2021	श्रीमती चन्द्रकला रामचन्द्र ध्रुव, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र क्र. 10	ग्राम पंचायत जामगांव (पी.)	छोटे पेड़ के जंगल पर अवैध मुरुम (खनिज) उत्खनन करने बाबत।	ग्राम जामगांव, तहसील अभनपुर में अवधि दिनांक 01.12.2021 से 31.12.2021 तक मात्रा 3000 घन मीटर हेतु अग्रिम रायल्टी 1,50,000/- रूपये जमा कराया जाकर मुरुम परिवहन हेतु अनुमति दिया गया है। मुरुम परिवहन का कार्य तालाब परिधि क्षेत्र के भीतर से ही रायल्टी पत्रियों के माध्यम से किया जाना पाया गया है। शिकायत निराधार पायी गयी।
8	04.01.2022	श्री संजय अग्रवाल, पिता स्व. श्री रामरसाल अग्रवाल निवासी - कुरी, अभनपुर	ग्राम पंचायत कुरी	ग्राम कुरी प.ह.नं. 51 रा.नि.मं. पिपरौद में भीतला एवं दर्री तालाब में मुरुम उत्खनन पर आपत्ति एवं रायल्टी से ज्यादा मुरुम निकालने और बेचने के	ग्राम कुरी, तहसील अभनपुर में विभिन्न अवधियों में मात्रा 6000 घनमीटर हेतु अग्रिम रायल्टी 3,00,000/- जमा कराया जाकर मुरुम परिवहन हेतु अनुमति दिया गया है। निरीक्षण के दौरान उल्लेखित तालाब क्षेत्र में पानी भरा हुआ है, जिसे ग्रामीणों द्वारा निस्तारी हेतु उपयोग करते पाया गया एवं किसी प्रकार का मुरुम उत्खनन अथवा परिवहन कार्य होते नहीं

अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग

क्र.	शिकायत दिनांक	शिकायत कर्ता का नाम	ग्राम पंचायत का नाम/नगर क्षेत्र	विषय	शिकायत पर की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
		रायपुर छ.ग.		संबंध में। ग्राम कुर्रा, तहसील गोबरा नवापारा	पाया गया। शिकायत निराधार पायी गयी।
9	28.12.2021	श्रीमती चन्द्रकला रामचन्द्र ध्रुव, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र क्र. 10	ग्राम पंचायत गिरोला	अवैध मुरुम खनन एवं राजस्व चोरी के संबंध में ग्राम पंचायत गिरोला के आश्रित ग्राम बेलभाठा अमनपुर में मुरुम खदान संचालन बाबत।	ग्राम बेलभाठा तहसील अमनपुर में अवधि दिनांक 09.07.2021 से 08.08.2021 तक मात्रा 5000 घन मी. की अग्रिम रायल्टी राशि रुपये 2,50,000/- जमा कराया जाकर मुरुम परिवहन हेतु अनुमति दिया गया था। उक्त क्षेत्र का जांच निरीक्षण के दौरान शिकायत में उल्लेखित क्षेत्र में किसी प्रकार का अवैध मुरुम उत्खनन होना नहीं पाया गया। शिकायत निराधार पाया गया।
10	05.05.2022	सरपंच ग्राम पंचायत बेन्दी, जनपद पंचायत अमनपुर	ग्राम पंचायत बेन्दी	ग्राम बेन्दी में अवैध मुरुम खुदाई करने वाले एन.सी.नाहर के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने बाबत।	ग्रामीणों द्वारा पूर्व में कुछ लोगों द्वारा ग्राम बेन्दी के शासकीय भूमि पर नाहर एण्ड कंपनी द्वारा बिना अनुमति मुरुम उत्खनन का प्रयास करते पाये जाने पर ग्रामीणों द्वारा मुरुम उत्खनन को तुरंत बंद करा दिया गया था। वर्तमान में ग्राम बेन्दी में किसी प्रकार का मुरुम उत्खनन कार्य नहीं होना पाया गया। शिकायत निराधार पाया गया।
11	20.10.2022	श्री आनंद अग्रवाल निवासी - कुर्रा	ग्राम पंचायत कुर्रा	मुरुम खनन की जांच व मागाधिकार की जानकारी बाबत। ग्राम कुर्रा, तहसील गोबरा नवापारा	ग्राम कुर्रा तहसील अमनपुर में विभिन्न अवधियों में 7000 घनमीटर हेतु अग्रिम रायल्टी राशि 3,50,000/- रुपये जमा कराया जाकर मुरुम परिवहन हेतु अनुमति दिया गया है। उक्त क्षेत्र का जांच निरीक्षण के दौरान शिकायत में उल्लेखित क्षेत्र में किसी प्रकार का अवैध मुरुम उत्खनन होना नहीं पाया गया। शिकायत निराधार पाया गया।
12	23.11.2022	समस्त ग्रामवासी नवागांव (ल.), ब्लॉक अमनपुर जिला रायपुर छ. ग.	ग्राम पंचायत नवागांव (ल.)	मुरुम खनन के संबंध में। ग्राम नवागांव (ल.)	निरीक्षण के दौरान शिकायत क्षेत्र में अवैध मुरुम उत्खनन करते पाये जाने पर संबंधित वाहन व अवैध उत्खननकर्ता श्री रोहित यदु के विरुद्ध रकबा 0.0017 एकड़ क्षेत्र में 100 घन मी. मुरुम मात्रा का अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर समझौता राशि रुपये 45,000/- वसूल किया गया है।
13	16.03.2023	श्री प्रवीण बजाज, अमनपुर जिला रायपुर	ग्राम पंचायत थनौद	ग्राम थनौद विकासखण्ड अमनपुर में छोटे बड़े झाड़ के जंगल में मुरुम उत्खनन कर नियमों के उल्लंघन की जांच	ग्राम पंचायत थनौद, तहसील गोबरा नवापारा, जिला रायपुर में अवधि 11.01.2023 से 10.02.2023 तक मात्रा 1000 घनमीटर हेतु 50,000/- रुपये अग्रिम रायल्टी राशि जमा कराया जाकर मुरुम परिवहन हेतु अनुमति दिया गया है। मौका निरीक्षण के दौरान शिकायत में उल्लेखित



अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, अटल नगर-492002

क्र.	शिकायत दिनांक	शिकायत कर्ता का नाम	ग्राम पंचायत का नाम/नगर क्षेत्र	विषय	शिकायत पर की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
14	18.05.2023	श्री नागेन्द्र निशाद (पत्रकार) वार्ड क्र. 01 गोबरा बस्ती, गोबरा नवापारा	नगर पालिका गोबरा नवापारा	बाबत। अवैध मुरुम मिट्टी का उत्खनन एवं परिवहन करने वालों के उपर कार्यवाही बाबत। नगर पालिका गोबरा नवापारा के छाटा रोड़ पर स्थित कोठा पैटुल तालाब में उत्खनन	क्षेत्र में किसी प्रकार का मुरुम उत्खनन अथवा परिवहन कार्य होना नहीं पाया गया। शिकायत निराधार पाया गया। जांच निरीक्षण के दौरान मौके पर अवैध मुरुम परिवहन कर रहे 03 वाहनो पर रकबा 0.00074 एकड़ क्षेत्र पर खनिज मात्रा 44 घनमीटर का प्रकरण दर्ज कर कुल राशि रुपये 83,300/- समझौता राशि वसूल किया गया।
15	26.05.2023	ग्राम पंचायत टेलकाबांधा, जनपद पंचायत अभनपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)	ग्राम पंचायत टेलकाबांधा	अवैध रूप से मुरुम खनन को रोकने बाबत।	जांच निरीक्षण के दौरान शिकायत क्षेत्र में अवैध मुरुम उत्खनन करते पाये जाने पर संबंधित वाहन व अवैध उत्खननकर्ता श्री बजरंग अग्रवाल के विरुद्ध रकबा 0.0062 एकड़ क्षेत्र पर मात्रा 365 घन मी. मुरुम अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर समझौता राशि रुपये 98,000/- वसूल किया गया।
16	18.07.2023	ग्राम पंचायत भाटापारा (बेलर) जनपद पंचायत अभनपुर जिला रायपुर (छ.ग.)	ग्राम पंचायत भाटापारा (बेलर)	शासकीय तालाब एवं निजी भूमि को जे.सी.बी. बुलाकर अवैध रूप से मुरुम खनन की जा रही है जिसकी जानकारी देने बाबत।	निरीक्षण के दौरान शिकायत क्षेत्र में अवैध मुरुम उत्खनन करते पाये जाने पर संबंधित वाहन व अवैध उत्खननकर्ता श्री मंशाराम यदु के विरुद्ध रकबा 0.0034 एकड़ क्षेत्र पर मात्रा 20 घन मी. मुरुम अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर समझौता राशि रुपये 29,000/- एवं अवैध परिवहनकर्ता श्री राजेन्द्र साहू के विरुद्ध रकबा 0.00017 एकड़ क्षेत्र पर मात्रा 10 घन मी. मुरुम अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज कर समझौता राशि रुपये 27,000/- समझौता राशि वसूल किया गया है।



अनुभाग अधिकारी
खनिज संधन विभाग
मंत्रालय, अटल नगर-492002

पारोशिए - उन्नोस
पारोवातेत अताराकेत प्रश्न संख्या 21 (क्र. 934) की जानकारी

प्रपत्र-अ

रायगढ़ जिले के अंतर्गत वर्ष 2020-21 से 15 जनवरी, 2024 तक की स्थिति में कृषि पंप के स्थायी कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदन, स्वीकृत आवेदन, कार्यपूर्ण आवेदन, लंबित आवेदन की वर्षवार एवं विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	प्राप्त आवेदन					निरस्त आवेदन					स्वीकृत आवेदन					स्वीकृति हेतु लंबित आवेदन	
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (15 जनवरी 24 तक)	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (15 जनवरी 24 तक)	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (15 जनवरी 24 तक)	2020-21	2021-22	2022-23		2023-24 (15 जनवरी 24 तक)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	रायगढ़	298	183	226	127	13	6	32	0	285	177	194	112	15				
2	धरमजयगढ़	1225	101	347	165	21	0	21	0	1204	101	326	99	66				
3	घरघोड़ा	182	138	28	32	0	0	0	0	182	138	28	32	0				
4	तमनार	141	101	14	14	5	0	0	0	136	101	14	14	0				
5	लैलुंगा	27	22	54	18	0	0	0	0	27	22	54	18	0				
6	खरसिया	79	46	52	80	0	0	0	0	79	46	52	49	31				
7	पुसौर	474	277	286	133	0	0	2	1	474	277	284	112	20				
		2426	868	1444	633	13	0	55	1	2387	862	952	436	132				
									101					4637				

h
उप सचिव
कृषीसमूह शासन, उन्नोस विकास
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र-ब

रायगढ़ जिले के अंतर्गत वर्ष 2020-21 से 15 जनवरी, 2024 तक की स्थिति में कृषि पंप के अस्थायी कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदन, स्वीकृत आवेदन, कार्यपूर्ण आवेदन, लंबित आवेदन की वर्षवार एवं विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	जिला	विकासखण्ड का नाम	प्राप्त आवेदन					निरस्त आवेदन					स्वीकृत आवेदन					स्वीकृत आवेदनों में कार्यपूर्ण					लंबित आवेदन							
			2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	(15 जनवरी 24 तक)	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	(15 जनवरी 24 तक)	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	(15 जनवरी 24 तक)	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	(15 जनवरी 24 तक)	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	(15 जनवरी 24 तक)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	(15 जनवरी 24 तक)	25	26	27	28	29	30
1		रायगढ़	458	1746	266	109	0	0	0	0	458	1746	266	109	458	1746	266	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		धरमजयगढ़	200	346	101	0	0	0	0	0	200	346	101	0	200	346	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		धरघोड़ा	118	112	93	15	0	0	0	0	118	112	93	15	118	112	93	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		तमनार	42	34	34	7	0	0	0	0	42	34	34	7	42	34	34	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		लैलुंगा	31	29	62	4	0	0	0	0	31	29	62	4	31	29	62	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		खरसिया	129	111	77	13	0	0	0	0	129	111	77	13	129	111	77	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		पुरसौर	848	2546	434	102	0	0	0	0	848	2546	434	102	848	2546	434	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1826	4924	1067	250	0	0	0	0	1826	4924	1067	250	1826	4924	1067	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						8067								8067				8067												0

Dr. उप-सचिव
उत्तरीसंग्रह शासन, उर्जा विभाग
भंडारालय, नया रायपुर, अदालत नगर

परीशेष्ट - बीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 939) की जानकारी

प्रपत्र

खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान खरीदी एवं उठाव की जानकारी
(दिनांक 10.01.2024 की स्थिति में)

खरीफ वर्ष 2023-24		(मात्रा टन में)	
क्र.	उपार्जन केन्द्र का नाम	उपार्जित धान की मात्रा	उपार्जन केन्द्र से धान उठाव की मात्रा
1	कपावण्ड	4012	108
2	छापर भानपरी	3869	252
3	केशवपाल	3398	84
4	मुन्डागांव	3378	222
5	घोटीवा	3396	256
6	तोकापाल	3282	150
7	भानपरी	4346	1368
8	गयकोट	3073	108
9	भानपर	3286	508
10	लाहणडीगुडा	2951	234
11	बडान्जी	2845	198
12	माधोला	2332	48
13	कोलावल	2350	72
14	बकाचंड	3226	1025
15	चोकर	2446	264
16	जैतगिरी	2278	126
17	भानपर	2763	628
18	चिगपाल	2066	72
19	बम्तर	3838	1870
20	गारेगा	1890	90
21	जैबेल	1890	100
22	रेटाचंड	1997	312
23	करजी	3853	2198
24	अलनार	1982	330
25	बिन्ता	1692	90
26	बड़मांगगा	3879	2330
27	मूली	2976	1498
28	लाभकर	1508	36
29	मंगनार	3039	1608
30	पुसपाल	3282	1990
31	एराकोट	1451	162
32	छिन्दगांव	1307	48
33	जामावाडा	2681	1428
34	मादलापाल	1453	200
35	नदीसागर	1409	160
36	बंडे भुग्गा	2451	1208
37	कोलचूर	2107	900
38	कचनार	2555	1370
39	तागगांव	1559	378
40	छोटदेवडा	2305	1198

क्र.	उपार्जन केन्द्र का नाम	उपार्जित धान की मात्रा	उपार्जन केंद्र से धान उठाव की मात्रा
41	राजनगर	2516	1440
42	सालेमेटा	1101	48
43	सिरिसगुड	1015	54
44	सर्गीपाल	1254	316
45	देवडा	1741	818
46	टलनगर	1792	890
47	मोहलई	915	90
48	ब्रम्हनी	2058	1242
49	पल्ली	2348	1539
50	खोखोमा	1558	776
51	जगदलपुर	2104	1330
52	सोनागपाल	1599	840
53	दरभा	791	36
54	नलपावण्ड	1666	922
55	नेगानगर	780	42
56	मारडूम	770	42
57	सिन्नो(हिरताभाथा)	771	54
58	डिलमिली	733	18
59	माडपाल	1453	738
60	चपका	2351	1676
61	बाबुसमरा	1686	1098
62	बाभानगर	633	84
63	कुन्दी	1298	758
64	उलनगर	961	426
65	नगनगर	1391	862
66	कर्मिताव	1220	695
67	सर्गीपाल	1079	570
68	विरसागुडा	1201	716
69	बजावण्ड	814	360
70	कोसमी	1130	706
71	करनपुर	964	568
72	मालगांव	868	504
73	ककनार	555	208
74	बालिया	1005	692
75	कांडनगर	323	66
76	एण्ड	237	0
77	हाटपदमूर	363	150
78	गयावण्डकला	719	548
79	कोलिया	133	36

4

अनुभाग अधिकारी
सका सार्वजनिक आश्वासन एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
फैजलाबाद, नया सयपुर, अहमदनगर

पारिशेष - इक्कीस
पारिवाहक अतारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 971) की जानकारी

प्रपत्र-अ

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह नवंबर 2023 तक विभिन्न संयंत्रों से उत्पादित बिजली की जानकारी

क्र.	संयंत्र का नाम	उत्पादन क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन वित्तीय वर्ष 2023-24 (1 अप्रैल-2023 से नवम्बर-2023) मिलियन यूनिट
ताप विद्युत गृह			
1	हसदेव ताप विद्युत गृह, कोरबा पश्चिम	840	3832.774
2	विस्तार संयंत्र, हसदेव ताप विद्युत गृह, कोरबा पश्चिम	500	2365.621
3	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, कोरबा पूर्व	500	2717.092
4	अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह, मड़वा	1000	4878.705
अ	कुल ताप विद्युत उत्पादन	2840	13794.192
जल विद्युत गृह			
5	हसदेव बांगो जल विद्युत संयंत्र, मांचाडोली	120	254.211
6	गंगरेल जल विद्युत गृह, धमतरी	10	19.460
7	सिकासार जल विद्युत गृह, गरियाबंद	7	6.796
8	लघु जल विद्युत गृह, कोरबा पश्चिम	1.7	4.927
ब	कुल जल विद्युत उत्पादन	138.7	285.394


उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र--ब

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की भविष्य में विद्युत की आपूर्ति हेतु कार्ययोजना का विवरण

स.क्र.	स्रोतों का नाम	स्रोत का प्रकार	अनुबंधित क्षमता (मेगावाट में)	उत्पादन प्रारंभ होने का अनुमानित वर्ष	विद्युत कय अनुबंध की तिथि	टीप
1	मेसर्स भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित, कवर्धा	को-जनरेशन	6	2024-25	12/10/2022	-
2	छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, (सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, कोरबा वेस्ट)	ताप विद्युत	1320	2029-30	अनुबंध निष्पादन प्रक्रियाधीन	-
3	चुटका न्यूक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट, मध्यप्रदेश	नाभिकीय विद्युत	भारत सरकार द्वारा विद्युत की मात्रा का आबंटन अप्राप्त है ।	2028-29	-	300 मेगावाट बिजली कय हेतु सहमति दी गई ।
4	माही बांसवाडा न्यूक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट राजस्थान	नाभिकीय विद्युत	भारत सरकार द्वारा विद्युत की मात्रा का आबंटन अप्राप्त है ।	2028-29	-	300 मेगावाट बिजली कय हेतु सहमति दी गई ।
5	लारा स्टेज-2 यूनिट-1 , रायगढ़	ताप विद्युत	भारत सरकार द्वारा विद्युत की मात्रा का आबंटन अप्राप्त है ।	2028-29	-	400 मेगावाट बिजली कय हेतु सहमति दी गई ।
6	लारा स्टेज-2 यूनिट-2 , रायगढ़	ताप विद्युत	भारत सरकार द्वारा विद्युत की मात्रा का आबंटन अप्राप्त है ।	2029-30	-	400 मेगावाट बिजली कय हेतु सहमति दी गई ।
7	सीपत स्टेज-3 बिलासपुर	ताप विद्युत	भारत सरकार द्वारा विद्युत की मात्रा का आबंटन अप्राप्त है ।	2028-29	अनुबंध निष्पादन प्रक्रियाधीन	400 मेगावाट बिजली कय हेतु सहमति दी गई ।
8	सुबानसिरी लोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, अरुणाचल प्रदेश	जल विद्युत	155	2025-26	15/12/2010 20/10/2022	-
9	सोलर एनर्जी कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	पवन विद्युत	300	2024-25	19/5/2020	-
10	सोलर एनर्जी कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	पवन विद्युत	170	2024-25	2/7/2021	-
11	सोलर एनर्जी कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	पवन विद्युत	300	2024-25	29/4/2022	-
12	सोलर एनर्जी कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	हाईब्रिड (पवन एवं सौर) विद्युत	400	2024-25	2/7/2021	-
13	सोलर एनर्जी कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	हाईब्रिड (पवन एवं सौर) विद्युत	400	2024-25	29/4/2022	-



उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

14	सोलर एनर्जी कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	सौर विद्युत	100	2024-25	13/2/2020	-
15	सोलर एनर्जी कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	सौर विद्युत	300	2024-25	12/8/2021	-
16	एनएचपीसी लिमिटेड	सौर विद्युत	400	2025-26	25/9/2020	-
17	सोलर एनर्जी कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	हाईब्रिड (पवन एवं सौर) विद्युत	500	2025-26	-	500 मेगावाट बिजली कय हेतु सहमति दी गई।
18	लेको तिस्ता हाइड्रो पॉवर लिमिटेड	जल विद्युत	भारत सरकार द्वारा विद्युत की मात्रा का आबंटन अप्राप्त है।	2024-25	21/7/2022	300 मेगावाट बिजली कय हेतु सहमति दी गई।
19	रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड	जल विद्युत	भारत सरकार द्वारा विद्युत की मात्रा का आबंटन अप्राप्त है।	2025-26	20/6/2023	300 मेगावाट बिजली कय हेतु सहमति दी गई।
20	एनएचपीसी लिमिटेड (दिबांग परियोजना)	जल विद्युत	भारत सरकार द्वारा विद्युत की मात्रा का आबंटन अप्राप्त है।	2031-32	17/2/2023	250 मेगावाट बिजली कय हेतु सहमति दी गई।
21	एनएचपीसी लिमिटेड (दुगर परियोजना)	जल विद्युत	भारत सरकार द्वारा विद्युत की मात्रा का आबंटन अप्राप्त है।	2028-29	20/6/2023	150 मेगावाट बिजली कय हेतु सहमति दी गई।
22	धिनाब वेली पॉवर प्रोजेक्ट्स प्रा. लिमिटेड (पकालडूल परियोजना)	जल विद्युत	भारत सरकार द्वारा विद्युत की मात्रा का आबंटन अप्राप्त है।	2025-26	20/6/2023	250 मेगावाट बिजली कय हेतु सहमति दी गई।
23	धिनाब वेली पॉवर प्रोजेक्ट्स प्रा. लिमिटेड (क्वार परियोजना)	जल विद्युत	भारत सरकार द्वारा विद्युत की मात्रा का आबंटन अप्राप्त है।	2026-27	20/6/2023	100 मेगावाट बिजली कय हेतु सहमति दी गई।
24	एनएचपीसी लिमिटेड (सावलकोट परियोजना)	जल विद्युत	भारत सरकार द्वारा विद्युत की मात्रा का आबंटन अप्राप्त है।	2032-33	-	250 मेगावाट बिजली कय हेतु सहमति दी गई।
25	एनएचपीसी लिमिटेड (किरू परियोजना)	जल विद्युत	भारत सरकार द्वारा विद्युत की मात्रा का आबंटन अप्राप्त है।	2025-26	-	250 मेगावाट बिजली कय हेतु सहमति दी गई।
26	एनएचपीसी लिमिटेड (पार्वती-2 परियोजना)	जल विद्युत	भारत सरकार द्वारा विद्युत की मात्रा का आबंटन अप्राप्त है।	2024-25	-	200 मेगावाट बिजली कय हेतु सहमति दी गई।
27	मेसर्स अनंता पॉवर प्रोजेक्ट्स प्रा.लि.	लघु जल विद्युत	8	2024-25	31/3/2014	-
28	मेसर्स भागीरथ पॉवर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	लघु जल विद्युत	15	2024-25	31/3/2014	-
29	मेसर्स सावित्री पॉवर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	लघु जल विद्युत	24	2024-25	2/8/2014	-
30	मेसर्स जी.एस.एनर्जीस प्रा.लि.	लघु जल विद्युत	21	2024-25	2/8/2014	-
31	मेसर्स धनवादा पॉवर एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	लघु जल विद्युत	7.5	2025-26	29/12/2021	-
32	मेसर्स मलका रिनेवेबल इनर्जी प्रा. लि.	लघु जल विद्युत	8	2025-26	25/3/2022	-

परिशेष - बाइस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 972) की जानकारी

प्रपत्र-अ

छत्तीसगढ़ महिला कोष

क्र.	जिले का नाम	विभाग अंतर्गत क्रियाशील महिला स्व सहायता समूह की संख्या	एन.आर.एल.एम. एवं फर्म्स एण्ड सोसायटी अंतर्गत पंजीकृत विभाग के क्रियाशील स्व सहायता समूहों की संख्या
1	2	3	4
1	रायपुर	1484	529
2	दुर्ग	1691	295
3	राजनांदगांव	634	565
4	कबीरधाम	895	625
5	महासमुंद	983	0
6	धमतरी	840	611
7	बस्तर	2174	418
8	दंतेवाड़ा	209	79
9	कांकेर	333	333
10	बिलासपुर	1717	1687
11	कोरबा	1631	770
12	जांजगीर-चांपा	758	745
13	सरगुजा	1317	1104
14	कोरिया	489	121
15	जशपुर	3468	2168
16	रायगढ़	2043	682
17	नारायणपुर	79	78
18	बीजापुर	152	152
19	मुंगेली	1179	311
20	बलौदाबाजार-भाटापारा	901	741
21	गरियाबंद	674	250
22	बेमेतरा	656	506
23	बालोद	925	21
24	कोण्डागांव	1305	492
25	सुकमा	62	62
26	बलरामपुर-रामानुजगंज	323	180

क्र.	जिले का नाम	विभाग अंतर्गत क्रियाशील महिला स्व सहायता समूह की संख्या	एन.आर.एल.एम. एवं फर्म्स एण्ड सोसायटी अंतर्गत पंजीकृत विभाग के क्रियाशील स्व सहायता समूहों की संख्या
1	2	3	4
27	सूरजपुर	506	506
28	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	879	764
29	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	406	360
30	मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौ	259	63
31	सक्ती	384	247
32	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	181	72
33	सारंगढ़-बिलाईगढ़	759	566
योग		30296	16103

प्रपत्र-ब**छत्तीसगढ़ महिला कोष अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूहों के लिए ऋण योजना संबंधी प्रावधान**

- **योजना:-** महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।
- **ऋण सीमा:-** प्रथम बार में अधिकतम 02 लाख रू. तक ऋण प्रदाय किया जाता है। प्रथम बार लिये गये ऋण ब्याज सहित भुगतान करने के एक माह पश्चात पुनः अधिकतम 06 लाख रू. तक का ऋण नियमानुसार दिये जाने का प्रावधान है।
- **ब्याज दर:-** 3 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।
- **ऋण की वसूली:-** ऋण प्रदाय तिथि के 03 माह पश्चात ऋण की वसूली प्रारंभ किये जाने का प्रावधान है। राशि रू. 01 लाख तक की वसूली 24 समान किश्तों में, राशि रू. 02 लाख तक की वसूली 36 किश्तों में, राशि रू. 02 लाख से 4 लाख तक की ऋण की वसूली 48 किश्तों में तथा 4 लाख से अधिक 6 लाख तक की वसूली 60 किश्तों में किये जाने का प्रावधान है।

प्रपत्र-स

छत्तीसगढ़ महिला कोष

क्र.	जिले का नाम	वर्ष 2019 से 2023 तक महिला स्व सहायता समूह को दिये गये ऋण के संबंध में जानकारी	
		समूह संख्या	समूह को प्रदाय ऋण की राशि (लाख में)
1	2	3	4
1	रायपुर	561	488.50
2	दुर्ग	737	432.80
3	राजनांदगांव	336	140.75
4	कबीरधाम	52	30.20
5	महासमुंद	134	146.30
6	धमतरी	230	165.90
7	बस्तर	212	114.00
8	दंतेवाड़ा	63	53.75
9	कांकेर	260	128.10
10	बिलासपुर	291	150.95
11	कोरबा	237	128.00
12	जांजगीर-चांपा	369	151.00
13	सरगुजा	168	100.75
14	कोरिया	16	18.50
15	जशपुर	380	241.95
16	रायगढ़	369	219.35
17	नारायणपुर	16	13.60
18	बीजापुर	6	9.00
19	मुंगेली	334	160.25
20	बलौदाबाजार-भाटापारा	282	144.25
21	गरियाबंद	87	61.38
22	बेमेतरा	192	102.40
23	बालोद	149	97.50
24	कोण्डागांव	205	142.40
25	सुकमा	6	4.20

क्र.	जिले का नाम	वर्ष 2019 से 2023 तक महिला स्व सहायता समूह को दिये गये ऋण के संबंध में जानकारी	
		समूह संख्या	समूह को प्रदाय ऋण की राशि (लाख में)
1	2	3	4
26	बलरामपुर-रामानुजगंज	105	57.60
27	सूरजपुर	68	51.00
28	गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही	19	11.00
29	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	30	13.65
30	मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी	47	14.25
31	सक्ती	0	0.00
32	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	0	0.00
33	सारंगढ-बिलाईगढ़	87	31.80
योग		6048	3625.08

पारिशेष - तेईस
पारेवातेत अतारांकेत प्रश्न संख्या 26 (क्र. 975) की जानकारी
"प्रपत्र-अ"

उत्खनिपट्टा क्षेत्र

क्र.	पट्टेदार का नाम व पता	खदान ग्राम का नाम	तहसील	खसरा नम्बर	रकबा (हे०में)	अवधि दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री मोहन कुमार अग्रवाल नि० चाम्पा, जिला जांजगीर चांपा, छ०ग०	लच्छनपुर	जांजगीर	1131/1,	0.574	01.07.2002 से 30.06.2032
2	मैं. चाम्पा मिनरल्स प्रो० श्री किशोर राठौर, निवासी चाम्पा, जिला जांजगीर चांपा, छ०ग०	बिरगहनी	जांजगीर	80/1, 81/1, 91/4, 91/8, 99/4,	0.781	28.02.2005 से 27.02.2035
3	श्री किशोर कुमार राठौर, निवासी बिरगहनी, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा, छ०ग०	बिरगहनी	जांजगीर	286, 288, 289, 290, 291, 292	0.833	24.01.2009 से 23.01.2039
4	मे० सौम्या मिनरल्स, प्रो० श्री सूर्यकान्त साहू, निवासी जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा, छ०ग०	बिरगहनी	जांजगीर	71/3, 71/4, 71/5, 82/2, 83/2, 84	1.392	25.08.2008 से 24.08.2038
5	मैं. बालाजी स्टोन क्रशिंग इण्डस्ट्रीज, प्रो० श्री किशन शर्मा, निवासी चांपा, जिला जांजगीर चांपा, छ०ग०	बिरगहनी	जांजगीर	196/1, 196/2 पी, 197/1 पी, 198/1 पी, 199/1,2,4,5, 220, 239, 240,	1.659	23.11.2001 से 22.11.2031
6	श्री मनोज कुमार अग्रवाल नि० जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा, छ०ग०	बिरगहनी	जांजगीर	216/1,2, 220, 221, 223	1.052	07.04.2003 से 06.04.2033
7	श्री अजय कुमार अग्रवाल, पिता श्री कैलाशचंद अग्रवाल, निवासी जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा, छ०ग०	बिरगहनी	जांजगीर	1146, 1147, 294/1	0.741	25.11.2004 से 24.11.2034
8	श्री रामगोपाल डिक्सेना नि० कोरबा, छ०ग०	बिरगहनी	जांजगीर	136/1	0.910	01.09.2001 से 31.08.2031
9	श्री संतोष कुमार अग्रवाल नि० जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा, छ०ग०	बिरगहनी	जांजगीर	160, 259, 260, 261, 262/1,2,	0.607	20.10.1999 से 19.10.2029
10	श्री नरेन्द्र कुमार राठौर नि० बिरगहनी, तह० जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा, छ०ग०	बिरगहनी	जांजगीर	1140/1,2, 1141/1,2, 1142/1,2, 1143/1	0.930	14.07.2008 से 13.07.2038
11	श्री गजानंद अग्रवाल नि० जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा, छ०ग०	बिरगहनी	जांजगीर	228, 229	0.417	20.01.2014 से 19.2024



अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
मंगलब, अटल नगर-492002

क्र.	पट्टेदार का नाम व पता	खदान ग्राम का नाम	तहसील	खसरा नम्बर	रकबा (हे०में)	अवधि दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
12	श्री प्रकाश कुमार राठौर, निवासी बिरगहनी, तह० जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा, छ०ग०	बिरगहनी	जांजगीर	294 / 1	0.506	25.08.2008 से 24.08.2038
13	श्री महेश कुमार अग्रवान नि० चाम्पा, जिला जांजगीर चांपा, छ०ग०	बिरगहनी	जांजगीर	1151, 1153 / 2	0.474	06.08.2004 से 05.08.2034
14	श्री जगराम साहू, निवासी बिरगहनी, जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा, छ०ग०	बिरगहनी	जांजगीर	85 / 2, 96 / 2, 3, 8, 99 / 2	0.530	04.09.2006 से 03.09.2036
15	में० शेखर स्टोन क्रशिंग इण्डस्ट्रीज प्रो० योगेन्द्र राठौर नि० बिरगहनी, तह० जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा, छ०ग०	बिरगहनी	जांजगीर	70, 85, 86 / 1, 86 / 2, 90 / 1	1.360	16.07.2004 से 15.07.2034
16	श्री जगराम साहू, निवासी बिरगहनी, तह० जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा, छ०ग०	बिरगहनी	जांजगीर	97 / 1, 97 / 2, 97 / 4, 97 / 5	0.805	09.08.2004 से 08.08.2034
17	श्री अश्वनी कुमार देवांगन निवासी चाम्पा, जिला जांजगीर चांपा, छ०ग०	बिरगहनी	जांजगीर	181 / 1, 2, 210, 211 / 1,2	0.971	08.10.2008 से 07.10.2038
18	छ०ग० इंटरप्राइजेस, प्रो० श्री सियाराम राठौर, निवासी बिरगहनी, जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा, छ०ग०	बिरगहनी	जांजगीर	171 / 1	0.809	03.12.1998 से 02.12.2028
19	श्री आशीष कुमार गोयल नि० चाम्पा, जिला जांजगीर चांपा, छ०ग०	दर्भाठा	जांजगीर	425 में से, 426 में से, 431 में से, 406-432 में से	0.643	28.06.2014 से 27.06.2024
20	श्री जुगल किशोर अग्रवाल नि० चाम्पा, जिला जांजगीर चांपा, छ०ग०	देवरहा	जांजगीर	92, 93, 94, 95, 96 / 1, 2	0.866	05.11.2004 से 04.11.2034
21	के० बी० इंटरप्राइजेस, प्रो० कुंज बिहारी अग्रवाल, निवासी चाम्पा, जिला जांजगीर चांपा, छ०ग०	देवरहा	जांजगीर	83 / 2, 85 / 2, 88 / 2, 89 / 2, 85 / 3, 88 / 3, 89 / 3	0.740	05.01.2008 से 04.01.2038
22	श्री संतोष कुमार साहू, आ० श्री काशीराम साहू, नि० पिसौद, तह० जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा, छ०ग०	देवरहा	जांजगीर	25 / 2, 26 / 2, 26 / 5, 27 / 2, 55 / 3, 56 / 3, 57 / 3,	0.448	03.10.2013 से 02.10.2033
23	मे० हसदेव स्टोन क्रशिंग इण्डस्ट्रीज, प्रो० श्री महेश कुमार मोदी, निवासी चांपा, जिला जांजगीर चांपा, छ०ग०	देवरहा	जांजगीर	24, (55 / 56 / 57) / 2, (58,59,60,61,62), (28,29,30) / 2, 63, 64, 66 / 1,	4.368	03.07.2018 से 02.07.2048

अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, अटल नगर-492002

क्र.	पट्टेदार का नाम व पता	खदान ग्राम का नाम	तहसील	खसरा नम्बर	रकबा (हे०में)	अवधि दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
				19/1, 19/3, 31/1, 49/5, 54/1, 54/2, 70, (28,29,30)/1		
24	श्री आनंद तिवारी, पिता श्री रामविलास तिवारी, निवासी वार्ड नं० 9, हरेली हेरिटेज के पीछे, जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा, छ०ग०	करमंदी	जांजगीर	658/1, 657/1, 660/2, , 661, 662, 663	1.024	03.01.2008 से 02.01.2038
25	अजय कुमार अग्रवाल नि० जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा, छ०ग०	करमंदी	जांजगीर	707/3, 708, 709, 710/1	0.534	20.12.2010 से 19.12.2040
26	श्रीमती पदमा देवी जैन नि० जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा, छ०ग०	नवागढ़	नवागढ़	5845	4.000	26.11.2010 से 25.11.2040

अस्थायी भण्डारण अनुज्ञप्ति

क्र०	अनुज्ञापतिधारी का नाम व पता	भण्डारण स्थल का ग्राम	तहसील	खसरा नंबर	रकबा (हे.में)	भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृति दिनांक
1	राजेन्द्र कुमार राठौर नि० बिरगहनी, जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा	बिरगहनी	जांजगीर	171/5	0.748	20.06.2022 से 19.06.2032


अनुभाग अधिकारी
 खानेज साधन विभाग
 मंत्रालय, अटल नगर-492002

"प्रपत्र-ब"

स्वीकृत लीज से बाहर काबिज व्यक्तियों/पट्टेदारों की जानकारी

स. क.	पट्टेदार का नाम व पता	ग्राम	खसरा नंबर	रकबा (हेक्ट.)	अवधि	लीज क्षेत्र से बाहर काबिज स्थान का रकबा	जॉच का विवरण	विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही
1	अजय कुमार अग्रवाल (शारदा केशर उद्योग) निवासी नैला तहसील जॉजगीर जिला जॉजगीर चौपा (छ0ग0)	बिरगहनी	294 / 1, 1146, 1147	0.740	25.11.2004 से 24.11.2034	लीज क्षेत्र के बाहर लगभग 0.30 एकड में काबिज	अवैध काबिज क्षेत्र में अवैध रूप खनिज निम्न श्रेणी चूना पत्थर भण्डारित किया जाना पाया गया।	खनिज विभाग द्वारा दिनांक 02.02.2024 को नोटिस जारी किया गया है कार्यवाही प्रक्रियाधीन
2	नरेन्द्र कुमार राठौर निवासी बिरगहनी तहसील जॉजगीर जिला जॉजगीर चौपा (छ0ग0)	बिरगहनी	1140 / 1, 2, 1141 / 1, 2, 1142 / 1, 2, 1143 / 1	0.931	14.07.2008 से 13.07.2038	लीज क्षेत्र के बाहर लगभग 0.10 एकड में काबिज	अवैध काबिज क्षेत्र में अवैध रूप खनिज निम्न श्रेणी चूना पत्थर भण्डारित किया जाना पाया गया।	खनिज विभाग द्वारा दिनांक 02.02.2024 को नोटिस जारी किया गया है कार्यवाही प्रक्रियाधीन
3	मेसर्स हसदेव केशर इण्डस्ट्रीज प्रो. श्री महेश कुमार मोदी निवासी चाम्पा जिला जॉजगीर चौपा (छ0ग0)	बिरगहनी	24, (55 / 56 / 57) / 2, (58,59,60,61,62), (28,29,30) / 2, 63, 64, 66 / 1, 19 / 1, 19 / 3, 31 / 1, 49 / 5, 54 / 1, 54 / 2, 70, (28,29,30) / 1,	4.368	03.07.2018 से 02.07.2048	लीज क्षेत्र के बाहर लगभग 0.50 एकड में काबिज	अवैध काबिज क्षेत्र में अवैध रूप खनिज निम्न श्रेणी चूना पत्थर भण्डारित किया जाना पाया गया।	खनिज विभाग द्वारा दिनांक 02.02.2024 को नोटिस जारी किया गया है कार्यवाही प्रक्रियाधीन


 अनुभाग अधिकारी
 खनिज सायन विभाग
 मंत्रालय, अटल नगर-492002

पारिशेष्ट - चौबीस
पारेवातेत अतारांकेत प्रश्न संख्या 27 (क्र. 981) की जानकारी

प्रपत्र

बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास/उन्नयन के लिए कार्यवार व्यय राशि का विवरण

प्रथम चरण – 2016 से 2018 – एयरपोर्ट का विकास 2C-VFR श्रेणी अनुसार करने हेतु

क्र.	कार्य	राशि लाख में
1	एयरपोर्ट रनवे विकास, टर्मिनल भवन विकास अन्य अधोसंरचना निर्माण कार्य	2000.00
	योग:-	2000.00


द्वितीय चरण- 2019 से 2021 – एयरपोर्ट का उन्नयन 2C-VFR श्रेणी से 3C-VFR में करने हेतु

1	एयरपोर्ट रनवे सुधार, टर्मिनल भवन उन्नयन, अन्य अधोसंरचना निर्माण कार्य	183.50
2	टिकट रूम निर्माण, पैसेज शेड, एटीसी बिल्डिंग हेतु एप्रोच रोड निर्माण	51.16
3	टर्मिनल भवन में विद्युतीकरण कार्य व सीसीटीवी स्थापना	31.49
4	एयरपोर्ट एग्रन विस्तारीकरण	54.60
5	वॉच टॉवर का विद्युतीकरण कार्य एवं पॉवर सप्लाइ केबल स्थापना	12.99
6	1/1100 मीटर अतिरिक्त पेरीमीटर रोड निर्माण, 2/1100 मीटर अतिरिक्त चैन लिंक फेंसिंग कार्य, 3/रनवे की अतिरिक्त 3.50 मीटर चौड़ाई की ग्रेडिंग तथा ग्राउंड के लेवलिंग	123.39
	योग:-	457.13

तृतीय चरण – 2022 से 2023 – एयरपोर्ट का उन्नयन 3C-VFR श्रेणी से 3C-IFR श्रेणी में करने हेतु

1	टर्मिनल भवन उन्नयन कार्य – डिर्पाचर हॉल तथा शेड निर्माण कार्य	157.29
2	टर्मिनल भवन में विद्युत कार्य (एयर कंडीशन सीसीटीवी आदि स्थापना)	35.88
3	सुरक्षाकर्मियों हेतु बैरक, कार्यालय, टॉयलेट निर्माण	49.643
4	एयरपोर्ट के 3C-IFR श्रेणी में विकास हेतु सिविल कार्य (रनवे चौड़ीकरण, नाला, बॉऊण्ड्रीवॉल, पेरीमीटर रोड निर्माण)	1035.24
5	एयरपोर्ट के 3C-IFR श्रेणी में विकास हेतु विद्युत कार्य (रनवे, ग्राउण्ड, एप्रोच, व पेरीमीटर की लाईटिंग कार्य, हाई मास्ट लाईट, व डीजी सेट हेतु)	1085.53
6	एयरपोर्ट के 3C-IFR श्रेणी में विकास हेतु OLS Survey कार्य और एयरपोर्ट के भावी 4C-IFR श्रेणी में विकास हेतु रनवे का विकास 2880 मीटर करने की संभावना हेतु एप्रोच चार्ट निर्माण	17.70
7	एयरपोर्ट रनवे 35 में पीबीएन एप्रोच स्थापना हेतु चार्ट का निर्माण हेतु	18.45
	योग:-	2399.73
	द्वितीय + तृतीय चरण योग	2856.86
	प्रथम + द्वितीय + तृतीय चरण महायोग:-	4856.86


अनुभाग अधिकारी
विमानन विभाग
मंत्रालय, नया दिल्ली, भारत


20/02/24

पारिशेष्य - पञ्चोस
पारिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 995) की जानकारी

प्रपत्र

विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर के अंतर्गत वित्तीय 2019-2020 से प्रश्न अवधि तक समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं, प्रदत्त लाभ, प्राप्त आवेदन, आवेदन के प्रयोजन एवं लाभान्वित हितग्राहियों की योजनानुसार विकासखंडवार जानकारी

क्र.	योजना का नाम	दिये जाने वाले लाभ	विकासखण्डवार प्राप्त आवेदन व लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी					
			डभरा			मालखरौदा		
			प्राप्त आवेदन	प्रयोजन	लाभान्वित हितग्राही	प्राप्त आवेदन	प्रयोजन	लाभान्वित हितग्राही
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	प्रतिमाह पेंशनराशि	78	पेंशन	76	144	पेंशन	75
2	सुखदसहारायोजना	प्रतिमाह पेंशनराशि	30	पेंशन	30	42	पेंशन	21
3	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	प्रतिमाह पेंशनराशि	5353	पेंशन	4995	2325	पेंशन	1734
4	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	प्रतिमाह पेंशनराशि	878	पेंशन	825	311	पेंशन	150
5	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	प्रतिमाह पेंशनराशि	237	पेंशन	229	202	पेंशन	108
6	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना	प्रतिमाह पेंशनराशि	18	पेंशन	12	43	पेंशन	4
7	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	एकमुश्त आर्थिक सहायता राशि	561	सहायता राशि	536	115	सहायता राशि	77
8	सामर्थ्य विकास, कृत्रिम अंग/ सहायक उपकरण प्रदाय योजना	कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण	33	सहायक उपकरण	29	21	सहायक उपकरण	20

.....2

//2//

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना	एकमुशत आर्थिक सहायता राशि	11	प्रोत्साहन राशि	7	12	प्रोत्साहन राशि	12
10	दिव्यांगजन छात्रवृत्ति	छात्रवृत्ति	374	छात्रवृत्ति	374	114	छात्रवृत्ति	114
11	निःशक्तजनों के स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदाय योजना	कम ब्याज दर पर ऋण	0	-	0	0	-	0
12	दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना	शिक्षण प्रशिक्षण हेतु प्रोत्साहन राशि	5	प्रोत्साहन राशि	5	3	प्रोत्साहन राशि	1
13	दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित होने पर प्रोत्साहन राशि	0	-	0	2	प्रोत्साहन राशि	2
14	दिव्यांगजन छात्रगृह योजना	दिव्यांग बच्चों को पढ़ाई के लिए किराये में रहने की व्यवस्था	0	-	0	0	-	0
15	तीर्थ-बरत योजना	तीर्थयात्रा	0	-	0	0	-	0
16	मोटराइज्ड ट्रायसायकल प्रदाय	मोटराइज्ड ट्रायसायकल प्रदाय	48	-	48	68	-	68
17	ए.डी.आई.पी. योजनांतर्गत कृत्रिम अंग सहायक	ए.डी.आई.पी. योजनांतर्गत कृत्रिम अंग सहायक	35	-	35	106	-	106
18	कृत्रिम अंग सहायक (हाथ/पैर) कैलिपर्स प्रदाय	कृत्रिम अंग सहायक (हाथ/पैर) कैलिपर्स प्रदाय	14	-	14	10	-	10
योग			7675		7215	3518		2502

Metam
अनुभाग अधिकारी
 सर्वजन कल्याण विभाग,
 मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

परिशेष - छबोस

परिवारित अतारांकित प्रश्न संख्या 33 (क्र. 999) की जानकारी

प्रपत्र-अ

जनवरी, 2020 से नवम्बर, 2023 तक की अवधि में छ.ग. राज्य विद्युत मण्डल द्वारा गारे पेलमा कोल ब्लॉक, रायगढ़ में कोल परिवहन हेतु जारी निविदा का विवरण													
क्र	वर्ष	निविदा जारी करने की तिथि	वितीय दर खोलने की तिथि	कंपनी/एजेंसि की वितीय दर खोती गई	रेलवे साइडिंग एवं दूरी	वितीय दर (रुपये प्रति मीट्रिक टन)	रिवर्स बिडिंग के उपरांत प्राप्त दर (रुपये प्रति मीट्रिक टन)	न्यूनतम निविदाकर्ता, जिसे कार्य दिया गया	कार्यारंश की अवधि	रेलवे साइडिंग एवं दूरी	निगोशिएसन के उपरांत कार्यारंश की दर (रुपये प्रति मीट्रिक टन)	परिवहन की गई मात्रा (साख मीट्रिक टन)	भुगतान (करोड़ रुपये) (जीएसटी, एस्केलेशन/ डिस्कॉलेशन सहित एवं आवश्यक कटौती उपरांत) *
1	2020	17.11.2020	22.12.2020	जय अम्बे रोडलाइन्स प्राइवेट लिमिटेड	राबर्टसन (80 किमी.)	774.00	736.00	जय अम्बे रोडलाइन्स प्राइवेट लिमिटेड	I. 09 फरवरी 2021 से 03 जनवरी 2022 तक की दरें	राबर्टसन (80 किमी.)	675.00	22.77	213.43
				आदि इन्टरप्राइजेस	घरघोड़ा (40 किमी.)	576.00	522.00		कुल मात्रा (I)	घरघोड़ा (40 किमी.)	460.00	3.59	
				विंगल लॉजिस्टिक्स	राबर्टसन (80 किमी.)	786.00			II. प्रथम वृद्धि की दरें (03 जनवरी 2022 से 08 फरवरी 2022 तक)	राबर्टसन (80 किमी.)	666.00	1.73	
					घरघोड़ा (40 किमी.)	808.00			कुल मात्रा (II)	घरघोड़ा (40 किमी.)	455.00	3.20	
						622.00			कुल योग (अ)			4.93	
									(ब) विस्तारित आदेश (09 फरवरी 2022 से 08 फरवरी 2023)			31.29	
									I. 09 फरवरी 2022 से 14 दिसम्बर 2023 तक की दरें	राबर्टसन (80 किमी.)	666.00	9.82	202.54
									कुल मात्रा (I)	घरघोड़ा (40 किमी.)	455.00	19.79	
									II. प्रथम वृद्धि की दरें (14 दिसम्बर 2022 से 08 फरवरी 2023 तक)	राबर्टसन (80 किमी.)	683.50	1.66	
									कुल मात्रा (II)	घरघोड़ा (40 किमी.)	466.00	3.57	
									कुल योग (ब)			5.23	
									मूल निविदा (09 फरवरी 2023 से 08 फरवरी 2024)			34.84	
2	2022	03.11.2022	19.01.2023	बारबरिक प्राजेक्ट्स लिमिटेड	राबर्टसन (80 किमी.)	800.00	685.00	बारबरिक प्राजेक्ट्स लिमिटेड	09 फरवरी 2023 से 30 नवम्बर 2023 तक	राबर्टसन (80 किमी.)	683.50	8.65	108.67
				थॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	घरघोड़ा (40 किमी.)	550.00	467.00		कुल मात्रा	घरघोड़ा (40 किमी.)	466.00	16.75	
					राबर्टसन (80 किमी.)	725.00						25.40	
					घरघोड़ा (40 किमी.)	510.00							

* निविदा भातों के अनुसार देयकों का भुगतान देयकों का अनुसार देयकों का भुगतान एमडीओ मेवर्स गारे पेलमा -III कोलघरीज लिमिटेड द्वारा परिवहनकर्ता को करने के उपरांत सीएसपीजीसीएल द्वारा एमडीओ को रिवर्स किया जाता है।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर, अठार मण



साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
South Eastern Coalfields Limited

(भारत सरकार का उपक्रम)
CIN : U10102CT1985GD0001161

सीपत रोड, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) - 495006

विपणन एवं विक्रय विभाग

फोन - 07752-246322

फैक्स - 07752-246472

वेबसाइट - www.secl-cil.in

क. एसईसीएल बीएम्पी/एमएंडएस/

64

दिनांक: 18/08/22

नोटिस/NOTICE

This is to inform all concerned that SECL Board in its 327th meeting held on 25/07/22 has approved the revision of Surface Transportation Charges (STC). Revised STC for different lead distances are as under:-

Slab	Revised Rate of STC w.e.f. 25/07/22 (Rs./Tonne)
I (0-3Km)	40
II (3-10Km)	87
III (10-20Km)	116
IV (more than 20Km)	Actual +10%

This increase will be effective from 00:00 hrs of 25/07/22 for all modes of dispatches for all schemes i.e. Auctions, FSAs, MOUs etc.

In view of the above, customers are requested to deposit the differential amount in form of RTGS/NEFT otherwise the proportionate quantity on account of revised STC charges shall be liable to be regulated.

महाप्रबंधक (विपणन एवं विक्रय)
एसईसीएल मुख्यालय, बिलासपुर

सूचनार्थ :

- निदेशक(विपणन), सीआईएल, कोलकाता।
- अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एसईसीएल मुख्यालय, बिलासपुर।
- निदेशक (तक.) संचालन, एसईसीएल मुख्यालय, बिलासपुर।
- निदेशक (वित्त), एसईसीएल मुख्यालय, बिलासपुर।

प्रतिलिपि :

- महाप्रबंधक (विपणन एवं विक्रय), सीआईएल, कोलकाता।
- महाप्रबंधक (वित्त), एसईसीएल मुख्यालय, बिलासपुर।
- महाप्रबंधक (विपणन एवं विक्रय)/संचालन, एसईसीएल मुख्यालय, बिलासपुर।
- महाप्रबंधक (प्रणाली), एसईसीएल मुख्यालय, बिलासपुर।
- क्षेत्रीय महाप्रबंधक, समस्त क्षेत्र, एसईसीएल।
- मुख्य प्रबंधक (वित्त)/सेल्स अकाउंट्स, विपणन एवं विक्रय विभाग, एसईसीएल मुख्यालय, बिलासपुर।
- नोटिस बोर्ड, विपणन एवं विक्रय विभाग, एसईसीएल मुख्यालय, बिलासपुर।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

सं पृष्ठ सं जी सी एल
C/PGCL

"प्रपत्र-स"

C.E. (Civil-Main) Gen
C.S.P.G.C.L. RAIPUR
No. 2273
Date 13-11-17
E.E. (M) (M) (M)
A.E. (M)
O.A. (M)
Eastl.
Cash
Bill
P.A.
Sr. Steno.
C.E. (Civil-Main) Gen

CHHATTISGARH STATE POWER GENERATION CO. LTD.

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड

(A Govt. of Chhattisgarh Undertaking)

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

CIN: U40108CT2003SGC015821

No. 03/1/HR/E-01/5288

Raipur, Date: 13-11-17

CIRCULAR

Sub: Extension of due date for opening of Tenders.

It has been noticed that due date of opening of tender are being extended repeatedly resulting in to waste of time without any fruitful results. Hence, it has been decided that following procedure should be followed by all tender inviting authorities.

01. A minimum of 21 days period from the date of issuance of NIT may be allowed for submission of bids in the first instance. In cases of emergency, this period may be reduced with the approval of MD.
02. In cases in which extension of due date is considered necessary due to poor/single/nil response, upto the due date for opening of tenders, due date may be extended once to obtain adequate bidding response.
03. If three or more bids are received upto the extended date, the tender may be opened.
04. If only one bid is received after the first extension and no request from any bidder has been received for extending the due date for submission of offers, fresh bids should be invited with relaxed PQR. However, in cases in which opening of single bid is considered inescapable due to urgency, the bid may be opened with the approval of MD.
05. If only two bids are received after first extension and the tender inviting authority is satisfied that grant of 2nd extension would fetch additional bid(s), 2nd extension may be allowed.

Cont..... 02

Regd. Office: "Vidya Sewa Bhavan" Dangania, Raipur (C.G.)

Executive Director (HR), Shed No. 03, Dangania, Raipur (C.G.) 492013

कार्यालय कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन), शेड नं.-03, डंगनिया, रायपुर (छत्तीसगढ़) 492013

Tele: 0771-2574408, Fax: 0771-2574035, E-Mail: hr.cspgcl@espc.co.in Website: www.espc.co.in/cspgcl

HR2017-II PURCHASE & WORK LETTER & WORKS/SLIP/WORK LETTER AND WORKING LET.

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

सी.एस.पी.जी.सी.एल.
C/PGCL

06. If only two bids are received after the first extension and no request from any bidder is received for extension of due date and/or no additional bid is expected to be received as per the assessment of the tender inviting authority, available bids could be opened only in cases of urgency after recording reasons for the same. In other cases, fresh bids may be invited with relaxed PQR without resorting to 2nd extension.

07. More than two extension in due date should not be allowed in any case.

08. If on the due date/extended due date, sufficient bids are received but after techno-commercial evaluation only one bid is found responsive (meeting all conditions of tender for opening of price bid), the price bid of such a bidder should not be opened and fresh bids should be invited after relaxing PQR. However, if opening of single price bid is considered inescapable due to system requirement/constraints/urgency, price of single valid bidder may be opened with the approval of tender accepting authority giving adequate justification.

The above methodology must be followed by all concerned who are inviting the tenders.

By Order

Executive Director (HR)
C.S.Power Gen.Co.Ltd. Raipur

Copy to:-

01. The ED (.....), C.S.Power Gen.Co.Ltd,

02. The CE (..... *CMG*), C.S.Power Gen.Co.Ltd, ... *Raipur*

03. The SO to MD (Gen.), C.S.Power Gen.Co.Ltd, Raipur.

o
उप सचिव

उत्तीर्णक शरान, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

Regd. Office: "Vidvat Sewa Bhawan" Dangania, Raipur (C.G.)

Executive Director (HR), Shed No. 03, Dangania, Raipur (C.G.) 492013

कार्यालय कार्यपालक निदेशक (आयुक्त) रायपुर अ-03, डंगनिया, रायपुर (छ.ग.) 492013

Tel: 0771-2574408, Fax: 0771-2574035, E-Mail: hr.cspgcl@cspcco.in Website: www.cspc.co.in/cspgcl

हस्ताक्षर खरीद और कार्यपत्र और विसंगत पत्र और विसंगत पत्र

परिशेष - सत्ताईस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 35 (क्र. 1005) की जानकारी

प्रपत्र—“अ”

सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर व्यक्तियों के परिजनों को क्षतिपूर्ति राशि प्रदान किये गये की जानकारी

वर्ष—2021 से प्रश्नावधि तक

क्र.	तहसील का नाम	सड़क दुर्घटना में मृतकों की संख्या	मृतकों के परिजनों को स्वीकृति आर्थिक सहायता राशि
1	2	3	4
1.	राजनांदगांव	62	1550000
2.	डोंगरगांव	22	550000
3.	छुरिया	19	475000
4.	डोंगरगढ़	18	450000
योग —		121	3025000



अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, अटल नगर,
नवा रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र-''ब''

राजनांदगांव जिले में सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर व्यक्तियों के परिजनों को क्षतिपूर्ति राशि दिये जाने हेतु शेष की जानकारी

वर्ष-2021 से प्रश्नावधि तक

क्रं.	तहसील का नाम	सड़क दुर्घटना में मृतकों की संख्या	मृतकों के परिजनों को स्वीकृति आर्थिक सहायता राशि
1	2	3	4
1.	राजनांदगांव	74	1850000
2.	डोंगरगांव	11	275000
3.	छुरिया	51	1275000
4.	डोंगरगढ़	35	875000
योग -		171	4275000



अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, अटल नगर,
नवा रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र-“स”

राजनांदगांव जिले में सड़क दुर्घटना में घायल होने पर क्षतिपूर्ति राशि दिये जाने हेतु शेष विकासखण्डवार की जानकारी

वर्ष-2021 से प्रश्नावधि तक

क्रं.	तहसील का नाम	सड़क दुर्घटना में घायलों की संख्या	घायलों को आर्थिक सहायता राशि दिये जाने शेष
1	2	3	4
1.	राजनांदगांव	10	100000
2.	डोंगरगांव	0	0
3.	छुरिया	8	80000
4.	डोंगरगढ़	3	30000
योग -		21	210000



अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, अटल नगर,
नवा रायपुर (छ.ग.)

परिशेष - अट्टाईस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 37 (क्र. 1014) की जानकारी

प्रपत्र

राजनांदगाव जिले में वर्ष 2021-22 से 31 दिसंबर, 2023 तक प्रदायित अस्थायी विद्युत पंप कनेक्शन हेतु प्राप्त, जारी किए गए अस्थायी कनेक्शन, अस्थायी से स्थायी किए गए तथा स्थायी कृषि कनेक्शन पश्चात् सुरक्षानिधि वापसी/समायोजन की वर्षवार एवं विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	कृषि अस्थाई कनेक्शन के प्राप्त आवेदन			प्रदान किये गये कृषि अस्थाई कनेक्शन			प्रदाय किये गये स्थाई कृषि कनेक्शन			स्थायी कृषि कनेक्शन पश्चात् सुरक्षानिधि वापसी/समायोजन			यदि नहीं तो सूची सहित कारण
		2021-22	2022-23	2023-24 (31.12.2023 तक)	2021-22	2022-23	2023-24 (31.12.2023 तक)	2021-22	2022-23	2023-24 (31.12.2023 तक)	2021-22	2022-23	2023-24 (31.12.2023 तक)	
1	2	3			4			5			6			7
1	राजनांदगाव	1508	1643	1354	1508	1643	1354	33	81	36	33	80	36	1
2	डोंगरगाव	232	691	384	232	691	384	37	25	0	37	25	0	0
3	डोंगरगाव	605	642	940	605	642	940	75	62	53	75	62	53	0
4	खैरगाव	1820	0	0	1820	0	0	91	0	0	91	0	0	0
5	छुईखदन	1285	0	0	1285	0	0	136	0	0	136	0	0	0
6	छुरिया	861	945	822	861	945	822	82	85	62	82	85	62	0
7	अंबागाव चौकी	493	0	0	493	0	0	22	0	0	22	0	0	0
8	मोहला	126	0	0	126	0	0	26	0	0	21	0	0	5
9	मानपुर	447	0	0	447	0	0	40	0	0	40	0	0	0
	योग	7377	3921	3500	7377	3921	3500	542	253	151	537	252	151	6

dh
उप सचिव
उत्तरीसंगठ शासन, उत्तरा विभाग
मंत्रालय, नया सचिवालय, अटल फोर

परिशेष - उन्तीस
परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 40 (क्र. 1024) की जानकारी

"प्रपत्र"

क्र.	एजेसी का नाम	सामग्री का विवरण	मात्रा	दर रुपये में	राशि रुपये में	भुगतान का विवरण		
1	2	3	4	5	6	7		
1	मेसर्स गंगा मैय्या बुक डिपो बालोद, जिला बालोद (छ.ग.)	पेड फाईल	100 नग	10	1000.00	बिल क्रमांक 72 दिनांक 07.01.2022 के माध्यम से देयक का भुगतान किया गया।		
		कवर फाईल	50 नग	10	500.00			
		स्टेपलर पिन	10 नग	8	80.00			
		स्टेपलर पिन (बडा)	2 नग	15	30.00			
		कैलकुलेटर	3 नग	296.61	889.83			
		प्लेग	10 नग	30	300.00			
		टेग	50 नग	10	500.00			
		लिफाफा	4 गन	50	200.00			
		पेड इंक	2 नग	31.25	62.50			
		आलपिन	1 पैकेट	120	120.00			
		यू पिन	1 पैकेट	25	25.00			
		पेपर ए-4 साईज	30 पैकेट	160	4800.00			
		योग :-						8507.33
		सीजीएसटी					595.78	
एसजीएसटी				595.78				
योग :-					9698.00			
2	मेसर्स गंगा मैय्या बुक डिपो बालोद, जिला बालोद(छ.ग.)	पेड फाईल	100 नग	15	1500.00	बिल क्रमांक 93 दिनांक 06.03.2023 के माध्यम से देयक का भुगतान किया गया।		
		बस्ता	18 नग	98	1764.00			
		स्टेपलर पिन	05 नग	8.47	42.35			
		स्टेपलर पिन बडा	02 नग	16.95	33.90			
		कैलकुलेटर	02 नग	150	300.00			
		पलेग	05 नग	35.71	178.55			
		टेग	10 नग	10	100.00			
		लिफाफा	02 पैकेट	70	140.00			
		लिफाफा	02 पैकेट	50	100.00			

क्र.	एजेसी का नाम	सामग्री का विवरण	मात्रा	दर रूपये में	राशि रूपये में	भुगतान का विवरण	
1	2	3	4	5	6	7	
		(बडा)					
		पेड इंक	02 नग	40	80.00		
		आलपिन	03 पैकट	40	120.00		
		पेन	05 नग	4.46	89.20		
		हाई लाईटर	05 नग	14.36	71.80		
		रजिस्टर (372 पेज)	02 नग	350	700		
		मार्कर पेन	02 नग	16.95	33.90		
		वार्टनर	03 नग	21.19	63.57		
		पेन्सिल	01 पैकेट	44.64	44.64		
		कवर फाईल	20 नग	15	300.00		
		पेपर ए-4 साईज	10 पैकेट	232.14	2321.40		
		फोलिंग डाक पेड	10 नग	40	400.00		
		डाक पेड (बडा साईज)	02 नग	180	360.00		
		यू पिन	01 पैकेट	40	40.00		
		रबर	02 नग	4.76	9.52		
		कटर	02 नग	4.46	8.92		
		योग			8801.75		
		सीजीएसटी			594.59		
		एसजीएसटी			594.59		
		कुल योग :-				9990.00	
3	मेसर्स गंगा मैय्या बुक डिपो बालोद, जिला बालोद(छ.ग.)	पेपर ए-4 साईज	25 पैकेट	223.21	5580.25	बिल क्रमांक 23 दिनांक 06.06. 2023 के माध्यम से देयक का भुगतान किया गया।	
		टेग	20 नग	10	200.00		
		पेन	10 नग	8.47	84.70		
		योग			5864.95		
		सीजीएसटी			354.44		
		एसजीएसटी			354.44		
		कुल योग :-				6573.00	
4	मेसर्स गंगा मैय्या बुक डिपो बालोद, जिला	पेपर ए-4 साईज	30 पैकेट	223.21	6696.00	देयक बिल का भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	
		कवर फाईल	50 नग	15	750.00		


 अनुभाग अधिकारी
 खनिज सावण विभाग
 मंत्रालय, अटलनगर-492002

क्र.	एजेसी का नाम	सामग्री का विवरण	मात्रा	दर रूपये में	राशि रूपये में	भुगतान का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
	बालोद(छ.ग.)	स्टेपलर	03 नग	55.08	165.24	
		स्टेपलर पिन	10 नग	10.17	101.70	
		पलेग	05 नग	30.00	150.00	
		पेन	20 नग	5.00	100.00	
		हाई लाईटर	03 नग	21.19	63.57	
		स्टांप पेड	03 नग	45	135.00	
		टेग	02 नग	10	20.00	
		कैलकुलेटर	02 नग	150	300.00	
		योग			8481.81	
		सीजीएसटी			561.87	
		एसजीएसटी			561.87	
कुल योग :-					9605.00	
5	मेसर्स गंगा मैथया बुक डिपो बालोद, जिला बालोद(छ.ग.)	पेड फाईल	200 नग	15	3000.00	देयक बिल का भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
		बस्ता	30 नग	70	2100.00	
		लिफाफा	02 पैकेट	50	100.00	
		लिफाफा बडा	02 पैकेट	70	140.00	
		एल फोल्डर	10 नग	10	100.00	
		स्लिप पेड	10 नग	20	200.00	
		फेविस्टिक	02 नग	21.19	42.38	
		रजिस्टर	05 नग	65	325.00	
		सी.पी. 270 पी	02 नग	25.42	50.84	
		योग			6058.22	
		सीजीएसटी			408.74	
		एसजीएसटी			408.74	
कुल योग :-					6875.00	

अनुभाग अधिकारी

खनिज सावध विभाग

मंत्रालय, अटल नगर-492002

परिशेष - तीस
परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 44 (क्र. 1306) की जानकारी

प्रपत्र

भंडारण सुरक्षा व्यय, प्रासंगिक व्यय प्राप्त एवं मदवार किये गये व्यय की जानकारी

(राशि लाख में)

क्र०	उपार्जन केन्द्र का नाम	वर्ष 2020-21																		
		सुरक्षा एवं भंडारण व्यय					प्रासंगिक व्यय													
		प्राप्त राशि	उनेज	विद्युत व्यय	कैपेक्चर, त्रिपाल, तारफेंसिंग तारपोलिन	तारफेंसिंग चौकीदार	अन्य व्यय	कुल व्यय राशि	प्राप्त राशि	हेमाली (लौलाई, सिलाई, स्टेनसिल, स्टेकिंग)	रंग	सुतली	कम्प्यूटर	कांटाबॉट / नमी यंत्र केलिबेशन	अन्य व्यय	कुल व्यय राशि				
1	टागापासा	1.27	1.00	0.09	0.12	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	1.25	3.80	3.17	0.04	0.29	0.00	0.12	0.01	3.63
2	चनाट	1.73	1.70									1.70	5.19	4.95						4.95
3	तिलाईवाटर		0.00								0.00	0.00		0.00						0.00
4	उडेल	2.08	0.84	0.15	1.06						0.00	2.05	6.24	5.96						5.96
5	पुरुषोत्तमपुर		0.00								0.00	0.00		0.00						0.00
6	खोखसा		0.00								0.00	0.00		0.00						0.00
7	मंरपुर	1.82	1.69	0.10							1.79	5.47	5.08	0.00	0.14					5.22
8	रुपापाली		0.00								0.00	0.00		0.00						0.00
9	ठुठापाली	1.52	0.99	0.18	0.21	0.12					1.50	4.56	4.35	0.00						4.35
10	बिछिया	1.91	1.47	0.20	0.21						1.88	5.74	4.61	0.03	0.54		0.04	0.26		5.48
11	दुलारपाली		0.00								0.00			0.00						0.00
12	लंबर	1.77	0.33	0.15	0.66			0.60			1.74	5.30	4.36	0.03	0.21	0.20	0.20	0.06	0.06	5.06
13	रोहिना	1.77	0.63	0.11	0.45	0.05		0.50			1.74	5.32	4.43	0.02	0.57		0.06	0.00	0.00	5.08
14	बडेसाजापाली	1.29	1.05					0.22			1.27	3.87	3.53		0.16					3.69
15	सलखण्ड	1.45	0.17	0.07	0.35	0.38		0.45			1.43	4.36	3.20	0.03	0.10	0.35	0.05	0.43		4.16
16	जम्हरी	2.00	0.82	0.18	0.71	0.17		0.09			1.97	6.01	4.94	0.09	0.66	0.00	0.02	0.03		5.74
17	आवलाचवका		0.00								0.00	0.00								0.00
18	बहेरापाली		0.00								0.00	0.00								0.00
19	अमरकोट	1.36	0.73	0.10	0.25	0.05		0.14			1.34	4.08	2.66	0.05	0.66	0.05	0.06	0.40		3.89
20	नवरंगपुर	1.90	1.32	0.26		0.13					1.87	5.71	4.04	0.21	0.93	0.06	0.07	0.14		5.45
21	बारखोली		0.00								0.00									0.00
22	बोन्दानवापाली	1.77	0.74	0.15	0.12	0.08		0.65			1.74	5.30	4.13	0.09	0.24	0.55	0.05	0.00		5.06
23	नवागढ	2.03	1.13		0.46	0.05		0.08			2.00	6.08	4.00	0.05	0.09	0.04	0.12	1.50		5.80
24	कंडुवा	2.00	1.40	0.11	0.30	0.10		0.06			1.97	6.00	4.66	0.13	0.61	0.24	0.07	0.02		5.73
25	सरयपाली	2.13	0.49	0.16	0.44			0.80			2.10	6.38	4.86	0.04	0.80		0.03	0.36		6.09

(राशि लाख में)

क्र०	उपार्जन केन्द्र का नाम	सुरक्षा एवं मंडारण व्यय										प्रासंगिक व्यय							
		मदवार किये गये व्यय					मदवार किये गये व्यय					प्राप्त राशि	हेमाली (तौलाई, सिलाई, स्टेनसिल, स्टेकिंग)	रंग	सुतली	कम्प्यूटर	कांटाबाट / नमी यंत्र के लिबेशन	अन्य व्यय	कुल व्यय राशि
		प्राप्त राशि	डनेज	विद्युत व्यय	कैपकवर, त्रिपाल, तारपोलिन	तारफेंसिंग	चौकीदार	अन्य व्यय	कुल व्यय राशि	मदवार किये गये व्यय	प्राप्त राशि								
26	कनकेश	1.97	0.81	0.19	0.55		0.36	0.03	1.94	5.91	4.57	0.05	0.22		0.02	0.78	5.64		
27	केडुवार		0.00						0.00		0.00						0.00		
28	भोथलडीह	2.11	1.00		1.08				2.08	6.32	6.03						6.03		
29	लिमागांव		0.00						0.00		0.00						0.00		
30	पुटका	1.70	1.02	0.15	0.35	0.05	0.10		1.67	5.10	4.29	0.10	0.20	0.18			4.87		
31	लांती		0.00						0.00		0.00						0.00		
32	चिवरकुटा	1.20	1.18						1.18	3.59	3.43						3.43		
33	सिंगबहाल	1.34	0.37	0.12	0.50	0.11	0.00	0.22	1.32	4.01	3.83						3.83		
34	सागरपाली	1.90	1.33	0.14	0.19		0.21		1.87	5.69	4.49	0.03	0.86	0.05			5.43		
35	रुढा		0.00						0.00		0.00						0.00		
36	मल्दामाल	1.44	0.65	0.10	0.40	0.18		0.09	1.42	4.33	2.48	0.40	0.55	0.12	0.58		4.13		
37	तिहारीपाली	1.66	0.84	0.09	0.30	0.16	0.10	0.14	1.63	5.00	4.57	0.10	0.10				4.77		
38	केना	1.04	0.73	0.27				0.02	1.02	3.16	3.02						3.02		
39	बेलमुडी	1.35	0.93	0.10		0.25		0.04	1.33	4.06	3.88						3.88		
40	बलौटा	1.59	1.28	0.20				0.09	1.57	4.78	4.56						4.56		
41	टेमरी	1.58	1.04	0.15		0.20		0.16	1.56	4.75	4.53						4.53		
42	तोषगांव	1.61	1.23	0.34				0.01	1.59	4.82	4.60						4.60		
43	केजुवा	1.49	1.07	0.09		0.16		0.16	1.47	4.46	3.87	0.02	0.31		0.07		4.26		
44	जोगनीपाली	2.13	1.42	0.22		0.25		0.21	2.10	6.36	5.38	0.04	0.53		0.13		6.07		
45	लोरसिहा	1.61	0.63	0.24		0.25		0.47	1.59	4.84	4.62						4.62		
46	जंगलबेडा	1.19	0.41	0.29		0.20		0.27	1.17	3.56	3.40						3.40		
47	सेमलिया	1.61	1.22	0.16		0.21			1.59	4.83	4.26	0.02	0.33				4.61		
48	सिरबोडा	0.90	0.43	0.18		0.15		0.13	0.89	2.69	2.57						2.57		
	योग	59.22	34.10	5.03	8.71	3.31	4.36	2.80	58.30	177.67	151.31	1.57	9.09	1.26	4.77		169.59		

प्रपत्र

भंडारण सुरक्षा व्यय, प्रासांगिक व्यय प्राप्त एवं मदवार किये गये व्यय की जानकारी

(राशि लाख में)

क्र०	उपार्जन केन्द्र का नाम	सुरक्षा एवं भंडारण व्यय										प्रासांगिक व्यय					
		मदवार किये गये व्यय										मदवार किये गये व्यय					
		प्राप्त राशि	डनेज	विद्युत व्यय	कैपकव्हर, त्रिपाल / तारपोलिन	तारफेंसिंग	चौकीदार	अन्य व्यय	कुल व्यय राशि	प्राप्त राशि	हेमाली (लौलाई, सिलाई, स्टेनसिल, स्टेकिंग)	रंग	सुतली	कम्प्यूटर	कांटाबांट / नमी यंत्र	केलिबेशन	अन्य व्यय
1	टांगापासा	1.50	0.35	0.19	0.53	0.05	0.36	0.01	1.49	4.50	4.20	0.05	0.14	0.03	0.06		4.48
2	चनाट	1.79	0.71	0.84		0.06		0.17	1.78	5.38	5.35						5.35
3	तिलाईदादर																
4	उड़ेला	0.99	0.59	0.15		0.24			0.98	2.97	2.96						2.96
5	पुरुषोत्तमपुर	1.26	1.25						1.25	3.78	3.76						3.76
6	खोखसा																
7	भंवरपुर	1.89	0.68	0.10	0.60			0.50	1.88	5.66	5.62						5.62
8	रुपापाली																
9	ढुटापाली	1.58	0.88	0.18	0.42	0.09			1.57	4.74	4.72						4.72
10	बिछिया	1.36	1.01	0.15	0.19				1.35	4.08	3.63	0.02	0.41				4.06
11	दुलारपाली	0.77	0.62	0.15					0.77	2.31	2.06	0.03	0.20				2.29
12	लंबर	1.87	0.29	0.15	0.70		0.72		1.86	5.62	3.49	0.04	0.60	1.12	0.02	0.32	5.59
13	रोहिना	1.74	0.61	0.10	0.45	0.07	0.50		1.73	5.22	4.53	0.02	0.57		0.07		5.19
14	बड़ेसाजापाली	1.36	0.81				0.54		1.35	4.07	3.82		0.23				4.05
15	सलखण्ड	1.55	0.10	0.04	0.40	0.35	0.45	0.35	1.69	4.64	4.22	0.03	0.25	0.04	0.08		4.62
16	जन्हारी	2.07	0.97	0.15	0.66	0.12	0.08	0.08	2.06	6.22	5.36	0.09	0.67	0.03	0.01	0.02	6.18
17	आंवलाचक्का																
18	बहेरापाली																
19	अमरकोट	1.37	0.74	0.09	0.15	0.06	0.25	0.07	1.36	4.10	3.03	0.12	0.75	0.04	0.06	0.08	4.08
20	नवरंगपुर	1.93	1.68	0.24					1.92	5.78	4.51	0.24	0.78	0.03	0.02	0.17	5.75
21	बाराडोली																
22	बोन्दानवापाली	1.81	0.76	0.15	0.42	0.12	0.35		1.80	5.44	4.52	0.09	0.28	0.08	0.06	0.38	5.41
23	नवागढ	2.05	0.36		0.42	0.06	0.95	0.25	2.04	6.16	4.32	0.06	0.08	0.04	0.12	1.51	6.13
24	केदुवा	2.14	0.96	0.16	0.35	0.11	0.55	0.00	2.13	6.41	4.57	0.12	0.71	0.25	0.70	0.02	6.37

(राशि लाख में)

क्र०	उपार्जन केन्द्र का नाम	सुरक्षा एवं भंडारण व्यय										प्रासंगिक व्यय					
		मदवार किये गये व्यय						मदवार किये गये व्यय									
		प्राप्त राशि	इनेज	विद्युत व्यय	कैपकव्हर, त्रिपाल/ तारपोलिन	तारफेंसिंग	चौकीदार	अन्य व्यय	कुल व्यय राशि	प्राप्त राशि	हेमाली (लौलाई, सिलाई, स्टेनसिल., स्टेकिंग)	रंग	सुतली	कम्प्यूटर	कांटाबांट / नमी यंत्र केलिबेशन	अन्य व्यय	कुल व्यय राशि
25	सरायपाली	2.24	0.79	0.17	0.34	0.00	0.74	0.19	2.23	6.71	5.75	0.05	0.72	0.00	0.03	0.13	6.68
26	कनकेवा	2.06	0.94	0.29	0.26		0.42	0.14	2.05	6.17	5.61	0.02	0.25		0.03	0.23	6.14
27	केटुढार																
28	भोथलडीह	2.24	0.47		0.95		0.80	0.01	2.23	6.71	6.67						6.67
29	लिमगांव	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00						0.00
30	पुटका	1.79	0.02	0.20	0.31	0.33	0.82	0.10	1.78	5.40	5.06	0.01	0.21	0.05	0.04		5.37
31	लांती																
32	चिवराकुटा	1.28	1.02	0.00	0.00	0.22	0.00	0.03	1.27	3.85	3.83						3.83
33	सिगबहाल	1.39	0.34	0.13	0.54	0.16	0.00	0.21	1.38	4.17	4.15						4.15
34	सागरपाली	2.01	1.46	0.08	0.36		0.02	0.08	2.00	6.03	5.02	0.03	0.88		0.06		5.99
35	रूढा																
36	मल्दामाल	1.65	0.78	0.13	0.55			0.18	1.64	4.94	3.37	0.20	0.50		0.12	0.72	4.91
37	तिहारीपाली	1.75	1.22	0.29		0.06	0.16	0.01	1.74	5.25	4.42	0.05	0.75				5.22
38	केना	1.12	0.95	0.16				0.00	1.11	3.36	3.34						3.34
39	बेलमुडी	1.41	1.16	0.15				0.09	1.40	4.24	4.21						4.21
40	बलौदा	1.62	1.21	0.20			0.20	0.00	1.61	4.87	4.85						4.85
41	टेमरी	1.61	1.42	0.15				0.03	1.60	4.82	4.79						4.79
42	तोषगांव	1.70	1.33	0.20				0.16	1.69	5.09	5.06						5.06
43	केजुवा	1.55	1.26	0.09		0.19		0.00	1.54	4.65	4.17	0.03	0.40			0.05	4.65
44	जोगनीपाली	2.26	1.73	0.21		0.31		0.00	2.25	6.78	5.98	0.04	0.65			0.07	6.74
45	तोरोसिहा	1.71	1.05	0.20		0.35		0.10	1.70	5.13	5.10						5.10
46	जगलबेडा	1.35	0.94	0.19		0.09		0.12	1.34	4.04	4.02						4.02
47	सेमलिया	1.67	1.26	0.18		0.22		0.00	1.66	5.00	4.48	0.03	0.46				4.97
48	सिरबोडा	0.96	0.63	0.18		0.09		0.05	0.95	2.87	2.86						2.86
	योग	62.40	33.38	6.04	8.60	3.35	7.91	2.93	62.21	187.19	167.41	1.37	10.49	1.71	1.48	3.70	186.16

प्रपत्र

मंडारण सुरक्षा व्यय, प्रासंगिक व्यय प्राप्त एवं मदवार किये गये व्यय की जानकारी

(राशि लाख में)

क्र०	उपार्जन केन्द्र का नाम	सुरक्षा एवं मंडारण व्यय										प्रासंगिक व्यय								
		प्राप्त राशि	मदवार किये गये व्यय					कुल व्यय राशि	अन्य व्यय	कैपकन्डर, त्रिपल/ तारपोलिन	तारफेंसिंग	चौकीदार	प्रदात राशि	हेमाली (तौलाई, सिलाई, स्टेनसिल, स्टेकिंग)	रंग	सुतली	कम्प्यूटर	काटाबाट/ नमी यंत्र केलिबेशन	अन्य व्यय	कुल व्यय राशि
			डनेज	विद्युत व्यय	विद्युत व्यय	विद्युत व्यय	विद्युत व्यय													
1	टांगापासा	2.62	0.85	0.16	0.52	0.27	0.80	0.01	2.61	4.71	4.19	0.05	0.14	0.13	0.14	0.03	4.68			
2	चनाट	2.88	1.81	0.25	0.45	0.23		0.12	2.86	5.19	4.67	0.11	0.34	0.04			5.16			
3	तिलाईदादर	0.20	0.20						0.20	0.37	0.37						0.37			
4	उडेला	1.69	0.59	0.15	0.94				1.68	3.05	3.03						3.03			
5	पुरुषोत्तमपुर	2.39	0.84	0.15	0.94	0.45			2.38	4.31	4.29						4.29			
6	खोखसा		0.00						0.00		0.00						0.00			
7	भवरपुर	3.26	2.44	0.10				0.70	3.24	5.86	5.83						5.83			
8	रुपापाली	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00						0.00			
9	हुठायाली	2.71	1.10	0.15	0.68	0.25	0.52		2.70	4.88	4.85						4.85			
10	बिछिया	2.40	1.20	0.15	0.80	0.07	0.17	0.00	2.39	4.31	3.94	0.03	0.32				4.29			
11	दुलारपाली	1.32	0.75	0.15	0.41	0.00	0.00	0.00	1.31	2.38	2.08	0.02	0.27				2.37			
12	लबर	3.23	0.66	0.21	0.90	0.30	0.72	0.42	3.21	5.82	4.52	0.06	0.65	0.20	0.03	0.33	5.79			
13	रोहिना	2.98	0.83	0.10	1.10	0.12	0.75	0.06	2.96	5.36	4.53	0.02	0.72		0.06		5.33			
14	बडेसाजापाली	2.34	0.65		0.70		0.98		2.33	4.21	3.99		0.20				4.19			
15	सलखण्ड	2.83	0.97	0.02	0.18	0.25	0.90	0.49	2.81	5.09	4.68	0.05	0.25	0.02	0.05	0.01	5.06			
16	जम्हरी	2.11	1.74	0.13	0.12	0.09	0.02		2.10	3.81	3.41	0.06	0.32				3.79			
17	आवलाचक्का	0.84	0.74	0.10					0.84	1.51	1.20	0.04	0.26				1.50			
18	बहैरापाली	0.84	0.76	0.07				0.01	0.84	1.51	1.20	0.04	0.26				1.50			
19	अमरकोट	2.40	1.47	0.07	0.26	0.16	0.36	0.07	2.39	4.33	3.00	0.04	0.12	0.01	0.06	1.08	4.31			
20	नवरगपुर	2.39	2.26	0.12					2.38	4.30	3.07	0.17	0.92	0.07	0.02	0.03	4.28			
21	बाराडोली	1.23	1.10	0.12					1.22	2.22	1.60	0.07	0.47	0.01	0.02	0.04	2.21			
22	बोन्दानवापाली	2.94	1.20	0.04	0.77	0.06	0.85	0.00	2.92	5.30	3.39	0.35	0.63	0.73	0.03	0.14	5.27			
23	नवागढ	3.35	2.00		0.68	0.18	0.13	0.34	3.33	6.02	4.33	0.06	0.09	0.03	0.13	1.35	5.99			
24	केदुवा	3.32	2.09	0.11	0.60	0.20	0.30	0.00	3.30	5.98	4.92	0.20	0.12	0.60	0.09	0.02	5.95			
25	सरयपाली	3.79	1.05	0.44	0.79	0.00	1.05	0.44	3.77	6.81	5.82	0.07	0.71	0.00	0.03	0.14	6.77			
26	कनकवा	3.48	1.58	0.33	0.65		0.48	0.42	3.46	6.27	5.69	0.02	0.32		0.03	0.18	6.24			

(राशि लाख में)

क0	उपार्जन केन्द्र का नाम	सुरक्षा एवं भंडारण व्यय										प्रासंगिक व्यय								
		प्राप्त राशि	मदवार किये गये व्यय					कुल व्यय राशि	अन्य व्यय	प्राप्त राशि	मदवार किये गये व्यय					अन्य व्यय	कुल व्यय राशि			
			इनेज	विद्युत व्यय	कैपकटर, त्रिपाल/ तारपोलिन	तारफेंसिंग	चौकीदार				कैपकटर, त्रिपाल/ तारपोलिन	तारफेंसिंग	चौकीदार	अन्य व्यय	कम्यूटर			कांटाबाट/ नमी यंत्र केलिबेशन	रंग	सुतली
27	केदुडार	0.05	0.05									0.05		0.09	0.01	0.02				0.09
28	भोथलडीह	3.81	2.34			0.15	0.30	1.00				3.79		6.86						6.82
29	लिमागांव	0.01	0.01									0.01		0.02						0.02
30	पुटका	3.13	0.96			0.57	0.46	0.82				3.11	0.10	5.63	0.10	0.21	0.10	0.04		5.60
31	लाती	0.00	0.00									0.00		0.00						0.00
32	धिवराकुटा	2.33	1.26			0.05	0.24	0.48				2.32	0.06	4.19						4.17
33	सिंगबहाल	2.49	1.34			0.46	0.30	0.00				2.48	0.23	4.48						4.46
34	सागरपाली	3.41	2.20			0.76		0.26				3.39		6.15	0.03	0.87		0.07		6.12
35	रुढा	0.00	0.00									0.00		0.00						0.00
36	मल्दामाल	2.76	0.88			1.12	0.31					2.74	0.29	4.97	0.46	0.75		0.12		4.94
37	तिहारीपाली	3.05	2.24			0.05		0.55				3.03	0.04	5.50		0.26				5.47
38	केना	1.91	1.58			0.27						1.90	0.05	3.44						3.42
39	बेलमुंडी	2.42	1.66			0.15	0.20	0.35				2.41	0.05	4.36						4.34
40	बलीदा	3.19	2.43					0.45				3.17	0.04	5.74						5.71
41	टेमरी	2.99	2.54					0.28				2.97	0.00	5.38						5.35
42	तोषगांव	2.97	2.49									2.95	0.21	5.35						5.32
43	केजुवा	2.64	1.53				0.38	0.41				2.63	0.07	4.74	0.02	0.36			0.03	4.71
44	जोगनीपाली	3.87	2.46				0.48	0.65				3.85	0.00	6.96	0.04	0.69			0.05	6.92
45	तोरेसिहा	3.03	2.08				0.60					3.01	0.15	5.43						5.40
46	जंगलबेडा	2.39	1.53				0.56					2.38	0.13	4.30						4.28
47	संमलिया	2.94	1.93			0.54	0.23					2.92	0.00	5.28	0.03	0.41				5.25
48	सिरबोडा	1.71	1.28				0.13					1.70	0.07	3.08						3.06
	योग	108.64	61.66			15.19	6.82	13.28				108.04	4.58	195.55	2.15	10.67	1.94	0.92	4.09	194.48

A

मंडारण सुरक्षा व्यय, प्रासंगिक व्यय प्राप्त एवं मदवार किये गये व्यय की जानकारी

(राशि लाख में)

क्र०	उपार्जन केन्द्र का नाम	वर्ष 2023-24															
		सुरक्षा एवं मंडारण व्यय					प्रासंगिक व्यय										
		प्राप्त राशि	डनेज	विद्युत व्यय	कैपकवर, त्रिपाल/ तारपोलिन	तारफेंसिंग	चौकीदार	अन्य व्यय	कुल व्यय राशि	प्राप्त राशि	हेमाली (तौलाई, सिलाई, स्टेनसिल, स्टेकिंग)	रंग	सुतली	कम्प्यूटर	कांटाबॉट/ नमी यंत्र	कैलिब्रेशन	अन्य व्यय
1	टांगापासा	1.42	0.23	0.38	0.57	0.00	0.19	0.03	1.40	8.05	5.51						5.51
2	चनाट	1.09	0.91	0.16					1.07	6.16	4.22						4.22
3	तिलाईदादर	0.79	0.31	0.38				0.09	0.78	4.48	3.07						3.07
4	उडेला	0.88	0.87						0.87	5.00	3.42						3.42
5	पुरुषोत्तमपुर	0.98	0.96						0.96	5.57	3.81						3.81
6	खोखसा	0.60	0.59						0.59	3.40	2.33						2.33
7	भवरपुर	1.16	0.60	0.10				0.44	1.14	6.58	4.50						4.50
8	रुपापाली	0.75	0.40					0.34	0.74	4.24	2.90						2.90
9	हुटापाली	1.63	0.38	0.25	0.34	0.35	0.28		1.60	9.21	6.30						6.30
10	बिछिया	1.44	1.17	0.15		0.10			1.42	8.16	5.59						5.59
11	दुलारपाली	0.84	0.68	0.15					0.83	4.73	3.24						3.24
12	लंबर	2.06	1.49	0.31		0.23			2.03	11.68	8.00	0.20	0.65	0.03			8.88
13	रोहिना	1.88	0.75		1.10				1.85	10.63	7.28		0.43				7.71
14	बडेसाजापाली	1.53	0.61		0.40		0.50		1.51	8.68	5.94		0.28				6.22
15	सलखण्ड	1.85	0.95	0.10	0.29		0.48		1.82	10.47	7.17						7.17
16	जम्हरी	1.12	0.68	0.06	0.15		0.09	0.12	1.10	6.36	4.35	0.08	0.08	0.01			4.52
17	आंवलाचक्का	0.58	0.33	0.07	0.09		0.07	0.01	0.57	3.30	2.26	0.05	0.05	0.01			2.40
18	बहेरापाली	0.39	0.14	0.07	0.09		0.07	0.01	0.38	2.20	1.51	0.04	0.02	0.00			1.57
19	अमरकोट	1.45	0.58	0.10	0.05	0.25	0.35	0.10	1.43	8.24	5.64	0.04	0.65	0.02			6.52
20	नवरगपुर	1.43	0.90	0.21				0.30	1.41	8.13	5.57	0.03	0.37	0.03			6.16
21	बाराडोली	0.92	0.77	0.10				0.04	0.91	5.21	3.57	0.03	0.37	0.03			4.23
22	बोन्दनवापाली	1.87	0.59	0.17	0.00	0.18	0.88	0.02	1.84	10.58	7.24	0.24	0.85	0.08			8.87
23	नदामठ	2.07	1.34		0.12	0.03		0.55	2.04	11.73	8.03						8.03

(राशि लाख में)

क0	उपार्जन केन्द्र का नाम	सुरक्षा एवं मंडारण व्यय										प्रासंगिक व्यय					
		मदवार किये गये व्यय					मदवार किये गये व्यय					मदवार किये गये व्यय					
		प्राप्त राशि	इनेज	विद्युत व्यय	कैपकव्हर, त्रिपाल/ तारपोलिन	तारफेंसिंग	चौकीदार	अन्य व्यय	कुल व्यय राशि	प्राप्त राशि	हेमाली (तौलाई, शिलाई, स्टेनसिल, स्टेकिंग)	रंग	सुतली	कम्प्यूटर	कांटाबांट/ नमी यंत्र केलिबेशन	अन्य व्यय	कुल व्यय राशि
24	केदुवा	2.22	1.14	0.15	0.50	0.30	0.10	0.00	2.19	12.60	8.62	0.29	0.78	0.07		9.77	
25	सरायपाली	2.49	0.80	0.37			0.96	0.32	2.45	14.12	9.67	0.05	0.66	0.03		10.41	
26	कनकेवा	1.72	0.74	0.45				0.50	1.69	9.77	6.69	0.03	0.34	0.03	0.23	7.32	
27	केदुडार	0.52	0.46					0.05	0.51	2.97	2.03		0.02	0.03	0.05	2.13	
28	भोथलडीह	1.67	0.08	0.89	0.67				1.64	9.48	6.49					6.49	
29	सिमगांव	0.56	0.55						0.55	3.17	2.17					2.17	
30	पुटका	1.38	0.66	0.15	0.24	0.13	0.18		1.36	7.83	5.36	0.10	0.21	0.04		5.81	
31	लांती	0.53	-0.18	0.15	0.24	0.13	0.18		0.52	2.98	2.04	0.10	0.10	0.20		2.94	
32	बिषाकुटा	1.50	0.58	0.17	0.42	0.31			1.48	8.52	5.83					5.83	
33	सिगबहाल	1.50	0.49	0.16	0.68			0.15	1.48	8.52	5.83					5.83	
34	सागरपाली	1.38	0.78	0.39				0.19	1.36	7.81	5.35					5.35	
35	रूढा	0.95	0.94						0.94	5.40	3.70					3.70	
36	मल्दामाल	1.60	0.52	0.15	0.55	0.32		0.04	1.58	9.09	6.22	0.50	0.70	0.12	1.06	8.60	
37	तिहारीपाली	1.85	1.14	0.29		0.34		0.05	1.82	10.50	7.19				0.00	7.19	
38	केना	1.15	0.41	0.41		0.00		0.31	1.13	6.54	4.48				0.00	4.48	
39	बेलमुडी	1.52	0.70	0.35		0.20		0.24	1.50	8.59	5.88				0.01	5.89	
40	बलौदा	1.94	1.24	0.15				0.45	1.91	10.99	7.52	0.04			0.25	7.81	
41	टेमरी	1.77	0.95	0.25		0.09		0.40	1.74	10.03	6.87					6.87	
42	तोषगांव	1.88	0.88	0.44					1.85	10.64	7.28					7.28	
43	केजुवा	1.54	0.26	0.20		0.42		0.60	1.52	8.71	5.96					5.96	
44	जोगनीपाली	2.53	0.89	0.2328		0.49		0.80	2.49	14.22	9.73					9.73	
45	तोरेसिहा	1.91	0.84	0.56		0.22			1.88	10.80	7.39					7.39	
46	जंगलबेडा	1.47	0.32	0.46		0.21		0.46	1.45	8.32	5.70					5.70	
47	संमलिया	1.82	1.07	0.38		0.35			1.79	10.31	7.06					7.06	
48	सिरबोडा	1.11	0.69	0.15		0.12		0.14	1.09	6.30	4.31					4.31	
	योग	67.24	33.16	9.67	6.50	4.77	6.58	5.52	66.20	381.00	260.80	1.82	6.56	1.07	2.18	273.16	

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट
पारोशेष्ट - इकतीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 133) को जानकारी

प्रपत्र अ

प्रदेश में संचालित शराब दुकानों में वर्तमान में संचालन व्यवस्था के लिये मैनपावर आपूर्ति हेतु अनुबंधित एजेंसी/एजेंसियों के नाम

क्र.	एजेंसी का नाम, पता	कार्यक्षेत्र जिला	कार्य की अवधि
1	ए टू जेड इन्फ्रसर्विसेस लिमिटेड बी-38, इस्टिट्यूशनल ऐरिया, सेक्टर-32, गुरुग्राम (हरियाणा)	रायपुर,	01 अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 तक
2	प्राईम वन वर्कफोर्स प्राईवेट लिमिटेड आर-47, जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल (मध्यप्रदेश)	दुर्ग	01 अप्रैल 2023 से निरंतर
		बिलासपुर मुंगेली	01 अप्रैल 2023 से अगस्त 2023 तक
		बालोद, धमतरी, राजनांदगांव कबीरधाम	अक्टूबर 2023 से निरंतर
		कोरबा	अक्टूबर 2023 से निरंतर
		जांजगीर-चाँपा	अक्टूबर 2023 से निरंतर
3	सुमीत फैसिलिटीज प्राईवेट लिमिटेड प्लॉट नं. -64/21 डी-प्प ब्लॉक, एमआईडीसी चिन्चवाड़ा पूने - 411019	रायपुर,	अक्टूबर 2023 से निरंतर
		बालोद, धमतरी, राजनांदगांव कबीरधाम	01 अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 तक
		बलौदाबाजार, बेमेतरा, गरियाबंद, महासमुंद,	01 अप्रैल 2023 से जुलाई 2023 तक
		बलौदाबाजार, बेमेतरा, गरियाबंद, महासमुंद,	अक्टूबर 2023 से निरंतर
		बस्तर, कोण्डागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा,	01 अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 तक
4	मेसर्स ईगल हन्टर साल्यूशंस लिमिटेड, नई दिल्ली 61-सी, कालू सराई, सर्व प्रिय विहार, (नई दिल्ली)	कोरबा	01 अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 तक
		जांजगीर-चाँपा	01 अप्रैल 2023 से सितम्बर 2023 तक
		कोरिया, रायगढ़, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा जशपुर	01 अप्रैल 2023 से निरंतर
		बस्तर, कोण्डागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर	अक्टूबर 2023 से निरंतर
5	मेसर्स एलर्ट कमाण्डोस प्रा.लि. बेंगलोर 201, 9जी मेन, एच.आर.बी.आर. लेआउट 1ज स्टेज, बानासवाड़ी, बेंगलूरु (कर्नाटक)	बलौदाबाजार, बेमेतरा, गरियाबंद, महासमुंद,	01 अगस्त 2023 से सितम्बर 2023 तक
		बिलासपुर मुंगेली	सितम्बर 2023 से निरंतर

प्रदेश में संचालित शराब दुकानों में वर्तमान में संचालन व्यवस्था के लिये सुरक्षागार्ड आपूर्ति हेतु अनुबंधित एजेंसी/एजेंसियों के नाम

क्र.	एजेंसी का नाम, पता	कार्यक्षेत्र जिला	कार्य की अवधि
1	बुन्देला सेक्युरिटास एण्ड कन्शलटेंट प्राईवेट लिमिटेड पता-एल-38 यदुनंदन नगर, तिफरा बिलासपुर	बिलासपुर, मुंगेली, कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद धमतरी	01 अप्रैल 2023 से निरंतर
2	कॉल मी सर्विसेस प्रा.लि. रायपुर पता-सी-101, टैगोर नगर, रायपुर 492001	रायपुर,	01 अप्रैल 2023 से निरंतर
		बलौदाबाजार	
		गरियाबंद, बीजापुर महासमूद	
4	मेसर्स ईगल हन्टर साल्यूशंस लिमिटेड, नई दिल्ली 61-सी, कालू सराई, सर्व प्रिय विहार, (नई दिल्ली)	कांकेर, नारायणपुर, कोण्डागांव, बैमतरा, बस्तर सुकमा, दत्तेवाड़ा	01 अप्रैल 2023 से निरंतर
		दुर्ग	01 अप्रैल 2022 से निरंतर
5	मेसर्स सेक्युरिटी एण्ड इंटलिजेन्स सर्विसेस (इंडिया) लिमि, पता-सीसा हाउस, समीर कॉम्प्लैक्स, आर.एस. 71 नवसर्जन सोसाईटी पाण्डेसरा सूरत	सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, जांजगीर-चांपा कोरबा	01 अप्रैल 2023 से निरंतर

प्रपत्र ब

मैनपावर एजेंसियों से अनुबंध की शर्तें

यह अनुबंध दिनांक माह..... वर्ष को यहाँ के बाद प्लेसमेंट एजेंसी के रूप में अनुशंसित (जिसकी अभिव्यक्ति जब तक संदर्भ में बाहर न रखा जाए अथवा प्रतिकूल ना हो, उसके उन्नाधिकारी, प्राशासनिक प्रतिनिधि और समनुदेशिनी को शामिल करेगा) एक पक्ष में और अन्य पक्ष में सी.एम.एम.सी.एल. प्रबंध संचालक सी.एस.एम.सी.एल. की ओर से, के मध्य अनुबंधित।

प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा प्रबंध संचालक को कार्पोरेशन और विभिन्न जिलों में प्रबंध संचालक सी.एम.एम.सी.एल. के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्रतिष्ठानों में मैनपावर की आपूर्ति करने के लिए एमपैनल करने के लिए अनुबंध करने का प्रस्ताव किया है, जो निहित नियम व शर्तों और प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित दरों पर (दरों की प्रतिनिधि संलग्न) विधिवत स्वीकार किया गया है और आवश्यक सुरक्षा जमा राशि निविदा-पत्र के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत किया गया है, जहां सुरक्षा जमा राशि पर कोई ब्याज का दावा नहीं किया जाएगा।

पक्षकारों के बीच सहमति के बिन्दु :-

- (1) प्लेसमेंट एजेंसी अनुबंध की अवधि जो सेके दौरान या कार्य पूर्ण होने तक, इनमें से जो भी पहले हो अथवा यह अनुबंध नोटिस द्वारा निर्धारित करने तक जो कि यहां के बाद उल्लेख किया गया है, सुरक्षित रूप से अपने स्वयं के खर्च पर नियुक्त श्रमिकों के माध्यम से और अपने श्रमिकों को स्वयं के खर्च पर प्रदान किये गए उपकरण, मशीन, औजार, अन्य के माध्यम से जैसा कि निविदा दस्तावेजों में वर्णित है (अनुबंध के साथ संलग्न) जब भी निगम या प्रबंध संचालक या प्रबंध संचालक की ओर से अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आवश्यक समझा जाए कार्यान्वित करेगा। प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि कार्य की मात्रा जो की अनुच्छेद में उल्लेख कि गई है वो वास्तविक आवश्यकताओं व सेवा की जरूरतों के अनुसार बदल सकती है।
- (2) यहां पर संलग्न बोली दस्तावेज (अर्हक) सहमति पत्र, स्वीकृत दरों पर और अन्य अतिरिक्त विवरण, निदेश, कार्य आदेश जो भी कार्य के क्रियान्वयन के लिए उपयोगी होंगे वो इस अनुबंध को अविभाज्य भाग माना जाएगा और यह अनुबंध या सहमति प्रयोग में लाया गया है उसमें अभिव्यक्त होगा।
- (3) प्लेसमेंट एजेंसी अपेक्षित संख्या में कर्मियों को साधनों और सामग्रियों के साथ-साथ उपकरणों, मशीनों, औजारों आदि की भी आपूर्ति करेगी जो कार्य अवधि में कार्य आदेश में निहित कार्य के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक है।
- (4) प्लेसमेंट एजेंसी इसके द्वारा घोषित करती है कि कोई भी व्यक्ति जो प्रबंध संचालक के नियोजन से संबंधित या उनके नियोजन में है उसे कभी भी अनुबंध में भागी नहीं बनाया जाएगा।
- (5) भुगतान:-
क - प्लेसमेंट एजेंसी संबंधित जिले के प्रभारी अधिकारी को पिछले महीने में किए गए कार्यों के लिए मासिक बिल को तीन प्रतियों में और प्रत्येक महीने के 10% पर या उससे पहले जमा करेगी। निगम और विभिन्न जिलों में प्रतिष्ठानों के लिए मैनपावर की आपूर्ति के लिए प्लेसमेंट एजेंसी को पूरा करने के लिए प्रमाण पत्र के बाद कुल मासिक बिल देय होगा। प्लेसमेंट एजेंसी बिलों को प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगी, जो सटीक रूप से तैयार किए गए हैं, और नीचे दिए गए प्रारंभिक भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी विवरण दे रहे हैं।

मस्टर रोल पंजी में दर्शाते हुए -

1. कार्यरत मजदूर/कर्मचारी का विवरण
 2. उनके कार्य की अवधि
 3. विचाराधीन अवधि में उक्त मजदूर/कर्मचारी को भुगतान की गई वेतन राशि
- ख - सी.एस.एम.सी.एल. द्वारा तय आनलाईन तंत्र के माध्यम से कर्मचारियों की उपस्थिति विभाग सर्वर पर पंजीकृत उपस्थिति के अनुसार की जाएगी।
- ग - प्रत्येक व्यक्ति को बैंक के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। बैंक कर्मचारियों को भुगतान के सत्यापन के लिए मासिक शुल्क पर वेतन के भुगतान की जानकारी प्रदान करेगा।
- घ - आडिट रिपोर्ट के अनुसार जिले में हुए नुकसान को कुल देय राशि से काट लिया जाएगा।
- ङ - पिछले महीने के लिए भुगतान किए गए ईपीएफ योगदान के भुगतान के प्रमाणित दस्तावेजों की प्रतियां वर्तमान महीने के बिल के साथ संलग्न की जानी चाहिए।
- च - पिछले महीने के लिए ई.एस.आई.सी योगदान के भुगतान की प्रतियां वर्तमान महीने के बिल से साथ संलग्न की जानी चाहिए।
- छ - UTR (यूनिट ट्रांजैक्शन रिसीव) नम्बर के साथ मैनपावर को वेतन के वितरण को प्रमाणित करने वाले बैंक से पुष्टि पत्र।
- ज - जी.एस.टी का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।

(6) प्लेसमेंट एजेंसी निविदा दस्तावेज में निर्धारित की गई नियम और शर्तों, नियमों, दिशा-निर्देशों, निर्माण क्रियाओं, सुरक्षा एहतियातों आदि का पालन करेगी, प्लेसमेंट एजेंसी और प्रबंध निदेशक के मध्य की गई पत्राचार जो कार्य के निष्पादन और कार्य के भुगतान को प्रभावित करता है वह भी इस अनुबंध में सम्मिलित है।

(7) पिछले महीने के लिए भुगतान किये गए ईपीएफ योगदान के भुगतान के प्रमाणित दस्तावेजों की प्रतियां वर्तमान महीने के बिल के साथ अनिवार्यतः संलग्न की जायेगी।

सुरक्षा एजेंसियों से अनुबंध की शर्तें

यह अनुबंध दिनांक माह..... वर्ष को यहाँ के बाद प्लेसमेंट एजेंसी के रूप में अनुशंसित (जिसकी अभिव्यक्ति जब तक संदर्भ से बाहर न रखा जाए अथवा प्रतिकूल ना हो, उसके उत्तराधिकारी, प्राशासनिक प्रतिनिधि और समनुदेशिनी को शामिल करेगा) एक पक्ष से और अन्य पक्ष से सी.एस.एम.सी.एल. प्रबंध संचालक सी.एस.एम.सी.एल. की ओर से, के मध्य अनुबंधित।

प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा प्रबंध संचालक को कार्पोरेशन और विभिन्न जिलों में प्रबंध संचालक सी.एस.एम.सी.एल. के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्रतिष्ठानों में मैनपावर की आपूर्ति करने के लिए एमपैनल करने के लिए अनुबंध करने का प्रस्ताव किया है, जो निहित नियम व शर्तों और प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित दरों पर (दरों की प्रतिलिपि संलग्न) विधिवत स्वीकार किया गया है और आवश्यक सुरक्षा जमा राशि निविदा-पत्र के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत किया गया है, जहां सुरक्षा जमा राशि पर कोई ब्याज का दावा नहीं किया जाएगा।

पक्षकारों के बीच सहमति के बिन्दु :-

(1) प्लेसमेंट एजेंसी अनुबंध की अवधि जो सेके दौरान या कार्य पूर्ण होने तक, इनमें से जो भी पहले हो अथवा यह अनुबंध नोटिस द्वारा निर्धारित करने तक जो कि यहां के बाद उल्लेख किया गया है, सुरक्षित रूप से अपने स्वयं के खर्च पर नियुक्त श्रमिकों के माध्यम से और अपने श्रमिकों को स्वयं के खर्च पर प्रदान किये गए उपकरण, मशीन, औजार, अन्य के माध्यम से जैसा कि निविदा दस्तावेजों में वर्णित है (अनुबंध के साथ संलग्न) जब भी निगम या प्रबंध संचालक या प्रबंध संचालक की ओर से अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आवश्यक समझा जाए कार्यान्वित करेगा। प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि कार्य की मात्रा जो की अनुच्छेद में उल्लेख कि गई है वो वास्तविक आवश्यकताओं व सेवा की जरूरतों के अनुसार बदल सकती है।

(2) यहां पर संलग्न बोली दस्तावेज (अर्हक) सहमति पत्र, स्वीकृत दरों पर और अन्य अतिरिक्त विवरण, निदेश, कार्य आदेश जो भी कार्य के क्रियान्वयन के लिए उपयोगी होंगे वो इस अनुबंध को अविभाज्य भाग माना जाएगा और यह अनुबंध या सहमति प्रयोग में लाया गया है उसमें अभिव्यक्त होगा।

(3) प्लेसमेंट एजेंसी अपेक्षित संख्या में कर्मियों को साधनों और सामग्रियों के साथ-साथ उपकरणों, मशीनों, औजारों आदि की भी आपूर्ति करेगी जो कार्य अवधि में कार्य आदेश में निहित कार्य के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक है।

(4) प्लेसमेंट एजेंसी इसके द्वारा घोषित करती है कि कोई भी व्यक्ति जो प्रबंध संचालक के नियोजन से संबंधित या उनके नियोजन में है उसे कभी भी अनुबंध में भागी नहीं बनाया जाएगा।

(5) भुगतान:-

क - प्लेसमेंट एजेंसी संबंधित जिले के प्रभारी अधिकारी को पिछले महीने में किए गए कार्यों के लिए मासिक बिल को तीन प्रतियों में और प्रत्येक महीने के 10% पर या उससे पहले जमा करेगी। निगम और विभिन्न जिलों में प्रतिष्ठानों के लिए मैनपावर की आपूर्ति के लिए प्लेसमेंट एजेंसी को पूरा करने के लिए प्रमाण पत्र के बाद कुल मासिक बिल देय होगा। प्लेसमेंट एजेंसी बिलों को प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगी, जो सटीक रूप से तैयार किए गए हैं, और नीचे दिए गए प्रारंभिक भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी विवरण दे रहे हैं।

I मस्टर रोल पंजी में दर्शाते हुए -

1. कार्यरत मजदूर/कर्मचारी का विवरण
2. उनके कार्य की अवधि
3. विचाराधीन अवधि में उक्त मजदूर/कर्मचारी को भुगतान की गई वेतन राशि

ख - सी.एस.एम.सी.एल. द्वारा तय ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से कर्मचारियों की उपस्थिति विभाग सर्वर पर पंजीकृत उपस्थिति के अनुसार की जाएगी।

ग - प्रत्येक व्यक्ति को बैंक के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। बैंक कर्मचारियों को भुगतान के सत्यापन के लिए मासिक शुल्क पर वेतन के भुगतान की जानकारी प्रदान करेगा।

घ - ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार जिले में हुए नुकसान को कुल देय राशि से काट लिया जाएगा।

ड - पिछले महीने के लिए भुगतान किए गए ईपीएफ योगदान के भुगतान के प्रमाणित दस्तावेजों की प्रतियाँ वर्तमान महीने के बिल के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

च - पिछले महीने के लिए ई.एस.आई.सी योगदान के भुगतान की प्रतियाँ वर्तमान महीने के बिल में साथ संलग्न की जानी चाहिए।

छ - UTR (यूनिफ़ाइड ट्रांज़ैक्शन रिसीव) नम्बर के साथ मैनपावर को वेतन के वितरण को प्रमाणित करने वाले बैंक से पुष्टि पत्र।

ज - जी.एस.टी का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।

(6) प्लेसमेंट एजेंसी निविदा दस्तावेज में निर्धारित की गई नियम और शर्तों, नियमों, दिशा-निर्देशों, निर्माण क्रियाओं, सुरक्षा एहतियातों आदि का पालन करेगी, प्लेसमेंट एजेंसी और प्रबंध निदेशक के मध्य की गई पत्राचार जो कार्य के निष्पादन और कार्य के भुगतान को प्रभावित करता है वह भी इस अनुबंध में सम्मिलित है।

(7) पिछले महीने के लिए भुगतान किये गए इपीएफ योगदान के भुगतान के प्रमाणित दस्तावेजों की प्रतियाँ वर्तमान महीने के बिल के साथ अनिवार्यतः संलग्न की जायेगी।

प्रप्रत्र श

वित्तीय वर्षवार प्लेसमेंट एजेंसियों को भुगतान की गई राशि की जानकारी

क्र.	एजेंसी का नाम	वित्तीय वर्ष				योग
		2020-21	2021-22	2022-23	2023.24 (माह दिसंबर 2023 तक)	
1	ए2जेड इन्फ्रा सर्विसेस प्रा.लि.	293,304,127	295,977,081	272,672,647	127,022,163	988,976,018
2	मेसर्स अलर्ट कमाण्डोस प्रा.लिमि.	258,087,191	80,071,989	30,592,019	60,206,673	428,957,872
3	मेसर्स ईगल हन्टर साल्यूशंस लिमिटेड, नई दिल्ली (मैनपावर)	129,275,621	165,361,656	330,721,114	248,836,435	874,194,826
4	मेसर्स प्राईमवन वर्कफोर्स प्रा.लिमि. भोपाल	242,020,006	312,140,241	323,165,778	287,395,870	1,164,721,895
5	मेसर्स सुमीत फेसिलिटीस प्रा.लि.	357,870,548	558,543,509	469,695,903	376,384,118	1,762,494,078
6	मेसर्स बुन्देला सेक्युरिटास एण्ड कन्शालटेंट प्राईवेट लिमिटेड	94,041,302	115,104,027	118,684,002	94,822,616	422,651,947
7	मेसर्स ईगल हन्टर साल्यूशंस लिमिटेड, नई दिल्ली	76,992,359	64,410,807	56,562,392	47,307,757	245,273,315
8	मेसर्स सेक्युरिटी एण्ड इन्टेलिजेन्स सर्विसेस लिमिटेड	86,586,159	101,701,730	84,919,540	96,255,923	369,463,352
9	मेसर्स कॉल मी सर्विसेस, रायपुर	58,136,501	67,562,169	64,757,201	62,292,507	252,748,378
योग		1,596,313,814	1,760,873,209	1,751,770,596	1,400,524,062	6,509,481,681

प्रपत्र द

शराब दुकानों के संचालन के लिए प्लेसमेंट एजेंसी एवं मदिरा दुकानों की सुरक्षा हेतु नौकरी में रखे गये युवकों के लिये निर्धारित अर्हताएं:-

मुख्य विक्रयकर्ता/सुपरवाइजर:-

- (क) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता: स्नातक
- (ख) आयु न्यूनतम 21 वर्ष
- (ग) खुदरा बिक्री में अनुभव को प्राथमिकता
- (घ) छत्तीसगढ़ के निवासी को प्राथमिकता तथा निवास प्रमाण-पत्र संलग्न होना चाहिए।

विक्रयकर्ता:-

- (क) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता: 12 क्लास पास
- (ख) आयु न्यूनतम 21 वर्ष
- (ग) खुदरा बिक्री में अनुभव को प्राथमिकता
- (घ) छत्तीसगढ़ के निवासी को प्राथमिकता तथा निवास प्रमाण-पत्र संलग्न होना चाहिए।

बहुद्देशीय कर्मचारी:-

- (क) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता: 8 क्लास पास
- (ख) आयु न्यूनतम 21 वर्ष
- (ग) खुदरा बिक्री में अनुभव को प्राथमिकता
- (घ) छत्तीसगढ़ के निवासी को प्राथमिकता तथा निवास प्रमाण-पत्र संलग्न होना चाहिए।

सुरक्षा कर्मी:-

- (क) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता: 8 क्लास पास
- (ख) आयु न्यूनतम 21 वर्ष
- (ग) खुदरा बिक्री में अनुभव को प्राथमिकता
- (घ) छत्तीसगढ़ के निवासी को प्राथमिकता तथा निवास प्रमाण-पत्र संलग्न होना चाहिए।

पारिशद - बत्तीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 252) की जानकारी

प्रपत्र अ

प्रदेश में योजना प्रारंभ माह 2019 से नवम्बर 2023 तक उपमोक्तियों को बिजली बिल हॉफ योजना में वर्षवार दी गई छूट की राशि की जिलेवार जानकारी

राशि रु. करोड़ में

स. क्र.	जिले का नाम	वर्ष 2018-19 (मार्च 2019)		वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21		वर्ष 2021-22		वर्ष 2022-23		वर्ष 2023-24 (नवम्बर 2023 तक)		कुल	
		उपमोक्ता संख्या	लाभान्वित राशि (रु. करोड़ में)	उपमोक्ता संख्या	लाभान्वित राशि (रु. करोड़ में)	उपमोक्ता संख्या	लाभान्वित राशि (रु. करोड़ में)	उपमोक्ता संख्या	लाभान्वित राशि (रु. करोड़ में)	उपमोक्ता संख्या	लाभान्वित राशि (रु. करोड़ में)	उपमोक्ता संख्या	लाभान्वित राशि (रु. करोड़ में)	उपमोक्ता संख्या	लाभान्वित राशि (रु. करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	रायपुर	370336	21.52	498732	165.31	518234	194.99	536990	208.75	558205	246.69	575141	193.55	575141	1030.81
2	धमतरी	118561	3.57	149068	25.53	153293	32.51	156129	33.37	159559	38.89	161874	30.79	161874	164.65
3	बत्तीस-बाजार	122086	13.21	187651	42.47	202876	44.15	207177	43.49	207137	46.68	215275	34.72	215275	224.70
4	महासमुंद	65296	5.21	117502	17.47	132657	20.01	145245	21.91	153597	26.28	157508	19.69	157508	110.56
5	गरियाबंद	33147	0.85	53378	3.64	57542	3.73	59287	4.13	60426	5.22	60583	4.26	60583	21.82
6	दुर्ग	297260	8.49	376149	99.05	387544	121.76	397297	128.78	407863	149.23	416037	117.76	416037	625.08
7	बालोद	100034	2.79	128183	17.72	131053	23.18	133018	22.85	134585	26.63	136163	21.03	136163	114.19
8	बेमेतरा	78177	1.76	124006	14.89	128809	15.68	131099	16.09	132461	19.30	133911	15.40	133911	83.12
9	राजनादगाव	107557	3.20	151542	28.34	155003	38.10	158959	37.98	163071	44.16	165506	35.02	165506	186.80
10	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	45562	1.40	59905	7.97	63773	11.06	65536	11.87	67048	13.51	68439	11.00	68439	56.82
11	मोहला मानपुर चौकी	49949	1.62	82056	8.06	85341	10.06	87066	10.31	88839	11.89	89987	9.82	89987	51.75
12	कबीरगाम	57217	2.16	95853	10.04	105556	14.04	110262	15.39	114392	18.29	116465	14.30	116465	74.23
13	बस्तर	100365	1.50	134379	12.64	139583	15.74	145882	16.55	148895	18.88	153343	14.39	153343	79.71
14	देतेवाडा	30468	0.28	35351	3.21	38211	3.85	41347	4.19	43128	4.57	46325	3.45	46325	19.55
15	बीजापुर	26458	0.22	34335	1.78	36277	2.01	38285	2.19	39118	2.52	40717	2.05	40717	10.76
16	सुकमा	34128	0.20	37722	2.11	41106	2.26	41904	2.27	43219	2.49	46679	2.03	46679	11.35
17	काकर	96621	3.65	132074	15.33	138803	18.75	144104	19.94	146511	22.11	148107	17.90	148107	97.68
18	नारायणपुर	19774	0.10	26212	1.01	25879	1.33	26203	1.25	27424	1.61	27729	1.35	27729	6.65
19	कोण्डागाव						5.86	103025	7.09	104490	8.52	105526	6.44	105526	34.95

राशि रु. करोड़ में

13 फरवरी 2024

राशि रु. करोड़ में

स. क्र.	जिले का नाम	वर्ष 2018-19 (मार्च 2019)		वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21		वर्ष 2021-22		वर्ष 2022-23		वर्ष 2023-24 (नवम्बर 2023 तक)		कुल	
		उपभोक्ता संख्या	लाभान्वित राशि (रु. करोड़ में)	उपभोक्ता संख्या	लाभान्वित राशि (रु. करोड़ में)	उपभोक्ता संख्या	लाभान्वित राशि (रु. करोड़ में)	उपभोक्ता संख्या	लाभान्वित राशि (रु. करोड़ में)	उपभोक्ता संख्या	लाभान्वित राशि (रु. करोड़ में)	उपभोक्ता संख्या	लाभान्वित राशि (रु. करोड़ में)	उपभोक्ता संख्या	लाभान्वित राशि (रु. करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	बिलासपुर	120850	13.69	187735	61.77	207885	63.45	221507	67.64	231565	79.65	235993	62.40	235993	348.60
21	गोरेला पण्ड्रा मरवाही	43116	1.19	69581	9.40	74543	8.88	77377	9.89	79946	10.82	81094	8.11	81094	48.28
22	मुंगेली	36791	3.46	63256	20.44	68583	13.79	71193	12.77	72325	13.33	73342	9.73	73342	73.53
23	कोरबा	60037	6.33	109000	27.42	119699	21.00	128584	23.71	135108	29.89	140433	24.53	140433	132.89
24	शय्याढ	67075	1.71	114941	22.64	127008	25.16	133687	27.26	138059	32.85	140349	25.08	140349	134.71
25	सारागढ-बिलाईगढ	29855	4.89	50493	5.57	53673	5.13	54882	5.64	56153	6.29	56721	4.57	56721	32.10
26	जांजीर-चांपा	67798	31.48	120881	56.06	139163	42.75	146397	35.57	153707	37.71	156263	27.76	156263	231.33
27	सक्ती	52861	7.90	87420	29.96	90901	15.59	94610	17.07	95548	19.37	96399	14.20	96399	104.10
28	सरगुजा	44852	9.08	104259	21.06	109682	21.96	115384	21.05	123398	24.54	126746	18.37	126746	116.06
29	बलरामपुर	39573	6.68	67862	9.39	72632	10.46	76509	7.78	79069	7.65	81197	5.10	81197	47.07
30	जशपुर	50579	6.06	104437	14.05	113636	13.95	118525	12.57	122494	13.56	124087	9.54	124087	69.73
31	मनैद्रागढ-चिरमिरी-भरतपुर	30502	5.39	58871	10.38	65818	11.51	68710	9.86	31359	0.38	31903	3.27	31903	40.80
32	कोरिया	44853	13.25	71750	13.46	77389	15.09	80013	11.47	39277	10.44	40074	4.33	40074	14.77
33	सुरजपुर	2523687	183.61	3733742	783.39	3963620	848.79	4116193	870.70	4241097	1005.82	4334411	780.40	4334411	4472.71
	कुल योग														



प्रपत्र ब

दिनांक 01 मार्च 2019 से जारी बिजली बिल हॉफ योजनांतर्गत योजना प्रारंभ से वर्ष 2023-24 तक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत एवं विमुक्त की गई राशि का वर्षवार विवरण

राशि रू. करोड़ में

क्र.	बजट वर्ष	स्वीकृत बजट	दावा राशि	विभाग को भुगतान राशि
1	2018-19	0.00	183.61	0.00
2	2019-20	977.21	783.39	977.21
3	2020-21	850.00	848.79	850.00
4	2021-22	900.00	870.70	900.00
5	2022-23	1115.48	1005.82	1115.48
6	2023-24 (जनवरी 2024 तक) भुगतान	1164.70	780.40	872.67
	योग	5007.39	4472.71	4715.36

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परोशेष्ट - तैतीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 254) की जानकारी


प्रपत्र - अ

समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को वितरित की जाने वाली सामग्रियों का विवरण

क्र.	सामग्री का नाम	क्र.	सामग्री का नाम
1.	मोटोराईज्ड ट्राईसायकल	18.	ब्रेल केन
2.	ट्राईसायकल	19.	ए.डी.एल. कीट
3.	व्हीलचेयर	20.	स्मार्ट फोन
4.	बैसाखी	21.	सेल फोन
5.	एम.आर.कीट	22.	टेबलेट
6.	सी.पी. चेयर	23.	मोटोराईज्ड बैटरी
7.	वाकिंग स्टीक	24.	बैटरी
8.	श्रवण यंत्र एवं श्रवण यन्त्र बैटरी	25.	जिंक एयर बैटरी
9.	ब्लाईंड स्टीक	26.	चार्जर
10.	ब्रेल स्लेट	27.	मोटोराईज्ड बैटरी चार्जर
11.	ट्रायपोर्ड	28.	शू
12.	टेट्रा पोड	29.	एल.एस. बेल्ट
13.	एल्बो स्टीक	30.	स्लोकान फोम कुशन
14.	हैण्ड स्टीक	31.	कंट्रोलर
15.	वाकर	32.	रोलेटर
16.	स्मार्ट केन	33.	कृत्रिम अंग
17.	ब्रेल कीट	34.	अन्य उनकी आवश्यकता के अनुसार

सामग्री वितरण हेतु शासन के मापदण्ड -

- मोटोराईज्ड ट्राईसायकल हेतु -
 - 1) विद्यार्थियों के लिये दिव्यांगता का न्यूनतम प्रतिशत 60% हों।
 - 2) रोजगार/स्वरोजगार में संलग्न व्यक्तियों के लिये दिव्यांगता का न्यूनतम प्रतिशत 70% हों।
 - 3) आवेदक के माता पिता या स्वयं का मासिक आय 20000/- प्रतिमाह तक हों।
- शेष अन्य उपकरण हेतु -
 - 1) दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक दिव्यांगता हों।
 - 2) आवेदक के माता पिता या स्वयं का मासिक आय 5000/- से 8000/- तक होने पर निःशुल्क प्रदाय किये जाते हैं। मासिक आय 8001/- से अधिक होने पर उपकरण का 50 प्रतिशत राशि जमा करने पर उपकरण प्रदाय की जाती है।



अनुभाग अधिकारी
समाज कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

प्रपत्र - ब

समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2020 से 2023 तक विभिन्न जिलों के
दिव्यांगजनों को वितरित मोटराईज्ड ट्राईसायकल की
वर्षवार जानकारी

क्र.	जिला	मोटराईज्ड ट्रायसायकल वितरण संख्या			
		वर्ष 2020	वर्ष 2021	वर्ष 2022	वर्ष 2023
1	2	3	4	5	6
1	रायपुर	15	125	50	100
2	महासमुन्द	0	45	69	27
3	धमतरी	19	60	4	0
4	बालौदाबाजार- भाटापारा	156	29	0	25
5	गरियाबंद	94	115	30	64
6	दुर्ग	36	44	153	71
7	बेमेतरा	30	69	63	188
8	बालोद	30	0	55	26
9	राजनांदगांव	53	0	0	35
10	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	0	0	20	40
11	मोहला-मानपुर-चैकी	0	0	7	18
12	कबीरधाम	47	52	15	3
13	बस्तर	27	49	0	0
14	कोण्डागांव	18	22	25	14
15	नारायणपुर	5	19	14	5
16	दंतेवाड़ा	5	9	19	21
17	सुकमा	24	7	6	5
18	बीजापुर	0	15	0	0
19	कांकेर	10	8	30	55
20	बिलासपुर	346	84	70	194

//2..

21	मुंगेली	0	25	10	89
22	गौरैला पेण्ड्रा मरवाही	0	0	11	19
23	रायगढ़	28	8	62	0
24	सारंगढ़-बिलाईगढ़	7	6	10	0
25	कोरबा	0	60	59	295
26	जांजगीर चाम्पा	148	66	122	23
27	सक्ती	117	39	57	2
28	सरगुजा	30	44	134	47
29	जशपुर	0	0	15	29
30	सूजपुर	10	15	20	23
31	बलरामपुर	45	85	10	0
32	कोरिया	0	88	0	0
33	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	0	0	0	0
योग		1300	1188	1140	1418

मोटराईज्ड ट्राईसायकल खरीदी तथा उसकी गुणवत्ता का आधार भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का उपक्रम) कानपुर द्वारा निर्धारित मापदंड है। वारंटी/गारंटी का कोई निश्चित अवधि नहीं है, प्रदायकर्ता एजेंसी अनुसार विविधता रहती है। खराब होने पर प्रदायकर्ता एजेंसी के सर्विस सेंटर में वारंटी अवधि तक निःशुल्क मरम्मत की व्यवस्था है।


अनुभाग अधिकारी
 समेज कल्याण विभाग,
 मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर


प्रपत्र - स

दिव्यांगजनों को प्रदाय कि जाने वाली सामग्रियों की खरीदी भण्डार क्रय नियम 2002 यथा संशोधित 2022 के तहत की जाती है। सामग्री जिला स्तर पर खरीदी जाती है।

दिव्यांगजनों के लंबित आवेदनों की जिलेवार जानकारी

क्र.	जिला	लंबित आवेदनों की संख्या
1	2	3
1.	महासमुन्द	39
2.	धमतरी	43
3.	बालौदाबाजार- भाटापारा	15
4.	राजनांदगांव	9
5.	कबीरधाम	9
6.	बीजापुर	10
7.	बिलासपुर	554
8.	मुंगेली	47
9.	गौरैला पेण्ड्रा मरवाही	17
10.	जांजगीर चाम्पा	7
11.	कोरिया	4
12.	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	2
	योग	756

सामग्रियों का वितरण सामान्यतः मेला, शिविरों अथवा समारोहों में किया जाता है अतः समय सीमा दिया जाना संभव नहीं है।


अनुभाग अधिकारी
 समीज कल्याण विभाग,
 मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

पारिशेष्ट - चौतीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 304) की जानकारी

प्रपत्र अ


जिला मोहला-मान-अं.चौकी के मोहला-मानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विद्युतीकरण हेतु शेष मजरेटोलों में विद्युतीकृत किये जाने हेतु आवश्यक अधोसंरचना की ग्रामवार जानकारी

क्र.	विकासखण्ड	ग्राम का नाम	अविद्युतीकृत मजराटोला का नाम	विद्युतीकृत किये जाने हेतु आवश्यक अधोसंरचना			विद्युतीकरण हेतु पोल की संख्या	टीप (अविद्युतीकृत / आंशिक विद्युतीकृत)
				11 केव्ही (किमी.)	वितरण ट्रांसफार्मर (25 के.व्ही.ए.)	निम्नदाब लाईन (किमी.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मोहला	आलकन्हार नहारीयापारा	आलकन्हार नहारीयापारा	1	1	1.30	45	अविद्युतीकृत
2	मोहला	रेगाकठेरा पथरी पारा	रेगाकठेरा पथरी पारा	1	1	0.80	35	अविद्युतीकृत
3	मोहला	कटेगाटोला मेन रोड पारा	कटेगाटोला मेन रोड पारा	1	1	0.80	35	अविद्युतीकृत
4	मोहला	बुदानकट्टा तालाबपारा	बुदानकट्टा तालाबपारा	1	1	0.80	35	अविद्युतीकृत
5	मोहला	पुत्तरगोदी कला अमलीडीह छोटेपारा	पुत्तरगोदी कला अमलीडीह छोटेपारा	1	1	0.55	30	अविद्युतीकृत
6	मोहला	मा0पी0भुर्सा स्कूल पारा	मा0पी0भुर्सा स्कूल पारा	0	1	0.15	6	अविद्युतीकृत
7	मोहला	सुवरपाल अवासपारा	सुवरपाल अवासपारा	1	1	0.64	32	अविद्युतीकृत
8	मोहला	कुम्हली नवाटोला	कुम्हली नवाटोला	1	1	0.68	33	अविद्युतीकृत
9	मोहला	कोरबा सडकपारा	कोरबा सडकपारा	1	1	1.24	44	अविद्युतीकृत
10	मोहला	दोरदे	दोरदे	3.6	4	3.5	142	अविद्युतीकृत
11	मोहला	मुन्देली	मुन्देली	3.6	1	1.35	90	अविद्युतीकृत
12	मानपुर	आमापायली	आमापायली	4.5	1	1	98	अविद्युतीकृत
13	मानपुर	कुन्जकन्हार	कुन्जकन्हार	0	1	1.05	24	अविद्युतीकृत
14	मानपुर	नेडगांव बांधाटोला	नेडगांव बांधाटोला	0	1	0.3	9	अविद्युतीकृत
15	मानपुर	खुर्सेखुर्द	खुर्सेखुर्द	0	1	0.3	9	अविद्युतीकृत
16	मानपुर	तुमडीकसा	तुमडीकसा	0.72	1	0.5	25	अविद्युतीकृत
17	मानपुर	रानवाही	रानवाही	0.24	1	0.2	11	अविद्युतीकृत
18	मानपुर	कोरकोटटी	कोरकोटटी	0	1	0.55	14	अविद्युतीकृत
19	मानपुर	बसेली	बसेली	0	1	0.35	10	अविद्युतीकृत
20	मानपुर	जामडी छेरकानपारा	जामडी छेरकानपारा	0	1	0.95	22	अविद्युतीकृत
21	मानपुर	गोटुलमुन्डा	गोटुलमुन्डा	0	1	0.35	10	अविद्युतीकृत
22	चौकी	कौडीकसा	कौडीकसा	1	2	0.8	38	अविद्युतीकृत
23	चौकी	बागनारा	बागनारा	0	1	0.54	14	अविद्युतीकृत
24	चौकी	बिहरीकला	बिहरीकला	0.2	1	0.65	19	अविद्युतीकृत
25	चौकी	घोरदा	घोरदा	0	1	0.2	7	अविद्युतीकृत

b

रूप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

26	चौकी	जिराटोला	जिराटोला	0	1	0.45	12	अविद्युतीकृत
27	मोहला	नाटीपार	नाटीपार	1	1	0.45	28	अविद्युतीकृत
28	चौकी	दनगढ	दनगढ	0	1	0.5	13	अविद्युतीकृत
29	मोहला	नरसुटोला	नरसुटोला	0	1	0.15	6	अविद्युतीकृत
30	मोहला	वासडी	वासडी	0	1	0.12	6	अविद्युतीकृत
31	चौकी	कुंदेराटोला	कुंदेराटोला	0	1	0.45	12	अविद्युतीकृत
32	मोहला	मारी	मारी	0	1	0.8	19	अविद्युतीकृत
33	मोहला	पदगोदी	पदगोदी	0	1	0.4	11	अविद्युतीकृत
34	मोहला	पाटनवाडवी	पाटनवाडवी	0	1	1	10	अविद्युतीकृत
35	मोहला	मंझवीटोला	मंझवीटोला	0.24	1	0.06	9	अविद्युतीकृत
36	चौकी	आतरगाव	आतरगाव	0	1	0.12	6	अविद्युतीकृत
37	चौकी	पटेली	पटेली	0	1	0.06	5	अविद्युतीकृत
38	चौकी	पंढरीतराई	पंढरीतराई	0	1	0.12	6	अविद्युतीकृत
39	मोहला	कटटापार बस्ती	कटटापार बस्ती	0	0	0.20	4	आंशिक विद्युतीकृत
40	मोहला	छुरिया ढाबा पारा	छुरिया ढाबा पारा	0	0	0.18	4	आंशिक विद्युतीकृत
41	मोहला	सुवरबोड	सुवरबोड	0	0	0.30	6	आंशिक विद्युतीकृत
42	मोहला	डोकलकोण्डे शीतला मंदिर	डोकलकोण्डे शीतला मंदिर	0	0	0.4	8	आंशिक विद्युतीकृत
43	मोहला	लमती आवासपारा	लमती आवासपारा	0	0	0.45	9	आंशिक विद्युतीकृत
44	मोहला	एकटकन्हार आवासपारा	एकटकन्हार आवासपारा	0	0	0.50	10	आंशिक विद्युतीकृत
45	मोहला	मोहला	मोहला	0	0	2.40	48	आंशिक विद्युतीकृत
46	मोहला	ककईपार	ककईपार	0	0	0.200	4	आंशिक विद्युतीकृत
47	मोहला	अलकन्हार	अलकन्हार	0	0	0.5	10	आंशिक विद्युतीकृत
48	मानपुर	सरखेडा	सरखेडा	0	0	0.35	7	आंशिक विद्युतीकृत
49	मानपुर	बागडोंगरी	बागडोंगरी	0	0	0.3	6	आंशिक विद्युतीकृत
50	मानपुर	मेडाबुजुर्ग	मेडाबुजुर्ग	0	0	0.15	3	आंशिक विद्युतीकृत
51	मानपुर	हुरेली	हुरेली	0	0	0.9	18	आंशिक विद्युतीकृत
52	मानपुर	ईरागांव नेतामटोला	ईरागांव नेतामटोला	0	0	0.55	11	आंशिक विद्युतीकृत
53	मानपुर	मेढा	मेढा	0	0	0.25	5	आंशिक विद्युतीकृत
54	मानपुर	सरोली रानीपारा	सरोली रानीपारा	0	0	0.3	6	आंशिक विद्युतीकृत
55	मानपुर	कोतरी	कोतरी	0	0	0.35	7	आंशिक विद्युतीकृत
56	मानपुर	मिचगांव	मिचगांव	0	0	0.5	10	आंशिक विद्युतीकृत
57	मानपुर	मरकली	मरकली	0	0	0.35	7	आंशिक विद्युतीकृत
58	मानपुर	माल्हर	माल्हर	0	0	0.2	4	आंशिक विद्युतीकृत
59	मानपुर	खैरकटटा	खैरकटटा	0	0	0.2	4	आंशिक विद्युतीकृत
60	मानपुर	कोतरी	कोतरी	0	0	0.5	10	आंशिक विद्युतीकृत
61	मोहला	शेरपार	शेरपार	0	0	0.1	2	आंशिक विद्युतीकृत
62	मानपुर	मरापीटोला	मरापीटोला	0	0	0.1	2	आंशिक विद्युतीकृत
63	मानपुर	काडे कोहका	काडे कोहका	0	0	0.2	4	आंशिक विद्युतीकृत
64	मानपुर	तेरेगांव	तेरेगांव	0	0	0.1	2	आंशिक विद्युतीकृत
65	मानपुर	जामडी	जामडी	0	0	0.1	2	आंशिक विद्युतीकृत
66	मानपुर	हलोरा	हलोरा	0	0	0.1	2	आंशिक विद्युतीकृत
67	मानपुर	तोलुम	तोलुम	0	0	0.35	7	आंशिक विद्युतीकृत
68	मानपुर	नवांगांव	नवांगांव	0	0	0.5	10	आंशिक विद्युतीकृत
69	मानपुर	अडमा	अडमा	0	0	0.3	6	आंशिक विद्युतीकृत
70	मानपुर	कुमली	कुमली	0	0	0.05	1	आंशिक विद्युतीकृत


उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

71	चौकी	पांगरी	पांगरी	0	0	0.2	4	आंशिक विद्युतीकृत
72	चौकी	नेतामटोला	नेतामटोला	0	0	0.45	9	आंशिक विद्युतीकृत
73	चौकी	बुटाकसा	बुटाकसा	0	0	0.5	10	आंशिक विद्युतीकृत
74	मोहला	मुरेर	मुरेर	0	0	0.15	3	आंशिक विद्युतीकृत
75	चौकी	माहुद	माहुद	0	0	0.45	9	आंशिक विद्युतीकृत
76	चौकी	करमतरा	करमतरा	0	0	0.25	5	आंशिक विद्युतीकृत
77	चौकी	परसाटोला	परसाटोला	0	0	0.12	3	आंशिक विद्युतीकृत
78	मोहला	ईहोडा	ईहोडा	0	0	12	3	आंशिक विद्युतीकृत
79	मानपुर	तुमडीकसा	तुमडीकसा	0	0	0.35	7	आंशिक विद्युतीकृत
80	चौकी	पटेली	पटेली	0	0	0.13	3	आंशिक विद्युतीकृत
81	चौकी	नेतामटोला मंदिर	नेतामटोला मंदिर	0	0	0.25	5	आंशिक विद्युतीकृत
82	मानपुर	चवरगाव	चवरगाव	0	0	0.4	8	आंशिक विद्युतीकृत
83	चौकी	केसरीटोला	केसरीटोला	0	0	0.25	5	आंशिक विद्युतीकृत
कुल				23.10	42	51.66	1293	


उप सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र ब

जिला मोहला-मान-अं.चौकी के मोहला-मानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सोलर से विद्युतीकृत हेतु शेष मजरेटोलों को विद्युतीकृत किये जाने हेतु आवश्यक अधोसंरचना की ग्रामवार जानकारी

क्र.	विकासखण्ड	ग्राम का नाम	अविद्युतीकृत मजराटोला का नाम	विद्युतीकृत किये जाने हेतु आवश्यक अधोसंरचना			विद्युतीकरण हेतु पोल की संख्या	टीप
				11 केव्ही (किमी.)	वितरण ट्रांसफार्मर (25 के.व्ही.ए.)	निम्नदाब लाईन (किमी.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मोहला	कातुलझोरा	कातुलझोरा	6	1	0.700	115	सोलर से विद्युतीकृत
2	मानपुर	बोदरा	बोदरा	5	4	2.500	142	सोलर से विद्युतीकृत
3	मानपुर	बुकमरका	बुकमरका	6	1	1.000	119	सोलर से विद्युतीकृत
4	मानपुर	सुडियाल	सुडियाल	6	1	0.500	109	सोलर से विद्युतीकृत
5	मानपुर	संबलपुर	संबलपुर	4	1	0.800	83	सोलर से विद्युतीकृत
6	मानपुर	गट्टेगहन	गट्टेगहन	2.2	1	0.900	58	सोलर से विद्युतीकृत
7	मानपुर	पुगदा	पुगदा	3	1	0.700	67	सोलर से विद्युतीकृत
8	मानपुर	आमाकोड़ो	आमाकोड़ो	7	1	0.810	132	सोलर से विद्युतीकृत
9	मानपुर	पीटेमेटा	पीटेमेटा	5	1	0.900	101	सोलर से विद्युतीकृत
10	मानपुर	टाटेकसा	टाटेकसा	3.5	1	0.800	78	सोलर से विद्युतीकृत
11	मानपुर	एडसमेटा	एडसमेटा	2	1	0.350	42	सोलर से विद्युतीकृत
12	मानपुर	कुंजकन्हार	कुंजकन्हार	0	1	1.200	27	सोलर से विद्युतीकृत
13	मानपुर	कुंडकाल	कुंडकाल	5	1	1.000	103	सोलर से विद्युतीकृत
14	मानपुर	रायमन्होरा	रायमन्होरा	6	2	1.350	129	सोलर से विद्युतीकृत
15	मानपुर	आमापायली	आमापायली	3.5	1	1.000	82	सोलर से विद्युतीकृत
16	मानपुर	मुंदेली	मुंदेली	4.2	1	1.500	103	सोलर से विद्युतीकृत
17	मानपुर	घोटियाकन्हार	घोटियाकन्हार	4.5	1	2.500	128	सोलर से विद्युतीकृत
कुल				72.90	21	18.51	1618	

b
उप सचिव

उत्तीरसभा शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

पारोशेष्ट - पेंतीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 324) की जानकारी

प्रपत्र - अ

क्रमांक	संचालित योजनाएं/कार्यक्रम का नाम
1	पोषण अभियान योजना
2	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
3	प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना
4	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
5	नोनी सुरक्षा योजना
6	सखी वन स्टॉप सेन्टर
7	महिला हेल्पलाईन 181
8	महिला जागृति शिविर
9	दिशा दर्शन भ्रमण कार्यक्रम
10	छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण सक्षम योजना
11	छत्तीसगढ़ महिला कोष की सक्षम योजना
12	सखी निवास
13	शक्ति सदन
14	नारी निकेतन (निराश्रित महिला गृह)
15	नवाबिहान योजना
16	राष्ट्रीय/राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित बालक/बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति योजना
17	मिशन वात्सल्य योजना
18	मुख्यमंत्री बाल उदय योजना
19	पूरक पोषण आहार कार्यक्रम
20	किशोरी बालिकाओं के लिए योजना(केवल आंकाक्षी जिलो में)
21	मुख्यमंत्री सुपोषण योजना
22	सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण-2 (आंगनबाड़ी सेवायें सामान्य)
23	समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन कार्यक्रम।
24	मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना।
25	राज्य की निधि से आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन एवं ईसीसीई कार्यक्रम।
26	राज्य की निधि से मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप में अपग्रेडेशन।
27	केन्द्र शासन की सहायता से सक्षम आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप में अपग्रेडेशन।
28	नीति आयोग के माध्यम से प्राप्त निधि से आंगनबाड़ी केन्द्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप में उन्नयन।
29	स्थानीय स्तर पर सीएसआर निधि से प्राप्त सहयोग से कतिपय योजनाओं का संचालन।
30	शुचिता योजना।
31	आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को हितलाभ।

प्रपत्र - ब

विधानसभा क्षेत्र मोहला मानपुर में संचालित योजना/कार्यक्रम अंतर्गत दी जा रही सामग्री एवं सुविधाओं की जानकारी

क्रं.	योजना का नाम	योजना अन्तर्गत प्रदाय सामग्री/सुविधाएं का विवरण
1	2	3
1	पोषण अभियान योजना	<p>1.आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु वृद्धि निगरानी उपकरण का प्रदाय।</p> <p>2.आंगनबाड़ी केन्द्र में कार्यकर्ता के उपयोग हेतु स्मार्ट फोन का प्रदाय एवं डाटा रिचार्ज की सुविधा ।</p> <p>3.पात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदाय ।</p>
2	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	<p>योजनांतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार/ मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना अंतर्गत कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं को 21,000 रूपये तक की आर्थिक सहायता सामग्री के रूप में (जिसमें 6000/- रूपये तक की राशि से वर वधु का श्रृंगार सामग्री एवं 15,000/- रूपये की राशि से अन्य उपहार सामग्री देय होगी) एवं 21,000.00 रूपये बैंक ड्राफ्ट के रूप में दिए जाते है तथा सामूहिक विवाह आयोजन व्यवस्था पर प्रति कन्या अधिकतम 8000.00 रूपये तक व्यय की जा सकती है। इस प्रकार योजनांतर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 50,000 रूपये की राशि व्यय किए जाने का प्रावधान है।</p>
3	प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना	<p>प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनांतर्गत ऐसी गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को छोड़कर जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक उपक्रमों के साथ नियमित रोजगार में है या जो वर्तमान में लागू किसी कानून के अन्तर्गत समान लाभ प्राप्त कर रही है, सभी गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रथम जीवित संतान के लिये दो किश्तों में राशि 5000/- रूपये एवं द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर एकमुश्त राशि 6000/- रूपये का भुगतान किया जा रहा है।</p>
4	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना	<p>बच्चों के जन्म के समय लिंग चयन तथा विभेद को समाप्त करना, बालिकाओं की उत्तरजीविका व उनकी सुरक्षा और बालिका शिक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनांतर्गत मोहला मानपुर जिले हेतु राशि 30.00 लाख रूपये की वार्षिक व्यय सीमा निर्धारित किया गया है तथा गतिविधियाँ आयोजित की जा रही है, जिससे समुदाय में बेटियों के जन्म, शिक्षा व अधिकारों के प्रति व्यवहार परिवर्तित हों।</p>

5	नोनी सुरक्षा योजना	प्रदेश में बालिकाओं की शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधारशिला रखना, बालिका भ्रूण हत्या रोकना और बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच लाना एवं बाल विवाह की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की 01 अप्रैल 2014 के उपरांत जन्मी अधिकतम दो बालिकाओं के नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम को 05 वर्ष तक प्रति वर्ष 5000 रूपये अर्थात् कुल 25000 रूपये विनियोजित किये जाते हैं तथा बालिका का 18 वर्ष तक विवाह न होने एवं कक्षा 12 वीं तक शिक्षा पूर्ण होने पर वित्तीय संस्था द्वारा न्यूनतम 01 लाख रूपये परिपक्वता राशि दिये जाने का प्रावधान है।
6	महिला जागृति शिविर	महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, प्रावधानों के प्रति जागृत करना, विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध महिलाओं को जागृत व संगठित करना तथा विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाये जाने हेतु विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों, जनपद एवं जिला स्तरों पर समय-समय पर महिला जागृति शिविरों का आयोजन किया जाता है।
7	दिशा दर्शन भ्रमण कार्यक्रम	योजनांतर्गत महिला स्व-सहायता समूहों के सुदृढीकरण हेतु उनकी क्षमता विकास के लिए दिशा दर्शन कार्यक्रम अंतर्गत उपयुक्त स्थानों का अध्ययन भ्रमण कराया जाता है ताकि महिलाएं उनसे प्रेरणा लेकर/इस अनुभव से सीखकर आयोपार्जन गतिविधियों में सम्मिलित हो सकें।
8	छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना	छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व-सहायता समूहों के ऋण सीमा में वृद्धि करते हुए स्व-सहायता समूहों को 01-02 लाख रूपये तक का ऋण प्रथम बार प्रदाय किया जा रहा है तथा प्रथम बार प्रदत्त ऋण की सफलतापूर्वक वापसी पर 02 लाख से 06 लाख रूपये तक का ऋण द्वितीय बार में प्रदाय किया जा रहा है। योजना के तहत छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व सहायता समूह को आसान शर्तों पर 03 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रथम बार में ऋण की वसूली 24 मासिक किश्तों में होती है। द्वितीय बार में ऋण की वसूली ऋण प्रगति में 03 माह पश्चात् 60 किश्तों में होती है।
9	छत्तीसगढ़ महिला कोष की सक्षम योजना	छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा इस योजना के तहत गरीबी रेखा अंतर्गत जीवन-यापन करने वाली ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाओं अथवा कानूनीतौर पर तलाकशुदा महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने हेतु आसान शर्तों पर ऋण प्रदाय किया जाता है।

		छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा दिनांक 28.09.2021 से अधिकतम ऋण सीमा में वृद्धि करते हुए अधिकतम राशि 02 लाख रूपये तक ऋण 03 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर आसान किशतों में ऋण प्रदाय किया जा रहा है।
10	मिशन वात्सल्य योजना	योजना अन्तर्गत बाल संरक्षण सुविधाएं प्रदान की जा रही है।
11	पूरक पोषण आहार कार्यक्रम	06 माह से 03 वर्ष आयु के सामान्य, मध्यम एवं गंभीर कुपोषित बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को रेडी टू ईट फूड का प्रदाय टेक होम राशन पद्धति से किया जा रहा है तथा 03 से 06 वर्ष आयु के गंभीर कुपोषित बच्चो को रेडी टू ईट फूड घर ले जाकर खाने हेतु प्रदाय किया जाता है। 03 से 06 वर्ष आयु के सामान्य, मध्यम एवं गंभीर कुपोषित बच्चो को नाश्ता एवं गर्भ भोजन का प्रदाय किया जा रहा है।
12	किशोरी बालिकाओं के लिए योजना	14 से 18 वर्ष आयु की शाला त्यागी एवं शाला जाने वाली किशोरी बालिकाओं को रेडी टूईट फूड का प्रदाय किया जा रहा है।
13	मुख्यमंत्री सुपोषण योजना	योजनान्तर्गत 06 माह से 03 वर्ष के गंभीर एवं मध्यम कुपोषित बच्चो तथा सभी गर्भवती माताओं को गर्भ भोजन का प्रदाय किया जा रहा है।
14	सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण-2 (आंगनबाड़ी सेवायें सामान्य)	सक्षम आंगनबाड़ी केन्द्र के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 6 सेवाएं योजना प्रावधान अनुसार दी जाती है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्री-स्कूल किट, मेडिसिन किट, कार्यकर्ताओं को यूनिफॉर्म, आवश्यक बर्तन फर्नीचर इत्यादि उपलब्ध कराया जाता है।
15	समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन कार्यक्रम।	कुपोषित बच्चों की समुदाय स्तर पर इलाज व सुपोषण हेतु एम्स रायपुर, यूनिसेफ छत्तीसगढ़ तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से यह कार्यक्रम संचालित है।
16	मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना।	योजना प्रावधानों के अनुसार कुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य जांच, चिकित्सकीय सुविधा, लैब टेस्ट एवं चिकित्सक द्वारा लिखी गई आवश्यक दवाईयां उपलब्ध कराई जाती है।
17	राज्य की निधि से आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन एवं ईसीसीई कार्यक्रम।	आंगनबाड़ी केन्द्रों को संसाधनयुक्त बनाने हेतु सामग्री तथा शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा विषय पर सभी स्तर के कार्यकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।
18	राज्य की निधि से मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप में अपग्रेडेशन।	प्रत्येक जिले में चयनित आंगनबाड़ी केन्द्र को प्ले स्कूल की तर्ज पर सुसज्जित किया जाता है।
19	केन्द्र शासन की सहायता से सक्षम आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप में अपग्रेडेशन।	मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के 250 आंगनबाड़ी केन्द्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु कार्यवाही की जा रही है जिसमें रेनवाटर हार्वेस्टिंग, वाटर फिल्टर, पोषण वाटिका,

		केन्द्र में बाला पेंटिंग, टीवी सेट, खिलौने व अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।
20	नीति आयोग के माध्यम से प्राप्त निधि से आंगनबाड़ी केन्द्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप में उन्नयन।	आकांक्षी जिले के चयनित 100 आंगनबाड़ी केन्द्रों को मॉडल केन्द्र के रूप में विकसित करने की कार्यवाही की जाती है।
21	स्थानीय स्तर पर सीएसआर निधि से प्राप्त सहयोग से कतिपय योजनाओं का संचालन।	सीएसआर अन्तर्गत कुपोषित बच्चों के लिए विशेष पुष्ट आहार व चिकित्सा सुविधा तथा दवाईयां उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है।
22	शुचिता योजना।	कन्या शाला व कन्या महाविद्यालयों में मासिक स्वच्छता के लिए सेनेटरी वैंडिंग मशीन, इनसिनरेटर व 10 हजार सेनेटरी पेड उपलब्ध कराये जाने की योजना है।
23	आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को हितलाभ।	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की मृत्यु पर 50 हजार रूपये तथा रिटायरमेन्ट की दशा में कार्यकर्ता को 50 हजार रूपये तथा सहायिका को 25 हजार रूपये दिये जाने की योजना है।

पारिशेष - छत्तीस

अतारॉकेत प्रश्न संख्या 8 (क्र. 424) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

बालोद जिले के लिये वर्ष 2022-23 में केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा मछली पालन हेतु संचालित योजनाओं की जानकारी

स.क्र.	योजना का नाम	इकाई लागत	शासकीय अनुदान का विवरण
1	2	3	4
अ	राज्य योजनाएं		
1	शिक्षण प्रशिक्षण		
1.1	विभागीय 10 दिवसीय प्रशिक्षण	राशि रुपये 1250/- प्रति हितग्राही	शत् प्रतिशत अनुदान
1.2	विभागीय 03 दिवसीय प्रशिक्षण	राशि रुपये 1000/- प्रति हितग्राही	शत् प्रतिशत अनुदान
1.3	प्रदेश के बाहर अध्ययन भ्रमण	राशि रुपये 2500/- प्रति हितग्राही	शत् प्रतिशत अनुदान
2	पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को त्रिवर्षीय अनुदान सहायता	राशि रुपये 3.00 लाख प्रति समिति	शत् प्रतिशत अनुदान
3	मत्स्य पालन प्रसार		
3.1	मत्स्य बीज संवर्धन योजना	राशि रुपये 40000/- प्रति हितग्राही	75 प्रतिशत अनुदान एवं 25 प्रतिशत कृषक अंशदान
3.2	फुटकर मछली विक्रय योजना	राशि रुपये 6000/- प्रति हितग्राही	शत् प्रतिशत अनुदान
3.3	मत्स्याखेट उपकरण की सहायता	राशि रुपये 10000/- प्रति हितग्राही	शत् प्रतिशत अनुदान
3.4	05 वर्षीय अंगुलिका संचयन	राशि रुपये 4000/- प्रति हितग्राही	50 प्रतिशत अनुदान एवं 50 प्रतिशत कृषक अंशदान

52

स.क्र.	योजना का नाम	इकाई लागत	शासकीय अनुदान का विवरण
1	2	3	4
3.5	झींगा सह मछली पालन (03 वर्षीय)	राशि रुपये 15000/- प्रति हितग्राही	शत प्रतिशत अनुदान (75 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 25 प्रतिशत केवल अ.जा./अ.ज.जा. के लिए)
ब	केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं		
1	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना		
1.1	मत्स्य बीज उत्पादन हेतु फिन फिश हैचरी की स्थापना	राशि रुपये 25.00 लाख प्रति इकाई	सामान्य वर्ग हेतु 40 प्रतिशत तथा अ.जा./अ.ज.जा./एवं समस्त वर्ग के महिला हेतु 60 प्रतिशत अनुदान
1.2	नवीन गो आउट तालाबों का निर्माण	राशि रुपये 7.00 लाख प्रति हेक्टेयर	सामान्य वर्ग हेतु 40 प्रतिशत तथा अ.जा./अ.ज.जा./एवं समस्त वर्ग के महिला हेतु 60 प्रतिशत अनुदान
1.3	मत्स्य बीज संवर्धन तालाबों का निर्माण	राशि रुपये 7.00 लाख प्रति हेक्टेयर	सामान्य वर्ग हेतु 40 प्रतिशत तथा अ.जा./अ.ज.जा./एवं समस्त वर्ग के महिला हेतु 60 प्रतिशत अनुदान
1.4	बायोफ्लॉक कल्चर सिस्टम	राशि रुपये 7.50 लाख प्रति इकाई	सामान्य वर्ग हेतु 40 प्रतिशत तथा अ.जा./अ.ज.जा./एवं समस्त वर्ग के महिला हेतु 60 प्रतिशत अं

52

स.क्र.	योजना का नाम	इकाई लागत	शासकीय अनुदान का विवरण
1	2	3	4
1.5	जलाशयों में केज कल्चर की स्थापना	राशि रुपये 3.00 लाख प्रति केज	सामान्य वर्ग हेतु 40 प्रतिशत तथा अ.जा./अ.ज.जा./एवं समस्त वर्ग के महिला हेतु 60 प्रतिशत अनुदान
1.6	मत्स्य विक्रय हेतु मोटर सायकल सह आईस बाक्स की सहायता	राशि रुपये 0.75 लाख प्रति इकाई	सामान्य वर्ग हेतु 40 प्रतिशत तथा अ.जा./अ.ज.जा./एवं समस्त वर्ग के महिला हेतु 60 प्रतिशत अनुदान
1.7	लाइव फिश वैडिंग सेन्टर 04 व्हीलर की सहायता	राशि रुपये 20.00 लाख प्रति इकाई	सामान्य वर्ग हेतु 40 प्रतिशत तथा अ.जा./अ.ज.जा./एवं समस्त वर्ग के महिला हेतु 60 प्रतिशत अनुदान
1.8	सेविंग कम रिक्लीफ योजना	राशि रुपये 0.045 लाख प्रति हितग्राही	राशि रुपये 0.03 लाख की अनुदान सहायता एवं रुपये 0.015 लाख कृषक अंशदान सभी वर्गों के लिए

सही /-

सहायक संचालक मछली

जिला - बालोद (छ.ग)

संचालक मछलीपालन

छत्तीसगढ़

(कौशलेन्द्र मिश्रा)

छत्तीसगढ़
मछली पालन विभाग

प्रपत्र "ब"

बालोद जिला अंतर्गत मछली पालन विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 में लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी

स.क्र.	योजना का नाम	लाभान्वित हितग्राही संख्या	लाभान्वित समूह संख्या
1	2	3	4
अ	राज्य पोषित योजनाएं		
1	विभागीय 10 दिवसीय प्रशिक्षण	300	0
2	विभागीय 03 दिवसीय प्रशिक्षण	500	0
3	प्रदेश के बाहर अध्ययन भ्रमण	30	0
4	समिति अनुदान	0	22
5	मत्स्य बीज संवर्धन योजना	8	0
6	फुटकर मछली विक्रय योजना	85	0
7	मत्स्याखेट उपकरण की सहायता	220	0
8	अंगुलिका संचयन	100	0
ब	केन्द्र पोषित योजनाएं (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना)		
1	मत्स्य बीज उत्पादन हेतु फिन फिश हैचरी की स्थापना	1	0

स.क्र.	योजना का नाम	लाभान्वित हितग्राही संख्या	लाभान्वित समूह संख्या
1	2	3	4
2	नवीन ग्री आउट तालाबों का निर्माण	11	0
3	मत्स्य बीज संवर्धन तालाबों का निर्माण	12	0
4	बायोप्लॉक कल्चर सिस्टम	11	0
5	जलाशयों में केज कल्चर की स्थापना	11	0
6	मत्स्य विक्रय हेतु मोटर सायकल सह आईस बाक्स की सहायता	4	0
7	लाइव फिश वेंडिंग सेन्टर 04 व्हीलर की सहायता	4	0
8	सेविंग कम रिलीफ योजना	1100	0
	योग	2397	22

सही /-

सहायक संचालक मछलीपालन

जिला - बालोद (छ.ग.)


 (कौशलेन्द्र मिश्रा)
 सहायक संचालक अधिकारी

मछली पालन 15 गा.

संचालक मछलीपालन

छत्तीसगढ़

पारोशेष्ट - सैंतीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 455) की जानकारी

पृष्ठ

जिला- महासमुंद में वर्ष 2020 से जुलाई 2023 तक अनुकम्पा नियुक्ति के प्राप्त आवेदनों की जानकारी

क्र.	विभाग/कार्यालय का नाम	अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या	अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई आवेदनों की संख्या	अपात्र होने के कारण निरस्त आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या	रिमाक
1	2	3	4	5	6	7
1	कार्यालय कलेक्टर (जिला प्रशासन राजस्व स्थापना) महासमुंद	12	9	3	0	-
2	कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) महासमुंद	6	6	0	0	-
3	कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास महासमुंद	8	6	0	2	जिला स्तर पर प्रक्रियाधीन है।
4	कार्यालय उप संचालक पंचायत महासमुंद	15	8	3	4	01 प्रकरण जिला स्तर पर प्रक्रियाधीन है। 03 प्रकरण में शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने हेतु पांच वर्ष का समय दिया गया है।
5	कार्यालय वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल महासमुंद	11	10	0	1	जिला स्तर पर प्रक्रियाधीन है।
6	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महासमुंद	20	19	0	1	शासन स्तर पर लंबित है।
7	कार्यालय जिला कोषालय अधिकारी महासमुंद	2	1	0	1	शासन स्तर पर लंबित है।
8	कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी महासमुंद	3	2	0	1	01 प्रकरण न्यायालयीन प्रकरण होने के कारण जिला स्तर पर लंबित है।
9	कार्यालय खनिज अधिक					-

५

क्र.	विभाग/कार्यालय का नाम	अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या	अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई आवेदनों की संख्या	अपात्र होने के कारण निरस्त आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या	रिमाक
10	कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी महासमुंद	1	1	0	0	-
11	कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं महासमुंद	1	1	0	0	-
12	कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग महासमुंद	2	2	0	0	-
13	कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग महासमुंद	10	9	0	1	01 प्रकरण अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग मंडल क्र. 02 रायपुर में विचाराधीन है।
14	कार्यालय कार्यपालन अभियंता परियोजना क्रियान्वयन इकाई छ.ग. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण महासमुंद	1	1	0	0	-
15	कार्यालय कार्यपालन अभियंता ग्रामीण विकास संभाग छ.ग. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण महासमुंद	1	1	0	0	-
16	कार्यालय जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी नगर सेना महासमुंद	5	4	0	1	01 प्रकरण जिला स्तर पर प्रक्रियाधीन है।
17	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद	167	149	8	10	10 प्रकरण जिला स्तर पर प्रक्रियाधीन है।
18	कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुंद	2	1	0	1	01 प्रकरण शासन स्तर पर लंबित है।
19	कार्यालय उप संचालक कृषि महासमुंद	8	8	0	0	-

५९

क्र.	विभाग/कार्यालय का नाम	अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या	अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई आवेदनों की संख्या	अपात्र होने के कारण निरस्त आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या	रिमार्क
20	कार्यालय कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग महासमुंद	13	13	0	0	-
21	कार्यालय पुलिस अधीक्षक महासमुंद	12	11	1	0	-
	कार्यालय उपायुक्त. सहकारिता		0	1	0	-
			263	16	23	

Hifey

अनुभाग अधिकारी

छत्तीसगढ़ मंत्रालय

सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-3)

पारोशेष्ट - अड़तीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 578) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

कांकेर जिले के अंतर्गत मछली पालन विभाग के द्वारा मछली पालन, उत्पादन बढ़ाने के लिये संचालित योजनाओं की जानकारी

स.क्र.	योजना का नाम	इकाई लागत	शासकीय अनुदान का विवरण
1	2	3	4
अ	राज्य योजनाएं		
1	विभागीय प्रशिक्षण (10 दिवसीय)	1250/- रुपये प्रति हितग्राही	शत् प्रतिशत अनुदान
2	मत्स्य पालकों के लिये रिक्रेशर कोर्स (03 दिवसीय)	1000/- रुपये प्रति हितग्राही	शत् प्रतिशत अनुदान
3	प्रदेश के बाहर अध्ययन भ्रमण	2500/- रुपये प्रति हितग्राही	शत् प्रतिशत अनुदान
4	मछुआ सहकारी समिति को अनुदान (03 वर्षीय)	3.00 लाख रुपये प्रति समिति	शत् प्रतिशत अनुदान
5	मत्स्य पालन प्रसार		
5.1	झींगा सह मछली पालन (03 वर्षीय)	15000/- रुपये प्रति हितग्राही	शत् प्रतिशत अनुदान (75 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 25 प्रतिशत केवल अ.जा./अ.ज.जा. के लिए)
5.2	फुटकर मछली विक्रय योजना	6000/- रुपये प्रति हितग्राही	शत् प्रतिशत अनुदान
5.3	मत्स्यखेट हेतु आर्थिक सहायता	10000/- रुपये प्रति हितग्राही	शत् प्रतिशत अनुदान
5.4	मत्स्य बीज संवर्धन योजना	40000/- रुपये प्रति हितग्राही	75 प्रतिशत अनुदान एवं 25 प्रतिशत कृषक अंशदान
5.5	अंगुलिका संचयन 05 वर्षीय	4000/- रुपये प्रति हितग्राही	50 प्रतिशत अनुदान एवं 50 प्रतिशत कृषक अंशदान
ब	केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं		
1	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना		
1.1	मत्स्य बीज उत्पादन हेतु फिन फिश हैचरी की स्थापना	प्रति इकाई राशि रुपये 25.00 लाख	सामान्य वर्ग हेतु 40 प्रतिशत तथा अ.जा./अ.ज.जा./एवं समस्त वर्ग के महिला हेतु 60 प्रतिशत अनुदान
1.2	नवीन गो आउट तालाबों का निर्माण	प्रति हेक्टेयर राशि रुपये 7.00 लाख	सामान्य वर्ग हेतु 40 प्रतिशत तथा अ.जा./अ.ज.जा./एवं समस्त वर्ग के महिला हेतु 60 प्रतिशत अनुदान
1.3	मत्स्य बीज संवर्धन तालाबों का निर्माण	प्रति हेक्टेयर राशि रुपये 7.00 लाख	सामान्य वर्ग हेतु 40 प्रतिशत तथा अ.जा./अ.ज.जा./एवं समस्त वर्ग के महिला हेतु 60 प्रतिशत अनुदान
1.4	बैकयार्ड सजावटी मछली पालन इकाई	प्रति इकाई राशि रुपये 3.00 लाख	सामान्य वर्ग हेतु 40 प्रतिशत तथा अ.जा./अ.ज.जा./एवं समस्त वर्ग के महिला हेतु 60 प्रतिशत अनुदान

स.क्र.	योजना का नाम	इकाई लागत	शासकीय अनुदान का विवरण
1	2	3	4
1.5	बड़े रीसरकुलेटरी एक्वा कल्चर सिस्टम (आर.ए.एस.)/बायोफ्लॉक की स्थापना (न्यूनतम 90 मीटर क्यूबिक/टैंक क्षमता के 8 टैंकों के साथ)/बायोफ्लो कल्चर सिस्टम (4 मीटर व्यास और 1.50 मीटर ऊँचाई के 50 टैंक)	प्रति इकाई राशि रुपये 50.00 लाख	सामान्य वर्ग हेतु 40 प्रतिशत तथा अ.जा./अ.ज.जा./एवं समस्त वर्ग के महिला हेतु 60 प्रतिशत अनुदान
1.6	छोटे रीसरकुलेटरी एक्वा कल्चर सिस्टम (आर.ए.एस.) की स्थापना (न्यूनतम 100 मीटर क्षमता के टैंक के साथ/बायोफ्लो कल्चर सिस्टम (4 मीटर व्यास और 1.50 मीटर ऊँचाई के 7 टैंक)	प्रति इकाई राशि रुपये 7.50 लाख	सामान्य वर्ग हेतु 40 प्रतिशत तथा अ.जा./अ.ज.जा./एवं समस्त वर्ग के महिला हेतु 60 प्रतिशत अनुदान
1.7	बायोफ्लॉक पौण्ड निर्माण	प्रति इकाई राशि रुपये 14.00 लाख	सामान्य वर्ग हेतु 40 प्रतिशत तथा अ.जा./अ.ज.जा./एवं समस्त वर्ग के महिला हेतु 60 प्रतिशत अनुदान
1.8	जलाशयों में केज कल्चर की स्थापना	प्रति केज राशि रुपये 3.00 लाख	सामान्य वर्ग हेतु 40 प्रतिशत तथा अ.जा./अ.ज.जा./एवं समस्त वर्ग के महिला हेतु 60 प्रतिशत अनुदान
1.9	सजीव मछली विक्रय केंद्र	प्रति इकाई राशि रुपये 20.00 लाख	सामान्य वर्ग हेतु 40 प्रतिशत तथा अ.जा./अ.ज.जा./एवं समस्त वर्ग के महिला हेतु 60 प्रतिशत अनुदान
1.10	बचत सह राहत योजना	प्रति हितग्राही राशि रुपये 0.045 लाख	शासकीय अनुदान समस्त वर्ग हेतु राशि रु. 0.03 लाख एवं रु. 0.015 लाख कृषक अंशदान
1.11	मत्स्यजीवी दुर्घटना बीमा योजना	कुल 95/- रुपये (केन्द्रांश 60 प्रतिशत 57/- रुपये एवं राज्यांश 40 प्रतिशत 38/- रुपये)	शत प्रतिशत अनुदान (स्थायी अपंगता एवं मृत्यु होने पर रुपये 5.00 लाख तथा अस्थायी अपंगता होने पर रुपये 2.50 लाख)

सही/-

सहायक संचालक मछलीपालन
जिला - उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

संचालक मछलीपालन
छत्तीसगढ़

(कौशलेन्द्र मिश्रा)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग

जनवरी, 2021 से 31.12.2023 तक निःशुल्क सामग्री प्रदान किये गये हितग्राहियों एवं मछुआ समितियों का

वर्षवार विवरण

क्र.	वर्ष	सामग्री का विवरण	हितग्राहियों की संख्या	समिति संख्या
1	2	3	4	5
1	जनवरी, 2021 से मार्च, 2021 तक	मत्स्याखेट जाल	0	2
		मत्स्य बीज	0	0
		ऑइस बॉक्स	0	0
2	अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 तक	मत्स्याखेट जाल	50	14
		मत्स्य बीज	230	14
		ऑइस बॉक्स	20	0
3	अप्रैल, 2022 से मार्च, 2023 तक	मत्स्याखेट जाल	95	11
		मत्स्य बीज	203	11
		ऑइस बॉक्स	20	0

52

क्र.	वर्ष	सामग्री का विवरण	हितगारियों की संख्या	समिति संख्या
1	2	3	4	5
3	अप्रैल, 2023 से 31.12.2023 तक	मत्स्याखेट जाल	80	5
		मत्स्य बीज	70	5
		ऑइस बॉक्स	20	0
योग			788	62

संचालक मछलीपालन

छत्तीसगढ़

सही/-

सहायक संचालक मछलीपालन

जिला - उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)



(कौशलेन्द्र मिश्रा)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

छत्तीसगढ़ शासन

मछली पालन विभाग

पारोक्ष - उनतालीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 653) की जानकारी
प्रपत्र अ

वर्ष 2022-23 में अवैध शराब की बिक्री व तस्करी के दर्ज प्रकरण एवं प्रकरण दर्ज करने वाले अधिकारी का नाम की विकासखंडवार, आबकारी सर्किलवार, जानकारी

क्र.	जिला/संभाग का नाम	विकास खण्ड का नाम	आबकारी सर्किल (वृत्त) का नाम	स्थान का नाम	अवैध शराब की बिक्री के दर्ज प्रकरण की संख्या	अधिकारी का नाम जिनके द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया	तस्करी के दर्ज प्रकरण की संख्या	अधिकारी का नाम जिनके द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	खैरागढ़- छुईखदान-गण्डई	खैरागढ़	खैरागढ़	खैरागढ़ से अमलीडीह मार्ग	0	-	1	सविता वर्मा आबकारी उप निरीक्षक
2		खैरागढ़	खैरागढ़	खैरागढ़ से अमलीडीह मार्ग	1	सविता वर्मा आबकारी उप निरीक्षक	0	-
3		खैरागढ़	खैरागढ़	खैरागढ़	1	सविता वर्मा आबकारी उप निरीक्षक	0	-
4		खैरागढ़	खैरागढ़	धरमपूरा	0	-	1	सविता वर्मा आबकारी उप निरीक्षक
5		खैरागढ़	खैरागढ़	अकरजन	1	सविता वर्मा आबकारी उप निरीक्षक	0	-
6		खैरागढ़	खैरागढ़	खैरागढ़	1	सविता वर्मा आबकारी उप निरीक्षक	0	-
7		खैरागढ़	खैरागढ़	बिजलदेही	1	सविता वर्मा आबकारी उप निरीक्षक	0	-
8		राज.	खैरागढ़	सुरगी पुल के पास	0	-	1	यीववेश कुमार आबकारी उप निरीक्षक
9		खैरागढ़	खैरागढ़	बाजार अतरिया	1	यीववेश कुमार आबकारी उप निरीक्षक	0	-
10		छुईखदान	खैरागढ़	लक्ष्मनपुर भातापारा	1	यीववेश कुमार आबकारी उप निरीक्षक	0	-
11		खैरागढ़	खैरागढ़	गोतिया	1	निलाम गंधर्व आबकारी उप निरीक्षक	0	-
12		छुईखदान	खैरागढ़	खैरी	1	सी.पी. सिंह सा.जि.आ.अ.	0	-
13		खैरागढ़	खैरागढ़	खैरागढ़	1	सी.पी. सिंह सा.जि.आ.अ.	0	-

क्र.	जिला/संभाग का नाम	विकास खण्ड का नाम	आबकारी सर्किल (वृत्त) का नाम	स्थान का नाम	अवैध शराब की बिक्री के दर्ज प्रकरण की संख्या	अधिकारी का नाम जिनके द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया	तस्करी के दर्ज प्रकरण की संख्या	अधिकारी का नाम जिनके द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	खैरागढ़- छुईखदान-गण्डई	खैरागढ़	खैरागढ़	खैरागढ़	2	सविता वर्मा आबकारी उप निरीक्षक	0	-
15		खैरागढ़	खैरागढ़	सुतिया	0	-	1	सविता वर्मा आबकारी उप निरीक्षक
16		छुईखदान	गण्डई	साल्हे. से साल्हेवारा	0	-	1	यीवरेश कुमार आबकारी उप निरीक्षक
17		खैरागढ़	खैरागढ़	खैरानवापारा	1	यीवरेश कुमार आबकारी उप निरीक्षक	0	-
18		छुईखदान	गण्डई	चेक पोस्ट साल्हेवारा	0	-	1	यीवरेश कुमार आबकारी उप निरीक्षक
19		छुईखदान	गण्डई	चेक पोस्ट साल्हेवारा	0	-	1	निलाम गंधर्व आबकारी उप निरीक्षक
20	स.उ.द. संभाग दुर्ग	खैरागढ़	खैरागढ़	सोनभट्टा, चौकी- जालबांधा, थाना-खैरागढ़	1	श्रीमती सविता वर्मा, आबकारी उप निरीक्षक	0	-

प्रपत्र ब

संचालित शराब दुकानों से विक्रय की गई शराब की मात्रा एवं विक्रय राशि की तथा विक्रय हेतु दुकानों को प्रदाय की गई शराब की राशि की दुकानवार, आबकारी सर्किलवार, विकास खंडवार जानकारी

वर्ष	क्र.	दुकान का नाम	विकासखण्ड	आबकारी सर्किल	बिक्री मात्रा				बिक्री राशि			योग राशि (9+10+11)	सप्लाइ की गई शराब की राशि
					देशी मदिरा (पू.ली.)	विदेशी मदिरा स्प्रिट (पू.ली.)	विदेशी मदिरा माल्ट (ब.ली.)	देशी मदिरा (रू.)	विदेशी मदिरा स्प्रिट (रू.)	विदेशी मदिरा माल्ट (रू.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1	देशी मदिरा दुकान खैरागढ़	खैरागढ़	खैरागढ़	468725.54	0.00	0.00	412685410	0	0	412685410	87808283	
	2	देशी मदिरा दुकान छुईखदान	खैरागढ़	खैरागढ़	238010.07	0.00	0.00	209454690	0	0	209454690	44332400	
	3	देशी मदिरा दुकान गण्डई	छुईखदान	गण्डई	311830.77	0.00	0.00	274344550	0	0	274344550	57214996	
2022-23	4	कम्पोजिट मदिरा दुकान सातहैवारा	छुईखदान	गण्डई	36516.61	15468.11	13901.28	32359620	16602020	4490120	53451760	13011595	
	5	कम्पोजिट मदिरा दुकान मुढीपार	खैरागढ़	खैरागढ़	152001.75	60931.04	24331.35	134209880	53669920	7868900	195748700	46772083	
	6	विदेशी मदिरा दुकान खैरागढ़	खैरागढ़	खैरागढ़	0.00	252296.52	111570.19	0	231770400	36264600	268035000	81449275	
	7	विदेशी मदिरा दुकान छुईखदान	खैरागढ़	खैरागढ़	0.00	104740.16	42426.80	0	96589180	13823250	110412430	31664747	
	8	विदेशी मदिरा दुकान गण्डई	छुईखदान	गण्डई	0.00	73751.69	50097.31	0	71658900	16371260	88030160	26108881	
		योग			1207085	507188	242327	1063054150	470290420	78818130	1612162700	388362260	

पारिशेष - चालीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 656) की जानकारी

“प्रपत्र-अ”

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	वर्तमान में घोषित रेत खदानों की संख्या (3)
1	रायपुर	13
2	बलौदाबाजार-भाटापारा	26
3	गरियाबंद	09
4	धमतरी	21
5	महासमुंद	11
6	दुर्ग	72
7	बालोद	47
8	बेमेतरा	00
9	कबीरधाम	00
10	राजनांदगांव	11
11	खैरागढ़-छुईखदान-गंदई	00
12	मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी	00
13	बिलासपुर	10
14	मुंगेली	02
15	कोरबा	21
16	जांजगीर-चांपा	25
17	रायगढ़	31
18	गौरेला-पैण्ड्रा-मरवाही	00
19	सांरगढ़-बिलाईगढ़	00
20	सक्ती	17
21	बस्तर	04
22	उत्तर बस्तर कांकेर	18
23	नारायणपुर	03
24	कोण्डागांव	06
25	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	08
26	बीजापुर	12
27	सुकमा	09
28	सरगुजा	04
29	कोरिया	00
30	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भारतपुर	04
31	जशपुर	10
31	बलरामपुर-रामानुजगंज	01
33	सूरजपुर	04
	कुल योग	399

M

अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग

"प्रपत्र-ब"

क्र.	पट्टेदार कानाम	रेत खदान का नाम	अनुबंध दिनांक	खदान अवधि	सिलिंग प्राईज	विस्तारीकरण दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
जिला बलौदाबाजार-भाटापारा						
1	श्री आशीष कुमार अग्रवाल	सिरियाडीह	17.02.2020	18.02.2020 से 17.02.2023	112	15.02.2022
2	श्री अमित जैन	मलपुरी	06.07.2020	20.8.2020 से 19.8.2023	112	06.08.2022
3	श्री ज्ञानदास महंत	मोहान	22.05.2020	3.6.2020 से 2.6.2023	112	15.02.2022
4	श्री जय प्रकाश चन्द्राकर	चरौदा	09.06.2020	15.06.2020 से 14.06.2023	112	24.06.2022
5	श्री विरेन्द्र कुमार पाण्डे	धदतरेंगी	12.06.2020	15.06.2020 से 14.06.2023	112	06.08.2022
6	श्री टीकम चंद साहू	दतान (ख)	19.02.2021	25.02.2021 से 24.02.2024	112	04.04.2022
7	श्री कान्हा कुमार	पैरागुडा	22.05.2020	27.05.2020 से 26.5.2023	112	15.02.2022
8	मोहम्मद कसीम रजा	चिचपोल-2	16.10.2020	16.10.2020 से 15.10.2023	112	14.11.2022
9	श्री दीपक त्रिपाठी	सेमरिया	11.12.2020	16.12.2020 से 15.12.2023	112	15.02.2022
10	श्री अभिजीत रोहरा	धबम्हनी	09.06.2020	09.06.2020 से 08.05.2023	112	30.11.2022
11	श्री मुकेश दुबे पिता	अमलडीहा	17.10.2019	17.10.2019 से 16.10.2022	112	10.02.2022
जिला गरियाबंद						
1	श्री उमा शंकर शर्मा,	बिडोरा	05.01.2022	05.01.2022 से 04.01.2024	99	—
2	श्री बसंत कुमार ठाकुर,	हथखोज 01	10.06.2022	10.06.2022 से 09.06.2024	99	—
3	श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद तिवारी,	मजरकट्टा	06.09.2022	17.08.2022 से 16.08.2024	99	—
4	श्री बसंत कुमार ठाकुर	हथखोज 01	06.09.2022	06.09.2022 से 08.09.2024	99	—
जिला धमतरी						
1	श्री गिरीश देवांगन	सेमरा बी	25.04.2022	25.04.2022 से 24.04.2024	115	—
2	श्री राहुल वरदीयानी	सोनेवारा	21.11.2022	21.11.2022 से 20.11.2024	115	—

अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
अटल नगर-492002

क्र.	पट्टेदार कानाम	रेत खदान का नाम	अनुबंध दिनांक	खदान अवधि	सिलिंग प्राईज	विस्तारीकरण दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	श्री राहुल वरदीयानी	बरना	21.11.2022	21.11.2022 से 20.11.2024	115	—
जिला बालोद						
1	श्री कमर एजाज खान	सलोनी	28.06.2022	28.06.2022 से 27.06.2024	109	—
2	श्री राहील अहमद खान	हीरापुर	28.06.2022	28.06.2022 से 27.06.2024	109	—
जिला दुर्ग						
1	आर. आंझ्यू मनीराज	पीपरछेड़ी	26.10.2022	26.10.2020 से 25.10.2023	103	26.10.2022
2	गजानंद सिन्हा	उफरा	27.10.2020	27.10.2020 से 26.10.2023	103	27.10.2022
जिला नारायणपुर						
1	सुदीप कुमार झा	ब्रेहबेडा	27.12.2019	27.12.2019 से 26.12.2022	114	04.02.2022
2	प्रवेश जैन	गढ़बेंगाल	27.12.2019	27.12.2019 से 26.12.2022	114	04.02.2022
जिला बस्तर						
1	श्री दिलीप दुबे	कलचा	19.11.2022	06.05.2020 से 05.05.2023	104	06.05.2022
2	श्री वत्सल वाजपेयी	बनियागांव	24.03.2022	16.03.2020 से 15.03.2023	104	16.03.2022
3	श्री हरेन्द्र सिंह भदौरिया	कोरपाल कानापाल	19.11.2022	29.05.2020 से 28.05.2023	104	29.05.2022
4	श्री विनायक पाण्डे	बड़े आमाबाल	24.03.2022	22.05.2020 से 21.05.2023	104	22.05.2022
जिला कोण्डागांव						
1	अंकित गुप्ता	मसोरा	01.02.2022	01.02.2022 से 31.01.2024	99	—
जिला बिलासपुर						
1	मनोज कुमार पाण्डेय	पहंदा	23.12.2019	23.12.2019 से 22.12.2022	90	03.01.2022
2	श्रीमती काजल निगम	रतखण्डी	23.12.2019	23.12.2019 से 22.12.2022	90	02.02.2022
जिला कोरबा						
1.	श्री अरुण सिंधानियां	कुटेषनागोई	30.11.2022	02.12.2022 से 01.12.2024	86	—
जिला रायगढ़						
1	श्री बबलू साहू	जरेकेला	28.02.2022	28.02.2022 से 27.02.2024	92	—
2	श्री बबलू साहू	कसडोल	28.02.2022	28.02.2022 से 27.02.2024	92	—
3	श्री ध्रुव कुमार अग्रवाल	कछार	26.03.2022	26.03.2022 से 25.03.2024	92	—
4	श्री ध्रुव कुमार	सहसपुरी	26.03.2022	26.03.2022 से	92	—

अनुभाग अधिकारी

खनिज साधन विभाग

संख्या: 192/2024

क्र.	पट्टेदार कानाम	रेत खदान का नाम	अनुबंध दिनांक	खदान अवधि	सिलिंग प्राईज	विस्तारीकरण दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	अग्रवाल			25.03.2024		
5	श्री गुरलीन सिंह	औंराभाठा	03.01.2022	03.01.2022 से 02.01.2024	92	—
6	श्री अफजल अहमद खान	दुलोपुर	01.02.2022	01.02.2022 से 31.01.2024	92	—
7	श्री सत्यनारायण राजू	बोकरामुड़ा	03.01.2022	03.01.2022 से 02.01.2024	92	—
जिला जांजगीर-चाम्पा						
1	श्री वैभव सलूजा	बोरसी	30.03.2022	20.05.2022 से 19.05.2024	98	—
जिला सूरजपुर						
1	अभिषेक साहू	नमना 1	10.02.2022	10.02.2022 से 09.02.2024	108	—
2	अभिषेक साहू	नमना 2	10.02.2022	10.02.2022 से 09.02.2024	108	—
3	अनुकुल सिंह	प्रेमनगर	09.03.2022	09.03.2022 से 08.03.2024	108	—
4	विजय कुमार साहू	बकालो	25.08.2022	25.08.2022 से 24.08.2024	108	—

वर्ष 2023 (जनवरी से दिसम्बर तक)

क	पट्टेदार का नाम	रेत खदान का नाम	अनुबंध दिनांक	खदान अवधि	सिलिंग प्राईज	विस्तारीकरण दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
जिला रायपुर						
1	श्री दीपक कुमार चन्द्राकर	कुम्हारी	21.12.2023	21.12.2023 से 20.12.2025	110	—
जिला बलौदाबाजार-भाटापारा						
1	श्री आशीष कुमार अग्रवाल	सिरियाडीह	17.02.2020	18.02.2020 से 17.02.2023	112	15.02.2022
2	श्री अमित जैन	मलपुरी	06.07.2020	20.8.2020 से 19.8.2023	112	06.08.2022
3	श्री ज्ञानदास महंत पिता	धमोहान	22.05.2020	3.6.2020 से 2.6.2023	112	15.02.2022
4	श्री जय प्रकाश चन्द्राकर	चरौदा	09.06.2020	15.06.2020 से 14.06.2023	112	24.06.2022
5	श्री विरेन्द्र कुमार पाण्डेय	धदतरंगी	12.06.2020	15.06.2020 से 14.06.2023	112	06.08.2022
6	श्री टीकम चंद साहू	दतान (ख)	19.02.2021	25.02.2021 से 24.02.2024	112	04.04.2022
7	श्री कान्हा कुमार	पैरागुडा	22.05.2020	27.05.2020 से 26.5.2023	112	15.02.2022
8	श्री मोहम्मद कसीम रजा	चिचपोल-2	16.10.2020	16.10.2020 से 15.10.2023	112	14.11.2022
9	श्री दीपक त्रिपाठी	सेमरिया	11.12.2020	16.12.2020 से 15.12.2023	112	15.02.2022

अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग

क	पट्टेदार का नाम	रेत खदान का नाम	अनुबंध दिनांक	खदान अवधि	सिलिंग प्राईज	विस्तारीकरण दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
10	श्री दीपक त्रिपाठी	सुनसुनिया	29.03.2023	31.03.2023 से 30.03.2025	112	—
11	श्री अभिजीत रोहरा	बम्हनी	09.06.2020	09.06.2020 से 08.06.2023	112	30.11.2022
जिला गरियाबंद						
1	श्री उमा शंकर शर्मा,	बिडोरा	05.01.2022	05.01.2022 से 04.01.2024	99	—
2	श्री बसंत कुमार ठाकुर,	हथखोज 01	10.06.2022	10.06.2022 से 09.06.2024	99	—
3	श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद तिवारी,	मजरकट्टा	06.09.2022	17.08.2022 से 16.08.2024	99	—
4	श्री बसंत कुमार ठाकुर,	हथखोज 02	06.09.2022	06.09.2022 से 08.09.2024	99	—
जिला धमतरी						
01	श्री मुकेश पटेल	परेवाडीही	08.12.2023	08.12.2023 से 01.12.2024	115	—
जिला दुर्ग						
1	श्री आर. आंझ्यू मनीराज	पीपरछेड़ी	26.10.2020	26.10.2020 से 31.03.2023	103	26.10.2022
2	श्री गजानंद सिन्हा	उफरा	27.10.2020	27.10.2020 से 31.03.2023	103	27.10.2022
जिला बस्तर						
1	श्रीमती सरोज अग्रवाल	तारापुर	13.04.2023	21.04.2023 से 20.04.2025	104	—
2	श्री सुरेश परतागिरी	टलनार	13.04.2023	21.04.2023 से 20.04.2025	104	—
जिला कोण्डागांव						
1	श्री अंकित गुप्ता	मसोरा	01.02.2022	01.02.2022 से 31.01.2024	99	—
जिला बिलासपुर						
1.	श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर	लछनपुर	06.10.2023	06.10.2023 से 05.10.2025	120	—
जिला मुंगेली						
01	श्री शुभेन्द्र सिंह	जमुनाही	05.10.2023	05.10.2023 से 04.10.2025	96	—
02	श्री शुभेन्द्र सिंह	बघर्रा	06.10.2023	06.10.2023 से 05.10.2025	96	—
जिला कोरबा						
01	सरपंच	चुईया	22.12.2023	03.01.2024 से 02.01.2024	100	छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन
02	सरपंच	कुदुरमाल	22.12.2023	08.01.2024 से	100	

अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग

क	पट्टेदार का नाम	रेत खदान का नाम	अनुबंध दिनांक	खदान अवधि	सिलिंग प्राईज	विस्तारीकरण दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
				07.01.2029		एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम, 2023 के तहत स्वीकृत।
03	सरपंच	दुल्लापुर	28.12.2023	18.01.2024 से 17.01.2029	100	
04	सरपंच	सिरी- I	28.12.2023	02.02.2024 से 01.02.2029	100	
जिला उत्तर बस्तर कांकेर						
1	सरपंच	माहुद	26.09.2023	26.09.2023 से 25.09.2028	108	छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम, 2023 के तहत स्वीकृत।
2	श्रीमती सुमन बंजारे	भिरौद	04.10.2023	04.10.2023 से 03.10.2025	102	—
जिला बीजापुर						
1	सरपंच	रेगुड़ा	06.12.2023	08.12.2023 से 07.12.2028	110	छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम, 2023 के तहत स्वीकृत।
2	सरपंच	कोण्डामौस	06.12.2023	08.12.2023 से 07.12.2028	110	
जिला जशपुर						
1.	सचिव/सरपंच	बलुवाबहार	21.12.2023	17.01.2024 से 16.01.2029	111	—



अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग

मंगलब, अटल नगर-492002

"प्रपत्र-स"

वर्ष	अन्यत्र क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन पर	
	दर्ज प्रकरणों की संख्या	वसूल की गई समझौता राशि
(1)	(2)	(3)
जिला रायपुर		
2022	06	285600
2023	04	119400
जिला बलौदाबाजार-भाटापारा		
2022	09	696980
2023	31	2514020
जिला गरियाबंद		
2022	02	80000
2023	04	185000
जिला धमतरी		
2022	10	1269764
2023	04	596316
जिला महासमुंद		
2022	01	47500
2023	निरंक	निरंक
जिला राजनांदगांव		
2022	02	66000
2023	01	32200
जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी		
2022	01	25000
2023	03	390000
जिला कबीरधाम		
2022	01	37000
2023	निरंक	निरंक
जिला बालोद		
2022	01	196250'
2023	08	299875
जिला दुर्ग		
2022	निरंक	निरंक
2023	06	298200
जिला सुकमा		
2022	निरंक	निरंक
2023	03	15320
जिला बस्तर		
2022	02	45082
2023	01	36500
जिला उत्तर बस्तर कांकेर		
2022	01	310500
2023	03	210000

वर्ष	अन्यत्र क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन पर	
	दर्ज प्रकरणों की संख्या	वसूल की गई समझौता राशि
(1)	(2)	(3)
जिला कोण्डागांव		
2022	निरंक	निरंक
2023	01	172712
जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा		
2022	02	19,675
2023	01	40605
जिला बीजापुर		
2022	1	100000
2023	2	104068
जिला बिलासपुर		
2022	43	763394
2023	71	2051320
जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़		
2022	निरंक	निरंक
2023	01	62500
जिला सरगुजा		
2022	02	238448
2023	निरंक	निरंक
जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़		
2022	निरंक	निरंक
2023	01	62500
जिला बलरामपुर-रामानुजगंज		
2022	निरंक	निरंक
2023	निरंक	निरंक
जिला कोरिया		
2022	निरंक	निरंक
2023	निरंक	निरंक
जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई		
2022	निरंक	निरंक
2023	निरंक	निरंक
जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही		
2022	निरंक	निरंक
2023	निरंक	निरंक
जिला मुंगेली		
2022	निरंक	निरंक
2023	निरंक	निरंक
जिला कोरबा		
2022	निरंक	निरंक
2023	निरंक	निरंक
जिला रायगढ़		
2022	निरंक	निरंक
2023	निरंक	निरंक
जिला नारायणपुर		
2022	निरंक	निरंक
2023	निरंक	निरंक

अनुभाग अधिकारी

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, अटल नगर-492001

वर्ष	अन्यत्र क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन पर	
	दर्ज प्रकरणों की संख्या	वसूल की गई समझौता राशि
(1)	(2)	(3)
जिला बेमेतरा		
2022	निरंक	निरंक
2023	निरंक	निरंक
जिला बलरामपुर-रामानुजगंज		
2022	निरंक	निरंक
2023	निरंक	निरंक
जिला कोरिया		
2022	निरंक	निरंक
2023	निरंक	निरंक
जिला जांजगीर-चाम्पा		
2022	06	190600
2023	07	874848
जिला सक्ती		
2022	निरंक	निरंक
2023	निरंक	निरंक
जिला जशपुर		
2022	01	मान. न्यायालय में प्रक्रियाधीन।
2023	01	75400
जिला सूरजपुर		
2022	02	348325
2023	निरंक	निरंक
जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर		
2022	निरंक	निरंक
2023	निरंक	निरंक


 अनुमान अधिकारी
 खनिज संसाधन विभाग
 मंत्रालय, नई दिल्ली-110002

पॉरीशेए - इकतालीस
अतारांकेत प्रश्न संख्या 17 (क्र. 715) की जानकारी

प्रपत्र

नवीन जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में कार्यरत अनियमित कर्मचारी तथा कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी व कलेक्टर दर पर कार्य करने हेतु, कर्मचारियों की आवश्यकता की विभागवार जानकारी

स.क्र.	कार्यालय/विभाग का नाम	कार्यरत अनियमित कर्मचारियों की संख्या	कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	कलेक्टर दर पर कार्य करने हेतु कर्मचारियों की आवश्यकता की जानकारी संख्या में।
1	2	3	4	5
1	कार्यालय कलेक्टर (वित्त-स्था.), जिला-सारंगढ़ बिलाईगढ़, छ.ग.	0	1	10
2	अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन, उपसंभाग, सारंगढ़	0	1	10
3	सहकारिता विभाग, सारंगढ़	0	0	5
4	नगर पालिका सारंगढ़	0	38	35
5	अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि. वि/यां, उपसंभाग, सारंगढ़	0	0	7
6	नगर पंचायत, सरसीवा	0	0	35
7	उपजेल, सारंगढ़	0	0	1
8	खनिज शाखा, सारंगढ़-बिलाईगढ़	0	0	1
9	सहायक संचालक, मछली पालन, सारंगढ़	0	0	2
10	पशुपालन, सारंगढ़	0	0	2
11	जिला रोजगार एवं स्वरोजगार विभाग, रायगढ़	0	0	5
12	जिला कोषालय अधिकारी, सारंगढ़	2	0	2
13	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग, बिलाईगढ़	0	0	1
14	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सारंगढ़	0	17	9
15	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग, सारंगढ़	0	0	0
16	किंकारी शीर्ष कार्य उप संभाग, बरमकेला	0	1	4
17	नगर पंचायत, बरमकेला	42	26	0
18	कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, सारंगढ़	6	3	7
19	समाज कल्याण विभाग, सारंगढ़	0	0	3

स.क्र.	कार्यालय/विभाग का नाम	कार्यरत अनियमित कर्मचारियों की संख्या	कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	कलेक्टर दर पर कार्य करने हेतु कर्मचारियों की आवश्यकता की जानकारी संख्या में।
1	2	3	4	5
20	जनपद पंचायत, सारंगढ़	0	12	0
21	कार्यालय, उप पंजीयक सारंगढ़	0	0	0
22	सहायक संचालक, उद्यान विभाग, सारंगढ़	0	18	32
23	कार्यापालन यंत्री सं/सं संभाग, छ.ग. स्टेट पावर डिस्ट्री, कंपनी (विद्युत विभाग) सारंगढ़	0	176	0
24	उप संचालक रेशम विभाग, रायगढ़	0	0	26
25	पर्यावरण विभाग, रायगढ़	0	0	0
26	कार्यालय, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, सारंगढ़	0	14	5
27	छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, सारंगढ़	0	0	0
28	जिला विपणन अधिकारी, सारंगढ़	4	24	0
29	आयुष विभाग रायगढ़	0	0	7
30	जल संसाधन, उपसंभाग, भटगांव	1	0	7
31	नगर सेना	0	0	0
32	वनमण्डलाधिकारी, सारंगढ़	75	0	10
33	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, सारंगढ़	18	32	6
34	खेल एवं युवा कल्याण विभाग, सारंगढ़	0	0	0
35	नगर पंचायत, भटगांव	0	0	0
36	नगर पंचायत, बिलाईगढ़	0	22	4
37	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रायगढ़	0	0	0
38	लो.नि.वि.सेतु निर्माण, उपसंभाग क्र-2, रायपुर	0	0	1
39	जिला जन संपर्क विभाग, सारंगढ़	0	0	4
40	जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग सारंगढ़	0	0	2
41	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सारंगढ़	0	0	10
42	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग सारंगढ़	190	56	8

स.क्र.	कार्यालय/विभाग का नाम	कार्यरत अनियमित कर्मचारियों की संख्या	कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	कलेक्टर दर पर कार्य करने हेतु कर्मचारियों की आवश्यकता की जानकारी संख्या में।
1	2	3	4	5
43	लोक निर्माण विभाग(भ/स) उपसंभाग विभाग बिलाईगढ़	17	0	5
44	विद्युत विभाग, बिलाईगढ़	63	63	8
45	नगर पंचायत बिलाईगढ़	22	22	12
46	जल संसाधन, उपसंभाग, भटगांव	1	0	7
47	तहसील कार्यालय सारंगढ़	0	1	3
48	जिला अंत्यावसायी, सहकारी विकास समिति सारंगढ़-बिलाईगढ़	0	0	1
49	अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग बरमकेला	0	0	2
50	जिला निर्वाचन कार्यालय सारंगढ़ बिलाईगढ़	4	0	0
51	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सारंगढ़	0	0	5
52	अनुविभागीय अधिकारी(रा.) बिलाईगढ़	0	0	5
53	तहसील कार्यालय, बरमकेला	0	0	5
54	तहसील कार्यालय, सरिया	0	0	5
55	तहसील कार्यालय, कोसीर	0	0	3
56	कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा सारंगढ़, बिलाईगढ़	0	0	0
57	जिला आबकारी अधिकारी सारंगढ़	0	0	0
58	कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़	0	0	11
59	कार्यालय कार्यपालन अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्र. -01, छ.ग. ग्रामीण विकास अभिकरण, रायगढ़	0	0	0
60	तहसील कार्यालय, बिलाईगढ़	0	1	15
61	कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बिलाईगढ़	124	8	0

स.क्र.	कार्यालय/विभाग का नाम	कार्यरत अनियमित कर्मचारियों की संख्या	कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	कलेक्टर दर पर कार्य करने हेतु कर्मचारियों की आवश्यकता की जानकारी संख्या में।
1	2	3	4	5
62	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, जोंक नहर, जल संसाधन उप संभाग पवनी	2	0	4
63	नगर पंचायत, सरिया	22	22	12
	योग	593	558	364

Ajey

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-3)

पारोशेष्ट - बयालीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 755) की जानकारी

प्रपत्र

सिहावा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2022 से 31 दिसंबर, 2023 तक की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, सुखद सहारा योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के कुल स्वीकृत प्रकरणों की वर्षवार, ग्राम पंचायतवार जानकारी


क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	कुल स्वीकृत प्रकरण		
		वर्ष 2022	वर्ष 2023 में 31 दिसम्बर तक की स्थिति में	योग
1	2	3	4	5
1.	खिसोरा	14	18	32
2.	डूमरपाली	8	8	16
3.	नवागांव धौ.	3	8	11
4.	भोथीडीह	8	4	12
5.	राकाडीह	14	6	20
6.	कमरौद	6	6	12
7.	सांकरा	2	3	5
8.	बोडरा	12	5	17
9.	धौराभाठा नवा.	11	6	17
10.	कपालफोडी	11	5	16
11.	गाडाडीह	3	5	8
12.	दुधवारा	4	1	5
13.	शुक्लाभाठा	4	3	7
14.	भरदा	4	1	5
15.	परसवानी	1	4	5
16.	करेलीछोटी	8	8	16
17.	डाभा	5	4	9
18.	छिपली	16	9	25
19.	बेलरदोना	0	3	3
20.	परसाबुड़ा	9	1	10
21.	कोरगांव	1	4	5
22.	बेलोरा	2	0	2
23.	सोनपैरी	4	0	4
24.	मोहंदी	1	2	3
25.	राजपुर	2	9	11
26.	सरगी	2	0	2
27.	सोनेवारा	0	1	1

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	कुल स्वीकृत प्रकरण		
		वर्ष 2022	वर्ष 2023 में 31 दिसम्बर तक की स्थिति में	योग
1	2	3	4	5
28.	पाहंदा	5	11	16
29.	भोथा	12	2	14
30.	लड़ेर	4	2	6
31.	बोरसी	13	2	15
32.	झाझरकेरा	7	5	12
33.	बिरझुली	1	1	2
34.	पठार	1	0	1
35.	मोहेरा	2	0	2
36.	खंडमा	10	0	10
37.	सिंगपुर	4	10	14
38.	मुडकेरा	6	5	11
39.	सोनझरी	1	8	9
40.	केकराखोली	7	3	10
41.	भण्डारवाडी	9	6	15
42.	बोईगांव	1	3	4
43.	मारागांव	1	4	5
44.	दरगहन	15	0	15
45.	सलौनी	14	11	25
46.	छुही	4	3	7
47.	सियादेही	2	4	6
48.	कांटाकुरीडीह	3	1	4
49.	कुकरेल	5	0	5
50.	बनबगौद	2	2	4
51.	माकरदोना	2	0	2
52.	बा.कुरीडीह	4	5	9
53.	झुरातराई	6	6	12
54.	कुम्हड़ा	0	2	2
55.	डोकाल	7	16	23
56.	केरेगांव	4	1	5
57.	भोथापारा	8	4	12
58.	चनागांव	17	5	22
59.	सियारीनाला	11	2	13
60.	बगरूमनाला	3	5	8
61.	खैरभरी	1	1	2

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	कुल स्वीकृत प्रकरण		
		वर्ष 2022	वर्ष 2023 में 31 दिसम्बर तक की स्थिति में	योग
1	2	3	4	5
62.	करैहा	7	0	7
63.	गेदरा	2	0	2
64.	कौहाबाहरा	16	9	25
65.	दुगली	9	0	9
66.	मुनईकेरा	2	3	5
67.	जबर्गा	29	2	31
68.	गट्टासिल्ली	11	10	21
69.	आमदी	10	5	15
70.	चिंवर्री (मा.)	5	2	7
71.	सरईटोला (मा.)	10	0	10
72.	गुहाननाला	0	3	3
73.	बांधा	2	5	7
74.	बटनहरा	15	3	18
75.	झुंझराकसा	2	7	9
76.	घोटगांव	0	1	1
77.	परसापानी	1	7	8
78.	कल्लेमेटा	18	4	22
79.	डोंगरडुला	10	6	16
80.	राजपुर	1	3	4
81.	बिलभदर	1	0	1
82.	बांसपानी	3	3	6
83.	कोंगेरा	6	1	7
84.	टांगापानी	8	2	10
85.	भड़सिवना	7	2	9
86.	मुकुन्दपुर	8	11	19
87.	हरदीभाठा	20	7	27
88.	छिपली	6	5	11
89.	मोदे	4	2	6
90.	अमाली	20	3	23
91.	सम्बलपुर	7	2	9
92.	गोरेगांव	5	5	10
93.	भैसामुड़ा	2	2	4

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	कुल स्वीकृत प्रकरण		
		वर्ष 2022	वर्ष 2023 में 31 दिसम्बर तक की स्थिति में	योग
1	2	3	4	5
94.	फरसियां	12	9	21
95.	देवपुर	31	11	42
96.	छिपलीपारा	5	6	11
97.	बिरगुड़ी	15	5	20
98.	सेमरा	4	28	32
99.	भीतररास	12	8	20
100.	सिहावा	17	9	26
101.	सिरसिदा	11	1	12
102.	खम्हरियां	8	3	11
103.	भोथली	3	6	9
104.	बोडरा	7	2	9
105.	हिन्छापुर	7	6	13
106.	सांकरा	17	2	19
107.	रानीगांव	4	5	9
108.	मल्हारी	9	5	14
109.	भुरसीडोंगरी	11	1	12
110.	बेलरगांव	7	11	18
111.	लटियारा	11	16	27
112.	पाईकभाठा	2	2	4
113.	उमरगांव	34	12	46
114.	ठेनही	18	12	30
115.	घठुला	25	16	41
116.	गढ़डोंगरी (रै.)	0	8	8
117.	गढ़डोंगरी (मा.)	0	7	7
118.	बरबांधा	8	5	13
119.	घुरावड़	8	14	22
120.	आमगांव	12	2	14
121.	नवागांव (कस.)	1	0	1
122.	पांवद्वार	12	8	20
123.	गिधावा	3	0	3
124.	स्तावा	12	9	21
125.	पोड़ागांव	5	4	9

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	कुल स्वीकृत प्रकरण		
		वर्ष 2022	वर्ष 2023 में 31 दिसम्बर तक की स्थिति में	योग
1	2	3	4	5
126.	नवागांव (सां.)	13	2	15
127.	मौहाबाहरा	4	3	7
128.	लखनपुरी	1	5	6
129.	कसपुर	1	1	2
130.	जैतपुरी	9	4	13
131.	बिरनासिल्ली	14	23	37
132.	फरसगांव	10	5	15
133.	मेचका	2	3	5
134.	कट्टीगांव	0	5	5
135.	बोराई	6	15	21
136.	घुटकेल	15	3	18
137.	मैनपुर	16	4	20
138.	लिखमा	13	21	34
139.	खल्लारी	3	3	6
140.	करही	1	7	8
141.	रिसगांव	9	2	11
योग		1042	708	1750


 अनुभाग अधिकारी
 समीक्षक कल्याण विभाग,
 मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

पारोशेष्ट - तिरालीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 797) की जानकारी

प्रपत्र

स.क्र.	जिला का नाम	अन्य प्रदेश/विदेश में रोजी मजदूरी हेतु पलायन किये गये लोगो की संख्या
1	रायपुर	928
2	महासमुंद	84971
3	धमतरी	289
4	दुर्ग	0
5	राजनांदगांव	6720
6	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	11219
7	मोहला-मानपुर-अं.चौकी	2987
8	कबीरधाम	38006
9	बस्तर	6668
10	नारायणपुर	0
11	दंतेवाड़ा	836
12	बीजापुर	873
13	कांकेर	1
14	बिलासपुर	57475
15	कोरबा	2509
16	जांजगीर-चांपा	0
17	सक्ती	0
18	रायगढ़	4654
19	सारंगढ़-बिलाईगढ़	20060
20	सरगुजा	679
21	जशपुर	10248
22	कोरिया	495
23	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	0
24	बलौदाबाजार	53592
25	गरियाबंद	0
26	बेमेतरा	26626
27	बालोद	8130
28	मुंगेली	29783
29	कोण्डागांव	7816
30	सुकमा	453
31	सूरजपुर	170
32	बलरामपुर	2983
33	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	2488
	योग	381659

पारोशेष्ट - चवालीस


अतारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 897) की जानकारी

प्रपत्र-अ

खैरागढ़ एवं राजनांदगांव जिले में वर्ष 2020 से जनवरी 2024 तक की अवधि में ऊर्जा विभाग द्वारा पोषित/आंशिक योजनाओं तथा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा आंतरिक बजट से प्रदत्त वर्षवार, योजनावार, स्वीकृत कार्य, आबंटित राशि एवं पूर्ण किये गये कार्यों की जानकारी

(राशि रु. लाख में)

क्र.	योजना का नाम	बजट प्रावधान	खैरागढ़ जिला			राजनांदगांव जिला		
			स्वीकृत कार्यों की संख्या	आबंटित राशि	पूर्ण कार्यों की संख्या	स्वीकृत कार्यों की संख्या	आबंटित राशि	पूर्ण कार्यों की संख्या
वर्ष 2020-21								
1	मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना (076)	शासन द्वारा पोषित/आंशिक अनुदान	0	0.00	0	0	0.00	0
2	मजराटोला विद्युतीकरण योजना (051)		0	0.00	0	0	0.00	0
3	मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना (020)		0	0.00	0	144	429.00	144
4	पंप ऊर्जाकरण योजना (036)		230	198.17	230	1070	1220.87	1070
5	आरडीएसएस योजना (068)		0	0.00	0	0	0.00	0
6	सामान्य विकास योजना (032), (032ए), (032बी), (032पी), (032टी)	छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि. द्वारा आंतरिक बजट से	0	0.00	0	125	249.26	116
7	नये कनेक्शन योजना (061), (062)		43	150.60	43	222	329.40	222
8	कालोनी विद्युतीकरण (063बी), (063सी), (064)		0	0.00	0	2	266.83	2
9	रखरखाव संधारण एवं मरम्मत (028)		25	431.79	25	806	1274.61	806
10	संचालन (010)		10	137.93	10	30	490.70	30
वर्ष 2021-22								
1	मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना (076)	शासन द्वारा पोषित/आंशिक अनुदान	16	905.95	16	69	2720.82	64
2	मजराटोला विद्युतीकरण योजना (051)		0	0.00	0	13	21.00	13
3	मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना (020)		0	0.00	0	97	277.00	97
4	पंप ऊर्जाकरण योजना (036)		1066	384.35	1066	4151	2434.34	4151
5	आरडीएसएस योजना (068)		0	0.00	0	0	0.00	0
6	सामान्य विकास योजना (032), (032ए), (032बी), (032पी), (032टी)	छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि. द्वारा आंतरिक बजट से	2	11.50	2	58	64.78	55
7	नये कनेक्शन योजना (061), (062)		42	155.25	42	338	403.00	338
8	कालोनी विद्युतीकरण (063बी), (063सी), (064)		0	0.00	0	8	399.93	4
9	रखरखाव संधारण एवं मरम्मत (028)		49	142.84	49	1035	596.89	1035
10	संचालन (010)		2	109.30	2	10	483.90	10
वर्ष 2022-23								



उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

1	मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना (076)	शासन द्वारा पोषित/आंशिक अनुदान	4	470.14	1	9	1414.58	1
2	मजराटोला विद्युतीकरण योजना (051)		0	0.00	0	1	4.00	1
3	मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना (020)		0	0.00	0	48	174.00	45
4	पंप ऊर्जाकरण योजना (036)		1022	1202.77	1022	1290	1237.62	1290
5	आरडीएसएस योजना (068)		0	0.00	0	0	0.00	0
6	सामान्य विकास योजना (032), (032ए), (032बी), (032पी), (032टी)	छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि. द्वारा आंतरिक बजट से	379	219.42	379	1279	1424.78	1279
7	नये कनेक्शन योजना (061), (062)		133	229.18	133	270	443.10	270
8	कालोनी विद्युतीकरण (063बी), (063सी), (064)		0	0.00	0	7	292.74	3
9	रखरखाव संधारण एवं मरम्मत (028)		15	176.00	15	195	623.25	195
10	संचालन (010)		3	52.46	3	7	263.01	7

वर्ष 2023-24 (माह जनवरी 2024 तक)

1	मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना (076)	शासन द्वारा पोषित/आंशिक अनुदान	0	0.00	0	0	0.00	0
2	मजराटोला विद्युतीकरण योजना (051)		0	0.00	0	0	0.00	0
3	मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना (020)		0	0.00	0	41	100.00	36
4	पंप ऊर्जाकरण योजना (036)		2837	2496.00	408	5126	32406.00	525
5	आरडीएसएस योजना (068)		1	7309.79	0	1	18043.78	0
6	सामान्य विकास योजना (032), (032ए), (032बी), (032पी), (032टी)	छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि. द्वारा आंतरिक बजट से	354	550.00	354	984	1596.12	876
7	नये कनेक्शन योजना (061), (062)		102	260.00	97	227	599.99	223
8	कालोनी विद्युतीकरण (063बी), (063सी), (064)		0	0.00	0	5	458.11	0
9	रखरखाव संधारण एवं मरम्मत (028)		29	195.00	29	190	536.00	165
10	संचालन (010)		6	65.00	6	16	220.00	16



उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

खैरागढ़ एवं राजनांदगांव जिले में वर्ष 2020 से जनवरी 2024 तक की अवधि में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा सामान्य विकास योजना, नये कनेक्शन योजना, कालोनी विद्युतीकरण, रखरखाव संधारण एवं मरम्मत एवं संचालन कार्यों हेतु आंतरिक बजट से प्रदत्त वर्षवार, योजनावार, स्वीकृत कार्य, आबंटित राशि एवं पूर्ण किये गये कार्यों की जिलेवार जानकारी

(राशि रु.
लाख में)

क्र.	जिले का नाम	विकासखंड का नाम	वितरण केन्द्र का नाम	योजना अंतर्गत आबंटित राशि				प्राप्त आबंटन से स्वीकृत कार्य की राशि				स्वीकृत कार्य में से कार्य पूर्ण की राशि			
				संचालन हेतु	संधारण व्यय	रखरखाव मरम्मत एवं सुधार कार्य	कुल योग	संचालन हेतु	संधारण व्यय	रखरखाव मरम्मत एवं सुधार कार्य	कुल योग	संचालन हेतु	संधारण व्यय	रखरखाव मरम्मत एवं सुधार कार्य	कुल योग

वर्ष 2020-21

1	राजनांदगांव	राजनांदगांव	राजनांदगांव पूर्व जोन	496.70	1274.61	249.26	2014.57	466.12	57.90	40.63	564.65	466.12	57.90	40.63	564.65
2			राज0 पश्चिम जोन						78.75	33.07	111.82		78.75	33.07	111.82
3			राजनांदगांव ग्रामीण						71.54	16.59	88.13		71.54	16.59	88.13
4			सोमनी						53.51	28.32	81.83		53.51	28.32	81.83
5			घुमका						139.86	5.93	145.79		139.86	5.93	145.79
6			बोरी						53.83	10.07	63.90		53.83	10.07	63.90
7			सिंधोला						27.71	3.18	30.89		27.71	3.18	30.89
8			टेलकाडीह						48.37	4.80	53.17		48.37	4.80	53.17
		योग							531.47	142.59	674.06		531.47	142.59	674.06
1	राजनांदगांव	डोंगरगांव	अर्जुनी	496.70	1274.61	249.26	2014.57	466.12	80.19	3.45	83.64	466.12	80.19	3.45	83.64
2			तुमडीबोड						75.07	0.00	75.07		75.07	0.00	75.07
3			डोंगरगांव शहर						0.00	2.87	2.87		0.00	2.87	2.87
4			डोंगरगांव ग्रामीण						7.48	3.81	11.29		7.48	3.81	11.29
		योग							162.73	10.13	172.87		162.73	10.13	172.87
1	राजनांदगांव	छुरिया	छुरिया	496.70	1274.61	249.26	2014.57	466.12	8.26	2.39	10.65	466.12	8.26	2.39	10.65
2			बम्हनी चारभाटा						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3			खुज्जी						7.17	0.00	7.17		7.17	0.00	7.17
4			कुमरदा						4.51	0.00	4.51		4.51	0.00	4.51
5			गैदाटोला						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		योग							19.93	2.39	22.33		19.93	2.39	22.33
1	राजनांदगांव	डोंगरगढ़	डोंगरगढ़ ग्रामीण	496.70	1274.61	249.26	2014.57	466.12	11.86	1.60	13.46	466.12	11.86	1.60	13.46
2			डोंगरगढ़ शहर						5.34	2.75	8.08		5.34	2.75	8.08
3			मुसराकला						8.74	7.85	16.59		8.74	7.85	16.59
4			एलोबी0 नगर द्वारा						14.01	1.63	15.65		14.01	1.63	15.65
5			सड़क चिरचारी						5.80	0.00	5.80		5.80	0.00	5.80
6			सड़क चिरचारी						8.29	0.00	8.29		8.29	0.00	8.29
7			मुरमुदा						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		योग							54.04	13.83	67.87		54.04	13.83	67.87
1	राजनांदगांव	चौकी	बाघाबाजार	496.70	1274.61	249.26	2014.57	466.12	1.30	2.39	3.69	466.12	1.30	2.39	3.69
2			चौकी						14.07	2.87	16.95		14.07	2.87	16.95
3			कौडीकसा						5.70	0.00	5.70		5.70	0.00	5.70
		योग							21.07	5.26	26.34		21.07	5.26	26.34
1	राजनांदगांव	मोहला	मोहला	496.70	1274.61	249.26	2014.57	466.12	23.29	0.00	23.29	466.12	23.29	0.00	23.29
2			खडगाव						1.21	0.00	1.21		1.21	0.00	1.21
		योग							24.50	0.00	24.50		24.50	0.00	24.50
1	राजनांदगांव	मानपुर	मानपुर	496.70	1274.61	249.26	2014.57	466.12	9.62	0.00	9.62	466.12	9.62	0.00	9.62
2			औषी						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		योग							9.62	0.00	9.62		9.62	0.00	9.62
		जिला राजनांदगांव योग		490.70	1274.61	249.26	2014.57	466.12	823.37	174.21	1463.70	466.12	823.37	174.21	1463.70
1	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	खैरागढ़	जालबाधा	490.70	1274.61	249.26	2014.57	466.12	0.00	0.00	126.40	466.12	0.00	0.00	126.40
2			खैरागढ़ (ग्रामीण)						5.49	0.00	5.49		5.49	0.00	5.49
3			अमलीपारा						10.52	0.00	10.52		10.52	0.00	10.52
4			खैरागढ़ (शहर)						1.61	0.00	1.61		1.61	0.00	1.61
5			मुढीपार						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
6			अतरिया						2.34	0.00	2.34		2.34	0.00	2.34



उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

7		पाण्डादाह					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			137.93	431.79	0.00	569.72	19.96	0.00	19.96	19.96	0.00	19.96
1	खैरागढ़- छुईखदान- गण्डई	उदयपुर					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		साल्हेवारा					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		गण्डई					5.79	0.00	5.79	5.79	0.00	5.79
4		बुदेली					3.13	0.00	3.13	3.13	0.00	3.13
5		छुईखदान					15.70	0.00	15.70	15.70	0.00	15.70
6		घोघा					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7		पैलीमेटा					3.78	0.00	3.78	3.78	0.00	3.78
जिला खैरागढ़ योग			137.93	431.79	0.00	569.72	28.40	0.00	28.40	28.40	0.00	28.40
			137.93	431.79	0.00	569.72	48.36	0.00	174.76	126.40	48.36	174.76

वर्ष 2021-22

1	राजनांदगांव	राजनांदगांव	राजनांदगांव पूर्व जोन				63.91	9.44	522.48		63.91	9.44	522.48	
2			राज0 परिचय जोन				85.51	0.00	85.51		85.51	0.00	85.51	
3			राजनांदगांव ग्रामीण				24.44	3.61	28.04		24.44	3.61	28.04	
4			सोमनी				54.39	6.75	61.14		54.39	6.75	61.14	
5			घुमका				46.79	2.89	49.68		46.79	2.89	49.68	
6			बोरी				44.82	0.00	44.82		44.82	0.00	44.82	
7			सिधोला				35.45	0.00	35.45		35.45	0.00	35.45	
8			टेलकाडीह				28.07	8.11	36.18		28.07	8.11	36.18	
			योग			383.39	30.79	414.18		383.39	30.79	414.18		
1	राजनांदगांव	डोंगरगांव	अजुनी				34.70	5.33	40.03		34.70	5.33	40.03	
2			तुमडीबोड				56.30	17.22	73.53		56.30	17.22	73.53	
3			डोंगरगांव शहर				8.96	0.00	8.96		8.96	0.00	8.96	
4			डोंगरगांव ग्रामीण				7.60	12.79	20.39		7.60	12.79	20.39	
			योग			107.56	35.34	142.90		107.56	35.34	142.90		
1	राजनांदगांव	छुरिया	छुरिया				4.49	19.70	24.19		4.49	19.70	24.19	
2			बम्दनी चारगाटा				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
3			खुज्जी				3.89	7.33	11.22		3.89	7.33	11.22	
4			कुमरदा				2.60	16.14	18.73		2.60	16.14	18.73	
5			गैदाटोला				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			योग	483.90	596.89	64.78	1145.57	449.13	449.13	109.97	43.17	54.14		
1	राजनांदगांव	डोंगरगढ़	डोंगरगढ़ ग्रामीण				6.26	0.00	6.26		6.26	0.00	6.26	
2			डोंगरगढ़ शहर				2.58	0.00	2.58		2.58	0.00	2.58	
3			मुसराकला				8.85	2.09	10.94		8.85	2.09	10.94	
4			एल0बी0 नगर				10.48	0.00	10.48		10.48	0.00	10.48	
5			दारा				4.85	0.00	4.85		4.85	0.00	4.85	
6			सड़क चिरवारी				3.31	0.00	3.31		3.31	0.00	3.31	
7			मुरमुदा				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			योग			36.34	2.09	38.43		36.34	2.09	38.43		
1	राजनांदगांव	चौकी	बाधाबाजार				5.19	5.93	11.12		5.19	5.93	11.12	
2			चौकी				17.00	7.61	24.61		17.00	7.61	24.61	
3			कौडीकसा				0.98	0.00	0.98		0.98	0.00	0.98	
			योग			23.17	13.54	36.71		23.17	13.54	36.71		
1	राजनांदगांव	मोहला	मोहला				29.82	1.57	31.39		29.82	1.57	31.39	
2			खडगांव				0.00	4.83	4.83		0.00	4.83	4.83	
			योग			29.82	6.39	36.21		29.82	6.39	36.21		
1	राजनांदगांव	मानपुर	मानपुर				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2			औधी				11.85	0.00	11.85		11.85	0.00	11.85	
			योग			11.85	0.00	11.85		11.85	0.00	11.85		
जिला राजनांदगांव योग			483.90	596.89	64.78	1145.57	449.13	603.10	131.31	1183.54	449.13	603.10	131.31	1183.54
1	खैरागढ़- छुईखदान- गण्डई	खैरागढ़	जालवाधा				5.35	0.00	114.65		5.35	0.00	114.65	
2			खैरागढ़ (ग्रामीण)				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
3			अमलीपारा				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4			खैरागढ़ (शहर)				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
5			मुढीपार				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
6			अतरिया				4.60	0.00	4.60		4.60	0.00	4.60	
7			पाण्डादाह				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			योग	109.30	142.83	11.50	263.63	109.30	9.94	0.00	9.94	109.30	9.94	
1	खैरागढ़- छुईखदान- गण्डई	छुईखदान	उदयपुर				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2			साल्हेवारा				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
3			गण्डई				3.72	0.00	3.72		3.72	0.00	3.72	
4			बुदेली				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
5			छुईखदान				1.02	6.14	7.16		1.02	6.14	7.16	
6			घोघा				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
7			पैलीमेटा				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	


उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उत्तर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर


							4.73	6.14	10.87		4.73	6.14	10.87
	जिला खैरागढ़ योग	109.30	142.83	11.50	263.63	109.30	14.67	6.14	130.11	109.30	14.67	6.14	130.11

वर्ष 2022-23

1	राजनांदगांव	राजनांदगांव	राजनांदगांव पूर्व जोन				12.78	54.86	202.64		12.78	26.86	174.64
2			राज0 पश्चिम जोन				22.60	72.00	94.60		22.60	52.00	74.60
3			राजनांदगांव ग्रामीण				7.57	31.87	39.45		7.57	21.87	29.45
4			सोमनी				31.94	42.56	74.50		31.94	7.29	39.24
5			घुमका				35.47	128.76	164.22		35.47	65.76	101.22
6			बोरी				7.90	61.09	69.00		7.90	28.09	36.00
7			सिधोला				13.39	19.42	32.81		13.39	19.42	32.81
8			ठेलकाडीह				9.76	58.23	68.00		9.76	35.23	45.00
			योग				141.42	468.80	610.22		141.42	256.53	397.95
1	राजनांदगांव	डोंगरगांव	अर्जुनी				11.23	35.54	46.77		11.23	19.54	30.77
2			तुमडीबोड				34.28	466.60	500.88		34.28	91.60	125.88
3			डोंगरगांव शहर				4.55	34.81	39.36		4.55	34.81	39.36
4			डोंगरगांव ग्रामीण				11.96	151.53	163.49		11.96	151.53	163.49
			योग				62.02	688.49	750.51		62.02	297.49	359.51
1	राजनांदगांव	घुरिया	घुरिया				5.16	66.59	71.75		5.16	61.13	66.30
2			बम्हनी चारभाटा				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3			खुज्जी				0.00	68.52	68.52		0.00	68.52	68.52
4			कुमरदा				5.65	82.76	88.42		5.65	82.76	88.42
5			गैदाटोला				0.00	0.07	0.07		0.00	0.07	0.07
			योग	263.01	623.25	1424.78	10.82	217.94	228.76	135.00	10.82	212.48	223.30
1	राजनांदगांव	डोंगरगढ़	डोंगरगढ़ ग्रामीण				4.13	39.38	43.51		4.13	29.32	33.44
2			डोंगरगढ़ शहर				16.51	91.89	108.40		16.51	29.49	46.01
3			मुसराकला				2.60	60.65	63.25		2.60	41.20	43.80
4			एल0बी0 नगर				1.78	61.47	63.26		1.78	35.57	37.35
5			ढारा				3.21	41.98	45.19		3.21	26.80	30.01
6			सडक घिरवासी				3.27	37.81	41.07		3.27	23.95	27.21
7			मुर्मुंदा				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			योग				31.51	333.17	364.68		31.51	186.33	217.83
1	राजनांदगांव	चौकी	बांधवाजार				5.99	51.59	57.58		5.99	51.59	57.58
2			चौकी				17.17	68.23	85.40		17.17	68.23	85.40
3			कौडीकसा				9.25	44.86	54.11		9.25	44.86	54.11
			योग				32.41	164.68	197.09		32.41	164.68	197.09
1	राजनांदगांव	मोहला	मोहला				0.58	60.07	60.65		0.58	60.07	60.65
2			खडगाव				2.26	80.00	82.26		2.26	80.00	82.26
			योग				2.84	140.07	142.92		2.84	140.07	142.92
1	राजनांदगांव	मानपुर	मानपुर				6.25	40.27	46.52		6.25	40.27	46.52
2			औधो				0.00	20.36	20.36		0.00	20.36	20.36
			योग				6.25	60.63	66.88		6.25	60.63	66.88
			जिला राजनांदगांव योग	263.01	623.25	1424.78	287.26	2073.78	2496.05	135.00	287.26	1318.22	1740.48
1	खैरागढ़- छुईखदान- गण्डई	खैरागढ़	जालबाधा				1.64	42.52	81.78		1.64	42.52	81.78
2			खैरागढ़ (ग्रामीण)				0.00	19.85	19.85		0.00	19.85	19.85
3			अमलीपारा				3.77	38.77	42.54		3.77	38.77	42.54
4			खैरागढ़ (शहर)				1.64	10.48	12.12		1.64	10.48	12.12
5			मुढीपार				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
6			अतरिया				10.28	53.78	64.06		10.28	53.78	64.06
7			पाण्डादाह				0.00	34.21	34.21		0.00	34.21	34.21
			योग	52.46	176.00	219.42	17.32	199.61	216.93	37.62	17.32	199.61	216.93
1	खैरागढ़- छुईखदान- गण्डई	छुईखदान	उदयपुर				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2			सालेवारा				0.00	7.21	7.21		0.00	7.21	7.21
3			गण्डई				14.82	46.67	61.49		14.82	46.67	61.49
4			बुदेली				0.39	44.52	44.91		0.39	44.52	44.91
5			छुईखदान				3.94	39.21	43.15		3.94	39.21	43.15
6			घोघा				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7			पैलीमेटा				0.00	22.13	22.13		0.00	22.13	22.13
			योग	52.46	176.00	219.42	19.15	159.73	178.89	37.62	19.15	159.73	178.89
			जिला खैरागढ़ योग	52.46	176.00	219.42	36.48	359.34	433.44	37.62	36.48	359.34	433.44

वर्ष 2023-24 (माह जनवरी 2024)

1	राजनांदगांव	राजनांदगांव	राजनांदगांव पूर्व जोन				18.77	27.44	137.95		15.27	16.34	123.36
2			राज0 पश्चिम जोन				17.42	23.13	40.55		15.80	15.13	30.92
3			राजनांदगांव ग्रामीण				5.95	34.84	40.79		5.95	22.42	28.37
4			सोमनी				9.52	42.04	51.56		5.78	13.79	19.57


उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उपरजा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

क्र.सं.	विकास क्षेत्र	ग्राम	ग्रामिका	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामिका	ग्रामीण	शहरी	कुल
5			घुमका				25.73	136.86	162.60	25.73
6			बोरी				9.03	52.58	61.61	8.26
7			शिपोला				18.89	20.93	39.82	9.89
8			तेलकाडीह				8.58	63.58	72.15	3.45
		योग					107.57	401.41	508.98	89.51
1	राजनांदगाव	डोंगरगाव	अर्जुनी				27.69	56.30	83.99	26.40
2			तुमडीबोड				14.57	109.01	123.58	9.92
3			डोंगरगाव शहर				4.55	47.41	51.96	4.55
4			डोंगरगाव ग्रामीण				11.96	142.39	154.35	11.96
		योग					58.77	355.11	413.88	52.83
1	राजनांदगाव	छुरिया	छुरिया				4.74	32.80	37.54	4.74
2			बम्हनी चारभाला				0.59	28.78	29.37	0.59
3			खुज्जी				0.00	71.45	71.45	0.00
4			कुमरदा				5.65	42.42	48.07	5.65
5			गैदाटोला				0.00	40.77	40.77	0.00
		योग					10.99	216.21	227.19	10.99
1	राजनांदगाव	डोंगरगढ	डोंगरगढ ग्रामीण				2.26	40.88	43.14	2.26
2			डोंगरगढ शहर				5.66	16.80	22.45	4.71
3			मुसरकला				5.89	55.76	61.65	4.86
4			एल0बी0 नगर				4.41	56.57	60.99	2.33
5			ढारा				1.98	39.11	41.09	1.98
6			सडक चिरचारी				8.48	71.84	80.32	6.02
7			मुरमुदा				0.59	25.60	26.19	0.59
		योग					29.27	306.56	335.83	22.76
1	राजनांदगाव	चौकी	बाघाबाजार				5.99	46.11	52.10	5.99
2			चौकी				17.17	34.60	51.76	17.17
3			कौडीकसा				9.25	0.00	9.25	9.25
		योग					32.41	80.70	113.11	32.41
1	राजनांदगाव	मोहला	मोहला				0.58	29.84	30.42	0.58
2			खडगाव				2.26	33.56	35.82	2.26
		योग					2.84	63.40	66.24	2.84
1	राजनांदगाव	मानपुर	मानपुर				6.25	106.09	112.34	6.25
2			ओधी				0.00	0.00	0.00	0.00
		योग					6.25	106.09	112.34	6.25
		जिला राजनांदगाव योग					248.10	1529.47	1869.32	217.58
1	खैरागढ-गण्डई	खैरागढ	जालबोधा				1.88	30.74	59.96	1.88
2			खैरागढ (ग्रामीण)				1.00	32.93	33.92	1.00
3			अमलीपारा				13.94	47.42	61.36	13.94
4			खैरागढ (शहर)				0.00	22.99	22.99	0.00
5			मुडीपार				0.00	14.18	14.18	0.00
6			अतरिया				16.56	73.78	90.33	16.56
7			पाण्डादाह				3.31	35.00	38.31	3.31
		योग					36.69	257.03	293.72	36.69
1	खैरागढ-गण्डई	छुईखदान	उदयपुर				4.63	46.88	51.51	4.63
2			सालहेवारा				13.53	29.07	42.60	13.53
3			गण्डई				15.97	44.98	60.96	15.97
4			बुंदेली				0.00	47.22	47.22	0.00
5			छुईखदान				14.66	39.16	53.82	14.66
6			घोघा				0.00	21.03	21.03	0.00
7			पैलीमेटा				2.34	26.74	29.08	2.34
		योग					51.14	255.08	306.22	51.14
		जिला खैरागढ योग					87.83	512.11	627.28	87.83


उप सचिव
 छत्तीसगढ शासन, ऊर्जा विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

पारोशेष्ट - पेंतालीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 935) की जानकारी

प्रपत्र

जिला रायगढ़ में वर्ष 2021 से दिसम्बर 2023 तक शासन की योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों एवं अनुदान (सब्सिडी) की जानकारी


क	योजना का नाम	लाभान्वित हितग्राही संख्या	सब्सिडिज राशि (लाख में)
1	अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण योजना	1875	47.813
2	अनुदान पर सूकरत्रयी इकाई वितरण योजना	241	21.256
3	अनुदान पर बकरा वितरण योजना	340	13.039
4	शतप्रतिशत अनुदान पर सांड वितरण योजना	34	11.900
5	उन्नत मादा वत्स पालन योजना	256	43.590
6	राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना	219	177.893
7	दुग्ध परिवहन अनुदान (राज्य आयोजना)	7236	239.710
8	पशु आहार अनुदान (आर.के.व्ही.वाय. अन्तर्गत) अक्टूबर 2021 तक		142.650
योग		10201	697.851


(डॉ. मौसम मेहरा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग

परोशेष्ट - छियालीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 940) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	जिला	जिले में संचालित पशु चिकित्सालयों की संख्या	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6
1	कांकेर	16	17	13	4
2	कोण्डागांव	7	12	11	1
3	बस्तर	12	25	15	10
4	नारायणपुर	5	5	4	1
5	बीजापुर	7	11	4	7
6	सुकमा	6	9	6	3
7	दंतेवाड़ा	8	13	6	7
योग		61	92	59	33


5/2/24
(डॉ. मौसम मेहरो)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग

पारोक्ष - सैतालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 955) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	विवरण
1	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	<p>भारत शासन द्वारा गर्भवती एवं धात्री माताओं के पोषण स्तर में सुधार एवं उनकी मजदूरी की पूरक प्रतिपूर्ति हेतु दिनांक 01.01.2017 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संचालित किया जा रहा है।</p> <p>योजनांतर्गत ऐसी गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को छोड़कर जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक उपक्रमों के साथ नियमित रोजगार में है या जो वर्तमान में लागू किसी कानून के अन्तर्गत समान लाभ प्राप्त कर रही है, सभी गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं पात्र होती हैं।</p> <p>योजना अंतर्गत गर्भवती धात्री महिलाओं को प्रथम जीवित संतान के लिये दो किस्तों में राशि रूपये 5000/- एवं द्वितीय संतान बालिका होने पर एकमुश्त राशि रूपये 6000/- का भुगतान किये जाने का प्रावधान है।</p>
2	पूरक पोषण आहार कार्यक्रम	<p>प्रदेश में गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को रेडी टू ईट का प्रदाय टेक होम राशन पद्धति से किया जा रहा है, साथ ही मुख्यमंत्री सुपोषण योजनांतर्गत गर्भवती एवं एनीमिक महिलाओं को गर्म भोजन व अतिरिक्त पौष्टिक आहार का प्रदाय किया जा रहा है।</p>
3	महतारी वंदन योजना	<p>प्रदेश में महिलाओं के साथ लिंग विभेद/असमानता, जागरूकता की कमी होने के फलस्वरूप समाज में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव अनेक रूपों में विद्यमान है। समाज में महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करने तथा आर्थिक स्वावलंबन एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्रीपरिषद द्वारा प्रदेश में महतारी वन्दन योजना को 01 मार्च 2024 से लागू किया जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह राशि रू. 1000/- की वित्तीय सहायता प्रदाय की जाएगी।</p>

प्रपत्र- 'अ'

स्वैच्छिक संस्थाओं को वर्ष 2018 से 2023 तक जिलेवार आबंटित राशि की जानकारी

जिला-रायपुर

क्र	स्वैच्छिक संस्था का नाम	प्रयोजन	कुल आबंटित राशि
1	2	3	4
1	रायपुर शाखा नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड प्रेरणा वीर सावरकर नगर स्लाईस-।।। हीरापुर रायपुर	दृष्टि बाधित बालिकाओं का स्कूल व छात्रावास	14714256
2	सेवा निकेतन अपंगों का पुनर्वास केन्द्र मंदिर हसौद छेरीखेड़ी रायपुर	अस्थि बाधित बच्चों का शिक्षण-प्रशिक्षण/ छात्रावास	16425583
3	कोपलवाणी चाईल्ड वेल्फेयर आर्गनाइजेशन सुन्दर नगर रायपुर	श्रवण बाधित विद्यालय व छात्रावास	6553400
		घरौंदा	6687960
		बुजुर्गों के कल्याणार्थ बहुसेवा केन्द्र संचालन हेतु	1273320
4	आदर्शदीप अक्षमता पुनर्वास केन्द्र, दीनदयाल उपाध्यय नगर रायपुर	बौद्धिक मंदता बच्चों का विशेष विद्यालय	1622472
		बुजुर्गों के कल्याणार्थ बहुसेवा केन्द्र संचालन हेतु	1273320
5	विकलांग बालिका विकास गृह बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट फॉर महाराष्ट्र मंडल द्वारा संचालित समता कॉलोनी रायपुर	अस्थि बाधित बालिकाओं का छात्रावास	1614300
6	श्रवण मूक विकलांग अभिभावक संघ "प्रज्ञा" कर्ण बधिर शाला, सेक्टर-04, पुरानी पानी टंकी, डी.डी. नगर रायपुर	श्रवण मूक बधिर दिव्यांग बच्चों का विद्यालय/ छात्रावास	10824241
7	आकांक्षा लॉयन्स इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एण्ड एम्पावरमेंट जिला रायपुर	बौद्धिक मंदता बच्चों का डे-केयर सेटर	26021392
8	जागरूक पैरेन्ट्स एसोसिएशन म.न. 1/10 राजीव नगर, शंकर नगर रायपुर	बौद्धिक मंदता बच्चों का विशेष विद्यालय	7450040
9	संवेदना मानसिक विकलांग सेवा संस्थान, विकास विहार कालोनी, रायपुर	बौद्धिक मंदता बच्चों का विशेष विद्यालय	8180043
		घरौंदा	16233699
10	मों डिण्डेश्वरी शिक्षा समिति, रायपुर	हॉफ वे होम	14864600
11	अपराजिता फाउंडेशन महावीर विद्यालय के पास गुड़ियारी रायपुर	बुजुर्गों के कल्याणार्थ बहुसेवा केन्द्र संचालन हेतु	1246320
12	श्रीमती सहोद्रा देवी स्मृति सेवा समिति फेस-2, बंगला नं.-18, कचना हाउसिंग बोर्ड रायपुर	बुजुर्गों के कल्याणार्थ बहुसेवा केन्द्र संचालन हेतु	1246320
13	ग्रास रूट सोसायटी, पता-872, सुंदर नगर रायपुर	बुजुर्गों के कल्याणार्थ बहुसेवा केन्द्र (मल्टी सर्विस सेन्टर) संचालन हेतु	7275060
14	स्पर्श सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थान, गणपति विहार कालोनी, न्यू चंगोराभाठा, रायपुर	बुजुर्गों के कल्याणार्थ बहुसेवा केन्द्र संचालन हेतु	1273320
15	संगी मितान सेवा संस्थान, पता-ए-3, उदय सोसायटी, अयप्पा मंदिर के पास, टाटीबंध रायपुर	नशामुक्ति केन्द्र	5080640
		भिक्षुक पुनर्वास केन्द्र	8760752
		कुष्ठ कल्याण आश्रम	2526150

जिला-गरियाबंद

क्र.	स्वैच्छिक संस्था का नाम	प्रयोजन	कुल आबंटित राशि
1	2	3	4
1	उन्नति क्रिएटिव आर्गेनाइजेशन जिला रायपुर द्वारा संचालित विद्यानिधि बहुदिव्यांग विशेष आवासीय विद्यालय, कोकडी जिला गरियाबंद	श्रवणबाधित/दृष्टिबाधित/अस्थिबाधित/बहुदिव्यांग/बौद्धिक मंदता बच्चों के लिए विद्यालय एवं छात्रावास	2631400
2	प्रेरक रावणभाठा गरियाबंद द्वारा संचालित सक्षम दिव्यांग विद्यालय, राजिम जिला गरियाबंद	श्रवण एवं मूकबाधित तथा दृष्टिबाधित बच्चों के लिए विद्यालय एवं छात्रावास	1837480
		वृद्धाश्रम	3100500

जिला-धमतरी

क्र.	स्वैच्छिक संस्था का नाम	प्रयोजन	कुल आबंटित राशि
1	2	3	4
1	शांति मैत्री ग्रामीण विकास संस्थान 5 बंगला विद्यालय परिसर चरमुडियाँ पो. कुरुद जिला धमतरी	दृष्टि, श्रवण बाधित बालक/ बालिका आवासीय विद्यालय	4838440
		नशामुक्ति केन्द्र	4581140
2	"सार्थक" सर गौरी शंकर श्रीवास्तव सेवा समिति	बौद्धिक मंदता विशेष विद्यालय संचालन	3114000
3	एकजेक्ट फाउण्डेशन, दिव्यांग आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र, रूद्री, जिला धमतरी	श्रवणबाधित/दृष्टिबाधित/अस्थिबाधित/बहुदिव्यांग/बौद्धिक मंदता बच्चों के लिए विद्यालय एवं छात्रावास	2042880
4	उन्नायक सेवा समिति, रायगढ़ द्वारा संचालित श्री बालाजी विशेष दिव्यांग आवासीय शिक्षण-प्रशिक्षण केन्द्र, जिला धमतरी	श्रवणबाधित एवं मूकबधिर, मानसिक एवं बहुदिव्यांग बच्चों के लिए विद्यालय एवं छात्रावास का संचालन	1163920
5	जलाराम ज्ञानयज्ञ समिति, धमतरी	वृद्धाश्रम	2071690

जिला-बलौदाबाजार

क्र.	स्वैच्छिक संस्था का नाम	प्रयोजन	कुल आबंटित राशि
1	2	3	4
1	तुलसी लोक विकास संस्थान कैम्प-1ख, रोड न. 18 वार्ड 20 भिलाई जिला दुर्ग शाखा-बलौदाबाजार	वृद्धाश्रम	1907312

जिला-महासमुंद

क्र.	स्वैच्छिक संस्था का नाम	प्रयोजन	कुल आबंटित राशि
1	2	3	4
1	फॉर्चून फाउण्डेशन ग्राम प्रेतनडीह पो. केन्दुढार, वि.खं. सराईपाली जिला महासमुंद	दृष्टि बाधित विशेष विद्यालय एवं छात्रावास	10426570
2	शांति मैत्री ग्रामीण विकास संस्थान जिला धमतरी शाखा- जिला महासमुंद	वृद्धाश्रम	1281768

जिला-बिलासपुर

क्र.	स्वैच्छिक संस्था का नाम	प्रयोजन	कुल आबंटित राशि
1	2	3	4
1	आनंद निकेतन बधिर विद्यालय सिविल कोर्ट के पीछे वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर	श्रवण, मूक बधिर बच्चों का स्कूल एवं छात्रावास	10289676
2	डेफ एशोसिएशन चितले कालोनी इंदिरा सेतु के पास नेहरू चौक जिला बिलासपुर	श्रवण बाधित बालिकाओं का छात्रावास एवं विद्यालय	7239706
3	जस्टिस तनखा मेमोरियल रोटरी स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन बिलासपुर	बौद्धिक मंदता एवं श्रवण बाधित बालक बालिकाओं का विद्यालय	16008420
4	श्री स्पेशल केयर सेंटर द्वारा श्री क्लीनिक इन्दु उद्यान चौक विजया मोटर्स जरहाभाटा बिलासपुर	बौद्धिक मंदता बच्चों का शिक्षण कार्य	8004980
5	राबर्ट कानन वाला स्मृति सेवा संस्थान कानन काटैज, पावर हाऊस के सामने पो. गौरेला पेन्द्रारोड जिला बिलासपुर	बहुसेवा केन्द्र	1233360
6	जन परिषद कल्याण, कुंज वृद्धाश्रम अपराजिता भवन, पुलिस लाईन के सामने, आजाद नगर, बिलासपुर	वृद्धाश्रम	4834800
7	विकास सेवा संस्था	घरौंदा	26479938
8	माँ डिण्डेश्वरी शिक्षा समिति 'हॉफ-वे-होम' बिलासपुर	हॉफ वे होम	107752407
9	सुवाणी शिक्षण समिति-दुर्ग शाखा, बिलासपुर	प्रशामक देख-रेख गृह	2229800
10	अरपा सोन पर्यावरण सुरक्षा एवं मानव विकास समिति-पेण्ड्रा, जिला-बिलासपुर	बहुसेवा केन्द्र	1211760
11	वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति बिलासपुर	बहुसेवा केन्द्र	1117320
12	निर्मल सहयोगी सेवा बिलासपुर	बहुसेवा केन्द्र	1273320

जिला-गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही

क्र.	स्वैच्छिक संस्था का नाम	प्रयोजन	कुल आबंटित राशि
1	2	3	4
1	राबर्ट कानन वाला स्मृति सेवा संस्थान कानन काटैज, पावर हाऊस के सामने पो. गौरेला पेन्द्रारोड जिला गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही	अस्थि बाधित बालिकाओं का प्रशिक्षण	2039598
2	अरपा सोन पर्यावरण सुरक्षा एवं मानव विकास समिति-पेण्ड्रा, जिला-गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही	वृद्धाश्रम	1900000

जिला-मुंगेली

क्र.	स्वैच्छिक संस्था का नाम	प्रयोजन	कुल आबंटित राशि
1	2	3	4
1	छत्तीसगढ़ शबरी सेवा संस्थान, ग्राम-बछेरा, पोस्ट-भटगांव, तहसील-पथरिया, जिला मुंगेली	वृद्धाश्रम	1782220

जिला-राजनांदगांव

क्र.	स्वैच्छिक संस्था का नाम	प्रयोजन	कुल आबंटित राशि
1	2	3	4
1	आस्था मूक बधिर निःशक्तजनों के कल्याणार्थ शिक्षण सह पुनर्वास संस्थान बसंतपुर धरमकांटा के पीछे राजनांदगांव	श्रवण मूक बाधित बच्चों का स्कूल एवं छात्रावास	9021776
2	अभिलाषा निःशक्तों के कल्याणार्थ शिक्षण प्रशिक्षण संस्था दिग्विजय स्टेडियम परिसर राजनांदगांव	अस्थि एवं दृष्टि बाधित बच्चों का स्कूल एवं छात्रावास	11958060
3	मनोकामना मनोविकास केन्द्र, बल्देव बाग, कामठी लाईन राजनांदगांव	बौद्धिक मंदता बच्चों का विद्यालय (बालक बालिका)	2152500
4	समता मंच, जैन मंदिर के पीछे, सदर बाजार, राजनांदगांव	वृद्धाश्रम	3615620
5	नवअभिलाषा शिक्षण संस्थान, डोंगरगढ़, राजनांदगांव	बहुसेवा केन्द्र	1273320
6	समताजन कल्याण समिति राजनांदगांव	बहुसेवा केन्द्र	2440800
7	श्री चक्रधर कथक कल्याण केन्द्र जमात पारा राजनांदगांव	बहुसेवा केन्द्र	1230120
8	वसुधा फाउण्डेशन राजनांदगांव	बहुसेवा केन्द्र	2824840
9	सतत प्रगति जनकल्याण सामाजिक संस्था राजनांदगांव	बहुसेवा केन्द्र	606096
10	जनकल्याण सामाजिक संस्थान, सोमनी राजनांदगांव	बहुसेवा केन्द्र	588060

जिला-कबीरधाम

क्र.	स्वैच्छिक संस्था का नाम	प्रयोजन	कुल आबंटित राशि
1	2	3	4
1	शिवमंगल महिला समिति, पुरानी कचहरी, कबीरधाम	वृद्धाश्रम	2203256
		प्रशामक देख-रेख गृह	5966620

जिला-दुर्ग

क्र.	स्वैच्छिक संस्था का नाम	प्रयोजन	कुल आबंटित राशि
1	2	3	4
1	लायंस चेरीटेबल ट्रस्ट "प्रयास" श्रवण विकलांग संस्थान जी. ई.रोड सुपेला भिलाई जिला दुर्ग	श्रवण बाधित बच्चों का स्कूल व छात्रावास	14915839
2	स्नेह सम्पदा विद्यालय, 32 बंगला चौक, सेक्टर-8 भिलाई दुर्ग	बौद्धिक मंदता बच्चों का स्कूल व छात्रावास	8845678
3	ब्राइट शिक्षण एवं मानव कल्याण समिति बरईपारा दुर्ग	मूक बधिर एवं मंदबुद्धि बच्चों का स्कूल व छात्रावास	13771664
		बहुसेवा केन्द्र	1288220
		प्रशामक देख-रेख गृह	5647315
4	त्रिविधा विकास समिति, अय्यप्पा मंदिर के पास, सेक्टर-2 भिलाई नगर जिला दुर्ग	बौद्धिक मंदता बच्चों का स्कूल	8202732
5	तुलसी लोक विकास संस्थान कैम्प-1ख, रोड न. 18 वार्ड 20 भिलाई जिला दुर्ग	दृष्टि बाधित बालक/बालिकाओं का आवासीय विद्यालय	6270390

6	मानवता लायंस मनोविकास अनुसंधान एवं पुनर्वास लायंस क्लब आफ दुर्ग सिटी सेवा ट्रस्ट छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड न्यू बोरसी दुर्ग	बौद्धिक मंदता बच्चों का विद्यालय	2034460
7	इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी पुलगांव जिला दुर्ग	वृद्धाश्रम	3125556
8	आस्था बहुददेशीय संस्था, क्वार्ट. नं. 23 ए, सड़क एवेन्यू सेक्टर 2, भिलाई नगर, जिला-दुर्ग	वृद्धाश्रम	2345840
9	हेल्पअस सोसाईटी खुर्सीपार दुर्ग	बहुसेवा केन्द्र	1273320
10	अरीना जन कल्याण समिति उरला, दुर्ग	बहुसेवा केन्द्र	1293820
11	कल्याणी सोशल वेलफेयर एण्ड रिसर्च आर्गेनाइजेशन, जुनवानी, दुर्ग	नशामुक्ति केन्द्र	3174620

जिला-बेमेतरा

क्र.	स्वैच्छिक संस्था का नाम	प्रयोजन	कुल आबंटित राशि
1	2	3	4
1	शिव मंगल महिला समिति, दुर्ग शाखा-बेमेतरा	वृद्धाश्रम	2289900

जिला-बालोद

क्र.	स्वैच्छिक संस्था का नाम	प्रयोजन	कुल आबंटित राशि
1	2	3	4
1	समता जन कल्याण समिति-राजनांदगांव, शाखा- बालोद	वृद्धाश्रम	975356
2	गुण्डाधूर सेवा शिक्षण संस्था-बालोद	घरौंदा	14638570
3	अरीना शिक्षण एवं जन कल्याण समिति दुर्ग शाखा-बालोद	प्रशामक देख-रेख गृह	3774645
4	समता जन कल्याण समिति, जिला-बालोद	नशामुक्ति केन्द्र	1624955

जिला-जांजगीर-चांपा

क्र.	स्वैच्छिक संस्था का नाम	प्रयोजन	कुल आबंटित राशि
1	2	3	4
1	भारतीय कुष्ठ निवारण संघ कात्रेनगर सोठी जाजगीर चांपा	कुष्ठ कल्याण आश्रम	4544000
2	देव सेवा समिति (मानसिक विकलांग विकास संस्थान) मों मनका दाई मंदिर परिसर खोखरा, जिला जांजगीर चांपा	बौद्धिक मंदता बच्चों के लिए विद्यालय/ छात्रावास	3566780
		वृद्धाश्रम	3751136
3	निःशक्तजन कल्याण सेवा समिति पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा	दृष्टि एवं श्रवण बाधित बच्चों के विद्यालय/ छात्रावास	10430814

जिला-सक्ती

क्र.	स्वैच्छिक संस्था का नाम	प्रयोजन	कुल आबंटित राशि
1	2	3	4
1	प्रेमधारा चैरिटेबल सोसायटी कसेरपारा सक्ती जिला सक्ती	श्रवण एवं मूक बधिर बच्चों के विद्यालय/ छात्रावास	11318060

जिला-सरगुजा

क्र.	स्वैच्छिक संस्था का नाम	प्रयोजन	कुल आबंटित राशि
1	2	3	4
1	मानव जीवन ज्योति नेत्रहीन विद्यालय कुनकुरी, बतौली तह सीतापुर जिला सरगुजा	दृष्टि बाधित बच्चों का स्कूल व छात्रावास	8001540
2	होलीक्रॉस आशा निकुंज विकलांग केन्द्र सरगुजा	श्रवण बाधित एवं बौद्धिक मंदता बच्चों का स्कूल व छात्रावास	11649936
3	राबर्ट कानन बाला स्मृति सेवा संस्थान-बिलासपुर द्वारा संचालित आस्था निकुंज वृद्धाश्रम, राघवपुरी, जिला-सरगुजा	वृद्धाश्रम	2980672
4	छत्तीसगढ़ शबरी सेवा संस्थान, पहुना दुकान के पास, केदारपुर, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा	नशामुक्ति केन्द्र	4772670
5	अनामिका वेलफेयर सोसायटी, सरगुजा	घरौंदा	10797646

जिला-बलरामपुर

क्र.	स्वैच्छिक संस्था का नाम	प्रयोजन	कुल आबंटित राशि
1	2	3	4
1	ग्राम विकास समिति, ग्राम-भाला, पो. विजयनगर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज	वृद्धाश्रम	1788936
		नशामुक्ति केन्द्र	3835400

जिला-बस्तर

क्र.	स्वैच्छिक संस्था का नाम	प्रयोजन	कुल आबंटित राशि
1	2	3	4
1	बस्तर विकलांग कल्याण परिषद अघनपुर, पो.ऑ. धरमपुरा जगदलपुर जिला बस्तर	बौद्धिक मंदता बच्चों के विद्यालय एवं छात्रावास	12739780
		घरौंदा	6908280
2	बस्तर धर्म क्षेमा समिति द्वारा संचालित आशा आश्रम पल्लीगॉव पो.ओ. कुम्हरावंड-494001 जिला बस्तर	बौद्धिक मंदता बच्चों के विद्यालय एवं छात्रावास	5606220
3	भारतीय रेडक्रास सोसायटी, आस्था निकुंज वृद्धाश्रम, धरमपुरा, जगदलपुर	वृद्धाश्रम	1587636
4	स्नहेगिरी मिशनरी सिस्टर्स, जगदलपुर, जिला-बस्तर	वृद्धाश्रम	1345704

जिला-कोण्डागांव

क्र.	स्वैच्छिक संस्था का नाम	प्रयोजन	कुल आबंटित राशि
1	2	3	4
1	शांति मैत्री ग्रामीण विकास संस्थान-धमतरी, शाखा-कोण्डागांव	वृद्धाश्रम	930120
2	बस्तर रिवाईवल सोसायटी, कोण्डागांव	नशामुक्ति केन्द्र	2419520

जिला-दंतेवाड़ा

क्र.	स्वैच्छिक संस्था का नाम	प्रयोजन	कुल आबंटित राशि
1	2	3	4
1	माँ दंतेश्वरी समन्वय समिति, हीरानार, पो-गीदम, जिला-दंतेवाड़ा	वृद्धाश्रम	1827758

जिला-कांकेर

क्र.	स्वैच्छिक संस्था का नाम	प्रयोजन	कुल आबंटित राशि
1	2	3	4
1	बुलबुल शिक्षण प्रशिक्षण संस्था, उदय नगर कॉलोनी, पी. जी. कालेज के सामने, कांकेर	वृद्धाश्रम	1879748
2	कल्याणी सोशल वेलफेयर एण्ड रिसर्च आर्गनाइजेशन, जुनवानी, दुर्ग शाखा-कांकेर	नशामुक्ति केन्द्र	1109975

जिला-कोरबा

क्र.	स्वैच्छिक संस्था का नाम	प्रयोजन	कुल आबंटित राशि
1	2	3	4
1	इनरव्हील एजूकेशन सोसायटी गैलरी नं. 3, इंदिरा स्टेडियम ट्रांसपोर्ट नगर कोरबा	श्रवण एवं दृष्टि बाधित बौद्धिक मंदता, बहुदिव्यांग बच्चों का स्कूल एवं छात्रावास	10901280
2	अंकुर एन.एफ. 3 कोसाबाड़ी सदा कालोनी कोरबा	बौद्धिक मंदता बच्चों का विशेष विद्यालय	7380620

जिला-कोरिया

क्र.	स्वैच्छिक संस्था का नाम	प्रयोजन	कुल आबंटित राशि
1	2	3	4
1	छ.ग. शबरी सेवा संस्थान, सरगुजा, शाखा-कोरिया	वृद्धाश्रम	903732

जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

क्र.	स्वैच्छिक संस्था का नाम	प्रयोजन	कुल आबंटित राशि
1	2	3	4
1	नेत्रहीन व विकलांग शिक्षण प्रशिक्षण एवं धर्मार्थ समिति आमाखेरवा, मनेन्द्रगढ़ जिला मनेन्द्रगढ़- चिरमिरी-भरतपुर	दृष्टि बाधित बालकों का स्कूल व छात्रावास	10552726
2	राबर्ट कानन बाला स्मृति सेवा संस्थान, शाखा- मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	घरौंदा	27059620

जिला-रायगढ़

क्र.	स्वैच्छिक संस्था का नाम	प्रयोजन	कुल आबंटित राशि
1	2	3	4
1	नंदा सरकुलेशन संस्थान एवं अंध-मूक बधिर विद्यालय भगवानपुर रायगढ़	दृष्टि व श्रवण बाधित बच्चों का स्कूल एवं छात्रावास	10166315
2	उन्नायक सेवा समिति, 960/22, केलो विहार कॉलोनी, रायगढ़	बौद्धिक मंदता श्रवण मूक बच्चों का विद्यालय व छात्रावास	9268871
		नशामुक्ति केन्द्र	3423840
		घरौंदा	13713917
3	आर्य विद्या सभा, सलखिया, जिला-रायगढ़	वृद्धाश्रम	3244536
4	आशा निकेतन वृद्धाश्रम कौहाकुण्डा रायगढ़	वृद्धाश्रम	3227772
5	रिहैब फाउण्डेशन, रायगढ़	प्रशामक देख-रेख गृह	1875000

जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़

क्र.	स्वैच्छिक संस्था का नाम	प्रयोजन	कुल आबंटित राशि
1	2	3	4
1	उन्नायक सेवा समिति, बरमकेला, जिला सारंगढ़	बौद्धिक मंदता बच्चों का विद्यालय व छात्रावास	7282048
2	प्रांजल वेलफेयर फाउंडेशन (स्कूल एवं आवास) वार्ड क्रमांक-15, सारंगढ़ जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़,	बौद्धिक मंदता बच्चों का विद्यालय/ छात्रावास	5784780

जिला-जशपुर

क्र.	स्वैच्छिक संस्था का नाम	प्रयोजन	कुल आबंटित राशि
1	2	3	4
1	होलीक्रॉस विकलांग सेवा मंच बी.टी.आई चौक पत्थलगांव जिला जशपुर नगर	अस्थि बाधित बालक/ बालिकाओं का छात्रावास	815340
योग			762308269


अनुभाग अधिकारी
 सभेज कल्याण विभाग,
 मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

2018 से 2023 तक जिलेवार नये पंजीकृत एन.जी.ओ. की जानकारी

जिला-रायपुर

क्र.	पंजीकृत एन.जी.ओ. का नाम	प्रयोजन
1	संगी मितान सेवा संस्थान, पता म.नं. A-3, आर्यपा मंदिर के पास उदया सोसायटी, टाटीबंध रायपुर	विभागीय गतिविधियों के संचालन किये जाने हेतु।
2	संवेदना मानसिक विकलांग सेवा संस्थान, विकास विहार कालोनी, रायपुर	विभागीय गतिविधियों के संचालन किये जाने हेतु।
3	सृष्टि डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन रायपुर, पता-कंचन गंगा फेस-02, सरस्वती शिशु मंदिर के पास रोहिणिपुरम, रायपुर	विभागीय गतिविधियों के संचालन किये जाने हेतु।
4	छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति (तृतीय लिंग समुदायिक संगठन) पता-सिलउ राम पटेल, राम मंदिर के पास बंधवा पारा टिल्लू चौक, रायपुर	विभागीय गतिविधियों के संचालन किये जाने हेतु।
5	अर्पण कल्याण समिति, पता मां शारदा ट्रेवल्स के पास न्यू बस स्टैण्ड पंडरी, रायपुर	विभागीय गतिविधियों के संचालन किये जाने हेतु।
6	तपस्या सामाजिक सेवा संस्थान, पता- स्वाति शर्मा वार्ड नं.-64, सेक्टर 03, प्रोफेसर कालोनी जिला रायपुर	विभागीय गतिविधियों के संचालन किये जाने हेतु।
7	जन सामर्थ्य कल्याण समिति, डी-डब्ल्यू 29, वंडरलैण्ड पार्क, के पास इन्द्रप्रस्थ कालोनी रायपुर	विभागीय गतिविधियों के संचालन किये जाने हेतु।
8	नारी शक्ति महिला विकास समिति, पता-कु. कविता सारथी, वार्ड नं.16, आमापारा चूड़ामणि, वार्ड साई मंदिर के पास जिला रायपुर	विभागीय गतिविधियों के संचालन किये जाने हेतु।
9	हरिबोल निराश्रित एवं विकलांग उत्थान संस्थान, भोड़पारा शिव हनुमान मंदिर के पास पुरानी बस्ती जिला रायपुर	विभागीय गतिविधियों के संचालन किये जाने हेतु।

जिला-धमतरी

क्र.	पंजीकृत एन.जी.ओ. का नाम	प्रयोजन
1	एकजेक्ट फाउण्डेशन, दिव्यांग आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र, रूद्री, जिला धमतरी	विभागीय गतिविधियों के संचालन किये जाने हेतु।

जिला-जांजगीर-चांपा

क्र.	पंजीकृत एन.जी.ओ. का नाम	प्रयोजन
1	प्रेमधारा चेरिटेबल सोसायटी (नव जीवन मुक बधिर विद्यालय) कसेर पारा सक्ती जिला जांजगीर-चांपा।	विभागीय गतिविधियों के संचालन किये जाने हेतु।
2	छत्तीसगढ़ सर्व दिव्यांग कल्याण संघ, पामगढ़ जिला जांजगीर-चांपा	विभागीय गतिविधियों के संचालन किये जाने हेतु।

जिला-महासमुंद

क्र.	पंजीकृत एन.जी.ओ. का नाम	प्रयोजन
1	महासमुंद सृजन वेलफेयर सोसायटी जिला-महासमुंद	विभागीय गतिविधियों के संचालन किये जाने हेतु।
2	सत्यम शिवम सुंदरम शिक्षण समिति रायपुर, वार्ड नं.-29, भलेसर रोड जिला महासमुंद	विभागीय गतिविधियों के संचालन किये जाने हेतु।

जिला-रायगढ़

क्र.	पंजीकृत एन.जी.ओ. का नाम	प्रयोजन
1	जय बुढीमाई समाज सेवा संस्थान, कोसमनारा बाबाधाम जिला रायगढ़	विभागीय गतिविधियों के संचालन किये जाने हेतु।
2	रिहैब फाउण्डेशन, लोचन नगर जिला रायगढ़	विभागीय गतिविधियों के संचालन किये जाने हेतु।

जिला-कोण्डागांव

क्र.	पंजीकृत एन.जी.ओ. का नाम	प्रयोजन
1	बस्तर रिवाईवल सोसायटी, म.नं.-11, मोहल्ला नहरपारा, जिला कोण्डागांव	विभागीय गतिविधियों के संचालन किये जाने हेतु।
2	शांति फाउण्डेशन जिला कांकेर, पता-हॉफ-वे-होम सगरीपाल, कोण्डागांव जिला कोण्डागांव	विभागीय गतिविधियों के संचालन किये जाने हेतु।

जिला-सरगुजा

क्र.	पंजीकृत एन.जी.ओ. का नाम	प्रयोजन
1	अनामिका वेलफेयर सोसायटी, अम्बिकापुर जिला सरगुजा	विभागीय गतिविधियों के संचालन किये जाने हेतु।

जिला-बलरामपुर

क्र.	पंजीकृत एन.जी.ओ. का नाम	प्रयोजन
1	ग्राम विकास समिति, ग्राम भाला विजयनगर जिला बलरामपुर रामानुजगंज	विभागीय गतिविधियों के संचालन किये जाने हेतु।

जिला-जशपुर

क्र.	पंजीकृत एन.जी.ओ. का नाम	प्रयोजन
1	साकेत शिक्षण संस्थान, दरबारी टोली जिला जशपुर	विभागीय गतिविधियों के संचालन किये जाने हेतु।



अनुभाग अधिकारी
समंज कल्याण विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

पारिशेष - उच्चास

अतारांकित प्रश्न संख्या 39 (क्र. 984) की जानकारी

प्रपत्र

वित्तीय वर्ष 2023-2024 में अनियमितता के सम्बन्ध में की गई जाँच की जानकारी

क्र.	उचित मूल्य दुकान जिसमें निरीक्षण में अनियमितता पाई गई	जाँच में पाई गई अनियमितताएं	कार्यवाही
1	सेवा सहकारी समिति गोधना, दुकान आई.डी. 542001044	शक्कर 20 रु. में विक्रय करना एवं राशन दुकान 5 से 7 दिवस खुली रखना पाया गया।	जाँच उपरान्त अनियमितता के सम्बन्ध में सम्बंधित दुकान निलंबित किया गया। प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जांजगीर में विचाराधीन है।
2	सेवा सहकारी समिति बनारी, दुकान आई.डी. 542001022	विक्रेता द्वारा कम चावल वितरण करना पाया गया।	जाँच उपरान्त अनियमितता के सम्बन्ध में सम्बंधित दुकान निलंबित किया गया।
3	जन आदर्श महिला विकास समिति पैड़ी (जा.), दुकान आई.डी. 542001023	विक्रेता द्वारा EKYC का पैसा लिया जाना पाया गया।	कारण बताओ नोटिस जारी कर अर्थदंड लगाया गया।
4	शीतला महिला स्व सहायता समूह बरभाठा, दुकान आई.डी. 542001036	EPOS मशीन लेकर जम्मू चला गया था जिससे राशन वितरण प्रभावित हुआ।	कारण बताओ नोटिस जारी कर अर्थदंड लगाया गया।
5	खाद्य पोषण एवं उप. सेवा सहकारी समिति दर्रा, दुकान आई.डी. 542001081	शासकीय उचित मूल्य की दुकान भौतिक सत्यापन में खाद्यान की कमी पाई गई।	कारण बताओ नोटिस जारी कर अर्थदंड लगाया गया।
6	सेवा सहकारी समिति मिसदा, दुकान आई.डी. 542001038	विक्रेता द्वारा कार्डधारियों को चावल वितरण नहीं करना पाया गया।	जाँच उपरान्त अनियमितता के सम्बन्ध में सम्बंधित दुकान निलंबित किया गया। प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जांजगीर में विचाराधीन है।
7	सेवा सहकारी समिति मिसदा द्वारा संचालित शा.ऊ.मु. की दुकान केसला, दुकान आई.डी. 542001040	विक्रेता द्वारा कार्डधारियों को चावल वितरण नहीं करना पाया गया।	जाँच उपरान्त अनियमितता के सम्बन्ध में सम्बंधित दुकान निलंबित किया गया। प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जांजगीर में विचाराधीन है।
8	सेवा सहकारी समिति बोडसरा, दुकान आई.डी. 542001020	शासकीय उचित मूल्य की दुकान के भौतिक सत्यापन में खाद्यान की कमी पाई गई।	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जांजगीर में विचाराधीन है।

क्र.	उचित मूल्य दुकान जिसमें निरीक्षण में अनियमितता पाई गई	जांच में पाई गई अनियमितताएं	कार्यवाही
9	सेवा सहकारी समिति पकरिया (झ.), दुकान आई.डी. 542003023	हितग्राहियों को राशन नहीं मिलने की शिकायत सही पाई गई	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अकलतरा में विचाराधीन है।
10	सेवा सहकारी समिति सांकर, दुकान आई.डी. 542003046	शासकीय उचित मूल्य दुकान में समस्त पंजीयों का संधारण नहीं होना तथा आवश्यक बोर्डों का प्रदर्शन नहीं होना पाया साथ ही शक्कर का मूल्य 20 रु. होना पाया गया।	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अकलतरा में विचाराधीन है।
11	जागृति महिला स्व सहायता समूह नरियरा, दुकान आई.डी. 542003053	शासकीय उचित मूल्य दुकान में समस्त पंजीयों का संधारण नहीं होना तथा आवश्यक बोर्डों का प्रदर्शन नहीं होना पाया साथ ही शक्कर का मूल्य 20 रु. होना पाया गया।	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अकलतरा में विचाराधीन है।
12	सहकारी विपणन संस्था (मार्केटिंग सोसायटी) जांजगीर, दुकान आई.डी. 541001007	भौतिक सत्यापन में स्टॉक में कमी पाई गई तथा आवश्यक बोर्डों का प्रदर्शन नहीं पाया गया।	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अकलतरा में विचाराधीन
13	पूर्व महिला स्व सहायता समूह चांपा, दुकान आई.डी. क्रमांक 541003006	दुकान नियमित रूप से नहीं खुलना पाया गया।	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) चांपा के समक्ष विचाराधीन है।
14	ग्राम पंचायत बोरसी, दुकान आई.डी. 542005032	पलायन किये गये राशनकार्डधारी का खाद्यान्न उठाव किया जाना पाया गया।	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) चांपा के समक्ष विचाराधीन है।
15	जय दुर्गा मां महिला स्व सहायता समूह संजययाम, दुकान आई.डी. 542005048	भौतिक सत्यापन में खाद्यान्न की कमी पाई गई।	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) चांपा के समक्ष विचाराधीन है।

क्र.	उचित मूल्य दुकान जिसमें निरीक्षण में अनियमितता पाई गई	जांच में पाई गई अनियमितताएं	कार्यवाही
16	जय चंडी मॉ महिला स्व सहायता समूह डिघोरा, दुकान आई.डी. 542002018	भौतिक सत्यापन में खाद्यान्न में कमी पाई गई तथा राशनकार्डधारियों को समय पर राशन वितरण करना नहीं पाया गया।	जांच उपरान्त अनियमितता के सम्बन्ध में सम्बंधित दुकान निलंबित किया गया। प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) चांपा में विचाराधीन है।
17	जय मॉ शीतला महिला स्व सहायता समूह खरौद, दुकान आई.डी. 541008001	भौतिक सत्यापन में खाद्यान्न में कमी पाई गई तथा राशन दुकान नियमित न खुलना पाया गया।	जांच उपरान्त अनियमितता के सम्बन्ध में सम्बंधित दुकान निलंबित किया गया। प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पामगढ़ में विचाराधीन है।

अनुभाग अधिकारी

आयुक्त नगरपालिका कार्यालय एवं उपभोग सेवा विभाग
परासपुर, गंगा रामपुर, डरलस नगर

लोक प्राधिकारी	सहायक जन सूचना अधिकारी
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पामगढ़ / नवागढ़	विकास विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत पामगढ़ / नवागढ़
जन सूचना अधिकारी सचिव, ग्राम पंचायत स्तर	—
खण्ड चिकित्साधिकारी, सामुदायिकी स्वास्थ्य केन्द्र पामगढ़	खण्ड विस्तार एवं प्रशिक्षण अधिकारी पामगढ़
कार्यालय ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग पामगढ़	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग पामगढ़
मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत खरौद	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत खरौद
उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें पामगढ़	पशु चिकित्सा सहायक सत्य पामगढ़
उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें नवागढ़	पशु चिकित्सा सहायक सत्य नवागढ़
मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत राहौद	सहायक राजस्व निरीक्षक सहायक जन सूचना अधिकारी राहौद
तहसीलदार पामगढ़	नायब तहसीलदार पामगढ़
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पामगढ़	—
कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, संभाग चांपा	अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग, उप संभाग पामगढ़
परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना पामगढ़	पर्यवेक्षक सहायक जन सूचना अधिकारी, पामगढ़
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड पामगढ़	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, विकासखंड पामगढ़
अनुविभागीय अधिकारी अकलतरा, शाखा नहर उपसंभाग क्रमांक-8 लोहर्सी	सहायक वर्ग-03 शाखा नहर उपसंभाग क्रमांक-8 लोहर्सी
अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन सर्वे एवं बराज निर्माण, उपसंभाग क्रमांक-10 पामगढ़	उप अभियंता जल संसाधन सर्वे एवं बराज निर्माण, उपसंभाग क्रमांक-10 पामगढ़
अनुविभागीय अधिकारी, कृषि पामगढ़	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पामगढ़

परीशेष्ट - इनक्यावन
अतारांकित प्रश्न संख्या 41 (क्र. 989) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

वर्ष 2020-21, (वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च) में वर्षवार की जानकारी					
क्र.	जिले का नाम	वित्तीय वर्ष अनुसार पंजीकृत वाहन संख्या	प्राप्ति योग्य कर/शुल्क राजस्व	प्राप्त राजस्व	वसूली हेतु शेष राजस्व
1	रायपुर	67491	1507238722	1500221913	7016809
2	महासमुन्द	18189	264553953	258287704	6266249
3	बलौदाबाजार	16424	257370742	256813276	557466
4	धमतरी	12851	131494754	131427915	66839
5	गरियाबंद	8839	85164440	84972112	192328
6	दुर्ग	35447	1221352881	1123447459	97905422
7	बेमेतरा	5800	106746852	102998664	3748188
8	राजनांदगांव	22829	134421976	134172156	249820
9	कबीरधाम	12895	222377815	215352948	7024867
10	बालोद	5668	132046874	131721178	325696
11	जगदलपुर	13961	405249708	310743418	94506290
12	कांकेर	5068	225616911	225566505	50406
13	कोण्डागाँव	8940	117516615	117163397	353218
14	नारायणपुर	2070	26357413	25563796	793617
15	दंतेवाड़ा	4761	84864069	84563095	300974
16	बीजापुर	2602	43734550	43529591	204959
17	सुकमा	2116	38351278	38175732	175546
18	बिलासपुर	35513	1006718385	953068638	53649747
19	मंगेली	8786	83838172	83768656	69516
20	जांजगीर-चांपा	22974	269680527	268690650	989877
21	कोरबा	20997	389078299	384065966	5012333
22	अंबिकापुर	24501	560935841	560908216	27625
23	कोरिया	13014	163749526	162865387	884139
24	सूरजपुर	5807	123530697	122556722	973975
25	बलरामपुर	7730	72656098	72651208	4890
26	जशपुर	13265	169811856	191915347	22103491
27	रायगढ़	27621	12485795	11942600	543195
28	गौरेला-पेण्डा-मरवाही	0	0	0	0
	योग	426159	7856944749	7597154249	303997482

अनुभाग अधिकारी
परिवहन विभाग

वर्ष 2021-22 (वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च) में वर्षवार की जानकारी					
क्र.	जिले का नाम	वित्तीय वर्ष अनुसार पंजीकृत वाहन संख्या	प्राप्ति योग्य कर/शुल्क राजस्व	प्राप्त राजस्व	वसूली हेतु शेष राजस्व
1	रायपुर	74408	1873274251	1864531535	8742716
2	महासमुन्द	18825	305999733	302935003	3064730
3	बलौदाबाजार	16375	289550567	289099424	451143
4	धमतरी	11817	133323325	133192234	131091
5	गरियाबंद	7799	86249683	86140446	109237
6	दुर्ग	34999	1385886795	1331507101	54379694
7	बेमेतरा	5623	122504749	117961119	4543630
8	राजनांदगांव	22491	145918711	145323180	595531
9	कबीरधाम	12528	265050234	262037222	3013012
10	बालोद	3247	128736308	128064951	671357
11	जगदलपुर	11902	433268607	326379487	106889120
12	कांकेर	9832	244845138	244611009	234129
13	कोण्डागाँव	7330	108746349	108508194	238155
14	नारायणपुर	1746	22370049	21442477	927572
15	दंतेवाड़ा	3658	79730877	79698765	32112
16	बीजापुर	2689	42151174	41741256	409918
17	सुकमा	2546	42004496	41653404	351092
18	बिलासपुर	29978	1219392638	1170949530	48443108
19	मुंगेली	9507	94595959	94474450	121509
20	जांजगीर-चांपा	24172	322902094	320965605	1936489
21	कोरबा	21555	430665363	426186067	4479296
22	अंबिकापुर	22241	6695600854	6695591079	9775
23	कोरिया	12733	172789347	172452856	336491
24	सूरजपुर	6571	139973774	139418960	554814
25	बलरामपुर	8570	94047212	94040260	6952
26	जशपुर	13220	333324936	231664191	101660745
27	रायगढ़	28653	13037603	13012000	25603
28	गौरैला-पेण्डा-मरवाही	2126	38020357	38020357	0
	योग	427141	15263961183	14921602162	342359021

अनुभाग अधिकारी

परिवहन विभाग

राज्य परिवहन निगम, बिलासपुर

वर्ष 2022-23 (वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च) में वर्षवार की जानकारी					
क्र.	जिले का नाम	वित्तीय वर्ष अनुसार पंजीकृत वाहन संख्या	प्राप्ति योग्य कर/शुल्क राजस्व	प्राप्त राजस्व	वसूली हेतु शेष राजस्व
1	रायपुर	86072	2421200395	2400863228	20337167
2	महासमुन्द	19281	373602552	366472487	7130065
3	बलौदाबाजार	17564	347954192	347234538	719654
4	धमतरी	13310	189349465	188966327	383138
5	गरियाबंद	8727	112918165	112608087	310078
6	दुर्ग	401543	1676684369	1629674885	47009484
7	बेमेतरा	6486	159927365	153960565	5966800
8	राजनांदगाँव	26535	203936315	115548220	88388095
9	कबीरघाम	14017	338820727	333452449	5368278
10	बालोद	8171	158142059	156425575	1716484
11	जगदलपुर	13738	445932661	403512006	42420655
12	कांकेर	13745	293480514	292603063	877451
13	कोण्डागाँव	7382	144480490	144362634	117856
14	नारायणपुर	2362	35313258	34105695	1207563
15	दंतेवाड़ा	4524	103936136	103854419	81717
16	बीजापुर	2908	55354813	54711924	642889
17	सुकमा	2360	61889559	60934780	954779
18	बिलासपुर	37700	1476380040	1469750142	6629898
19	मुंगेली	10213	125324249	125028734	295515
20	जांजगीर-चांपा	24312	386831441	386593334	238107
21	कोरबा	25097	587239537	584072313	3167224
22	अंबिकापुर	22241	779585204	779520954	64250
23	कोरिया	8079	204696834	203970813	726021
24	सूरजपुर	8752	186512563	185528722	983841
25	बलरामपुर	9726	129859066	129849291	9775
26	जशपुर	13147	336031474	268976852	67054622
27	रायगढ़	33800	15229840	15114800	115040
28	गौरेला-पेण्डा-मरवाही	4796	84648377	84648377	0
	योग	846588	11435261660	11132345214	302916446


 अनुभाग अधिकारी
 परिवहन विभाग
 संसदीय सचिवालय

वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 (वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च) में वर्षवार की जानकारी				
क.	वर्ष	प्राप्ति योग्य कर/शुल्क राजस्व	प्राप्त राजस्व	वसूली हेतु शेष राजस्व
1	2020-2021	7856944749	7597154249	303997482
2	2021-2022	15263961183	14921602162	342359021
3	2022-2023	11435261660	11132345214	302916446
4	योग	34556167592	33651101625	949272949



अनुमय अधिकारी
परिवहन विभाग
मंत्रालय, महाजदी भवन, नवा रायपुर

प्रपत्र "ब"

देय करों एवं शुल्कों आदि का भुगतान किये बिना 31.12.2023 तक की स्थिति में जिलावार वाहनों की जानकारी		
क्र.	जिले का नाम	वाहन का प्रकार (LMV/LGV, MGV and HGV, Commercial Tractor, Construction Equipment, Ambulance, Commercial Trailer, PSV / School Bus, Three Wheeler Goods, Motorcab, Excavator (NT), Articulated Vehicle, Vehicle Fitted with Rig. ,X-Ray Van, Tractor Trolley) की संख्या
1	रायपुर	2556
2	महासमुन्द	706
3	बलौदाबाजार	826
4	धमतरी	17
5	गरियाबंद	75
6	दुर्ग	2408
7	बेमेतरा	304
8	राजनांदगांव	645
9	कबीरधाम	1137
10	बालोद	391
11	जगदलपुर	2828
12	कांकेर	55
13	कोण्डागाँव	40
14	नारायणपुर	287
15	दंतेवाड़ा	1429
16	बीजापुर	85
17	सुकमा	30
18	बिलासपुर	1384
19	मुंगेली	45
20	जाजगीर-चांपा	236
21	कोरबा	733
22	अंबिकापुर	69
23	कोरिया	269
24	सूरजपुर	450
25	बलरामपुर	41
26	जशपुर	318
27	रायगढ़	457
28	गौरैला-पेण्डा-मरवाही	10
	योग	17834



अनुभाग अधिकारी
परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

पॉरीशेष्ट - बावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 42 (क्र. 990) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	जिले का नाम	वायु प्रदूषण जांच हेतु प्रदूषण जांच केन्द्रों की संख्या	वायु प्रदूषण जांच की गई वाहनों की संख्या	वायु प्रदूषण फैलाने वाली वाहनों की संख्या	वायु प्रदूषण फैलाने वाली वाहनों से वसूल किया गया शमन शुल्क
1	2	3	4	5	6
1	रायपुर	36	237940	7292	16086100
2	महासमुंद	6	29177	29177	69352300
3	बलौदा-बाजार	7	27688	2913	5219500
4	धमतरी	10	19874	915	1830000
5	गरियाबंद	1	10	7	9600
6	दुर्ग	49	174199	1018	1527000
7	बेमेतरा	1	27198	783	1173400
8	राजनांदगांव	11	33748	45414	99858800
9	कबीरधाम	1	35905	32820	48399000
10	बालोद	2	1900	820	1230000
11	जगदलपुर	5	43877	1195	2333500
12	कांकेर	6	10064	52	89500
13	कोण्डागांव	1	44	1	4000
14	नारायणपुर	0	0	0	0
15	दन्तेवाड़ा	4	1995	28	31300
16	बीजापुर	0	0	0	0
17	सुकमा	0	0	0	0
18	बिलासपुर	28	69512	1263	1965200
19	मुंगेली	4	11229	396	673000
20	जांजगीर-चाम्पा	15	54023	281	551000
21	कोरबा	6	32940	982	1727000
22	अम्बिकापुर	6	70417	1081	1789400
23	कोरिया (बैकुण्ठपुर)	7	37107	513	1061300
24	सूरजपुर	4	4953	1081	1789400
25	बलरामपुर	2	709	6489	12558500
26	जशपुर	4	8063	1536	3006500
27	रायगढ़	9	85315	2134	4251400
28	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	0	0	1279	2278800
	कुल योग	228	1017891	139475	278795506

अनुभाग अधिकारी

परिवहन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

पारिशेष - तिरपन
अतारांकित प्रश्न संख्या 45 (क्र. 997) की जानकारी

प्रपत्र-अ

विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर के अंगनबाडी भवनों के निर्माण की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	संचालित आं0बा0 केंद्रों की संख्या	संचालित मिनी आं0बा0 केंद्रों की संख्या	निजी भवनों में संचालित आं0बा0 केंद्रों की संख्या	निजी भवनों में संचालित मिनी आं0बा0 केंद्रों की संख्या
1	3	5	6	7	8
1	डभरा	201	14	152	13
2	मालखरौदा	149	4	126	2
योग		350	18	278	15

प्रपत्र-ब

विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर के अंगनबाडी भवनो के निर्माण की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत आं0बा0/मिनी आं0बा0 भवन निर्माण कार्य	स्वीकृति की राशि	पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ
1	3	5	6	9	10
1	डभरा	2018-19	कंवली 03	645000.00	पूर्ण
2			कोमो	645000.00	पूर्ण
3			बरहागुड़ा	645000.00	पूर्ण
4			धोबनीपाली	645000.00	पूर्ण
5			सुखदा	645000.00	पूर्ण
योग:-			5	3225000.00	
1	मालखरौदा	2018-19	मोहन्दीकला 01	645000.00	पूर्ण
2			छिदहापारा करिगांव 03	645000.00	पूर्ण
3			कोलडेरा जमगहन 03	645000.00	पूर्ण
4			ढिमानी 01	645000.00	पूर्ण
योग:-			4	2580000.00	
1	डभरा	2019-20	रामभाठा दर्रीपारा	645000.00	पूर्ण
2			खरकेना डीपापारा	645000.00	अपूर्ण
3			टुण्डी खाल्हेपारा	645000.00	पूर्ण
4			प्रकाश नगर बघौद	645000.00	अपूर्ण
योग:-			4	2580000.00	
1	मालखरौदा	2019-20	चिखली - 01	645000.00	पूर्ण
2			मिशनचौक	645000.00	पूर्ण
3			कनाईडीह	645000.00	पूर्ण
4			भांटापारा लिमगांव 02	645000.00	पूर्ण
5			सारसडोल मिनी	645000.00	पूर्ण
योग:-			5	3225000.00	
1	डभरा	2020-21	कटौद	645000.00	पूर्ण
2			कांसा	645000.00	अप्रारंभ
3			उपनी	645000.00	पूर्ण
योग:-			3	1935000.00	
1	-	2021-22	0	-	-
2		2022-23	0	-	-
3		2023-24	0	-	-

पारिशेष्ट - चोवन

अतारांकित प्रश्न संख्या 46 (क्र. 998) की जानकारी

प्रपत्र-अ

क्र.	विधानसभा का नाम	विकासखण्ड का नाम	वर्ष 2019-20 से प्रश्नावधि तक कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या	आवेदनों पर कार्यवाही		लंबित आवेदनों की संख्या	लंबित होने का कारण
				स्वीकृत	स्थापित		
1	चन्द्रपुर	डभरा	446	441	441	5	जिले का लक्ष्य पूर्ण हो जाने के कारण लंबित है।
		मालखरौदा	63	60	60	3	
कुल			509	501	501	8	-

प्रपत्र-ब

क्र.	कृषक का नाम	ग्राम	वि.ख.
1	श्री सुरेन्द्र पटेल	बिलाईगढ़	डभरा
2	श्री लक्ष्मीनारायण पटेल	किरारी	डभरा
3	श्री लोचन पटेल	भेड़ीकोना	डभरा
4	श्री द्रोणा कुमार चन्द्रा	सुखदा	डभरा
5	श्री सुदर्शन प्रसाद चन्द्रा	ठनगन	डभरा
6	श्री धनंजय कुमार रत्नाकर	चरौदा	मालखरौदा
7	श्रीमती उर्मिला बाई	सकर्री	मालखरौदा
8	श्री अभेराम	सिंघरा	मालखरौदा


 छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
 मंत्रालय, बिलासपुर

पारोशेष्ट - पचपन

अतारांकित प्रश्न संख्या 50 (क्र. 1006) की जानकारी

प्रपत्र

राजनांदगांव जिले (पूर्व राजनांदगांव जिला अर्थात वर्तमान खैरागढ़-गंडई-छुईखदान एवं मोहला-मानपुर चौकी को समाहित करते हुए) में वर्ष 2021 से वर्ष 2023 तक की अवधि में विद्युत दुर्घटना होने पर बाहरी व्यक्ति को आर्थिक सहायता के संबंध में मृतक के नाम की वितरणकेन्द्रवार, वर्षवार जानकारी

वर्ष 2021

क्र.	संभाग	वितरण केन्द्र	मृतक/घायल का नाम	मृतक/घायल दिनांक	मृतक/घायल	सहायता राशि	प्रकरण किस स्तर पर लंबित है
1	राजनांदगांव	सिंघोला	श्री दिलेश्वर साहू आ. श्री कंवल साहू	29.01.2021	मृत्यु	मुआवजा राशि रु 4,00,000/- प्रेषित चेक क्र. 415968 दिनांक 26.07.2022	निराकृत
2	राजनांदगांव	सिंघोला	श्री खेमलाल साहू आ. स्व. श्यामलाल साहू	08.07.2021	मृत्यु	मुआवजा राशि रु 4,00,000/- प्रेषित चेक क्र. 415967 दिनांक 26.07.2022	निराकृत
3	राजनांदगांव	धुमका	श्री भुवन लाल यादव आ. श्री कमल यादव	12.06.2021	मृत्यु	मुआवजा राशि रु 4,00,000/- प्रेषित मुख्य अभि. राज. आदेश क्र. 2665 दिनांक 29.11.2022	निराकृत
4	खैरागढ़	अतरिया	श्री आकाश मैथिली	01.08.2021	मृत्यु	कंपनी के परिपत्र क्र. 3663 दिनांक 10.09.2018 के तहत अनुग्रह राशि प्राप्ति हेतु अपात्र होने के कारण प्रकरण निरस्त	निराकृत
5	खैरागढ़	जालबांधा	श्री मनसुख साहू/अनिता साहू	16.06.2021	मृत्यु	चेक क्रमांक 478964 दि.12.10.22 के अनुसार 04 लाख अनुग्रह राशि प्रदान किया गया।	निराकृत
6	डोंगरगढ़	डोंगरगढ़ (शहर)	श्री संजय नंदेश्वर/प्रेमलाल नंदेश्वर	23.01.2021	मृत्यु	मुआवजा राशि 4,00,000/- प्रेषित चेक क्रमांक 476349 दिनांक 22.06.2022	निराकृत
7	डोंगरगढ़	दारा	कुमारी टिकेश्वरी रजक/ रोहित रजक	01.10.2021	मृत्यु	मुआवजा राशि 4,00,000/- प्रेषित चेक क्रमांक 476363 दिनांक 29.09.2022	निराकृत
8	डोंगरगांव	औंधी	श्री बिसमत बाई कोठारी	20.06.2021	मृत्यु	भुगतान प्रदत्त 400000.00 चेक क्रमांक 587154 दिनांक 29.11.2021	निराकृत
9	डोंगरगांव	डोंगरगांव (ग्रामीण)	श्री बालकृष्ण सिन्हा	29.06.2021	मृत्यु	कंपनी के परिपत्र क्र. 3663 दिनांक 10.09.2018 के तहत अनुग्रह राशि प्राप्ति हेतु अपात्र होने के कारण प्रकरण निरस्त	निराकृत
10	डोंगरगांव	डोंगरगांव (शहर)	श्री हरिनंदन साहू	23.07.2021	मृत्यु	आवश्यक दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण लंबित।	संभागीय स्तर पर

उप संचालक

छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

क.	संभाग	वितरण केन्द्र	मृतक/घायल का नाम	मृतक/घायल दिनांक	मृतक/घायल	सहायता राशि	प्रकरण किस स्तर पर लंबित है
वर्ष 2022							
1	राजनांदगांव	टेलकाडीह	श्री मनसुख लाल वर्मा आ. कृपाराम	27.06.2022	मृतक	कंपनी के परिपत्र क्र. 3663 दिनांक 10.09.2018 के तहत अनुग्रह राशि प्राप्ति हेतु अपात्र होने के कारण प्रकरण निरस्त	निराकृत
2	राजनांदगांव	शहर पूर्व जोन	श्री विजय भुआर्य आ. श्री मलेश भुआर्य	15.09.2022	मृतक	कंपनी के परिपत्र क्र. 3663 दिनांक 10.09.2018 के तहत अनुग्रह राशि प्राप्ति हेतु अपात्र होने के कारण प्रकरण निरस्त	निराकृत
3	राजनांदगांव	शहर पश्चिम जोन	श्री विजय मरकाम आ. गोवर्धन	16.05.2022	मृतक	मुआवजा राशि रु 4,00,000/- प्रेषित चेक क्र. 925466 दिनांक 10.05.2023	निराकृत
4	खैरागढ़	साल्हेवारा	श्री लोकनाथ पटेल/पारन बाई	09.07.2022	मृत्यु	कंपनी के परिपत्र क्र. 3663 दिनांक 10.09.2018 के तहत अनुग्रह राशि प्राप्ति हेतु अपात्र होने के कारण प्रकरण निरस्त	निराकृत
5	खैरागढ़	पाण्डादाह	श्री धमेन्द्र साहू/केशरी साहू	19.06.2021	मृत्यु	कंपनी के परिपत्र क्र. 3663 दिनांक 10.09.2018 के तहत अनुग्रह राशि प्राप्ति हेतु अपात्र होने के कारण प्रकरण निरस्त	निराकृत
6	खैरागढ़	खैरागढ़ (ग्रामीण)	कृ. मेघा वर्मा /श्री रमेशर	21.09.2022	मृत्यु	चेक क्रमांक 699345 दि.03.11.2023 के अनुसार 04.00 लाख अनुग्रह राशि प्रदान किया गया।	निराकृत
7	खैरागढ़	गण्डई	जानवी जंघेल/जयलाल जंघेल	29.07.2022	मृत्यु	कंपनी के परिपत्र क्र. 3663 दिनांक 10.09.2018 के तहत अनुग्रह राशि प्राप्ति हेतु अपात्र होने के कारण प्रकरण निरस्त	निराकृत
8	खैरागढ़	बुंदेली	श्री विजय राम साहू/गीता बाई साहू	24.11.2022	मृत्यु	चेक क्रमांक 699350 दि.05.12.2023 के अनुसार 04.00 लाख अनुग्रह राशि प्रदान किया गया।	निराकृत
9	खैरागढ़	बुंदेली	श्री चीनी लाल जंघेल/मीनाबाई जंघेल	31.10.2022	मृत्यु	चेक क्रमांक 699335 दि. 03.10.2023 के अनुसार 04.00 लाख अनुग्रह राशि प्रदान किया गया।	निराकृत
10	खैरागढ़	साल्हेवारा	श्री तोरण दास मानिकपुरी/जनुक दास मानिकपुरी	18.03.2019	मृत्यु	चेक क्रमांक 699336 दि. 03.10.2023 के अनुसार 04.00 लाख अनुग्रह राशि प्रदान किया गया।	निराकृत
11	खैरागढ़	साल्हेवारा	श्री कोमल पटेल/संतोषी पटेल	11.10.2021	मृत्यु	रुपये 4.00 लाख अनुग्रह राशि प्रदान किये जाने हेतु दिनांक 29.01.2024 को स्वीकृति प्रदान की गई है।	निराकृत
12	डोंगरगढ़	मुसराकला	श्री नितेश वर्मा / योगेश वर्मा	22.05.2022	मृतक	कंपनी के परिपत्र क्र. 3663 दिनांक 10.09.2018 के तहत अनुग्रह राशि प्राप्ति हेतु अपात्र होने के कारण प्रकरण निरस्त	निराकृत
13	डोंगरगढ़	एल.बी.नगर	श्री कामता प्रसाद वर्मा/शोभित पटेल	06.06.2022	मृतक	अनुग्रह राशि प्राप्ति हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन	संभागीय स्तर पर
14	डोंगरगांव	डोंगरगांव (ग्रामीण)	श्री प्रेम लाल हल्बा	31.10.2022	मृतक	आवश्यक दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण लंबित।	संभागीय स्तर पर


उत्त सचिव
उत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर


क्र.	संभाग	वितरण केन्द्र	मृतक/घायल का नाम	मृतक/घायल दिनांक	मृतक/घायल	सहायता राशि	प्रकरण किस स्तर पर लंबित है
वर्ष 2023							
1	राजनांदगांव	राजनांदगांव ग्रामीण	श्री विकेश मण्डावी आ. डेवन सिंग मण्डावी	08.06.2023	मृतक	कंपनी के परिपत्र क्र. 3663 दिनांक 10.09.2018 के तहत अनुग्रह राशि प्राप्ति हेतु अपात्र होने के कारण प्रकरण निरस्त	निराकृत
2	राजनांदगांव	सिंधोला	श्री योगुराम साहू आ. पल्लुराम एवं श्रीमति पार्वती साहू पति श्री योगुराम	07.08.2023	मृतक	कंपनी के परिपत्र क्र. 3663 दिनांक 10.09.2018 के तहत अनुग्रह राशि प्राप्ति हेतु अपात्र होने के कारण प्रकरण निरस्त	निराकृत
3	राजनांदगांव	अर्जुनी	श्री कृतज्ञ सोरी आ. कृष्ण सोरी	28.06.2023	मृतक	रुपये 4.00 लाख अनुग्रह राशि प्रदान किये जाने हेतु दिनांक 30.01.2024 को स्वीकृति प्रदान की गई है।	निराकृत
4	खैरागढ़	पाण्डादाह	श्री राहूल चंदेल	29.07.2022	मृतक	कंपनी के परिपत्र क्र. 3663 दिनांक 10.09.2018 के तहत अनुग्रह राशि प्राप्ति हेतु अपात्र होने के कारण प्रकरण निरस्त	निराकृत
5	खैरागढ़	खैरागढ़ (ग्रामीण)	श्री मति सीमा वर्मा/रमेश वर्मा	21.09.2023	मृतक	चेक क्रमांक 699346 दि.03.11.2023 04.00 लाख अनुग्रह राशि प्रदान किया गया।	निराकृत
6	खैरागढ़	छुईखदान	श्री कमलेश बंजारे/राजकुमार बंजारे	24.12.2021	मृत्यु	कंपनी के परिपत्र क्र. 3663 दिनांक 10.09.2018 के तहत अनुग्रह राशि प्राप्ति हेतु अपात्र होने के कारण प्रकरण निरस्त	निराकृत
7	डोंगरगढ़	मुसराकला	श्री राजेन्द्र वर्मा/बृजलाल वर्मा	04.07.2023	मृत्यु	कंपनी के परिपत्र क्र. 3663 दिनांक 10.09.2018 के तहत अनुग्रह राशि प्राप्ति हेतु अपात्र होने के कारण प्रकरण निरस्त	निराकृत
8	डोंगरगढ़	ढारा	श्री तिनेन्द्र गोंड/योगेश गोंड	04.11.2023	मृत्यु	अनुग्रह राशि प्राप्ति हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन	संभागीय स्तर पर
9	मोहला	बांधाबाजार	श्री मोहनलाल	02.07.2023	मृत्यु	अनुग्रह राशि प्राप्ति हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन	संभागीय स्तर पर
10	मोहला	बांधाबाजार	श्रीमती हीना मण्डावी	22.09.2023	मृत्यु	अनुग्रह राशि प्राप्ति हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन	संभागीय स्तर पर
11	मोहला	बांधाबाजार	श्री तामेश्वर साहू	22.09.2023	मृत्यु	अनुग्रह राशि प्राप्ति हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन	संभागीय स्तर पर

नोट :- जिला मोहला-मानपुर-अं. चौकी एवं जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई का निर्माण क्रमशः दिनांक 02.09.2022 एवं 03.09.2022 को किया गया।


उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कृषि के स्थाई पंप कनेक्शन के लंबित आवेदनों के संख्या की कारणों सहित विकासखंडवार जानकारी

लंबित का कारण	विकास खण्ड का नाम			कुल	
	पण्डरिया	सहसपुर लोहारा	कवर्धा		
सर्वे हेतु	22	19	28	69	
कृषकों द्वारा औपचारिकता पूर्ण करने हेतु	323	184	94	601	
विस्तार कार्य हेतु	वर्ष 2023-24 के लक्ष्य में सम्मिलित	425	118	426	969
	जून 2024 के उपरांत जारी कार्यदेश	11	17	7	35
	योग	781	338	555	1674


उप सचिव
उत्तीरगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

पारोक्ष - सनतावन
अतारांकित प्रश्न संख्या 54 (क्र. 1017) की जानकारी
"प्रपत्र"

जिला रायपुर, एवं बिलासपुर में माह जनवरी, 2019 से नवम्बर, 2023 तक
स्वीकृत कोल डिपो की जानकारी

क्र.	अनुज्ञाधारी का नाम	अनुज्ञा क्षेत्र का विवरण ग्राम/ तहसील/ रकबा	अनुज्ञा की अवधि	स्वीकृत भण्डारण क्षमता (टन में)
1	2	3	4	5
जिला-रायपुर				
1	मेसर्स संभव स्पंज पॉवर प्रा. लि. संचालक विकास कुमार गोयल	सरोरा/तिल्दा/0.854 हे.	17.07.2019 से 16.07.2029	5000
2	मेसर्स देवी आयरन एण्ड पावर प्रा. लिमि. डायरेक्टर श्री छन्नू लाल सिन्हा	टाडा/रायपुर/30000 वर्गफीट	25.02.2020 से 24.02.2025	5000
3	मेसर्स ओम स्पंज पार्टनर श्री राकेश कुमार अग्रवाल	मुरेठी/रायपुर/0.340 हे.	29.08.2020 से 28.08.2030	2000
4	सुमीत कोल फीडर प्रो. श्री सुमीत कुमार अग्रवाल आ. श्री सुरेश कुमार अग्रवाल	कपसदा/रायपुर/5164 वर्गफीट	04.10.2020 से 03.10.2030	2000
5	भगवती पावर एण्ड स्टील लिमि. मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राजकुमार केजरीवाल	सिलतरा/रायपुर/0.194 हे.	14.01.2021 से 13.01.2031	5000
6	त्रिमुला स्पंज आयरन प्रा. लिमि. पॉवर ऑफ ऑटार्नी श्री संजय पोरवाल	चरौदा/रायपुर/ 2250 वर्गमीटर	14.01.2021 से 13.01.2031	3000
7	मारुति कोल एण्ड कार्गो प्रा. लिमि. डायरेक्टर श्री पुरुषोत्तम सिंघानिया	रैता/रायपुर/1.659 हे.	03.11.2021 से 02.11.2031	10000
8	निसर्ग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर श्री महेन्द्रा कुमार गोईका	बोरझरा/रायपुर/0.80 एकड़	30.10.2021 से 29.10.2031	6000
9	मेसर्स श्रीदेव इंडस्ट्रीज पार्टनर श्री राहुल अग्रवाल	लालपुर/रायपुर/0.120 हे.	17.02.2022 से 16.02.2032	500
10	जय भोले ट्रेडर्स प्रो. विश्वनाथ अग्रवाल आ. श्री नरसिंह कुमार अग्रवाल	रैता/रायपुर/ 2.00 एकड़	14.03.2022 से 13.03.2032	5000
11	मेसर्स महेन्द्रा स्ट्रीप्स प्रा. लिमि. डायरेक्टर श्री देवेन्द्र पुगलिया	सोण्डरा/रायपुर/ 32000 वर्गफुट	26.05.2022 से 25.05.2032	4000
12	मेसर्स अनिमेश इस्पात प्रा. लिमि. डायरेक्टर श्री शैलेन्द्र शर्मा	सोण्डरा/रायपुर/ 36000 वर्गफुट	31.05.2022 से 30.05.2032	4000
13	सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री पी.एस. दत्ता गुप्ता	मांढर/रायपुर/2.354 हे.	30.09.2022 से 29.09.2032	100000
14	मेसर्स वंदना ग्लोबल लिमिटेड डायरेक्टर श्री निर्मल कुमार नारायण	संकरा/रायपुर/ 4560 वर्गमीटर	30.09.2022 से 29.09.2032	10000
15	दीनू कोल ट्रेडर्स प्रोपराईटर श्री दिनेश गोयल	संकरा/रायपुर/0.320 हे.	02.12.2022 से 01.12.2032	2000
16	फ्लैक्स इंटरप्राइजेस पार्टनर श्री सुशील गोयनका	कपसदा/धरसीवा/ 0.846 हे.	16.05.2023 से 15.05.2033	10000
17	नवदुर्गा मिनरल्स प्रा.लिमि. डाय. श्री अमित गुप्ता एवं श्रीमती नंदनी गुप्ता,	अकोली/धरसीवा/ 0.687 हे.	27.09.2023 से 26.09.2033	5000

 अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग

क्र.	अनुज्ञाधारी का नाम	अनुज्ञा क्षेत्र का विवरण ग्राम/ तहसील/ रकबा	अनुज्ञा की अवधि	स्वीकृत मण्डारण क्षमता (टन में)
1	2	3	4	5
18	मेसर्स तिवारी मिनरल्स प्रो. श्री शीतला प्रसाद तिवारी	कपसदा/ धरसीवा/ 0.530 हे.	03.10.2023 से 02.10.2033	10250
जिला-बिलासपुर				
1	मेसर्स श्री श्याम एसोसिएट पार्टनर श्री विजय अग्रवाल,	पेण्डीडीह/ बिल्हा/ 0.482 हेक्टेयर	25.02.2019 से 24.02.2029	3000
2	मेसर्स जय हनुमान काल ट्रेडिंग कंपनी प्रा. श्री दिनेश कुमार ध्रुव	भोजपुरी/ बिल्हा/ 1.00 एकड़	08.03.2019 से 07.03.2029	1000
3	मेसर्स अभिशोक ट्रेडर्स, प्रो. श्री अभिशोक सन्नाड (मेसर्स पावर सिटी कोल प्रा.लि. डाय. श्री सजन अग्रवाल)	भनेसर/ मस्तूरी/ 1.530 हे.	06.08.2019 से 05.08.2029	20000 10000
4	मेसर्स जय अम्बे कोल बेनिफिकेशन प्रा. लि. डाय. श्री रामजीत सिंह,	भाड़ी/ बिलासपुर/ 1.060 हे.	23.08.2019 से 22.08.2029	25000
5	मेसर्स के.पी. क्लीन कोल एण्ड बेनिफिकेशन प्रो. श्री सी.एस. गंभीर,	सेन्दरी/ बिलासपुर/ 3.952 हे.	04.09.2019 से 03.09.2029	90000
6	मेसर्स मानस ट्रेडर्स प्रो. श्री जहीन अहमद	केशला/ बिल्हा/ 1.00 एकड़	12.09.2019 से 11.09.2029	30000
7	मेसर्स श्री महाकाल ग्लोबल प्रोपाईटर श्री पुष्पेंद्र प्रताप सिंह आ. श्री केषव सिंह,	बेलमुण्डी/ तखतपुर/ 0.607 हेक्टेयर	08.04.2021 से 07.04.2031	8000
8	मेसर्स श्री बालाजी ट्रेड लिंक्स प्रो. श्री ऋषभ जैन आ. श्री अजय जैन,	बेलमुण्डी/ तखतपुर/ 0.243 हे.	09.04.2021 से 08.04.2031	15000
9	मेसर्स चंद्रेश्वरी इंटरप्राइजेस प्रोपाईटर श्री सुदीप चौरसिया आ. श्री शंकर प्रसाद चौरसिया	मुरु/ तखतपुर/ 0.445 हे.	12.04.2021 से 11.04.2031	10000
10	मेसर्स हिन्द मल्टी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड डायरेक्टर श्री रविन्द्र साहू आ. श्री रामदयाल साहू	गतौरा/ मस्तूरी/ 5.538 हे.	08.06.2021 से 07.06.2031	150000
11	रायपुर कोल फीडर प्रा.लि. संचालक श्री दुर्गा प्रसाद दास आ. श्री नारायण प्रसाद दास,	बेलमुण्डी/ सकरी/ 0.647 हे.	20.10.2021 से 19.10.2031	20000
12	मेसर्स पारस पावर एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमि. डाय. श्री प्रशांत कुमार जैन आ. श्री प्रवीण कुमार जैन,	निरतू एवं घुटकू/ तखतपुर/ 1.072 एवं 6.928 कुल 8.000 हे.	21.12.2021 से 20.12.2031	250000
13	एस.जे.एम. मिनरल्स पार्टनर श्री आशीष अग्रवाल,	हरदी/ बिल्हा/ 0.693 हे.	06.01.2022 से 05.01.2032	20000
14	मेसर्स खाटू कोल सेल्स पार्टनर श्री हिमाशु गोयल आ. श्री महेश चंद गोयल, श्रीमती सरोज देवी गोयल	मुरु/ सकरी/ 0.445 हे.	26.05.2022 से 25.05.2032	10000
15	मेसर्स बालाजी कोल इंटरप्राइजेस प्रो. श्री विनय अग्रवाल,	कोपरा/ सकरी/ 0.932 हे.	01.06.2022 से 31.05.2032	15000
16	मेसर्स श्री गुप ऑफ कंपनी पा. 1. श्री संजीव कुमार राय, 2. श्री नागेन्द्र सिंह वर्मा,	बेलमुण्डी/ सकरी/ 0.7530 हे.	24.06.2022 से 23.06.2032	10000

क्र.	अनुज्ञाधारी का नाम	अनुज्ञा क्षेत्र का विवरण ग्राम/ तहसील/रकबा	अनुज्ञा की अवधि	स्वीकृत भण्डारण क्षमता (टन में)
1	2	3	4	5
17	श्री शुभ कार्पोरेशन पार्टनर श्री आनंद कुमार खेमका आ. श्री शम्भू प्रसाद खेमका,	अमाली/कोटा/ 1.190 हे.	28.06.2022 से 27.06.2032	20000
18	मेसर्स मां शारदा मिनरल्स प्रो. श्री सोहिल अग्रवाल,	बेलमुण्डी/सकरी/ 0.404 हे.	29.08.2022 से 28.08.2032	6000
19	मेसर्स बाबजी कोल एण्ड मिनरल्स प्रा. लि. संचालक श्री अब्बास वनक एवं श्री अमित जेठानी,	खरकेना/तखतपुर/ 1.883 हे.	31.10.2022 से 30.10.2032	25250
20	मेसर्स ट्राई स्टार ग्लोबल पार्टनर श्री राकेश खण्डूजा, श्री अभिषेक सन्नाड एवं श्री आकाश अग्रवाल,	अमाली/कोटा/ 3.641 हे.	18.11.2022 से 17.11.2032	25000
21	मेसर्स पावनी कन्सट्रक्शन एण्ड डेव्हलपर्स पार्टनर श्री विलास गोयल,	पेण्डीडीह/बिल्हा/ 0.482 हे.	15.02.2023 से 14.02.2033	10000
22	मेसर्स शक्ति कोल साईजिंग प्रा. लि. डाय. श्री वैभव तिवारी आ. श्री जे.डी. तिवारी,	अमसेना/सकरी/ 1.695 हे.	27.03.2023 से 26.03.2023	20000
23	मेसर्स ग्लोबल मिनरल्स प्रो. श्री सागर सिंह,	अमसेना/सकरी/ 3.063 हे.	24.04.2023 से 23.04.2033	60000
24	मेसर्स तिरुपति मिनरल्स प्रो. श्री प्रमोद अग्रवाल,	भनेसर/मस्तूरी/ 3.60 हे.	26.04.2023 से 25.04.2033	74250
25	मेसर्स रामा कोल वाशरीज प्रा.लि. डाय. श्री कमल केजरीवाल,	अमली/कोटा/ 3.540 हे.	22.06.2023 से 21.06.2023	100000
26	मेसर्स शुभम कोल ट्रेडर्स पार्टनर श्री आयुष सराफ एवं श्री अजय सराफ,	भोजपुरी/बिल्हा/ 0.704 हे.	13.09.2023 से 12.09.2033	7000
27	मेसर्स राशि स्टील एण्ड पावर लिमिटेड डायरेक्टर श्री शिव गर्ग,	पाराघाट/मस्तूरी/ 8.273 हे.	26.09.2023 से 25.09.2033	100000
28	मेसर्स लक्ष्मी एसोसिएट्स प्रो. श्री बजरंग अग्रवाल	बेलमुण्डी/सकरी/ 0.804 हे.	05.10.2023 से 04.10.2033	10000
29	मेसर्स मणिकर्णिका लॉजिस्टिक प्रा.लि. डाय. श्री अजय कुमार पाण्डेय,	सैंदरी/बिलासपुर/ 4.566 हे.	05.10.2023 से 04.10.2033	75000
30	मेसर्स यूनिवर्सल, पा. श्री भास्कर सिंह ठाकुर,	लोखण्डी/सकरी/ 0.506 हे.	05.10.2023 से 04.10.2033	10000
31	मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्रा.लि. डाय. श्री प्रदीप चंद्र झा,	घुटकू/सकरी/ 15.364 हे.	06.10.2023 से 05.10.2033	250000
जिला-कोरबा				
निरंक				


अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, अटल नगर-492002

पारोक्ष - अनठावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 57 (क्र. 1022) की जानकारी

प्रपत्र

छत्तीसगढ़ महिला कोष

क्र.	जिले का नाम	जिले में कार्यरत स्व सहायता समूहों की संख्या	समूह संख्या जिनके द्वारा छ.ग.महिला कोष से ऋण लिया गया	समूहों द्वारा छ.ग.महिला कोष से ली गई ऋण की राशि	जनवरी 2019 से 2023 तक कर्ज माफ किये गये समूहों की संख्या	वर्ष 2019 से 2023 तक समूहों का कर्ज माफ की गई राशि (रूपये में)	ऋण लंबित समूह संख्या	ऋण की लंबित राशि (रूपये में)	ऋण लंबित होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	रायपुर	1484	2325	141885000	0	0	0	0	-
2	दुर्ग	1691	718	99000000	43	503185	0	0	-
3	राजनांदगांव	634	2337	33539500	637	7582392	0	0	-
4	कवर्धा	895	1205	29445000	529	9560639	0	0	-
5	महासमुंद	983	1218	27360000	235	3327487	0	0	-
6	धमतरी	840	1458	50130000	18	516186	0	0	-
7	बस्तर	2174	2174	38973500	137	2900051	0	0	-
8	दन्तेवाड़ा	209	1075	26870000	703	12013221	0	0	-
9	कांकेर	333	1883	53361000	579	8523235	0	0	-
10	बिलासपुर	1717	1952	52588000	219	3007610	0	0	-
11	कोरबा	1631	1959	49172040	253	4527118	0	0	-
12	जांजगीर	758	2422	62090800	198	4066805	0	0	-
13	सरगुजा	1317	1317	42670000	110	4381769	0	0	-
14	कोरिया	489	1165	28215000	394	13519622	0	0	-
15	जशपुर	3468	2296	71520000	647	12754038	0	0	-
16	रायगढ़	2043	3095	79205000	234	3260630	0	0	-
17	नारायणपुर	79	78	3695000	19	798729	0	0	-
18	बीजापुर	152	152	3305000	40	2155501	0	0	-
19	मुंगेली	1179	727	32020000	42	1510935	0	0	-
20	बलोदाबाजार	901	708	31700000	113	3012223	0	0	-
21	गोरियाबंद	674	348	15965000	326	4331061	0	0	-
22	बेमतरा	656	647	23465000	14	560792	0	0	-
23	बालोद	925	917	32575000	84	1958423	0	0	-
24	कोण्डागांव	1305	756	33905000	1	51813	0	0	-
25	सुकमा	62	62	2355000	47	1300118	0	0	-
26	बलरामपुर	323	323	14150000	11	361836	0	0	-
27	सूरजपुर	506	282	11835000	106	2566000	0	0	-
28	पेण्डा मरवाही	879	19	1100000	106	1629684	0	0	-
29	खैरागढ़ छुईखदान गंडई	406	19	1100000	0	0	0	0	-
30	मोहला-मानपुर- चौकी	259	0	0	0	0	0	0	-
31	शक्ति	384	0	0	0	0	0	0	-
32	मनेन्द्रगढ़ चिरमरी भरतपुर	181	0	0	0	0	0	0	-
33	सारंगढ़ बिलईगढ़	759	0	0	0	0	0	0	-
कुल योग		30296	33637	1093194840	5845	110681103	0	0	-

परिशेष - उन्सठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 59 (क्र. 1153) की जानकारी

प्रपत्र-अ

वर्षवार धान खरीदी, भुगतान एवं शेष की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	2020-21			2021-22			2022-23			2023-24 (30-11-2023 तक)		
		धान उपार्जन	भुगतान	शेष	धान उपार्जन	भुगतान	शेष	धान उपार्जन	भुगतान	शेष	धान उपार्जन	भुगतान	शेष
1	बस्तर	142633.16	26695.35	0.00	158915.36	30842.17	0.00	199714.02	40745.22	0.00	6144.08	1341.27	0.00
2	बीजापुर	60283.96	11261.21	0.00	63710.32	12359.86	0.00	94127.80	19202.07	0.00	89.12	19.45	0.00
3	दन्तेवाड़ा	16307.12	3046.39	0.00	17437.24	3382.89	0.00	25240.52	5149.09	0.00	40.32	8.80	0.00
4	कोकर	296518.24	55771.99	0.00	318974.36	61969.13	0.00	409601.52	83597.90	0.00	77052.12	16825.56	0.00
5	कोडामाँव	143468.36	27051.39	0.00	153345.60	29996.79	0.00	216117.16	44362.31	0.00	21102.72	4631.56	0.00
6	नारायणपुर	19544.12	3685.19	0.00	22794.76	4461.81	0.00	31887.00	6557.87	0.00	257.88	56.33	0.00
7	सुकमा	38489.92	7189.92	0.00	46290.96	8980.45	0.00	58490.36	11932.03	0.00	261.80	57.15	0.00
8	बिलासपुर	451142.28	84463.84	0.00	484135.12	94002.40	0.00	513004.52	104684.76	0.00	55150.44	12042.48	0.00
9	नारैन पन्ड्रा	74907.24	14113.34	0.00	69524.60	13507.68	0.00	91014.48	18569.42	0.00	17633.92	3850.46	0.00
10	मरवाही	798398.6	149140.86	0.00	824849.04	160020.71	0.00	462065.96	94261.46	0.00	9645.40	2105.59	0.00
11	जाजगीर चाम्पा	135271	25273.14	0.00	170251.40	33029.07	0.00	212925.08	43436.72	0.00	7425.60	1621.01	0.00
12	कोरबा	361356.44	67570.58	0.00	383864.56	74520.34	0.00	397647.36	81128.49	0.00	62382.48	13618.57	0.00
13	मण्डौली	533510.04	99659.68	0.00	573871.80	111331.13	0.00	412967.72	84245.41	0.00	12946.64	2826.25	0.00
14	रायगढ़	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365107.12	74481.86	0.00	5982.12	1305.90	0.00
15	सारगढ़	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330717.80	67466.43	0.00	36066.88	7873.40	0.00
16	बिलासगढ़	521715.76	97898.49	0.00	519503.24	101162.14	0.00	568001.16	116297.11	0.00	132529.56	29105.62	0.00
17	बालोद	587672.36	109904.09	0.00	630615.52	122451.07	0.00	664225.32	135574.95	0.00	154960.36	33863.08	0.00
18	बेतवा	407348	76207.17	0.00	417103.20	81020.45	0.00	431358.12	88094.19	0.00	82361.00	18025.35	0.00
19	दुर्ग	393469.88	73959.32	0.00	416301.20	81225.95	0.00	444875.72	91130.50	0.00	81653.08	17911.90	0.00
20	कवंची	760590.88	142809.55	0.00	825134.80	160846.10	0.00	529471.28	108428.19	0.00	141374.32	31021.84	0.00
21	राजनांदगाँव	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281305.68	57604.34	0.00	74269.16	16286.97	0.00
22	खैरागढ़ झ ग	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182366.20	37480.46	0.00	31630.24	6955.94	0.00
23	मोहला मा अं.	669411.68	125123.33	0.00	696430.88	135123.59	0.00	618605.68	126213.82	0.00	98414.40	21487.18	0.00
24	बलोदाबाजार	427749.56	80312.98	0.00	431397.00	83928.60	0.00	453065.72	92683.20	0.00	129268.96	28327.22	0.00
25	धमतरी	323584.56	60639.46	0.00	331515.12	64362.22	0.00	381865.68	77934.25	0.00	81257.64	17772.36	0.00
26	गरियाबंद	750901.32	140285.34	0.00	774342.92	150224.92	0.00	824043.36	168108.42	0.00	209139.32	45657.04	0.00
27	महासमंद	503714.36	94175.09	0.00	509956.24	98985.01	0.00	516328.76	105389.86	0.00	100635.00	22004.16	0.00
28	रायपुर	156311.12	29477.56	0.00	193871.32	37643.77	0.00	172641.00	35219.10	0.00	527.32	115.11	0.00
29	बलरामपुर	116918.88	21840.45	0.00	154194.80	29913.80	0.00	196675.16	40121.73	0.00	5373.48	1173.03	0.00
30	जशपुर	119154.4	22496.32	0.00	140092.68	27178.01	0.00	94016.88	19179.44	0.00	2874.16	627.43	0.00
31	कोरिया	181108.24	34190.41	0.00	219967.16	42677.76	0.00	238324.60	48618.27	0.00	6178.16	1348.69	0.00
32	सरगजा	210910.76	39816.48	0.00	250976.04	48690.24	0.00	264984.36	54056.81	0.00	3868.80	844.56	0.00
33	मनेन्द्रगढ़ चि भ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70793.56	14441.89	0.00	71.64	15.64	0.00
	योग	9202392.24	1724058.90	0.00	9799367.24	1903838.04	0.00	10753576.66	2196397.57	0.00	1648568.12	360726.92	0.00

अनुयायिका
 कृषि नगरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंडालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र-ब

धान खरीदी मिलर को जारी एवं संग्रहण केन्द्र को प्रदाय मात्रा की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	खरीफ विपणन वर्ष 2020-21					खरीफ विपणन वर्ष 2021-22				
		कुल उपार्जित मात्रा	मिलर को जारी मात्रा	संग्रहण केन्द्र को प्रदाय मात्रा	उपार्जन केन्द्र में शेष मात्रा	कुल उपार्जित मात्रा	मिलर को जारी मात्रा	संग्रहण केन्द्र को प्रदाय मात्रा			
1	बस्तर	142633	85948	56245	440	158915	71829	14263			
2	बीजापुर	60284	4430	55211	642	63710	8012	6028			
3	दन्तेवाड़ा	16307	3210	13097	0	17437	6653	1631			
4	कांकेर	296518	147179	143301	6038	318974	194123	29652			
5	कोडागांव	143468	66084	76091	1293	153346	88364	14347			
6	नारायणपुर	19544	10821	8383	340	22795	17127	1954			
7	सुकमा	38490	17820	20504	166	46291	24690	3849			
8	बिलासपुर	451142	343515	54077	8904	484135	462954	45114			
9	गौरेला पेंड्रा	74907	72341	0	818	69525	69525	7491			
10	जांजगीर चाम्पा	798399	580463	188519	4386	824849	699349	79840			
11	कोरबा	135271	135271	0	0	170251	170251	13527			
12	मंगेरी	361356	208544	84061	12373	383865	281690	36136			
13	रायगढ़	533510	445285	75318	0	573872	554853	53351			
14	बालोद	521716	296039	129994	9041	519503	346691	52172			
15	बेमेतरा	587672	242274	178420	17760	630616	396742	58767			
16	दुर्ग	407348	320962	46456	3026	417103	378840	40735			
17	कवर्धा	393470	228886	137281	24763	416301	270548	39347			
18	राजनांदगांव	760591	368617	259226	22865	825135	484170	76059			
19	बलौदाबाजार	669412	310482	201307	12710	696431	425923	66941			
20	धमतरी	427750	338498	5050	5271	431397	431397	42775			
21	गरियाबंद	323585	190750	91972	7278	331515	231010	32358			
22	महासमंद	750901	445658	212763	23510	774343	621707	75090			
23	रायपुर	503714	489358	6761	7595	509956	507661	50371			
24	बलरामपुर	156311	100540	49251	1943	193871	139451	15631			
25	जशपुर	116919	116919	0	0	154195	154195	11692			
26	कोरिया	119154	115610	0	1322	140093	140093	11915			
27	सरगुजा	181108	103513	74802	901	219967	147459	18111			
28	सुरजपुर	210911	123764	69997	3188	250976	179150	21091			
	योग:-	9202392	5912780	2238088	176573	9799367	7504459	920239			

अनुभाग अधिकारी

अध्यक्ष नगरिक आयुक्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
भंडालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र-ब

धान खरीदी मिलर को जारी एवं संग्रहण केन्द्र को प्रदाय मात्रा की जानकारी

खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 (30 नवंबर, 2023)

खरीफ विपणन वर्ष 2022-23

क्र	जिला का नाम	कुल उपार्जित मात्रा	मिलर को जारी मात्रा	संग्रहण केन्द्र को प्रदाय मात्रा	कुल उपार्जित मात्रा	मिलर को जारी मात्रा	संग्रहण केन्द्र को प्रदाय मात्रा
1	बस्तर	199714.02	149844.12	49869.9	6144.08	0	0
2	बीजापुर	94127.8	31185.486	62942.314	89.12	0	0
3	दन्तेवाड़ा	25240.52	8380.336	16860.184	40.32	0	0
4	कोकर	409601.52	370274.01	38911.04	77052.12	3364	0
5	कौडागांव	216117.16	196587.88	19529.28	21102.72	0	0
6	नारायणपुर	31887	25021.284	6865.716	257.88	0	0
7	सुकमा	58490.36	44031.559	14458.801	261.8	0	0
8	बिलासपुर	513004.52	513004.52	0	55150.44	18795	0
9	गौरला पेन्ड्रा भरवाही	91014.48	91014.48	0	17633.92	5087	0
10	जाजगीर चाम्पा	462065.96	462065.96	0	9645.4	1950	0
11	कोरबा	212925.08	212925.08	0	7425.6	3538	0
12	मंगेरी	397647.36	397647.36	0	62382.48	14268.32	0
13	रायगढ़	412967.72	412967.72	0	12946.64	3833	0
14	सक्ती	365107.12	365107.12	0	5982.12	1094	0
15	सारगढ़ बिलाईगढ़	330717.8	330717.8	0	36066.88	0	0
16	बालोद	568001.16	568001.16	0	132529.56	31991	0
17	बेमेतरा	664225.32	664225.32	0	154960.36	31426.96	0
18	दुर्ग	431358.12	431358.12	0	82361	7381.44	0
19	कवर्धा	444875.72	444875.72	0	81653.08	3640.8	0
20	राजनांदगांव	529471.28	513397.72	16073.56	141374.32	29504.32	0
21	खैरागढ़ छुईखदान गण्डई	281305.68	261422.08	19883.6	74269.16	4541	0
22	मोहला मानपुर अं.चौकी	182366.2	158615.84	23750.36	31630.24	1432	0
23	बलौदाबाजार	618605.68	618605.68	0	98414.4	28348.258	0
24	धमतरी	453065.72	453065.72	0	129268.96	70431.8	0
25	गरियाबंद	381865.68	327530.4	54335.28	81257.64	41300.08	0
26	महासमंद	824043.36	824043.36	0	209139.32	48649.48	0
27	रायपुर	516328.76	516328.76	0	100635	57411.1	0
28	बलरामपुर	172641	172641	0	527.32	90	0
29	जशपुर	196675.16	196675.16	0	5373.48	0	0
30	कोरिया	94016.88	94016.88	0	2874.16	0	0
31	सरगजा	238324.6	238169.6	0	6178.16	0	0
32	सुरजपुर	264984.36	264984.36	0	3868.8	28	0
33	मनेन्द्रगढ़ चिरामिरी भरतपुर	70793.56	70793.56	0	71.64	0	0
		10753576.66	10429525.16	323480.035	1648568.12	408105.558	0

अनुभाग अधिकारी
राज्य नालिकर आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
भंडारालय, नया रायपुर, छत्तल नगर

प्रपत्र-स

खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में धान परिवहन वाले जिलों के परिवहनकर्ता एवं स्वीकृत दर की जिलेवार जानकारी

का विवरण

क्रमांक	जिला	स्वीकृत परिवहन दर	परिवहनकर्ता का नाम
1	बस्तर	SOR + 90%	मेसर्स ज्योतिश्वर कुरूप
2	बीजापुर	SOR + 45.98%	मनीष सिंह टांसपोर्ट (जे.एम.डी ट्रेडर्स)
3	दन्तेवाड़ा	SOR + 79%	जे.एम.डी. ट्रेडर्स, मो. ईकबाल मेमन
4	कांकेर	SOR + 30.96%	श्रीपाल चोपडा, अनिल कुमार कौशिक
5	काँडागांव	SOR + 60%	दमन मनदीप रोडलाईन्स, नवीन गोलछा
6	नारायणपुर	SOR + 95%	दमन मनदीप रोडलाईन्स, ईकबाल मेमन रजा
7	सुकमा	SOR + 94%	हरदीप सिंह भदौरिया
8	राजनांदगांव	SOR + 95%	जसबीर सिंह चावला, विक्रमजीत सिंह गिल, सहज रोड लाईन्स, जसप्रीत सिंह भाटिया, परमित सिंह गिल एवं रूपिन्दर सिंह गिल
9	खैरागढ़ छुईखदान गण्डई	SOR + 95%	सहज रोडलाईन्स, जसबीर सिंह चावला, विक्रमजीत सिंह गिल
10	मोहला मानपुर अं.चौकी	SOR + 95%	रूपिन्दर सिंह गिल (दमन मनदीप रोडलाईन्स)
11	गरियाबंद	SOR + 95%	कमल नारायण साहू

टीप:- शेष जिलों में धान परिवहन नहीं हुआ है।


अनुभाग अधिकारी
 नगरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, बटल मगर